

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2016 की संख्या 15
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)

खण्ड II

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2016 की संख्या 15
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)

खण्ड II

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पीएसयू	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन		v
	कार्यकारी सार		vii
अध्याय - I	पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
1.1	बिना प्रतिभूति के चूककर्ता कम्पनी को क्रेडिट सुविधा का विस्तारण	भारत पैट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड	1
1.2	तेल तथा गैस संचरण पाईपलाइनों की सुरक्षा तैयारियां	गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड	4
1.3	पैट्रोकेमिकल उत्पादन तथा परियोजना प्रबंधन	गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड	32
1.4	एचपीसीएल की मुम्बई रिफाइनरी में डीजल हाइड्रो ट्रीटर परियोजना पर परिहार्य व्यय	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड	53
1.5	निष्पादन संबंधित वेतन का अनियमित भुगतान	इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड	57
1.6	अधिकारियों को शिफ्ट भत्ता के रूप में दिये गये अनुचित लाभ	इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड	59
1.7	मूल्य निर्धारण में देरी तथा केजी डीडब्ल्यूएन98/2 ब्लॉक में खोजों का गैर-मुद्रीकरण	ऑयल तथा नैचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड	61
1.8	कोल बेड मिथेन ब्लॉक की प्राप्ति के उद्देश्य की अनुपलब्धि	ऑयल तथा नैचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड	84
1.9	ओएनजीसी द्वारा प्रयुक्त वित्तपोषण तंत्र को ओएनजीसी पेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड (ओपीएएल) की गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) प्रास्थिति को बनाए रखने के लिए बनाया गया था	ऑयल तथा नैचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड	102

1.10	गैस परिवहन प्रभारों के भाग की प्राप्ति में अत्यधिक देरी के कारण ब्याज की हानि	ऑयल तथा नैचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड	108
1.11	कुशल कुंआ पूर्णता उपकरण प्राप्त करने के अनुचित निर्णय के कारण उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे	आयल तथा नैचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड	113
1.12	क्रेकर संयंत्र सहित डाउनस्ट्रीम इकाइयों एवं अन्य उपयोगिताओं के निर्माण के गैर समकालिक होने के कारण क्रेकर संयंत्र के संरक्षण और संयंत्र जांच पर परिहार्य व्यय	ओएनजीसी पैट्रो एडीशन्स लिमिटेड	117
अध्याय II सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय			
2.1	छूटग्राही को अनुचित लाभ (पी आई यू बेगूसराय)	नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	122
2.2	एनएच-33 के हजारीबाग-रांची खंड के बीच फोर लेनिंग परियोजना से संबंधित छूटग्राही को एनएचएआई द्वारा अनुचित लाभ	नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	126
2.3	छूटग्राही को अनुचित लाभ (पी आई यू दरभंगा)	नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	129
अध्याय III वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
3.1	प्रचालनों के संपन्न पर अनुत्पादक व्यय	सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटे	134
अध्याय IV जहाजरानी मंत्रालय			
4.1	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उपयोग की स्थिति की समीक्षा	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	136
अध्याय V इस्पात मंत्रालय			
5.1	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्यों का निष्पादन	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	143
5.2	सेल में विपणन गतिविधियां	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	157

5.3	सेल की एसपीयू बेटियाह परियोजना पर निष्क्रिय निवेश	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	172
5.4	परिहार्य व्यय	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	176
अध्याय VI लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसईज द्वारा वसूलियां, सुधार/संशोधन			
6.1	लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियां	नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड, आयल इंडिया लिमिटेड तथा ऑयल एंड नैचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड	179
6.2	लेखापरीक्षा के बताने पर सुधार/संशोधन	नेशनल सफाई कर्मचारिज फाईनेंस एंड डेवेलपमेंट कोर्पोरेशन तथा नेशनल शेडयूल्ड कास्टस फाईनेंस एंड डेवेलपमेंट कोर्पोरेशन	179
अध्याय VII लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई			
	परिशिष्ट I		185
	परिशिष्ट II		187
	परिशिष्ट III		188
	अनुबंध		190

प्राक्कथन

1. कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के उपबंधों के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखाओं की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखाओं की जाती है जिसकी टिप्पणियां सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में शामिल की जाती है। इसके अतिरिक्त इन कम्पनियों की सीएजी द्वारा नमूना जांच भी की जाती है।
2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियों में सीएजी द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की अपेक्षा की गई है। पांच ऐसे निगमों यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में सुसंगत संविधियों के अधीन सीएजी उनका एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक निगम यथा सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के संबंध में सीएजी को निगम को शासित करने वाली संबन्धित संविधि के अधीन नियुक्त किए गए सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बाद अनुपूरक और नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
3. एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदन 1984 में यथा संशोधित सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के उपबंधों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
4. 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को दो खण्डों में तैयार किया गया है। यह इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट का खण्ड II है और इसमें पांच मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन 11 पीएसयूज से संबंधित 21 पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल किया गया है। खण्ड I में 11 मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन 20 पीएसयूज से संबंधित 32 पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टान्त उन मामलों में से हैं जो 2014-15 और पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा के

दौरान ध्यान में आए। कुछ मामलों में मार्च 2015 के बाद के लेन देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम भी उल्लिखित किए गए हैं।

5. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों/निगमों या पीएसयू के सभी 'प्रसंग' केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों के प्रसंग में माने जाएं जब तक कि संदर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।

6. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6) या विशेष निगमों के विधिक प्रशासन के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा केंद्रीय सरकारी कम्पनियों और कॉर्पोरेशन के खातों के अभिलेखों की नमूना जांच के परिणाम के रूप में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस रिपोर्ट में शामिल हैं।
2. इस प्रतिवेदन में पांच मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 11 पीएसयूज से संबंधित 21 व्यक्तिगत अवलोकन शामिल हैं। ड्राफ्ट अवलोकन संबंधित मंत्रालयों/विभागों जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत छः सप्ताह की अवधि में प्रत्येक मामले में अपने उत्तर/टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर उन्हें प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं, के सचिवालयों को अग्रेषित किये गये थे। 16 अवलोकनों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे क्योंकि इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना था। इससे पहले, ड्राफ्ट अवलोकन संबंधित पीएसयूज के प्रबंधन को भेजे गये थे, जिनके उत्तर रिपोर्ट में उचित रूप से जोड़े गये हैं।
3. भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पीएसयूज से संबंधित इस रिपोर्ट में पैराग्राफ शामिल किये गये:

मंत्रालय/विभाग (शामिल पीएसयूज की संख्या)	पैराग्राफ की संख्या	उन पैराग्राफ की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय/विभाग के उत्तर प्रतीक्षित था
1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी और ओपल)	12	11
2. सड़क परिवहन और राजमार्ग (एनएचएआई)	3	-
3. वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान (सीईएल)	1	1
4. जहाजरानी (आईडब्ल्यूएआई)	1	1
5. इस्पात (एचएससीएल और सेल)	4	3
कुल	21	16

4. लेखापरीक्षा अवलोकन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 9,736.69 करोड़ है।
5. इस रिपोर्ट में व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अवलोकन विस्तृत रूप से अग्रलिखित प्रकृति के हैं:
 - ❖ नियमोंवली, निदेशों, प्रक्रिया ठेके के निबंधन और शर्तों आदि की अननुपालना में छः पैराग्राफ में ₹ 308.42 करोड़ शामिल हैं।
 - ❖ संगठनों के वित्तीय हितों की रक्षा न करना जिनमें पांच पैराग्राफ में ₹ 632.61 करोड़ शामिल हैं।
 - ❖ त्रुटिपूर्ण/दोषपूर्ण योजना में पांच पैराग्राफ में ₹ 3,531.30 करोड़ शामिल हैं।
 - ❖ अप्रयाप्त/त्रुटिपूर्ण मानीटरिंग में दो पैराग्राफ में ₹ 117.86 करोड़ शामिल हैं।
 - ❖ उद्देश्यों की गैर प्राप्ति/आंशिक रूप से प्राप्ति में तीन पैराग्राफ में ₹ 5,146.50 करोड़ शामिल हैं।
6. रिपोर्ट में तीन पीएसयूज द्वारा की गई ₹ 6.38 करोड़ की वसूलियों के संबंध में भी एक पैराग्राफ और लेखापरीक्षा करते समय दो पीएसयूज द्वारा किये गये सुधार/परिशोधन से संबंधित एक अन्य पैराग्राफ भी शामिल है।

II. रिपोर्ट में शामिल किये गये कुछ महत्वपूर्ण पैराओं की मुख्य बातें निम्नानुसार:-

ऑयल एंड नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने नई अन्वेषण लाईसेंसिंग नीति के अंतर्गत प्रथम चरण 2005 में केजी डीडब्ल्यूएन 98/2 ब्लॉक में नब्बे प्रतिशत और 2012 में बकाया को अधिग्रहित कर लिया। कम्पनी ने ₹ 8402.56 करोड़ की लागत सहित अपने अन्वेषणों को करने और मूल्यांकन करने के लिए कई समय विस्तार इस क्षेत्र से रिजर्व के भौतिक प्रवास के लिए प्राप्त किये (मार्च 2015)। कम्पनी को आरआईएल द्वारा अपने केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक के माध्यम से उनके उपयोग के संबंध में तथा विशेषज्ञ पुष्टि के मद्देनजर एक बड़ी असफलता भी झेलनी पड़ी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने दिसम्बर 2013 में ब्लॉक की व्यवहारिकता पर विचार करते हुए उच्चतर गैस मूल्य को लिया। नये घरेलू गैस मूल्य निरूपण दिशानिर्देशों के अंतर्गत, गैस मूल्य बहुत कम मूल्य पर निर्धारित किया गया था, जो ब्लॉक की वित्तीय व्यवहारिकता पर आगे प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। कम्पनी ने अगस्त 2015 तक ब्लॉक में कुल 11 अन्वेषणों को अधिसूचित किया है।

(पैरा 1.7)

ऑयल एंड नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 2001 से 2003 के दौरान भारत सरकार द्वारा सौंपे गये 33 ब्लॉकों में से कोल बैड मीथेन ब्लॉक (सीबीएम) के 9 ब्लॉकों को अधिग्रहित किया। खराब संभावनाओं के आधार पर इसने पांच ब्लॉकों का अधिग्रहण छोड़ दिया। विभिन्न कारणों के कारण भूमि अधिग्रहण में विलम्ब और ब्लॉकों में प्रतिबद्ध न्यूनतम निर्माणकार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने में ओएनजीसी की विफलता के कारण, ब्लॉकों के अन्वेषण चरण प्रभावित हुए और ओएनजीसी को बार-बार भारत सरकार से समय सीमा में विस्तार लेना पड़ा। बार-बार समय विस्तार के कारण पांच वर्षों का विकास चरण कम हुआ। यह माइनिंग लीज और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में भी विफल रही जो कि विकास प्रचालन के आरंभ करने के पूर्व आवश्यक है। इस प्रकार ओएनजीसी ने चार सीबीएम ब्लॉक पर ₹ 1,217.86 करोड़ खर्च करने के बाद भी अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं किया।

(पैरा 1.8)

पेट्रोरसायन के प्रयोग की बड़ी रेंज और परिणामस्वरूप मांग को ध्यान में रखते हुए, गेल (इंडिया) लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने क्रमशः 1999 और 2004 में पेट्रोरसायन उद्योग में प्रवेश किया। 'गेल और आईओसीएल द्वारा पेट्रोरसायन उत्पादन और परियोजना प्रबंधन' की लेखापरीक्षा 2009-10 से 2014-15 की अवधि हेतु गेल के पाता में पेट्रोरसायन संयंत्र और पानीपत के आईओसीएल में नाफ्था क्रैकर संयंत्र को कवर किया। लेखापरीक्षा औद्योगिक नियम और परियोजना निष्पादन आदि की प्रभावशीलता के अनुसार फीड स्टॉक उपलब्धता, फीडस्टॉक की खपत और अन्य इनपुट/उपादेयताओं

के निर्धारण के लिए की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे इस प्रकार दिये गये हैं:

- अपस्ट्रीम और डाऊनस्ट्रीम उत्पादन क्षमता के बीच असमानता के कारण उत्पादन हेतु अवसर की हानि हुई (गेल का पाटा संयंत्र)।
- आवश्यकता से अधिक उपादेयताओं का क्षमता सृजन से इन उपादेयताओं के कम उपयोग किया जा सका (आईओसीएल का पानीपत संयंत्र)।
- औद्योगिक नियम/डिजाइन मानकों की तुलना में फीडस्टॉक, रसायन और भाप की अधिक खपत के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई (आईओसीएल का पानीपत संयंत्र)।
- गेल और आईओसीएल द्वारा ग्रेड-वार लागत का न रखा जाना।
- गेल के क्षमता संवर्धन परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब से उत्पादन हानि।

(पैरा 1.3)

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स निर्माण लिमिटेड लोहे और इस्पात वर्क्स और सहायक संयंत्रों हेतु निर्माण परियोजना के निष्पादन से संबंधित है। कार्यों के निष्पादन की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि अनुमोदित दर संरचना (एआरएस) के आधार पर कार्य सौंपने की प्रक्रिया स्पर्धात्मक नहीं थी, पारदर्शिता की कमी थी क्योंकि अधिकतर मामलों में पैनल के ठेकेदारों से उद्धरण आमंत्रित किये बिना नामांकन आधार पर कार्य सौंपे गये थे। ₹ 133.59 करोड़ राशि के कम्पनी को सौंपे गये 14 ठेके 160 ठेकों में विभाजित थे और लिमिटेड निविदा जांच या एआरएस के आधार पर अधिकतर 32 ठेकेदारों को ऑफलोड किये गये। बोलियों को आमंत्रित करने वाली प्रक्रियाएं संभावित ठेकेदारों से वृहत् प्रतिक्रिया लेने में सहायक नहीं थी। लेखापरीक्षा ने ₹ 241.46 करोड़ मूल्य वाले 35 ठेकों में ठेकेदार द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी के प्रस्तुतीकरण में अनुज्ञेय समय से अधिक 18 दिनों से 288 दिनों के बीच विलम्ब पाया। कम्पनी समझौते में कमियों के कारण ग्राहक से सेंटेज प्रभार/पीएमसी शुल्क के रूप में ₹ 21.85 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी।

(पैरा 5.1)

सेल के केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) द्वारा की गई विपणन गतिविधियों की समीक्षा से अग्रलिखित ज्ञात हुआ:

- क्षमता संवर्धन में विलम्ब के कारण 2009-10 में 18.5 प्रतिशत से 2014-15 में 14.2 प्रतिशत तक बाजार शेयर में कमी हुई जबकि 2009-15 के दौरान 30 प्रतिशत तक भारत में इस्पात खपत में वृद्धि हुई थी।
- कम्पनी के पास निविदाओं में भागीदारी द्वारा व्यापार करने के लिए प्रभावी नीति नहीं थी और यह 224 निविदाओं जिनमें इसने भाग लिया था में से 69 निविदाओं में मुख्यरूप से उच्चतर मूल्य उद्धरण के कारण सफल नहीं हुआ।
- सक्रिय डीलर शिप आधार के अभाव ने कम्पनी के रिटेल सेल में वृद्धि और संपूर्ण बाजार शेयर को बुरी तरह से प्रभावित किया। सेल ने छः वर्षों में ₹ 26,058 करोड़ की छूट दी और प्रति टन औसत छूट 2009-10 में ₹ 2241/- से 2014-15 में ₹ 5764/- तक बढ़ गई।
- नेट सेल वसूली 5 वर्षों में ₹ 13.43 प्रतिशत तक बढ़ गई जबकि सेल की लागत 31.16 प्रतिशत तक बढ़ गई। कुल लागत में से कच्चे माल की सेल की लागत क्रमशः जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और टाटा स्टील कम्पनी लिमिटेड से 7-9 और 9-17 प्रतिशत बिंदू उच्चतर थी।
- कंवर्जन एजेंट और वेट लीजींग एजेंट द्वारा कम्पनी की आपूर्तियों और सेल ब्रांड नाम के गलत उपयोग की घटनाएं हुईं।

(पैरा 5.2)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड के पास कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, तरल पेट्रोलियम गैस और विभिन्न अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए तेल और गैस पाईपलाइनों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक कार्यक्रमों को कवर करते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड की 'तेल और गैस संचरण पाईपलाइनों में सुरक्षा तैयारी' की लेखापरीक्षा उनके पाईपलाइन संचालनों की सुरक्षा तैयारी का निर्धारण करने के लिए की गई। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दर्शाये गये हैं:

- दो वर्षों से अधिक समय तक आईओसीएल/गेल में तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) द्वारा की गई बाह्य लेखापरीक्षाओं की सिफारिशों की अननुपालना।
- कम्पनियों प्रयोग के अधिकार अतिक्रमण को रोकने/हटाने के प्रभावी उपाय करने में विफल रही।
- विभिन्न तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय मानकों (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नियमों (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया

लिमिटेड) की अननुपालना के कारण बार-बार पाईपलाईन खराब होना, पाईपलाईन क्षय और बार-बार दुर्घटनाएँ हुई।

- एसओपीज़ से विचलन/निर्माण न करने के साथ-साथ अपर्याप्त रखरखाव प्रथाओं के कारण विभिन्न घटनाओं को अप्रभावी रूप से संभाला गया।

विफलताओं के कारण दुर्घटनाओं से जीवन, संपत्ति की हानि और पर्यावरण को नुकसान हुआ।
(पैरा 1.2)

हिंदुस्तान पेट्रोलिमिय कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने मौजूदा डीजल हाईड्रो डी-सल्फयूराइजेशन (डीएचडीएस) संयंत्र; जो समान गुणवत्ता के डीजल उत्पादन में सक्षम था, की अनदेखी करते हुए ₹1969.59 करोड़ की लागत पर डीजल की सांविधिक गुणवत्ता विशेषताओं (यूरो IV), के अनुपालन हेतु 2007 में डीजल हाईड्रो ट्रीटर (डीएचटी) परियोजना को आरंभ किया। इसके बाद, डीएचडीएस परियोजना की क्षमता बढ़ाने के लिए इसका उन्नयन आरंभ किया गया (2009)। पुनः तैयार की गई डीएचडीएस एचपीसीएल की मुंबई रिफाईनरी की यूरो IV आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1969.59 करोड़ के परिहार्य व्यय के साथ-साथ डीजल के उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता का सृजन हुआ।

(पैरा 1.4)

ऑयल और नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अप्रैल 2007 से मई 2013 के दौरान ऑयल एंड नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन पेट्रो एंडीशन लिमिटेड (ओपीएएल) को इक्विटी के प्रति अग्रिम राशि दी। ओपाल ने अग्रिमों को इक्विटी शेयरों में रूपांतरण करने में विलम्ब किया। ओपाल ने ओएनजीसी को राईटस ईश्यू (मार्च 2015) भी सौंपे। यद्यपि, ओपीएएल ने कम्पनी के सीपीएसयू बनने से रोकने की ईच्छा के साथ शेयरों को जारी नहीं किया। ओएनजीसी ने उन इक्विटी शेयरों के प्रति किस्त के रूप में धन अदा किया (जून 2015) जिन्हे अभी भी जारी किया जाना है। इस प्रकार, ओएनजीसी ने किसी आनुपातिक लाभ के बिना ओपाल को ब्याज मुक्त निधियाँ उपलब्ध कराईं। इसके कारण ओएनजीसी को ₹ 408.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैरा 1.9)

राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) 1, 2 और 3 में इनलैंड वाटरवेज़ अथारिटी ऑफ इंडिया (आईडब्ल्यूआई) द्वारा सृजित 'आधारभूत सुविधाओं की उपयोगिता की स्थिति की समीक्षा' ने दर्शाया कि ₹ 284.20 करोड़ की लागत पर सृजित आधारभूत संरचना अप्रयुक्त रही। एनडब्ल्यू -1 के मामले में ₹ 30.29 करोड़ की लागत पर निर्मित एक मौजूदा कम स्तर जेटी के साथ-साथ ₹ 27.54 करोड़ की लागत पर गायघाट पटना में एक उच्च स्तर जेटी का निर्माण किया गया। दोनों जेटियों से 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान कुल कार्गो

संचालन केवल 0.3 लाख मिट्रिक टन था जिसके कारण ₹ 57.83 करोड़ की कुल लागत पर तैयार किये गये आधारभूत ढांचे का काफी कम उपयोग किया गया। ₹ 36.59 करोड़ की लागत पर एनडब्ल्यू-1 में गार्डन रीच, कोलकाता में निर्मित जेटी II भी अप्रयुक्त रही क्योंकि 2014-15 की अवधि के दौरान जेटी में संभाला गया कार्गो केवल 0.02 लाख मिट्रिक टन था।

एनडब्ल्यू 2 में, पांडू टर्मिनल पर निर्मित क्रमशः ₹ 37.91 करोड़ और ₹ 43.85 करोड़ की लागत एक कम स्तर जेट्टी और एक उच्च स्तर जेटी वाली आधारभूत संरचना अप्रयुक्त रही क्योंकि 2009-10 से 2014-15 की अवधि के दौरान कार्गो प्रचालन केवल 314 मिट्रिक टन था। इसके अतिरिक्त, ₹ 12.59 करोड़ की लागत पर निर्मित पांडू टर्मिनल और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बीच एक ब्रॉड गेज रेलवे लिंक रेलवे द्वारा बताई गई संचालनात्मक बाधाओं के कारण अप्रयुक्त पड़ा रहा।

एनडब्ल्यू 3, दो स्ट्रैचों अर्थात् कायमकुलम-इडापल्लीकोटा और इडापल्लीकोटा-कोल्लम की अपूर्णता के कारण पूर्णतः जहाजरानी योग्य नहीं बनाया जा सका। केपीटल ड्रेजिंग पर व्यय किये गये ₹ 73.97 करोड़ और टर्मिनलों पर व्यय किये गये ₹ 21.46 करोड़ का लाभ उक्त दो स्ट्रैचों की अपूर्णता के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

(पैरा 4.1)

विक्रेता पन्ना मुक्ता ताप्ती संयुक्त उपक्रम (पीएमटीजेवी) और खरीददार गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) के बीच सुपर्दगी स्थान को लेकर विवाद के कारण, ऑयल एंड नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) (ट्रांसपोर्टर) को गैस परिवहन प्रभारों के राशि के प्रति अपना वैध दावा प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण इसकी बकाया राशि (21.54 मिलीयन यू एस डॉलर) का असामान्य स्थगन हुआ और परिणामस्वरूप 1998 और 2005 के बीच इस राशि पर ₹ 157.05 करोड़ (24.93 मिलीयन यू एस डॉलर) के ब्याज की हानि हुई।

(पैरा 1.10)

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने बेतिया, बिहार में स्टील प्रसंस्करण इकाई (एसपीयू) की स्थापना करने का निर्णय (2007) लिया। बोर्ड ने ₹ 116.24 करोड़ की कुल लागत पर परियोजना को अनुमोदित (जुलाई 2008) किया। पाईप/ट्यूब मीलों और जस्तेदार पाईप/जस्तेदार नालीदार शीटों हेतु सुविधाओं को चरण I में संस्थापित किया जाना था जिसे जनवरी 2010 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था, को पूरा नहीं किया जा सका। एसपीयू ₹ 140.16 करोड़ की कुल लागत पर लगभग तीन वर्षों के विलम्ब से अंत में दिसम्बर 2012 में पूर्ण किया गया। बाजार मूल्य की तुलना में उच्चतर उत्पादन की लागत के कारण, कम्पनी ने उत्पादन में जांच और मील को संचालित रखने के लिए अपेक्षित स्तर से अधिक वृद्धि नहीं की। 2011-2015 के दौरान मील क्षमता से एक प्रतिशत कम उत्पादन

था। इस प्रकार, एसपीयू बेतिया में ₹ 140.16 करोड़ का निवेश गैर-निष्पादित हो गया और मुख्यतः एसपीयू के लिए नियुक्त 137 कर्मचारी (145 नियुक्त कर्मचारियों में से) भी खाली बैठे रहे (जनवरी 2016)। समीक्षा बैठक (29 अप्रैल 2014) में निदेशक (तकनीक) ने विचार दिया कि बेतिया में उक्त को बंद करने की अपेक्षा एसपीयू का बेचना ही बेहतर विकल्प है, जिसका तब के संयुक्त सचिव (एमओएस) और सचिव (सटील) के द्वारा समर्थन किया गया। फिर भी, प्रबंधन ने इस निर्णय के निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की (जनवरी 2016)।

(पैरा 5.3)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अननुपालना के कारण 'निष्पादन संबंधित भुगतान' के प्रति वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए ₹ 110.40 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

(पैरा 1.5)

अध्याय I: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

1.1 प्रतिभूति के बिना चूककर्ता कंपनी को क्रेडिट सुविधा का विस्तारण

बीपीसीएल जून 2000 से केपीसीपीएल को ईंधन आयात की आपूर्ति कर रहा था। ईंधन आपूर्ति करार में बीपीसीएल के वित्तीय हित की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे। बाद में भी, बीपीसीएल ने केपीसीपीएल की क्रेडिट बिक्री के प्रति उचित प्रतिभूति सुनिश्चित नहीं की थी, यद्यपि कंपनी ने भुगतान में चूक की थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 23.50 करोड़ की राशि के बिक्री राजस्व की गैर-वसूली हुई।

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने केरल राज्य में कासरगॉड जिला में माइलती में केपीसीपीएल के पावर प्लांट को ईंधन ऑयल (एचएसडी और एलएसएचएस) की आपूर्ति के लिये कासरगॉड पावर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (केपीसीपीएल)¹ के साथ ईंधन आपूर्ति करार हस्ताक्षरित किया (24.06.2000)। अन्य बातों के साथ-साथ एफएसए ने निर्धारित किया कि करार अवधि 15 वर्ष (अनुच्छेद-2) होगी, कि बिल विलम्ब के लिये ब्याज सहित प्रत्येक माह की पहली तारीख को भरा जायेगा (अनुच्छेद 8) और कि करार रद्द कर दिया जायेगा यदि खरीददार तीन माह की अवधि तक लगातार भुगतान करने में विफल होता है (अनुच्छेद 16.02.1)। एफएसए में बीपीसीएल के वित्तीय हित के सुरक्षा के लिये 'साख पत्र'/निर्णीत हर्जाने और क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं था।

बीपीसीएल ने करार के अनुसार आपूर्ति शुरू की और मार्च 2006 तक समय से भुगतान प्राप्त किया। केपीसीपीएल ने चूक की और अप्रैल 2006 से भुगतान में विलम्ब किया। यद्यपि, बीपीसीएल ने केपीसीपीएल को ईंधन ऑयल की क्रेडिट बिक्री जारी रखी।

इसी बीच, 1 जनवरी 2009 को बीपीसीएल में एक क्रेडिट नीति प्रस्तुत की। अन्य बातों के साथ-साथ नीति में ग्राहक श्रेणीकरण, जोखिम विश्लेषण, ग्राहक पुनः मूल्यांकन और तदनुसार क्रेडिट सीमा नियत करना निर्धारित किया। इस नीति के अनुसार, उच्च जोखिम

¹केपीसीपीएल ने बीपीसीएल से पत्राचार के दौरान अपने पैड में 'निजी' शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं किया और एफएसए करार में भी 'निजी' शब्द नहीं छपा था यद्यपि "प्राइवेट" मैन्युअल रूप से डाला और हस्ताक्षरित किया गया था।

ग्राहको को बिक्री या तो पूर्व-भुगतान आधार पर या दस्तावेजों जैसे साख-पत्र, बैंक गारंटी, पेरेंट पर्फॉरमेंस गारंटी या परिसंपत्ति गिरवी रख कर सुरक्षित की जानी चाहिये। बीपीसीएल ने एक वर्ष बाद केपीसीपीएल का क्रेडिट मूल्यांकन किया। केपीसीपीएल को “मध्यम जोखिम¹” ग्राहक¹ के रूप में वर्गीकृत किया गया और फरवरी 2010 में ₹ 10.50 करोड़ की क्रेडिट सीमा स्वीकृत की गई। केपीसीपीएल के प्रति रूपये 27.40 करोड़ के बकाया के बावजूद उसे मध्यम जोखिम वर्गीकृत किया गया जो कि 2006-07 से 2009-10 के बीच एकत्र हुआ, जो स्वीकृत क्रेडिट सीमा के दोगुने से अधिक था।

लेखापरीक्षा ने केपीसीपीएल में बकाया राशि संचित होने पर टिप्पणी की (मई 2010), केपीसीएल द्वारा उत्पाद की मांग उसके द्वारा किये गये भुगतान से अधिक थी। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा को आश्वासन दिया कि मामले की ग्राहकों से प्राप्तियों के आधार पर समीक्षा की जायेगी। लेखापरीक्षा द्वारा बताने के बाद, बीपीसीएल ने केपीसीपीएल के साथ गैर-भुगतान का मुद्दा उठाया (जुलाई 2010) जिसे अगस्त 2010 में दोहराया गया था। बीपीसीएल ने (अगस्त 2010 में) केपीसीपीएल से प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक से ₹ 25 करोड़ की बैंक गारंटी के लिये कहा।

केपीसीपीएल ने न तो बकाया राशि का भुगतान किया और न ही बैंक गारंटी जमा की। तथापि, बीपीसीएल ने उसे जुलाई 2011 तक क्रेडिट पर ईंधन की आपूर्ति जारी रखी। जुलाई 2011 में, बीपीसीएल ने निर्णय लिया कि केपीसीपीएल को अतिरिक्त आपूर्ति अतिदेय भुगतान समाप्त करने तक अग्रिम भुगतान के प्रति किया जायेगा। इस समय (जून 2011) तक, केपीसीपीएल से ₹ 22.06 करोड़ का शेष बकाया था।

केपीसीपीएल ने नवम्बर 2012 में फिर से चूक की, बीपीसीएल ने जून 2013 तक अपने ईंधन की आपूर्ति जारी रखी जिसके बाद ईंधन की आपूर्ति रोक दी गई। मार्च 2015 तक, केपीसीपीएल से ₹ 23.50 करोड़² की राशि वसूली की जानी शेष थी। इसी बीच (फरवरी 2014 में) बीपीसीएल ने केपीसीपीएल के प्रति निर्णय की कार्यवाही शुरू की जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है (नवम्बर 2015)।

इस प्रकार, शुरू से ही एफएसए में उचित क्लॉज़ के माध्यम से बीपीसीएल, केपीसीपीएल की तुलना में अपने वित्तीय हित को सुरक्षित रखने में विफल रहा। केपीसीपीएल द्वारा चूक के बाद भी, क्रेडिट सीमा से परे क्रेडिट बिक्री, बिना सुरक्षा, बीपीसीएल की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुये कम्पनी को जारी रही। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.50 करोड़ का

1. क्रेडिट नीति ने मध्यम जोखिम ग्राहको को असुरक्षित क्रेडिट की अनुमति दी।

2. मूलधन और ब्याज के प्रति क्रमशः ₹ 11 करोड़ जमा ₹ 12.50 करोड़।

बकाया देय संचय हुआ (मार्च 2015 तक) और उसकी वसूली के लिये मध्यस्थता कार्यवाही हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि केपीसीपीएल के साथ करार की शर्तें प्रचलित प्रत्यायोजन के अनुसार मौजूदा बाजार की स्थिति, कारोबार अवसर, उत्पादों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। केएसईबी से केपीसीपीएल की भुगतान रसीद चक्र को ध्यान में रखते हुये बढ़ाये हुये क्रेडिट पर सहमति हुई थी और बैंक गारंटी/साख-पत्र को आवश्यक नहीं माना गया था। इसके अतिरिक्त, मैसर्स केएसईबी, उपयोगिता कंपनी होने, कारोबार के गंभीर प्रकृति के होने के कारण एकतरफा रोक नहीं लगाई जा सकती थी। दोनों केपीसीपीएल और केएसईबी करार, जो केरल राज्य को विद्युति आपूर्ति के लिये था, में बैंक गारंटी/एलसी के माध्यम से कोई भुगतान प्रतिशत नहीं था। प्रबंधन ने यह भी कहा कि परिसमापन हर्जाना क्लॉज दोनों करारों में शामिल की गई थी। इस प्रकार, इन करारों के बीच कोई अंतर नहीं था। प्रबंधन ने यह भी कहा कि केपीसीपीएल से वसूली वर्तमान में निर्णय के अधीन है।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये स्वीकार्य नहीं है:

- (i) कथन कि केपीसीपीएल के साथ बीपीसीएल द्वारा हस्ताक्षरित करार में 'परिसमापन हर्जाना' क्लॉज, गलत है। वास्तव में, लेखापरीक्षा ने देखा कि बीपीसीएल के वित्तीय हित की सुरक्षा हेतु 'साख पत्र' परिसमापन हर्जाना की प्रकृति में शर्त केएसईबी¹ सहित तीन अन्य ग्राहकों² के साथ एफएसए में शामिल की गई थी, जो मैसर्स केपीसीपीएल से पूर्व शामिल की गई थी, तथापि, केपीसीपीएल के साथ एफएसए, में कोई संबंधित क्लॉज नहीं था।
- (ii) बीपीसीएल ने अपनी स्वयं की क्रेडिट नीति (जनवरी 2009 में शुरू) का पालन नहीं किया और केपीसीपीएल के क्रेडिट सीमा से परे बकाया राशि संचित करने के बावजूद क्रेडिट बिक्री जारी रखी। यदि बीपीसीएल ने समय पर अपने वित्तीय हित

¹ केएसईबी के साथ एफएसए के अनच्छेद 11 एलडी और क्षतिपूर्ति कहता है कि "यह परस्पर सहमति है कि यद्यपि ग्राहक और विक्रेता सरकारी निकाय है, चूक के प्रति निर्णीत हर्जाने को कवर करने के लिये कोई भी पार्टी कोई भी बीजी या क्षतिपूर्ति बांड उपलब्ध नहीं करायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी सहमति है कि किसी भी पार्टी का सरकारी निकाय से स्वामित्व परिवर्तित होने की स्थिति में, मांगने वाले एलडी के लिये बीजी या क्षतिपूर्ति बांड उपलब्ध कराया जायेगा।

² मैसर्स तानिरबावी पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बैंगलुरु, कर्नाटक), मैसर्स सामालपती पावर कार्पोरेशन (कोयंबटूर, तमिलनाडु) और मैसर्स केरला स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (तिरुवन्नतपुरम)।

सुरक्षित रखे होते, बकाया देय के संचय के साथ-साथ उनकी वसूली के लिये मध्यस्थता कार्यवाही से बचा जा सकता था।

- (iii) बीपीसीएल का तर्क कि केपीसीपीएल को आपूर्ति रोकने से केरल राज्य में विद्युत आपूर्ति प्रभावित होगी, पर जून 2013 से केपीसीपीएल की आपूर्ति रोकने के संदर्भ में ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, एफएसए में क्षतिपूर्ति क्लॉज शामिल न करने और चूककर्ता कंपनी को क्रेडिट बिक्री के कवर जोखिम की बैंक गारंटी/सुरक्षित अग्रिम भुगतान पर जोर न देने के परिणामस्वरूप केपीसीपीएल से ₹ 23.50 करोड़ की गैर-वसूली हुई (बिक्री राजस्व और उसके ब्याज के प्रति)।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (दिसम्बर 2015) उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

गेल (इंडिया) लिमिटेड और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

1.2 तेल तथा गैस संचरण पाइपलाइनों की सुरक्षा तैयारियां

1.2.1 प्रस्तावना

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) के पास कच्चे तेल, नैचुरल गैस (एनजी), रसोई गैस (एलपीजी) और विभिन्न अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये 24230 कि.मी. (आईओसीएल-11221 कि.मी. और गेल-13009 कि.मी.) कवर करते हुये देश भर में तेल और गैस पाइपलाइन हैं (अनुबंध I और II)। इन पाइपलाइनों में स्वाभाविक ज्वलनशील उत्पादों की भारी मात्रा होती है; इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे जनता और पर्यावरण में जोखिम उत्पन्न न करे, पाइपलाइनों की सुरक्षा और उनकी आवधिक स्वास्थ्य आंकलन का काफी महत्व है।

1.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और पद्धति

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के 'तेल और गैस संचरण पाइपलाइनों की सुरक्षा तैयारियों' की लेखापरीक्षा उनकी पाइपलाइन संचालन की सुरक्षा तैयारियों की जांच के लिये की गई थी। लेखापरीक्षा में अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक का परिचालन शामिल है।

लेखापरीक्षा के लिये अपनाये गये मानदंड में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

1. पाइपलाइनों के लिये लागू सुरक्षा मानक;
2. कम्पनी की स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीति;
3. नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताएँ;
4. पाइपलाइनों के रखरखाव और निरीक्षण के लिये अपनाई गई प्रक्रियाएँ/दिशानिर्देश।

1.2.3 सुरक्षा नियामक फ्रेमवर्क

तेल और गैस पाइपलाइनों के सुरक्षा पहलू निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा विकसित विभिन्न अधिनियमों/नियमों/मानकों के प्रावधानों तथा दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं:

- (i) **तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी):** ओआईएसडी, एक तकनीकी निदेशालय, रूपरेखा, संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में प्रक्रियाओं और दिशानिर्देश बनाने/मानकीकरण करने के लिये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा बनाया गया था(1986)।
- (ii) **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ):** पीईएसओ, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और उसके नियमों के साथ-साथ विस्फोट अधिनियम 1884 के क्रियान्वयन के लिये सांविधिक प्राधिकरण है।
- (iii) **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी):** पीएनजीआरबी का गठन (2006) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशेष गतिविधियों में जुड़े उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिये किया गया था। इसने एनजी पाइपलाइनों के लिये सुरक्षा मानक (टी4एस) सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशों को अधिसूचित (2009) किया है।

सुरक्षा मानकों/दिशानिर्देशों का पालन एचएसई विभाग के माध्यम से कंपनी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जो विभिन्न स्थानों की आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा भी करता है।

1.2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.2.4.1 सुरक्षा प्रतिमानकों का गैर-अनुपालन

आईओसीएल और गेल में विभिन्न नियामकों द्वारा जारी सुरक्षा नियमों/दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन देखा गया जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

(I) बाहरी सुरक्षा लेखापरीक्षा की सिफारिशों का गैर-अनुपालन

ओआईएसडी पाइपलाइन प्रचालकों की बाहरी सुरक्षा लेखापरीक्षा (ईएसए) करता है और सुरक्षित पाइपलाइन प्रचालन सुनिश्चित करने के लिये अपनी सिफारिशें देता है। यह त्रैमासिक रिपोर्टों के माध्यम से ईएसए की सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। सामान्य रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि ईएसए सिफारिशों का रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दो वर्ष के अंदर अनुपालन किया जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सितम्बर 2015 तक आईओसीएल में अनुपालन के लिये लंबित 149 सिफारिशें थी जिसमें से 11 में दो वर्ष से अधिक से अनुपालन लंबित था। गेल के संबंध में, यह देखा गया कि जून 2015 की समाप्ति तक 109 सिफारिशों में अनुपालन लंबित था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने ईएसए सिफारिशों के अनुपालन में नौ से 163 माह तक का विलम्ब देखा।

जबकि आईओसीएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि सिफारिशों के अनुपालन की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा की जाती थी और 83 प्रतिशत सिफारिशों का अनुपालन किया जा चुका था, गेल ने कहा (दिसम्बर 2015) कि क्रियान्वयन की गैर व्यवहार्यता, संविदात्मक मुद्दों, सरकारी अनुमति आदि के कारण ईएसए सिफारिशों के अनुपालन में विलम्ब हुआ।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिये कि ईएसए सिफारिशों का समय से अनुपालन सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करेगा।

(II) इन्टैलिजेंट पिगिंग सर्वेक्षण पर विनियमों का गैर-अनुपालन

क. पीएनजीआरबी टी4एस नियम (2009):

इन्टैलिजेंट पिगिंग सर्वेक्षण (आईपीएस) पाइपलाइन की हालत की जांच करने के लिये किया जाता है। इन्टैलिजेंट पिगों का सक्रिय पाइपलाइनों में धातु नुकसान, जंग या गड़ढा आदि की संभावना के लिये सीधा निरीक्षण करने के लिये प्रयोग किया जाता है।

पीएनजीआरबी ने, टी4एस विनियम (2009) के माध्यम से, छह माह से दो वर्ष की निर्धारित अवधि के अंदर मौजूदा एनजी पाइपलाइनों नेटवर्क में की जाने वाली गतिविधियों और प्रक्रियाओं, उपलब्ध कराये जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को पहचाना।

गेल के संबंध में प्रचालन की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- पिगेबल सेक्शन के लिये इन्टैलिजेंट पिगिंग सर्वेक्षण¹ (आईपीएस) शुरू होने की तिथि से दस वर्ष में एक बार किया जाना चाहिये, जबकि सोर गैस परिवहन करने वाली पाइपलाइनों में यह पांच वर्षों के अंदर किया जाना चाहिये। तथापि, 66 पाइपलाइनों में आईपीएस करने में एक वर्ष से 17 वर्ष की सीमा तक का विलम्ब देखा गया;
- 12” से ऊपर और लंबाई 10 किमी. से अधिक के गैर-पिगेबल सेक्शन (एनपीएस) के लिये आईपीएस टी4एस अधिसूचना (2009) से दो वर्ष के अंदर किया जाना चाहिये था। तथापि, लेखापरीक्षा ने 46 पाइपलाइनों में आईपीएस क्रियान्वयन में एक से चार वर्षों की सीमा तक का विलम्ब देखा;

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि आईपीएस करने के लिये कार्य प्रगति पर था।

इससे पता चलता है कि टी4एस विनियमों का छह वर्ष से अधिक समाप्त होने के बाद भी पालन किया जाना बाकी था।

ख. आईपीएस पर ओआईएसडी मानक:

‘देश भर में तरल हाईड्रोकार्बन पाइपलाइनों के लिये डिजाइन, निर्माण और निरीक्षण आवश्यकताओं पर ओआईएसडी- मानक -141 निर्धारित करता है कि पहला आईपीएस जल्द से जल्द करना चाहिये लेकिन शुरू होने के 10 वर्ष से पहले। आईपीएस की बाद की आवधिकता, किसी हाल में, 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त, ओआईएसडी- मानक -139 ‘अपतटीय पाइपलाइनों के निरीक्षण’ के लिये पांच वर्षों में एक बार अपतटीय पाइपलाइनों की आईपीएस करना निर्धारित करता है।

¹ उचित रूप से पता लगाने और पाइपलाइन की सतह की कमियों (आंतरिक/बाहरी) का उल्लेख करके पाइपलाइन की दशा सुनिश्चित करने के लिये निगरानी तंत्र।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि आईओसीएल ने क्रमशः ओआईएसडी-एसटीडी-141 और 139 का उल्लंघन करते हुये आठ पाइपलाइनों और दो अपतटीय पाइपलाइनों के लिये आईपीएस नहीं किया। इसके अतिरिक्त, आईओसीएल ने अपनी रोलिंग योजना के अनुसार 2013-15 के दौरान 17 पाइपलाइन सेक्शनों का आईपीएस करने की योजना बनाई; तथापि, वे या तो किये ही नहीं गये या विलम्ब से किये गये (अनुबंध-III)।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि आईपीएस के लिये कार्य जल्द ही दिया जा रहा है और आईपीएस के सभी विक्रेता भारत के बाहर स्थित हैं उनको लाइन-अप करने में काफी समय लगता है।

उत्तर पर इस तथ्य के ध्यान में रखते हुये विचार करने कि आवश्यकता है कि आईपीएस करने में विलम्ब न केवल ओआईएसडी मानकों का उल्लंघन है बल्कि अनुचित योजना को भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, पाइपलाइन स्थान¹ जहां आईपीएस विलम्ब से हुआ था में जंग/धसने आदि के कारण लीकेज की पांच घटनाएँ हुई।

(III) पीईएसओ अनुमोदन प्राप्त न करना-गेल

खतरनाक रसायन नियमावली, 1989 के उत्पादन, भंडारण और आयात में संशोधन (2000) के अनुसार नई के साथ-साथ मौजूदा एनजी/एलपीजी पाइपलाइनों के लिए पीईएसओ अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य था। तथापि, कंपनी ने नौ पाइपलाइन नेटवर्कों के लिये अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था।

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि सभी पाइपलाइन नेटवर्कों के लिये पीईएसओ अनुमोदन प्राप्त करने के लिये आवेदन कर दिया गया है।

विलम्ब अत्याधिक है क्योंकि गेल ने नवम्बर 2014 में ही पीईएसओ अनुमोदन के लिये आवेदन किया है यद्यपि वो वर्ष 2000 में अनिवार्य किया गया था।

(IV) एमबी लाल समिति की सिफारिशों का गैर-क्रियान्वयन-आईओसीएल

एमबी लाल समिति का गठन एमओपीएनजी द्वारा आईओसीएल के जयपुर टर्मिनल पर अग्नि दुर्घटना (अक्टूबर 2009) की पूछताछ के लिये किया गया था। एमओपीएनजी ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया (अप्रैल 2010), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये सुधारात्मक कार्यवाही शामिल थी। समिति

¹ सलाया मथुरा पाइपलाइन में तीन और मथुरा टुण्डला पाइपलाइन और पारादीप हल्दिया बरोनी पाइपलाइन में प्रत्येक एक।

ने 113 सिफारिशों की हैं, जिसका क्रियान्वयन एनओपीएनजी के साथ निर्धारित करार के अनुसार जुलाई 2010 और नवम्बर 2014 के बीच आईओसीएल द्वारा पूर्ण किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच वर्ष से अधिक समाप्त होने के बावजूद अपनी पाईपलाइनों के स्थान के संबंध में आईओसीएल द्वारा सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जाना बाकी था क्योंकि मई 2012 तक अपेक्षित अपने पाईपलाइन के स्थानों पर 26 रिमोट संचालित शट-ऑफ वॉल्व (आरओएसओवी) लगाने का कार्य नवम्बर 2015 तक पूर्ण नहीं किया गया था।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलम्ब ठेकों की धीमी प्रगति, क्रियाशील संस्थापना में कार्य, पुनः निविदा आदि के कारण थी।

उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये देखा जाना चाहिये कि सिफारिशों का समय से क्रियान्वयन सुरक्षा तैयारी को मजबूत कर सकता था।

(V) प्रयोग करने के अधिकार का अतिक्रमण

पाईपलाइन बिछाने के उद्देश्य के लिये, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन अधिनियम, 1962 (पीएमपी अधिनियम) के अनुसार भूमि मालिकों से प्रयोग का अधिकार (आरओयू) लेना होता है। पीएमपी अधिनियम, भूमि जो आरओयू के अंतर्गत अधिग्रहित की गई है, पर बिल्डिंग/ढांचे के निर्माण, टैंक की खुदाई/निर्माण, कुएँ, संग्रह और पेड़ लगाने के संबंध में प्रतिबंध लगाता है तकि पाईपलाइनों को संभावित क्षति न हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अतिक्रमण (अगस्त 2015) के 1116 मामलों में से आरओयू क्षेत्र के अंदर घर, चारदीवारी, बोरवेल और टेलीफोन के टावर के निर्माण के मामलों के अतिरिक्त 647 मामले इलेक्ट्रिक पोल/ट्रांसफार्मर लगाने से संबंधित थे। तथापि, आईओसीएल इन अतिक्रमणों को हटाने में सफल नहीं हुआ इस तथ्य के बावजूद कि इनमें से कुछ मामले 40 वर्षों से अधिक से लंबित थे। एमओपीएनजी ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये (सितम्बर 2014) कि पाईपलाइन आरओयू अतिक्रमण से मुक्त रहे।

यह उल्लिखित करना उचित होगा कि आरओयू क्षेत्र में लगे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में दोष के कारण इलाहाबाद-मुगलसराय सेक्शन (बीकेपीएल¹) में आग लग गई (सितम्बर

¹ बरौनी-कानपुर पाईपलाइन

2011)। ओआईएसडी की जांच ने इस आरओयू में कई इलैक्ट्रिकल पोल/ट्रांसफार्मरों से पाईपलाइन प्रचालन के खतरे को उजागर किया।

आईओसीएल के पास समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये मुख्यालय को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अतिक्रमण के मामलों की आवधिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रणाली नहीं थी।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि वो समय-समय पर आरओयू क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिये नियमित रूप से कार्यवाही कर रहा है। तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि आरओयू क्षेत्र में कई अतिक्रमण अभी भी थे और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अतिक्रमण की आवधिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिये कोई भी प्रणाली शुरू नहीं की गई थी।

गेल के संबंध में, यह देखा गया कि:

- सितम्बर 2015 तक देखी गई कुल 527 अतिक्रमण में से, 201 अत्यधिक असुरक्षित श्रेणी में रखे गये थे अर्थात इलैक्ट्रिक ट्रांसफार्मर/टावर, खुदाई का कार्य, बोरवेल, आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि।
- एचवीजे पाईपलाइन आरओयू में सात अतिक्रमण 1987 से हटाये जाने लंबित थे जो अप्रभावी निष्कासन उपाय दर्शाता हैं।
- अतिक्रमण मुंबई (48), गुजरात (19), एनसीआर (15), एचवीजे पाईपलाइन (7), पॉडिचेरी (5) और केजी बेसिन (2) पाईपलाइन नेटवर्क में भी रिपोर्ट किये गये थे।

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि वो अतिक्रमण हटाने के लिये अतिक्रमण करने वालों के साथ-साथ जिला प्रशासन के साथ अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है।

तथ्य यह रह जाता है कि गेल न तो मौजूदा अतिक्रमण को हटाने में सक्षम हुआ और न ही अपनी पाईपलाइन आरओयू में नये अतिक्रमण को रोकने में सफल हुआ।

(VI) ओआईएसडी मानक-117 (संशोधित - अक्टूबर 2010) का गैर-अनुपालन - आईओसीएल

रिम सील अग्नि सुरक्षा प्रणाली (आरएसएफपीएस) प्रारंभिक स्तर पर पेट्रोलियम भंडारण टैंक रूफ पर स्वयं ही अग्नि का पता लगाती है और बुझा देती है। सुरक्षित तेल और गैस प्रचालन सुनिश्चित करने के लिये, ओआईएसडी ने “पेट्रोलियम डिपो, टर्मिनल, पाईपलाइन स्थापना और ल्यूब ऑयल स्थापना के लिये अग्नि सुरक्षा सुविधा” पर

मानक-117 (ओआईएसडी-मानक-117) संशोधित किया (अक्टूबर 2010) जो निर्धारित करता है कि आरएसएफपीएस श्रेणी 'ए' पेट्रोलियम स्टोर करने वाले सभी बाहरी फ्लोटिंग रूप टैंक पर उपलब्ध होना चाहिये। तदनुसार, चार स्थानों अर्थात् वादीनार, विरामगम, चकसु और हल्दिया में 36 टैंकों पर हेलोन आधारित आरएसएफपीएस को खोखले धातु आधारित आरएसएफपीएस के साथ बदला जाना था ताकि संशोधित ओआईएसडी-मानक-117 का पालन हो सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- कच्चे तेल भंडारण टैंक पर अग्नि जल नेटवर्क की वृद्धि/सुधार से संबंधित सुविधाओं के लिये बोर्ड (जून 2011) के अनुमोदन के अनुसार, सुधार कार्य 21 माह के अंदर अर्थात् मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, आईओसीएल इस संबंध में एमओपीएनजी द्वारा चिंता व्यक्त करने (दिसम्बर 2012) के बावजूद इस समय सीमा का पालन नहीं कर सका;
- जून 2013 में, वादीनार कच्चे तेल टैंक में बड़ी अग्नि दुर्घटना हुई जिसके लिये हेलोन आधारित आरएसएफपीएस के गैर-निष्पादन को कारण बताया गया था;
- 18 माह के अंदर कार्य समाप्त करने के लिये 22 टैंको (वादीनगर और वीरमगम) के लिये अगस्त 2014 में और शेष 14 टैंको (चाकसु और हल्दिया) के लिये अक्टूबर 2014 में कार्य आदेश जारी किये गये थे। इस प्रकार, जो कार्य मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना था, मार्च 2016 तक ही पूर्ण होना निर्धारित है।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि वादीनार में अग्नि दुर्घटना बिजली और तूफान के कारण हुई थी और टैंक में हेलोन आधारित आरएसएफपीएस पहले से ही उपलब्ध था जो आग नहीं बुझा सका क्योंकि आग बहुत अधिक थी।

उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन को मजबूत करता है कि मौजूदा हेलोन आधारित आरएसएफपीएस को संशोधित ओआईएसडी- मानक 117 का पालन करते हुये खोखली धातु आधारित आरएसएफपीएस से बदल जाना चाहिये और इसके अतिरिक्त अपनी दुर्घटना जांच रिपोर्ट में ओआईएसडी द्वारा उजागर (जून 2013) किया गया था।

(VII) ओआईएसडी सुरक्षा मानको का उल्लंघन करते हुये नियंत्रण कक्ष का असुरक्षित स्थान-आईओसीएल

आईओसीएल की गुवहाटी-सिलिगुडी उत्पाद पाइपलाइन (जीएसपीएल) के बेटकुचि, बोंगाईगांव हासीमारा और मदारीहाट पर चार पम्पिंग/टैप-ऑफ-प्वाइंट स्टेशन (टीओपी)

हैं। विपणन संस्थापन के अंदर स्थित अपने नियंत्रण कक्ष सहित बेटकुचि टीओपी 25000 कि.ली. की कुल भंडारण क्षमता के साथ नौ उत्पाद भंडारण टैंकों (एमएस, एसकेओ और एचएसडी प्रत्येक के लिये तीन) से घिरा हुआ है।

आईओएसडी- मानक -118 'ऑयल और गैस संस्थापनों की स्थिति' पर निर्धारित करता है कि स्टोरेज टैंक से नियंत्रण कक्ष की दूरी क्रमशः एमएस और एसकेओ के लिये 60 मीटर और 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- कम्पनी द्वारा किये गये (अप्रैल 2011) जोखिम विश्लेषण अध्ययन ने उजागर किया कि बेटकुचि नियंत्रण कक्ष उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां तापीय विकिरण की तीव्रता उच्च परिमाण की है;
- नवम्बर 2011 में जीएसपीएल की ईएसए करते समय, ओआईएसडी ने यह भी देखा कि नियंत्रण कक्ष और स्टोरेज टैंक के बीच दूरी बताये गये से कम थी और नियंत्रण कक्ष के स्थानांतरण की सिफारिश के अलावा स्थान का विस्तृत जोखिम विश्लेषण करने की सलाह दी। इसी प्रकार, नवम्बर 2012 में कम्पनी द्वारा किये गये खतरे और संचालन योग्य अध्ययन (एचएजेडओपी) ने भी उजागर किया कि बेटकुचि टीओपी पर स्थित नियंत्रण कक्ष एमएस स्टोरेज टैंक डाइक वॉल से 9 मीटर, एमएस स्टोरेज टैंक बॉडी से 27 मीटर और एसकेओ टैंक से 24 मीटर की दूरी पर था। संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुये, नियंत्रण कक्ष को स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी;
- अपनी इएसए रिपोर्ट में ओआईएसडी ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर मामले पर ध्यान देने की बात को दोहराया (मार्च 2013)।

जालंधर टर्मिनल पर नियंत्रण कक्ष का स्थान आईओएसडी द्वारा ओआईएसडी- मानक - 118 के उल्लंघन में बताया गया था (जुलाई 2011)।

आईओसीएल ने चार वर्ष समाप्त होने के बाद भी बेटकुचि और जालंधर टर्मिनल नियंत्रण कक्ष स्थानांतरित नहीं किये हैं।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि क्योंकि बेटकुचि और जालंधर टर्मिनल आईओएसडी के गठन से पूर्व शुरू कर दिये गये थे, ओआईएसडी-एसटीडी-118 जो 1988 में प्रकाशित हुआ था, उसका कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यद्यपि ओआईएसडी- मानक -118, 1988 में प्रकाशित हुआ था, ये मौजूदा टर्मिनल सहित सभी टर्मिनल के लिये 2002 में अनिवार्य हो गया था।

(VIII) ओआईएसडी सुरक्षा मानकों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप लगातार पाईपलाइन में खराबी-आईओसीएल

आईओसीएल की मुंद्रा-पानीपत पाईपलाइन (एमपीपीएल) मुंद्रा पोर्ट से पानीपत रिफाइनरी तक मुख्य रूप से सोर कच्चे तेल का परिवहन करती है। एमपीपीएल का कांडला-पानीपत (केपी) सेक्शन पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये शुरू किया गया था (1996), पानीपत रिफाइनरी में कच्चे तेल की आवश्यकता पूर्ण करने के लिये कच्चे तेल सेवा में परिवर्तित कर दी गई थी (अगस्त 2006)।

आईपीएस, पाईपलाइन में असंगति के विभिन्न प्रकार पहचानने के लिये मेगनेटिक फ्लक्स लीकेज (एमएएल) या अल्ट्रासॉनिक (यूटी) आधारित पिग द्वारा पाईपलाइन की हालत का आकलन करने के लिये किया जाता है। एमएफएल आधारित आईपीएस का जंग के प्रकार की विसंगतियों का पता लगाने के लिये प्रयोग किया जाता है जबकि यूटी आधारित आईपीएस का दरारों का पता लगाने के लिये प्रयोग किया जाता है।

ओआईएसडी- मानक -188 निर्धारित करता है कि सोर कच्चा तेल या सोर गैस ले जाने वाली पाईपलाइनों के मामले में, आईपीएस जिनकी दरार पहचानने की क्षमता होती है, पांच वर्ष में एक बार किया जाना चाहिये।

रेवारी पंप स्टेशन के निकट सितम्बर 2014 में एमपीपीएल में एक पाईपलाइन खराबी (लाइन फट गई) का मामला हुआ। यह पाईपलाइन खराबी नौ महीनों के अंदर एमपीपीएल में ऐसा तीसरा मामला था क्योंकि ऐसे ही दो मामले वेल्ड सीम में विसंगति के कारण पहले भी हुये थे (जनवरी और मार्च 2014)। जांच की रिपोर्ट में ओआईएसडी द्वारा सिफारिश के अनुसार, टूटे भाग के विस्तृत धातुकर्म/रसायन/मेकेनिकल विश्लेषण राष्ट्रीय धातु शोधन-संबंधी रसायनशाला, जमशेदपुर (एनएमएल) के माध्यम से आईओसीएल द्वारा किया गया था।

अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि:

- आईओसीएल ने यूटी आधारित पिग के साथ एमपीपीएल का आईपीएस नहीं किया यद्यपि एमएफएल आधारित आईपीएस 2012 में किया गया था जिसमें कुछ जंग संबंधित (धातु हानि) विसंगतियां देखी गई थीं लेकिन प्रयोग की गई तकनीक के निहित सीमा के कारण कोई भी दरार नहीं देखी गई थी।

- ओआईएसडी-दिशानिर्देश लेख-178 के अनुसार कच्चे तेल की सेवा के लिये बनी पाइपलाइन को उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित करने के लिये तकनीकी संवीक्षा की आवश्यकता थी। तथापि, अभिलेखों में कुछ भी नहीं पाया गया जो पुष्टि करे कि ऐसी तकनीकी समीक्षा एमपीपीएल के केपी सेक्शन के मामले में की गई थी।
- पहले के पाइपलाइन खराबी मामले (जनवरी 2014) के बाद, ओआईएसडी ने उजागर किया कि पाइपों की वैल्व सीम गुणवत्ता वांछित स्तर तक नहीं थी जो खरीद स्तर पर देखी जानी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त, उसने पाइपों की खराब गुणवत्ता और क्षमता में विफलता पर भी चिंता जताई।
- एनएमएल ने ऑयरन ऑक्साइड और ऑयरन सल्फाइड की मौजूदगी का निष्कर्ष निकाला और यह पहचान की कि विफलता कच्चे तेल के हाइड्रोजन सल्फाइड¹ (एच₂एस) के कारण थी और पहले से मौजूद जोड़ के दोष पर बार-बार लोडिंग के संयोग के कारण थी। इस प्रकार, उसने सलाह दी कि ऐसी खराबी की पुनरावृत्ति से बचने के लिये कच्चे तेल में एच₂एस के कंसंट्रेशन को नियंत्रण में रखना चाहिये इसके अतिरिक्त, विपत्तिपूर्ण दोष से बचने के लिये दोषपूर्ण पाइपलाइन सेक्शन को पहचान कर सेवा से हटाने की भी सिफारिश की।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि सामान्य रूप से पहला आईपीएस हमेशा एमएफएल तकनीक से किया जाता है और यूटी आधारित आईपीएस की दरार प्रकट होते ही योजना बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त, यह सभी खराबियां असामान्य थी और जंग/अन्य विसंगति का कोई भी स्पष्ट संकेत सामान्य निरीक्षण के दौरान नहीं पाया जा सका था।

उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं है क्योंकि आईपीएस, सोर कच्चे तेल के परिवहन से जुड़े होने के कारण एमपीपीएल मामले में, ओआईएसडी- मानक -188 के अनुसार यूटी आधारित तकनीक से किया जाना अपेक्षित था।

(IX) पीजेपीएल में सुरक्षा मानकों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अत्यधिक जंग-आईओसीएल

पानीपत-जालंधर एलपीजी पाइपलाइन (पीजेपीएल) पानीपत रिफाइनरी से एलपीजी के परिवहन के लिये शुरू की गई थी (नवम्बर 2008)। आईओसीएल ने नाभा और जालंधर स्टेशनों पर अत्यधिक कूड़ा-करकट/दूषित पदार्थ और अन्य नुकसानदेह रसायन एकत्र होते हुए देखा

¹ जंग एजेंट

(सितम्बर 2013), जिसके विश्लेषण ने उच्च पीएच मूल्य¹ और जल, लौह और सल्फर तत्वों की काफी मात्रा दर्शाई, जो सभी पाईपलाइन के लिये हानिकारक है। उच्च पीएच मूल्य से ऑयरन सल्फाइड (एफईएस) और ऑयरन ओक्साइड (एफई₂ओ₃) बनते हैं जो दोनों अवांछित जंग उत्पाद हैं। 2014 में पीजेपीएल की क्लीनिंग पिगिंग करने के बाद, जंग तत्वों की अत्यधिक मौजूदगी फिर से देखी गई जिसके परिणामस्वरूप निरंतर आंतरिक जंग लगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- दो वर्षों से अधिक की समाप्ति के बावजूद, आईओसीएल ने पीजेपीएल में जंग उत्पादों से बचने के लिये सुधारात्मक कदम अभी तक नहीं उठाये गये हैं जिससे पाईपलाइन और हॉर्टन क्षेत्रों² का अंदर से क्षरण होता है।
- एलपीजी पाईपलाइन की पिगिंग ओआईएसडी- मानक -214 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना अपेक्षित है। तथापि, स्थापना के बाद पीजेपीएल की पहली पिगिंग 2014 में की गई थी जिसके परिणामस्वरूप जंग तत्वों की लगातार मौजूदगी के कारण पीजेपीएल में काफी जंग लगा।
- एलपीजी में जल की मौजूदगी ओआईएसडी- मानक -214 द्वारा पूरी तरह वर्जित थी। तथापि, पाईपलाइन और हॉर्टन क्षेत्र में लगातार काफी पानी की मौजूदगी देखी गई जो अत्यधिक आंतरिक जंग के कारण पाईपलाइन और स्टोरेज प्रणाली में खराबी ला सकता है।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि पानीपत रिफाइनरी पानी की रोकथाम और एलपीजी में अन्य दूषित पदार्थों से अवगत था। इसके अतिरिक्त, पिगिंग में विलम्ब रूक-रूक कर प्रचालन और एलपीजी पाइपलाइनों में पिगिंग में विशेषज्ञता के विकास के कारण था; तथापि, 2014 से निरंतर पिगिंग की जा रही है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बार-बार अनुरोध के बावजूद पानीपत रिफाइनरी एलपीजी में जल तत्वों को रोकने और निगरानी करने में अभी तक सफल नहीं हुई। इसके अतिरिक्त 2014 से पूर्व, कम्पनी एलपीजी पाइपलाइनों की वार्षिक पिगिंग की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करने में विफल रही।

¹ 1 का पीएच सबसे अधिक अम्लीय तथा 14 सबसे अधिक क्षारीय होता है (1 से 14 तक स्केल पर पानी में घुलनशीलन पदार्थ (पीएच का अर्थ 'हाइड्रोजन की क्षमता') की अम्लता और क्षारीयता का माप) और पिग अवशेष में पीएच सामान्य रूप से 6-8 की सीमा तक होता है।

² तरल गैस स्तर पर प्रोपेन, ब्यूटेन या एलपीजी जैसी कंप्रेस्ड गैसों की स्टोरेज के लिये प्रयुक्त स्फेरिकल प्रेशर वेसल।

(X) आर-एलएनजी/एनजी की निगरानी न होने से डीपीपीएल को खतरा-आईओसीएल

दादरी-पानीपत गैस पाईपलाइन (डीपीपीएल) पानीपत रिफाइनरी में पुनः गैसीभूत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आर-एलएनजी) की मांग पूरी करने हेतु शुरू की गई (2010)। आईओसीएल गैस बिक्री खरीद करार (जीएसपीए) के अनुसार दाहेज में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) से आर-एलएनजी खरीद रहा था। वितरण स्थान अर्थात दाहेज टर्मिनल से पुनः वितरण स्थान अर्थात दादरी को गैस संचरण के लिये, आईओसीएल ने गेल के साथ गैस संचरण करार (जीटीए) हस्ताक्षरित किया (अप्रैल 2010)।

गैस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये, जीटीए ने निर्धारित किया कि वितरण स्थान पर आपूर्तित गैस का विशेष संयोजन होगा। इसके अतिरिक्त जीटीए का अनुच्छेद 7 निर्धारित करता है कि आईओसीएल गैस की माप, विश्लेषण और जांच सुनिश्चित करेगा और उससे निकले परिणामों को संचरण प्रणाली में वितरण हेतु, आवश्यक गुणवत्ता और प्रचालन परिस्थितियां बनाये रखने के लिये गेल को संचारित करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- आईओसीएल ने इसकी शुरूआत से पांच वर्षों की समाप्ति के बावजूद आपूर्तित गैस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये कोई भी तंत्र संस्थापित नहीं किया था;
- आईओसीएल को पानीपत में डीपीएल के फिल्टर कार्टेज में काली धूल; कण आदि की बहुत अधिक मात्रा मिल रही थी जो गंदगी द्वारा चोक होने के कारण उसे बार-बार बदलना आवश्यक कर रहा था। पानीपत में गंदगी नमूना विश्लेषण की जांच रिपोर्ट (अक्तूबर/दिसम्बर 2014) से ऑयरन ओक्साइड (एफई₂ओ₃) की काफी मात्रा अर्थात 41.80 प्रतिशत से 52.40 प्रतिशत के बीच की मौजूदगी की पुष्टि हुई जिसके परिणामस्वरूप पानीपत रिफाइनरी में आर-एलएनजी कण/धूल की काफी अधिक मात्रा सहित प्राप्त हुई;

आईओसीएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि जीटीए के संदर्भ में गैस गुणवत्ता की निगरानी स्रोत पर ही की जानी चाहिये थी और पुनः वितरण स्थान पर पुनः पुष्टि करना आवश्यक नहीं था। इसके अतिरिक्त रिफाइनरी की तरफ से किसी भी खतरनाक घटक की अनपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये मानकों की निगरानी की जा रही थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पानीपत में खतरनाक घटकों की निगरानी डीपीपीएल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं कर रही थी। डीपीपीएल में जंग तत्वों को रोकने के लिये इसकी शुरूआती स्थान में ही दादरी में निगरानी की जानी चाहिये थी।

(XI) पीएनजीआरबी गैस विनिर्देश और मंत्रालय के निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप पाईपलाइनों में खराबी आई और लगातार दुर्घटनाएँ हुई-गेल

(क) प्राकृतिक गैस सामान्य वाहक के लिए पीएनजीआरबी एक्सेस कोड 2008 का अननुपालन

सामान्य वाहक प्राकृतिक गैस पाईपलाइन, 2008 के लिये पीएनजीआरबी एक्सेस कोड पाईपलाइन की हालत के अनुरूप गैस गुणवत्ता पर जोर देता है और जंग घटक की अधिकतम संतोषजनक सीमा निर्धारित करता है।

ओआईएसडी गैसीय हाइड्रोकार्बन में जंग घटक का मूल्यांकन का भी निर्देश देता है। इसके अनुसार एच₂एस, सीओ₂, साल्ट्स आदि की मौजूदगी अधिक जंग उत्पन्न कर सकती है। इसके अतिरिक्त, ओआईएसडी प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार सोर गैस परिवहन करने वाली पाईपलाइनों के आईपीएस का भी निर्देश देता है।

गेल ने हाजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाईपलाइन (एचवीजे) और अन्य पाईपलाइन नेटवर्कों¹ की गैस आपूर्ति के लिये 15 वर्षों के लिये ऑयल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) के साथ जीएसए हस्ताक्षरित किया (जुलाई 2006)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नॉन-हाइड्रोकार्बन की विशेषताएँ एचवीजे नेटवर्कों के लिये जीएसए में उल्लिखित² थी; तथापि, ऐसी कोई भी विशेषताएँ अन्य पाईपलाइन नेटवर्क में उल्लिखित नहीं थी। गेल ने यह जानने के बावजूद भी कि गैस में कन्डेंसेंट³ की मौजूदगी खतरनाक है, सभी प्रकार की गैस (गीली⁴, सूखी⁵ और सोर गैस⁶) स्वीकार करने

¹ कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन, अगरतला, कावेरी बेसिन और गुजरात नेटवर्क

² एच₂एस: 4 पीपीएम, हाइड्रोकार्बन ओसांक: ± 5 सेंटीग्रेड, जल ओसांक: 0 सेंटीग्रेड और कोई मुफ्त पानी नहीं।

³ कच्ची प्राकृति गैस जो पाईपलाइन के लिये हानिकारक है में गैस के घटक के रूप में मौजूद हाइड्रोकार्बन तरल पदार्थ का मिश्रण

⁴ घोल में घनीभूत करने योग्य हाइड्रोकार्बन और तरल हाइड्रोकार्बन वाली असंसाधित प्राकृतिक गैस या आंशिक रूप से संसाधित गैस

⁵ निर्जलन प्रक्रिया द्वारा कम की गई गैस के साथ पानी की मात्रा

⁶ प्राकृतिक गैस जिसमें अपनी प्राकृतिक स्थिति में, सल्फर की उतनी मात्रा होती है, जो उसे अपने संक्षारक प्रभाव के कारण उपयोग करने हेतु अव्यावहारिक बनाती है।

के लिये अनुबंधात्मक सहमति भी दी। इस प्रकार, गेल इससे उत्तपन्न सुरक्षा खतरों की संभावना की अनदेखी करते हुये विशिष्टता रहित गैस को स्वीकार करने के लिये सहमत था। यह खतरनाक था क्योंकि ओएनजीसी द्वारा 65 में से 60 स्रोतों से असंसाधित गीली और सोर गैस की आपूर्ति की गई थी जिसके चलते पाईपलाइन की हालत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इसी प्रकार, ऐसे विनिर्देश हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड (एचओईसी) आयल आदि के साथ हस्ताक्षरित जीएसए में भी शामिल नहीं थे इसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता सुरक्षा विनियामकों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप गैस आपूर्ति के लिये बाध्य नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, पीएनजीआरबी ने निर्धारित किया कि अपस्ट्रीम आपूर्तिकर्ता द्वारा वितरित आपूर्तित विशिष्टता रहित गैस के मामले में, परिवाहक (गेल) या तो ऐसी गैसों को स्वीकार न करें या अतिरिक्त संसाधन सुविधा प्रदान करे और अपस्ट्रीम आपूर्तिकर्ता पर उसकी लागत प्रभारित कर सकता है। इस प्रकार, गेल यह सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार था कि विशिष्टता रहित गैस पाईपलाइन संपूर्णता और अंतिम-उपयोगकर्ता विनिर्देशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे। तथापि, गेल विशिष्टता रहित गैस को निरंतर स्वीकार करता रहा और बिना संसाधित किये अंतिम उपयोगकर्ताओं को उसे भेजता रहा, इस प्रकार अपने पाईपलाइन नेटवर्क को जंग के जोखिम के साथ-साथ अंतिम उपयोगकर्ता पर अनुचित जोखिम बनाता रहा। लेखापरीक्षा ने देखा कि गेल ने पीएनजीआरबी विनिर्देशों का पालन न करने के कारण पीएनजीआरबी को जुर्माने के रूप में ₹ 45 लाख का भुगतान किया (सितम्बर 2015) और यह कि उसने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है और जुर्माने के रूप में ₹ 1 लाख प्रति दिन का भुगतान करने का उत्तरदायी है।

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि ओएनजीसी ने गैस गुणवत्ता गारंटी देने से मना कर दिया और उसे 'जैसा है जहां है' आधार पर गेल द्वारा स्वीकार किया गया था। तथापि, जीएसए में गैस के साथ आपूर्ति किये गये कन्डैन्सैट के लिये गेल को क्षतिपूर्ति के लिये प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, गेल ने स्रोत बिन्दु के पास स्लग कैचर लगाये हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि तथ्य यह रह जाता है कि पीएनजीआरबी ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि सुरक्षित संचरण की मुख्य जिम्मेदारी परिवाहक की है। इस प्रकार, गेल अपने वाणिज्यिक हित को सुरक्षित रखने के लिये सुरक्षित संचरण की अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, गेल को समय-समय पर

अधिसूचित सुरक्षा दिशानिर्देश/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, स्लग कैचर लगाने के बावजूद, कन्डैन्सैट /जल गैस के साथ निरंतर बहता रहा, इससे पाईपलाइन की सुरक्षा जोखिम में थी।

(ख) **केजी बेसिन पाईपलाइन नेटवर्क में दुर्घटना, पाईपलाइन फटने और जंग की लगातार घटनाएं**

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि 869 किमी. लम्बा केजी बेसिन पाईपलाइन नेटवर्क सूखी गैस के संचरण के लिये बनाया गया है, ओएनजीसी द्वारा आपूर्तित गैस गीली, सोर और पानी सल्फर और कन्डैन्सैट मिली हुई थी, जिससे नेटवर्क को आंतरिक जंग लग रहा था। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि गैस में कन्डैन्सैट की मात्रा प्रतिदिन 13000-15000 लीटर के खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। इसके अलावा गेल पाईपलाइनों के अपर्याप्त और असंतोषजनक रखरखाव के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानव हताहत, पाईपलाइन फटने की घटनाओं और उसके उपयोगी जीवन में कमी सहित लगातार पाईपलाइन दुर्घटनाएं हुईं जैसा कि नीचे दिया गया है:

- (i) **पोन्नामाडा-कडाली एनजी पाईपलाइन:** इस पाईपलाइन में गैस की ओएनजीसी गैस क्षेत्रों अर्थात् पोन्नामाडा, केसनापल्ली (डब्ल्यू) और अदावीपालेम से आपूर्ति की जा रही थी। इस पाईपलाइन में ओएनजीसी द्वारा विशिष्टता रहित गैस की आपूर्ति के कारण एक अग्नि दुर्घटना हुई (नवम्बर 2010) जिससे कृषि, पर्यावरण और संपत्ति को भारी क्षति हुई जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक आंतरिक संक्षरण और पाईपलाइन की मोटाई कम हुई। गेल द्वारा ₹ 51 लाख की क्षतिपूर्ति की गई थी।

यह देखा गया कि गेल ने दुर्घटना होने के बाद ही पाईपलाइन में आईपीएस करवाया। आईपीएस करवाने के बाद, गंभीर आंतरिक जंग देखा गया जिसके परिणामस्वरूप 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की सीमा तक पाईपलाइन की मोटाई कम हुई।

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि यह वार्षिक आधार पर क्लिनिंग पिगिंग कर रहा है और गैस में कन्डैन्सैट / पानी को रोकने के लिये स्लग कैचर भी लगाये हैं।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि जंग से बचने के लिये फोम पिगिंग की बजाय स्क्रैपर पिगिंग आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त, स्लग कैचर लगाने के बावजूद, गैस में कन्डैन्सैट और पानी बहना जारी रहा।

(ii) **तातीपाका-कोंडापल्ली पाईपलाइन (टीकेपीएल):** टीकेपीएल में एक बड़ी आग दुर्घटना हुई (जून 2014) जिसमें आसपास की संपत्ति और खेती की क्षति के अलावा 22 लोग जिंदा जल गये और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिसके लिये गेल ने ₹ 8.88 करोड़ की क्षतिपूर्ति की। एनओपीएनजी ने दुर्घटना की जांच के लिये समिति बनाई जिसने विभिन्न लापरवाह और असुरक्षित संचरण कार्य के कारण घटना के लिये गेल को जिम्मेदार ठहराया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- टीकेपीएल बिजली उत्पादकों और शहर में गैस वितरण संस्थाओं जैसे छोटे उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति हेतु शुरू किया गया था (अगस्त 2001)। यद्यपि डिजाइन सूखी गैस के संचरण के लिये बनाया गया था, पाईपलाइन ओएनजीसी क्षेत्र से गीली गैस संचरण हेतु प्रयोग की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप पाईपलाइन में आंतरिक रूप से जंग लगा। इसके अतिरिक्त, गेल ने गीली गैस से उत्पन्न जंग को कम करने के लिये अलग से नीति नहीं बनाई थी। अतः कम अवधि (अप्रैल से जून 2014) में, पाईपलाइन में लीकेज के आठ मामले देखे गये, जिसके लिये केवल अस्थायी/सामयिक व्यवस्था की गई। पाईपलाइन की अस्थायी मरम्मत से पाईपलाइन की संपूर्णता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- ओआईएसडी-मानक-226 के अनुसार वार्षिक रूप से क्लिनिंग पिगिंग की आवश्यकता होती है और पाईपलाइन में अधिक तरल पदार्थ होने के मामले में अधिक बार। यद्यपि, गेल ने 2001 में टीकेपीएल शुरू किया, 2006 के बाद ही क्लिनिंग पिगिंग शुरू की जिसके परिणामस्वरूप कन्डैन्सैट, पानी और सल्फर काफी अधिक एकत्र हुआ। पाईपलाइन के आईपीएस ने 50 प्रतिशत तक खतरनाक धातु हानि को उजागर किया। तथापि, गेल ने पाईपलाइन के जंग लगे हुये भाग को नहीं बदला। इसके अतिरिक्त, गेल उसे गीली गैस जिसे पिगिंग की उच्च आवृत्ति की आवश्यक होती है के लिये प्रयोग करने के बावजूद सूखी गैस पाईपलाइन के डिजाइन के अनुसार पिगिंग कर रहा था इसके अलावा, कन्डैन्सैट और गंदगी को हटाने और कम करने के लिये स्क्रैपर पिगिंग आवश्यक है, तथापि, गेल 2007 से कन्डैन्सैट मिश्रित गैस की अधिक आपूर्ति देखने के बावजूद फोम पिगिंग पर भरोसा कर रहा था जिसने पिगिंग के मूल उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया।
- पिगिंग के बाद प्राप्त गाद (पिंग अवशेष) की गुणवत्ता की रसायन जांच ओआईएसडी और पीएनजीआरबी के अनुसार पाईपलाइन के आकलन के लिये आवश्यक थी। तथापि, गेल ने केवल दो-तीन अवसरों पर ही केजी बेसिन

नेटवर्क में पिंग अवशेष विश्लेषण किया। जिसके परिणामस्वरूप सल्फर की अत्यधिक मात्रा द्वारा पाईपलाइन खराबी पर किसी का ध्यान नहीं गया।

- गेल बिना किसी निरीक्षण के पाईपलाइनों की मरम्मत/रखरखाव के लिये ठेके पर निर्भर हुआ।
- गेल ने अनिवार्य सुरक्षा विनियमों के बावजूद कोई भी लीक डिटेक्शन प्रणाली (एलडीएस) नहीं लगाई।
- विनाशकारी घटना के बाद भी, पाईपलाइनों के साथ कई पुराने अतिक्रमण देखे गये। आरओयू सीमा मार्कर और मार्ग मार्कर भी विभिन्न स्थानों पर नहीं पाये गये।
- कोई भी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) गीली गैस पाईपलाइनों के परिवहन के लिये विकसित नहीं की गई थी।
- यद्यपि गेल में तापमान, प्रवाह, गैस संरचना जैसे विभिन्न गैस पैरामीटरों की निगरानी के लिये क्षेत्रीय गैस प्रबंधन केंद्र (आरजीएमसी) हैं, टीकेपीएल विफलता की जानकारी और कारण केजी बेसिन के आरजीएमसी में कार्यक्षमताओं/विन्यास मुद्दों के कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि विशिष्टता रहित गैस के कारण पाईपलाइन खराबी की घटना गुजरात क्षेत्र में भी देखी गई। उदाहरण के लिये, सोर गैस, कन्डैन्सैट /मुक्त पानी के प्रवाह जिसके कारण कई लीकेज हुईं के कारण कादी जीएमएस-एसकेसीटीएफ पाईपलाइन में गैस लीकेज हुई (जुलाई 2014)।

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि कन्डैन्सैट केवल 2007-08 से मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं और टी4एस विनियम अलग से सूखी और गीली गैस के लिये पिंगिंग आवृत्ति को परिभाषित नहीं करता। एलडीएस के संबंध में, गेल ने उत्तर दिया कि उसने लीक का पता लगाने के लिये एपीपीएस सॉफ्टवेयर लगाने की पहल की है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गेल ने गीली गैस के संचरण के लिये पाईपलाइन प्रयोग करने के बावजूद एलडीएस लगाने और वार्षिक पिंगिंग के संबंध में ओआईएसडी निर्देशों का उल्लंघन किया है।

(ग) गैस विनिर्देशों पर मंत्रालय के निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं के उपकरण को क्षति/सुरक्षा जोखिम

एमओपीएनजी ने गैस विशिष्टता के पालन हेतु गेल सहित मुख्य तेल कंपनियों को निर्देश दिये (जून 2010) चूँकि उत्पादित और आपूर्तित गैस में तरल हाइड्रोकार्बन और जमा हुआ पानी था जो डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं के उपकरणों को क्षति पहुँचा सकता था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं ने निम्न गुणवत्ता की गैस के बारे में बताया, गेल ने गैस निर्जलीकरण इकाइयों के लगाने के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं के उपकरणों में परिहार्य दुर्घटना/रूकावट आई जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

- कन्डैन्सेट के निरंतर परिवहन के कारण गुजरात क्षेत्र में छोटे उपभोक्ताओं की भट्टियों में आग की दुर्घटना हुई, जिससे उपभोक्ताओं के जीवन और संपत्ति पर खतरा उत्पन्न हुआ।
- गैस में कन्डैन्सेट, जल, तेलीय पदार्थ के कारण मैसर्स भाग्यनगर गैस के सीएनजी वितरण स्टेशन पर सीएनजी सिलेंडर फट गया (जनवरी 2011)।
- कोनासीमा गैस पावर लिमिटेड ने विशिष्टता रहित गैस के कारण गैस टर्बाइन को क्षति की शिकायत की (मार्च 2011/जनवरी 2013)।

एमओपीएनजी के निर्देशों (जून, अगस्त, दिसम्बर 2010) के बावजूद, गेल गैस विनिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में और डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं के उपकरण और सार्वजनिक जीवन में सुरक्षा जोखिम को रोकने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने देखा कि पाईपलाइन में आंतरिक जंग सभी सुरक्षा जोखिमों का मूल कारण बना रहा था जो जीएसए में गैस विनिर्देशों के गैर-निगमन और जीडीयू के गैर-संस्थापन के कारण था। जिसके परिणामस्वरूप, विभिन्न पाईपलाइनों में जंग लगा और उन्हें 20 वर्षों की निर्धारित प्रचालन क्षमता के प्रति चार से दस वर्ष की कम अवधि में बदलने की आवश्यकता पड़ गई। इसके अतिरिक्त, गेल ने यह भी आकलन किया (अक्टूबर 2014) कि 850 किमी. पाईपलाइन सुरक्षा के मद्देनजर अयोग्य हो गई थी और बदलने की आवश्यकता थी।

इसके अलावा, गेल और गैस आपूर्तिकर्ता के बीच पानी/कन्डेंसेंट के मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और परिणामस्वरूप गेल कन्डेंसेंट एकत्र करता रहा और प्रतिपूर्ति के लिये गैस आपूर्तिकर्ता को काफी मात्रा में देता रहा लेकिन सुरक्षा प्रयोजनों को सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त इसे इस तथ्य के प्रति देखा जा सकता है कि गैस आपूर्तिकर्ता सीएआईआरएन के साथ हस्ताक्षरित (2000) जीएसए में गैस विनिर्देश शामिल थे और इसलिये, आपूर्तिकर्ता जीएसए के अनुरूप गैस वितरण करने के लिये अनुबंधीय रूप से बाध्य था और गैस नमूने में कन्डैसेन्ट तत्व निर्धारित सीमा के अंदर पाये गये थे लेकिन अन्य आपूर्तिकर्ताओं अर्थात् ओएनजीसी, ओआईएल और एचओईसी आदि के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी थी।

यद्यपि गेल में आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिये प्रणाली है, कन्डैसेन्ट के कारण पाइपलाइन में जंग के बारे में पता नहीं चला। असुरक्षित गैस संचरण के बारे में उच्च प्रबंधन द्वारा एमओपीएनजी के साथ परामर्श में सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है।

(XII) एलपीजी पाइपलाइनों की सुरक्षा और देखरेख प्रबंधन-गेल

विजाग-सिकंदराबाद पाइपलाइन (वीएसपीएल) एचपीसीएल, बीपीसीएल से विभिन्न एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को एलपीजी के परिवहन के लिये शुरू किया गया था (2004)। सूर्यापेट (विजयवाडा-सूर्यापेट सैक्शन) पर बड़ी दुर्घटना हुई (अप्रैल 2015) जिसमें दो लोगो की मौत हुई। घटना से जुड़े अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि:

- गेल ने ओआईएसडी द्वारा सिफारिश (फरवरी 2005 एवं सितम्बर 2013) करने के बावजूद 10 वर्षों (शुरूआत से जुलाई 2014 तक) पिगिंग नहीं की थी जिसके कारण पाइपलाइन में काफी गंदगी/मलबा जमा हो गया था। इसके परिणामस्वरूप, अप्रैल 2015 में सफाई कार्यों के दौरान दाबानुकूलित पिग तीव्रता से बाहर निकली और इससे मजदूरों को चोट पहुंची।
- स्क्रेपर बैरल के अनुपयुक्त डिजाइन, पिगिंग के प्रकार(उच्च लौह तत्व मौजूदगी, जैसाकि 2014 में किए गए पिग अवशेष विश्लेषण में दर्शाया गया है, के बावजूद चुम्बकीय पिगिंग करना), पिग प्रापक के अनुचित डिजाइन और न्यूनतम सुरक्षा अंतर दूरी न रखना दुर्घटना के लिए उत्तरदायी अन्य कारक हैं।
- गेल ने न तो पिगिंग के लिए एसओपी का निर्माण किया और न ही रख रखाव कार्यकलापों के लिए एसओपी का पालन किया विशेष रूप से एमओपीएनजी निर्देशों (जुलाई 2014) के बावजूद पिगिंग के दौरान फायर टेन्डर की उपलब्धता के संबंध में।
- गेल ने विशेषज्ञ ठेका गत श्रमबल की तैनाती सुनिश्चित नहीं की थी और अपने स्वयं के कार्मिकों को तैनात किया था जोकि इस प्रकार के कार्य के लिए निपुण नहीं थे।
- पाइपलाइनों में ऑफ स्पेशिफिकेशन और नमी युक्त एलपीजी आपूर्ति देखी गई थी। तथापि, यह मामला एचपीसीएल के साथ गैस गुणवत्ता पर असहमति के कारण अनिर्णायक बना रहा। इसके अलावा, गेल एलपीजी गुणवत्ता की मॉनीटरिंग भी नहीं कर रहा था क्योंकि आन्तरिक/तीसरी पार्टी गुणवत्ता जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।

इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि अन्य पाइपलाइन जेएलपीएल (लोनी सैक्शन) में वार्षिक पिगिंग की अपेक्षा के प्रति पांच वर्षों में एक बार क्लीनिंग पिगिंग की जा रही थी।

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि यद्यपि वीएसपीएल 2004 में शुरू हो गया था, फिर भी पिगिंग 2008 के बाद से ही शुरू की गई थी जब एलपीजी का बहुत अधिक प्रवाह शुरू हो चुका था। तथापि इस सैक्शन की पिगिंग प्रवाह की तकनीकी सीमाओं के कारण 2014 तक नहीं की गई थी।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि सुरक्षा पहलुओं के साथ समझौता किया गया था क्योंकि विजवाडा-सूर्यापेट सैक्शन की पिगिंग में विलंब के परिणामस्वरूप काफी गंदगी/मलबा एकत्र हुआ जिसके कारण दो मानवीय दुर्घटनाएं हुईं।

(XIII) पाइपलाइन समेकता का मॉनीटरिंग तंत्र – गेल

पीएनजीआरबी और ओआईएसडी संक्षारक तत्वों/अशुद्धियों (एच₂एस, नमी, कार्बनडाई ऑक्साइड आदि) के प्रति पाइपलाइन को सुरक्षित करने के लिए एससीएडीए¹ का उपयोग करते हुए एनजी पइपलाइन प्रणाली की मॉनीटरिंग और नियंत्रण को अनिवार्य बनाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि एससीएडीए प्रतिष्ठापित कर दिया गया था और एनजीएमसी² प्रचालन में था, फिर भी गैस संघटन के विभिन्न पहलुओं विशेष रूप से कई क्षेत्रीय गैस ग्रिडों पर अशुद्धियों को नियमित रूप से मॉनीटर नहीं किया जा रहा था जिसके कारण इन ग्रिडों में गैस में उच्च मात्रा में अशुद्धियों और संक्षारक पदार्थ का संचारण हुआ; इसके परिणामस्वरूप लगभग 850 किमी पाइपलाइन को सुरक्षित प्रचालन के लिए अनुपयुक्त माना गया और गेल पर बड़े नेटवर्क को बदलने का दबाव पडा जैसाकि पैरा 4.1.11 में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, पीएनजीआरबी और ओआईएसडी प्रावधान करते हैं कि संक्षारण को नियंत्रित करने के लिए गैस में अनुमत सीमा से अधिक एच₂एस, सीओ₂ और पानी आदि नहीं होने चाहिए। अतः पाइपलाइन प्रचालक एच₂एस तथा नमी के मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग के लिए तंत्र प्रतिष्ठापित करने हेतु बाध्य है।

¹ पर्यवेक्षण नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण ऑनसाईट कार्मिक नियंत्रण और पाइपलाइन के पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना गैस पाइपलाइनों, प्रत्यक्ष नियंत्रक प्रतिमानों अर्थात् दबाव, तापमान, प्रवाह मापन, और गैस संघटन डाटा की मॉनीटरिंग की तकनीक है।

² राष्ट्रीय गैस प्रबंधन केन्द्र

लेखापरीक्षा ने देखा कि गेल एच₂एस तथा नमी की नियमित रूप से मॉनीटरिंग के लिए गैस विश्लेषण नहीं कर रही थी क्योंकि कई स्थानों पर निरंतर मॉनीटरिंग के लिए विश्लेषक-यंत्र उपलब्ध नहीं थे। जो कि वास्तविक समय मॉनीटरिंग की आवश्यकता को दर्शाता है। सीमा रेखा से अधिक एच₂एस और नमी की मौजूदगी की सूचना क्षेत्रीय नेटवर्क (गुजरात, कावेरी, केजी और अगरतला) में दी गई थी।

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि कुछ अतिरिक्त स्थानों पर ऑनलाइन विश्लेषक चालू किए जाने के अन्तर्गत थे।

तथ्य यह रहा कि ओआईएसडी/पीएनजीआरबी की अपेक्षाओं का अभी तक पालन नहीं किया गया है।

(XIV) गैस संचारण पाइपलाइनों का निरीक्षण – गेल

पीएनजीआरबी ने सभी पाइपलाइन आरओयू में असामान्य कार्यकलापों का पता लगाने के लिए जीपीएस, सीसीटीवी और सैटेलाइट आधारित मॉनीटरिंग जैसे तात्कालिक साधनों के माध्यम से पाइपलाइनों आरओयू का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। चूंकि तीसरी पार्टी क्षति पाइपलाइन समेकता भंग होने की घटनाओं में सबसे अधिक सहायक होती है।

(क) सैटेलाइट/रिमोट सैन्सिंग आधारित आरओयू मॉनीटरिंग

रिमोट सैन्सिंग आधारित निरीक्षण विशेष रूप से दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्कस आरओयू पर मॉनीटरिंग और बदलावों का पता लगाने के बारे में है। एरियल, वीहिक्यूलर और फुट पेट्रोल के माध्यम से पारम्परिक निरीक्षण में दक्षता, सटीकता, लागत और सुरक्षा के संबंध में विभिन्न कमियां हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि गेल ने जून 2013 में सैटेलाइट आधारित आरओयू निरीक्षण परियोजना पर विचार किया था, फिर भी यह अब तक (दिसम्बर 2015) इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम नहीं है।

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि इस परियोजना को प्रमुख आधार पर आरएण्डडी परियोजना के रूप में लिया गया था, यह समयबाधित नहीं था।

लेखापरीक्षा सुझाव देता है कि परियोजना का शीघ्र समापन एवं कार्यान्वयन के लिए अनुसरण किया जाए क्योंकि यह इसके पाइपलाइन प्रचालनों की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा।

(ख) जीपीएस आधारित निरीक्षण

जीपीएस आधारित लाइन पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग कार्मिकों की गतिविधियों की वास्तविक समय ट्रकिंग और ऑनलाइन एलर्ट के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की प्रभारी मॉनीटरिंग को प्रभावी बनाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि गेल का बड़ा नेटवर्क¹ जीपीएस प्रौद्योगिकी से सुसज्जित नहीं था। गेल ने उत्तर दिया कि गेल के 80 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर जीपीएस आधारित फुट पेट्रोलिंग मौजूद है।

तथ्य यह है कि अब भी 20 प्रतिशत नेटवर्क जीपीएस आधारित पेट्रोलिंग से रहित है।

(ग) पाइपलाइन आरओयू निरीक्षण

ओआईएसडी के साथ-साथ पीएनजीआरबी पाइपलाइन चिन्हकों तथा रूट चिन्हकों के प्रतिष्ठापन को आवश्यक बनाता है। पीएनजीआरबी की सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से गेल द्वारा निष्पादित की गई तीसरी पार्टी निरीक्षण की रिपोर्ट (अगस्त 2011) से पता चला कि आरओयू बाऊंड्री चिन्हक/रूट चिन्हक केजी पाइपलाइन नेटवर्क में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, पाइपलाइन चिन्हक गांधर -डबका पाइपलाइन सैक्शन में अधिकतर स्थानों पर संक्षारित हो गए थे।

ओआईएसडी द्वारा किए गए अन्य ईएसए (सितम्बर 2014) से पता चला कि थुलेंडी/ फुलपुर पाइपलाइन के लिए ग्राऊंड पेट्रोलिंग नहीं की जा रही थी जबकि औरिया-जगदीशपुर के 17 प्रतिशत आरओयू तथा सुचेंदी -कानपुर पाइपलाइनों के 45 प्रतिशत आरओयू के लिए ही यह की जा रही थी।

(XV) गैर पिगेबल पाइपलाइनों का समेकता प्रबंधन-गेल

गैर पिगेबल पाइपलाइनों (एनपीएस) में बड़ी घटनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि के मद्देनजर, ओआईएसडी एनपीएस की समेकता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देता है। पीएनजीआरबी भी यह आदेश देता है कि 12'' और अधिक तथा 10 किमी. एवं अधिक की लम्बाई की पाइपलाइनों के लिए धातु हानि का पता लगाने के लिए आईपीएस करने के अलावा 4'' और इससे अधिक मोटाई और 10 किमी. से अधिक लम्बाई की गैस पाइपलाइन में पिगिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं।

¹ त्रिपुरा, गुजरात, कावेरी बेसिन, असम, डभोल बेंगलोर पाइपलाइन, सदरन पाइपलाइन ग्रिड, जेसलमैर क्षेत्र आदि

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- पीएनजीआरबी अनुबंधों के अनुसार लगभग 1000 किमी. पाइपलाइन को पिगिंग एवं आईपीएस सुविधाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित था। तथापि, गेल ने अब तक (दिसम्बर 2015) केवल 100 किमी. लम्बाई के एनपीएस को पिगेबल में रूपांतरित किया था। इनमें से अधिकतर केजी बेसिन महाराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र और कावेरी क्षेत्र में प्रचालित थे जो कि आंतरिक संक्षारण के लिए प्रवृत्त थे क्योंकि आपूर्ति की जा रही गैस नम और अम्लीय थी।
- इसके अलावा, ओआईएसडी द्वारा बताए जाने के बावजूद गंधार डबका और वडोदरा क्षेत्र में संक्षारण मॉनीटरिंग नहीं की जा रही थी।
- ओआईएसडी विशेष रूप से अम्लीय गैस पाइपलाइनों में पाइपलाइनों के संरक्षण के लिए संक्षारण निरोधकों (सीआई) की डोजिंग का प्रावधान करता है। तथापि, गेल ने बड़ी दुर्घटना (जून 2014 में टाटीपका की आग की घटना) घटने के बाद ही सीआई डोजिंग को अपनाया जिसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से भी नहीं डाला जा रहा था।

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि एनपीएस का पिगेबल सैक्शन में रूपांतरण प्रगतिरत है। गेल ने आगे बताया कि यह बैल होल निरीक्षण जैसे अन्य उपायों पर भी निर्भर करता रहा है।

एनपीएस का पिगेबल सैक्शन में रूपांतरण न करना सुरक्षा जोखिम से परिपूर्ण है जोकि अम्लीय गैस के कारण गैर पिगेबल पाइपलाइनों में पाइपलाइन खराबियों की संख्या से भी स्पष्ट है।

1.2.4.2 अपर्याप्त सुरक्षा तैयारी के अन्य मामले

आईओसीएल तथा गैल में अपर्याप्त सुरक्षा तैयारी के अन्य मामले भी देखे गए थे जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(I) अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण बड़ी आग दुर्घटना हुई -आईओसीएल

एसएमपीएल कच्चा तेल पाइपलाइन का उदगम पम्प स्टेशन वडीनार और मध्यम स्टेशन 12 स्थानों¹ पर है। वडीनार, वीरामगाम और चकसु प्रतिष्ठापनों पर भी कच्चा तेल भंडारण की सुविधाएं हैं। वडीनार कच्चा तेल टर्मिनल में 18 भंडारण टैंक शामिल हैं।

¹ जामनगर, गौरीदाद, सुरेंद्रनगर, विरामगाम, सिद्धपुर, अबुरोड, कोट, राजोला, सेंद्रा, रामसर, चकसु और रेवाडी।

18 फरवरी 2014 को एक टैंक की बांध दीवार की बाह्य भूमि से तेल स्राव का पता चला था। मरम्मत/प्रतिस्थापन कार्य के दौरान ग्राइडिंग प्रचालन से आग फ्लैश के कारण आग दुर्घटना हुई (27 फरवरी 2014) जिसमें तीन ठेका कर्मचारी आग में झुलस गए, इनमें से दो की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। आईओसीएल की निरीक्षण रिपोर्ट में घटना के विभिन्न कारणों/कारकों को दर्शाया गया था। ओआईएसडी ने भी घटना की जांच की और अनुपालन हेतु सिफारिशें जारी की थीं।

घटना से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि:

- पाइपलाइन की स्थिति के इतिहास के रख-रखाव, संक्षारण संभावित स्थानों को दर्शाते संरेखणों, क्लैंप/स्लीव्स की स्थिति, समय पर अनुपालन तथा इसकी मॉनीटरिंग के लिए कोई संरचित प्रणाली नहीं थी;
- मरम्मत कार्य को करने के लिए एसओपी का निरूपण नहीं किया गया था और अनुरक्षण नियमपुस्तक को भी जुलाई 2002 से अद्यतित नहीं किया गया था;
- कार्य के लिए कार्य सुरक्षा विश्लेषण भी नहीं किया गया था और इसके महत्वपूर्ण कार्य होने के बावजूद यह कार्य रात के दौरान किया जा रहा था;
- टैंक को जोड़ने वाले हैडर की कार्य के कार्यान्वयन से पहले हाइड्रोकार्बन वाष्प से मुक्त करने के लिए वाटर फ्लशिंग नहीं की गई थी;
- मरम्मत कार्य समर्पित अनुरक्षण दल की बजाय प्रचालनदल द्वारा किया जा रहा था;
- कार्य अनुमति जारी/प्राप्त करने वाले अधिकारियों ने अनिवार्य एक दिवसीय प्रशिक्षण नहीं लिया था जैसा कि ओआईएसडी मानक-105 के द्वारा अनुबंधित है;
- कार्य स्थल पर अग्नि शमन तैयारी त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि फायर टैंडर इंजन को मरम्मत कार्य के दौरान ऑन नहीं रखा गया था; इसके अलावा दूसरे फायर टैंडर को सेवा में नहीं रखा गया था;
- भूमिगत स्टेशन पाइपिंग का कोटिंग सर्वेक्षण, जैसाकि ओआईएसडी - मानक - 130 में अनुबंधित है, नहीं किया गया था क्योंकि पूरी पाइपलाइन डिवीजन में कोई लिखित प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

आईओसीएल ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2015) कि सुरक्षा प्रचालनों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं विकसित एवं कार्यान्वित की गई हैं। तथापि, तथ्य यह है कि आईओसीएल ने घटना के बाद ही अपेक्षित प्रक्रियाएं विकसित की हैं।

(II) पाइपलाइन नियंत्रण एवं आपात तैयारी प्रणाली – गेल

पीएनजीआरबी और ओआईएसडी ने रिमोट शट-ऑफ प्रावधान के साथ सैक्शनलाइजिंग वाल्व (एसवीज) का प्रतिष्ठापन निर्धारित किया। एसवीज को साव / घटना के मामले में पाइपलाइन को सैक्सन अलग करने के लिए पाइपलाइनों में उपलब्ध कराया जाता है। रिमोट प्रचालनता विशेष रूप से दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में आपात तैयारी की प्रणाली का प्रमुख घटक है।

तथापि, अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि:

- गेल के पैन इंडिया पाइपलाइन नेटवर्क में 549 एसवीज शामिल है जिसमें से केवल 332 एसवीज रिमोट प्रचालित वाल्व (आरओवीज) थे।
- एचएजेडओपी अध्ययनों, एमओपीएनजी, ओआईएसडी और एमबी लाल समिति की सिफारिशों के बावजूद आरओवीज के प्रतिष्ठापन के लिए कोई समय बाधित योजना तैयार नहीं की गई थी। यह देखा गया कि केजी बेसिन में बड़ी पाइपलाइन घटना (जून 2014) के होने के बाद ही गेल ने हस्त्य रूप से प्रचालित वाल्व के आरओवीज में रूपांतरण के लिए देरी से (जून 2015) योजना बनाई थी। तथापि इस पर कार्रवाई अभी लंबित थी (दिसम्बर 2015)।

यद्यपि एससीएडीए प्रचालन में था, फिर भी इन क्षेत्रों में पाइपलाइनों की प्रभावी मॉनीटरिंग और नियंत्रण के इसके उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका था क्योंकि 217 एसवीज हस्त्य रूप से प्रचालित थे। इसके अलावा, गेल ने विलम्बित रूप से मूल्यांकन किया (फरवरी 2015) कि स्वतः संवरक सेवाओं के साथ रिमोट प्रचालन केवल ₹ 9.27 करोड़ की लागत पर भूमि, विद्युत और भवन जैसी किसी अतिरिक्त सुविधाओं के बिना अखिल भारतीय पाइपलाइन नेटवर्क के लिए किया जा सकता था।

गेल ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि हस्त्य रूप से प्रचालित वाल्व के आरओवीज में रूपांतरण हेतु कार्रवाई अधिकतर स्थानों पर कार्यान्वयन के अग्रिम चरण पर थी।

1.2.4.3 मॉनीटरिंग तंत्र

ऑयल एवं गैस उद्यम में सुरक्षा नियामकों की भूमिका

देश में हाइड्रोकार्बन उद्योग के नियामक परिवेश को मुख्यतः ओआईएसडी, पीएनजीआरबी और पीईएसओ द्वारा शासित किया जाता है। तथापि ये नियामक विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

एमओपीएनजी के अंतर्गत ओआईएसडी, एक तकनीकी निदेशालय का गठन भारत में तेल एवं गैस उद्यम में सुरक्षा को बढ़ाने हेतु प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का निरूपण और मानकीकरण करने के उद्देश्य के साथ किया गया था। दूसरी तरफ पीईएसओ उद्यम नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाला संवैधानिक प्राधिकरण है। इसके अलावा, पीएनजीआरबी का गठन एमओपीएनजी के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित विशेष कार्यकलापों में संलिप्त उपभोक्ताओं और सत्त्वों के हितों की सुरक्षा करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- इन एजेंसियों के मध्य किसी समन्वय के बिना रिपोर्टिंग के बहुल बिन्दुओं के साथ इन नियामकों द्वारा विभिन्न एवं अतिव्यापी सुरक्षा अधिनियम बनाए गए थे।
- यद्यपि पीएनजीआरबी सुरक्षा लेखापरीक्षाओं को करने के लिए प्रमाणित बाह्य एजेंसियों को सूचीबद्ध करता है, फिर भी यह प्रमाणित करने के लिए अभिलेख में कुछ नहीं पाया गया कि पीएनजीआरबी ऐसी रिपोर्टों में निर्दिष्ट अभ्युक्तियों/सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई करता है।
- सुरक्षा मानदंडों, यद्यपि ओआईएसडी द्वारा निरूपित किए गए थे, के कार्यान्वयन को मॉनीटर नहीं किया जाता है क्योंकि ओआईएसडी के पास इसे लागू करने के लिए कोई सांविधिक शक्तियां नहीं हैं। इसके अलावा, यद्यपि पीईएसओ ऑयल तथा गैस उद्यम के छह ओआईएसडी मानकों को प्रशासित करता है, फिर भी यह एमओपीएनजी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नहीं आता जिसका परिणाम यह है कि उल्लंघन के मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।
- किसी सांविधिक शक्ति के अभाव में ओआईएसडी ईएसए सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कम्पनियों पर दबाव नहीं डाल सका था क्योंकि ये सिफारिशें 24 माह एवं 168 माह के बीत जाने के बाद भी क्रमशः आईओसीएल तथा गेल में अनुपालन हेतु लंबित थी।

इसके अलावा, संसद की पीएण्डएनजी पर स्थायी समिति (2011-12) ने भी सुझाव दिया कि ओआईएसडी को समस्त ऑयल एवं गैस सैक्टर के लिए ओआईएसडी मानकों और

अन्य लागू कानूनों के निरूपण, मॉनीटर और लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाना चाहिए। यद्यपि, इस संबंध में कार्रवाई अभी तक नहीं की गई थी (अगस्त 2015)।

निष्कर्ष

ट्रांसमिशन पाइपलाइनों के संबंध में आईओसीएल एवं गेल की सुरक्षा तैयारी निम्नलिखित को देखते हुए अपर्याप्त पाई गई थी:

- ओआईएसडी सुरक्षा मानकों और पीएनजीआरबी विनियमों के अननुपालन के मामले देखे गए थे;
- ईएसए और एमबी लाल समिति की सिफारिशों का अननुपालन देखा गया था;
- आरओयू अतिक्रमणों को निकालने के लिए प्रबंधन की तरफ से प्रभावी कार्रवाई का अभाव था जिससे पाइपलाइन प्रचालनों की सुरक्षा को खतरा होगा।
- एसओपीज के गैर निरूपण/विचलन के साथ अपर्याप्त अनुरक्षण कार्यकलापों के कारण कई घटनाओं का अप्रभावी प्रबंधन होगा।

इसके परिणामस्वरूप, कम्पनियां पाइपलाइन नेटवर्क की दुर्घटनाओं/घटनाओं से सुरक्षा करने में विफल रही जिसके कारण जीवन,सम्पति और पर्यावरण की हानि हुई जो अपर्याप्त सुरक्षा तैयारी को दर्शाता है। इसके अलावा, एचएसई नीति के वैश्विक महत्व के परिदृश्य में कम्पनियों की वांछित सुरक्षा तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए कोई एकमात्र नोडल एजेंसी नहीं थी।

सिफारिशें

निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

- सभी लागू सुरक्षा मानकों /विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए;
- सुरक्षा से संबंधित ईएसए/अन्य सिफारिशों को समयबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए;
- सुरक्षा प्रतिमानों के अनुपालन पर बल देने के लिए सुदृढ नोडल एजेंसी होनी चाहिए;
- अतिक्रमणों को रोकने के लिए और इसे तत्काल हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

- कम्पनियों को पाइपलाइन समेकता को सुनिश्चित करने हेतु नियमित अनुरक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करने चाहिए;
- सुरक्षा तैयारी की समय पर और नियमित समीक्षा/मॉनीटरिंग के लिए तंत्र होना चाहिए;

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (दिसम्बर 2015)। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

1.3 पेट्रोकेमिकल उत्पादन एवं परियोजना प्रबंधन

1.3.1 प्रस्तावना

पेट्रोकेमिकल कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस (एनजी) से प्राप्त किया जाने वाला एक हाइड्रोकार्बन पदार्थ है तथा यह विनिर्माण उद्योग का एक प्रमुख अवयव है। भारत में पेट्रोकेमिकल नियंत्रण-मुक्त हैं और ओपन जनरल लाइसेंस¹ के तहत मुक्त रूप से आयात किए जाते हैं। पालीमर्स जैसे- पॉली एथिलीन (पीई)² तथा पॉली प्रोपलीन (पीपी) पेट्रोकेमिकल के प्रमुख अवयव हैं।

गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने ₹ 2327 करोड़ के निवेश के साथ 1999 में पाता, जिला औरैया (उत्तर प्रदेश पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स-यूपीपीसी) में एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र शुरू किया और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने ₹ 14400 करोड़ के निवेश के साथ 2010 में पानीपत नाफ्था क्रैकर प्लांट (पीएनसीपी) स्थापित किया। यूपीपीसी एवं पीएनसीपी के मुख्य उत्पाद विभिन्न श्रेणियों के उच्च घनत्व पॉली एथिलीन (एचडीपीई) और सीधे कम घनत्व पॉली एथिलीन (एलएलडीपीई) हैं। पीएनसीपी, पीपी और मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) का भी उत्पादन करता है। गेल यूपीपीसी प्राकृतिक गैस (एनजी) का और आईओसीएल का पीएनसीपी नाफ्था का उपभोग पेट्रोकेमिकल के लिए मूलभूत कच्चे माल के उत्पादन हेतु करती है। दोनों संयंत्रों का वित्तीय निष्पादन *अनुबंध-IV* में दिया गया है।

¹ ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल), भारत सरकार द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह मुक्त रूप से आयातित वस्तुओं के लिए आयात हेतु सर्वाधिक लचीला लाइसेंस है, जिसके लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

² एलडीपीई, एलएलडीपीई एवं एचडीपीई सहित

1.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- उत्पादन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त फीडस्टॉक उपलब्ध था;
- संसाधनों सहित अन्य इनपुट एवं फीडस्टॉक की खपत औद्योगिक मानकों/मापदण्डों के अनुरूप थी; और
- उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिए क्षमता संवर्धन परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया गया था।

लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए पेट्रोकेमिकल हेतु अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ औद्योगिक प्रथा/मानकों और क्षमता संवर्धन के अनुसार उत्पादन क्षमता, फीडस्टॉक एवं केमिकल्स के खपत पर औद्योगिक मानकों/मापदण्डों, गुणवत्ता मानकों तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में संयंत्रों की संचालनात्मक निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की जांच की। एमओपीएनजी और गेल/आईओसीएल की राय ली गई है और इसमें शामिल किया गया है।

1.3.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

गेल और आईओसीएल की पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं यूपीपीसी तथा पीएनसीपी के निष्पादन की समीक्षा से निकले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे दिये गए पैराओं में चर्चा की गई है।

1.3.3.1 पेट्रोकेमिकल उत्पादन

(I) क्षमता उपयोग

(क) डाउनस्ट्रीम क्षमता का कम उपयोग (गेल)

यूपीपीसी के पास अपस्ट्रीम में तीन इकाईयाँ हैं, अर्थात् गैस परिष्करण इकाई (जीएसयू), गैस प्रसंस्करण इकाई (जीपीयू) एवं गैस क्रैकर इकाई (जीसीयू) तथा डाउनस्ट्रीम में पाँच इकाईयाँ हैं अर्थात् पॉलीमर इकाईयाँ (एचडीपीई I एवं II, स्विंग), ब्यूटीन-1 और एलपीजी इकाई।

उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार, एनजी में अशुद्धता जीएसयू में दूर की जाती है और जीपीयू में भारी अंशों¹ को निकाला जाता है। एथिलीन निकालने के लिए बाद में इन अंशों को जीसीयू में तोड़ा जाता है। तत्पश्चात् पॉलीमर्स के उत्पादन हेतु पॉलीमर इकाईयों में एथिलीन की खपत की जाती है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जीसीयू (अपस्ट्रीम) तथा पॉलीमर इकाईयों (डाउनस्ट्रीम) का क्षमता उपयोग, स्थापित क्षमता से अधिक था जैसा कि अनुबंध-V में दर्शाया गया है। हालांकि, विश्लेषण से पता चला कि डाउनस्ट्रीम इकाईयों की और अधिक उत्पादन स्तर प्राप्त करने क्षमता थी किन्तु अपस्ट्रीम (जीसीयू) से पर्याप्त एथिलीन के उत्पादन में समस्याएँ थी जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

संयंत्र को 3,00,000 एमटीपीए² (एथिलीन) की जीसीयू³ क्षमता और 2,60,000 एमटीपीए पॉलीमर क्षमता के साथ चालू किया गया था (1999)। जीसीयू के चार फर्नेस प्रत्येक 1,00,000 एमटीपीए की क्षमता के थे, जिनमें तीन फर्नेस क्रैकिंग माध्यम और चौथा फर्नेस स्टैंडबॉय के रूप में था। पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजना के तहत पाचवीं फर्नेस लगाई गई (2005) और क्रैकिंग मॉड में चार फर्नेसों के साथ एथिलीन क्षमता 3,00,000 एमटीपीए से बढ़कर 4,00,000 एमटीपीए हो गई। पॉलीमर क्षमता भी 2009-10 तक 2,60,000 एमटीपीए से बढ़कर 4,10,000 एमटीपीए हो गई।

4,10,000 एमटीपीए की स्थापित क्षमता वाली पॉलीमर उत्पादन इकाईयों के पास स्थापित क्षमता⁴ से बाहर और अधिक उत्पादन की क्षमता थी। इसको देखते हुए पॉलीमर इकाईयों में प्राप्य क्षमता 5,10,000 एमटीपीए निर्धारित की गई थी। हालांकि इस अतिरिक्त क्षमता का जीसीयू से पर्याप्त एथिलीन की अनुपलब्धता के कारण उपयोग नहीं किया गया। इसलिए प्रबंधन ने यह विचार किया (2008) कि यदि जीसीयू क्षमता का पुनर्निर्धारण न किया जाता तो डाउनस्ट्रीम इकाईयों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का कम उपयोग हो पाता। तदनुसार, जीसीयू में छठी फर्नेस लगाई गई (1,00,000 एमटीपीए) और ₹ 73.89 करोड़ के कुल पूँजीगत व्यय के साथ दिसम्बर 2010 में चालू हुई।

¹ ईथेन (सी2), प्रोपेन (सी3) इत्यादि।

² मिट्रिक टन प्रतिवर्ष

³ गैस तोड़ने के लिए अखण्डित भाग के रूप में चार क्रैकर फर्नेस, टावर्स, पोतों, ड्रम, कम्प्रेसर और पाइपलाइन सहित।

⁴ स्विंग संयंत्र के पास डिजाइन क्षमता से लगभग 20 प्रतिशत अधिक उत्पादन की क्षमता थी। इसी प्रकार, एचडीपीई 1 एवं 2 संयंत्र में भी डिजाइन क्षमता से लगभग 25 से 30 प्रतिशत अधिक उत्पादन की क्षमता थी।

छठी फर्नेस लगाने से जीसीयू की क्षमता संवर्धन को अधिकतम लचीलापन देने की परिकल्पना की गई थी क्योंकि इससे अनुरक्षण हेतु फर्नेसों की बंद रहने की अवधि की पूर्ति करने की उम्मीद थी। अन्य बुनियादी ढाँचों की फीडस्टॉक उपलब्धता के संबंध में यह देखा गया कि जीसीयू की अतिरिक्त क्षमता हेतु फीडस्टॉक प्रदान करने के लिए जीपीयू के पास पर्याप्त क्षमता थी। अतिरिक्त फर्नेस की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मौजूदा उपयोगिता प्रणाली भी पर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि छठी फर्नेस चालू करने से पूर्व जीसीयू ने डीकोकिंग¹ हेतु स्टैंडबॉय के रूप में एक फर्नेस सहित पाँच फर्नेसों के मौजूदा सेट के साथ 4,31,580 एमटीपीए एथिलीन का उत्पादन किया था। छठा फर्नेस जोड़ने के बाद फर्नेस क्षमता 5,00,000 एमटीपीए तक बढ़ गई (स्टैंडबॉय के रूप में एक फर्नेस सहित)। अभी तक प्राप्त एथिलीन का वास्तविक अधिकतम उत्पादन केवल 4,60,024 एमटीपीए था (2014-15)। परिणामस्वरूप, यूपीपीसी 5,00,000 एमटीपीए की उपलब्ध एथिलीन क्षमता का कम उपयोग कर रही है (1,00,000 एमटीपीए की अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखने के पश्चात्)।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2015) कि छठे फर्नेस को मौजूदा पाँच फर्नेसों के सतत निष्पादन को पूरा करने तथा संचालन में लचीलापन बढ़ाने के लिए लगाया गया था। जबकि यह मानते हुए कि छठा फर्नेस लगाने के बाद एथिलीन की उत्पादन 5,00,000 एमटीपीए होना चाहिए था, यह बताया गया कि केवल फर्नेस बढ़ाने से एथिलीन के उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि नहीं हो सकती। जीसीयू के कुछ अन्य समेकित भागों के कुछ पुनर्निर्धारण की भी आवश्यकता है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह भी कहा गया (जुलाई 2015) कि 5,00,000 एमटीपीए की एथिलीन क्षमता प्राप्त करने हेतु लाइसेंसर द्वारा अतिरिक्त अध्ययन किए जाने की आवश्यकता थी। प्रबंधन ने यह भी बताया (अक्टूबर 2015) कि अतिरिक्त छठे फर्नेस को पूर्णतः नहीं स्थापित किया गया था क्योंकि अन्य भागों के पुनर्निर्धारण को लाभप्रद नहीं माना गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि छठे फर्नेस की स्थापना 5,00,000 एमटीपीए एथिलीन के उत्पादन लक्ष्य के प्रति पहला कदम था। इसके बाद समेकित भागों जैसे-क्रैकड गैस कम्प्रेसर, ईथेन रिकवरी यूनिट, क्वेंच टावर, डी-प्रोपेनाइज़र, डी-ब्यूटेनाइज़र आदि का भी पुनर्निर्धारण किया गया था। चूँकि अन्य समेकित भागों जैसे-पाईपलाइनों की समस्याएँ थी, इसलिए कोई और पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सका और

¹ क्रैकिंग उच्च तापमान पर फर्नेसों में किया जाता है। क्रैकिंग के समय कोयला बनता है। अतः फर्नेस को एक नियमित अंतराल पर डीकोक करना पड़ता है।

एथिलीन उत्पादन में वांछित वृद्धि नहीं की जा सकी। यह भी देखा जा सकता है कि कम्पनी के मूल्यांकन (2008) के अनुसार, जीसीयू में छठा फर्नेस लगाने से पूर्व पॉलीमर इकाईयां अतिरिक्त 1,00,000 एमटीपीए (5,10,000-4,10,000) उत्पादन करने में सक्षम थी बशर्ते जीसीयू से पर्याप्त एथिलीन उपलब्ध हो। छठा फर्नेस लगाने के बाद भी एथिलीन क्षमता में वृद्धि में बाधा ने डाउनस्ट्रीम पॉलीमर इकाई में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता को अवरुद्ध किया। इसके परिणामस्वरूप कम लोड पर डाउनस्ट्रीम इकाईयों को चलाने से लगभग 234593 एमटी¹ तक पॉलीमर उत्पाद में संभावित वृद्धि की हानि हुई। पॉलीमर्स के मौजूदा मूल्य स्तर के आधार पर कम्पनी 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान इस अतिरिक्त पॉलीमर उत्पादन से अतिरिक्त राजस्व सृजन किया जा सकता था और ₹ 630.70 करोड़ के मार्जिन की वसूली की जा सकती थी।

एमओपीएनजी/प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर/नवम्बर 2015) कि 2010 में गेल ने पॉलीमर उत्पादन क्षमता (पाता- II) को दोगुना करने का निर्णय लिया और इसमें पर्याप्त मार्जिन रखा गया ताकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षमता में समानता रहे जिससे इस असमानता में सुधार हो सके।

हालांकि तथ्य रह जाता है कि मौजूदा संयंत्र की डाउनस्ट्रीम इकाई सभी वर्षों में कम लोड पर चल रही थी और छठा अतिरिक्त फर्नेस लगाने का पूर्णतया वांछित लाभ नहीं उठाया जा सका।

(ख) आवश्यकता से अधिक उपयोगिताओं की क्षमता का सृजन (आईओसीएल)

पीएनसीपी के अपस्ट्रीम में नाफ्था क्रैकर इकाई (एनसीयू) के साथ सहायक इकाईयां² एवं डाउनस्ट्रीम में पीपी, एचडीपीई, स्विंग, एमईजी, ब्यूटाडाइन निष्कर्षण इकाई सहित विद्युत एवं भाप सृजन इकाई शामिल है। पीएनसीपी के संचालन हेतु विद्युत एवं भाप जटिल आवश्यकतायें हैं। पीएनसीपी की अप एवं डाउनस्ट्रीम इकाईयों के उपयोग से जुड़ी इन उपयोगिताओं के उत्पादन हेतु बनाई गई सुविधाओं का अधिकतम उपयोग निर्धारित लागत की आदर्श प्रतिपूर्ति हेतु अनिवार्य है।

मासिक संचालन रिपोर्ट के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि पीएनसीपी में विद्युत एवं भाप का अधिकतम उपयोग अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक क्रमशः 135 मे.वा. तथा 668 मी.टन/घंटा था जबकि सृजन क्षमता क्रमशः 241 मे.वा. और 1295 मी.टन/घंटा

¹ $(5,00,000 \times 4 \text{ वर्ष} = 20,00,000) - (1765407) = 234593 \text{ एमटी}$

² सी, हाइड्रोकार्बन इकाईयां, बेंजीन निष्कर्षण इकाई और पायरोलिसिस हाइड्रोजनीकरण इकाई

₹ 1217.26 करोड़ के कुल निवेश पर बनाई गयी थी। पीएनसीपी एवं स्टाईरीन ब्यूटाडाइन रबर इकाई में आगामी क्षमता/परियोजनाओं पर विचार करने के पश्चात् 100 प्रतिशत अप और डाउनस्ट्रीम क्षमता प्राप्त करने हेतु अधिकतम विद्युत एवं भाप की आवश्यकता क्रमशः 172 मे.वाट. और 1000 मी.टन./घंटा थी।

यह भी देखा गया कि विभिन्न इकाईयों की सृजन क्षमता में विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) से निवेश मंजूरी/स्थापन चरण तक वृद्धि की गई (विद्युत 130 से बढ़ाकर 241 मे.वा. और भाप 600 से बढ़ाकर 1295 मी.ट./घंटा) जबकि पीएनसीपी की एनसीयू इकाई (2170 से बढ़ाकर 2345 टीएमटीपीए) और एमईजी इकाई (250 से बढ़ाकर 300 टीएमटीपीए) को छोड़कर बाकी किसी इकाई में समानरूपी वृद्धि नहीं की गई। इससे विद्युत एवं भाप की सृजन क्षमता में वृद्धि एनसीयू और डाउनस्ट्रीम इकाईयों की आवश्यकता से अधिक हुई।

विद्युत एवं भाप के संबंध में अधिकतम उपयोग की गई क्षमता क्रमशः 54 प्रतिशत (2014-15) और 37 प्रतिशत (2012-13) थी (**अनुबंध-VI**)। यह भी देखा जा सकता है कि 2014-15 के दौरान एनसीयू और डाउनस्ट्रीम इकाईयों ने 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग किया था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल/जुलाई 2015) कि विद्युत एवं क्षमता प्रणाली को औसत खपत के लिए डिजाइन नहीं किया जा सकता है। क्षमता मार्जिन में पर्याप्त लचीलापन डिजाइन किया गया था ताकि व्यवहार्यता अध्ययन में उल्लेख के अनुसार आपतकालीन परिस्थितियों आदि के दौरान आवश्यकता में वृद्धि, आवधिक अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता जैसी परिस्थितियों के आधार पर इकाईयों की अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। इसके अलावा 25 प्रतिशत मार्जिन भी आगामी क्षमता संवर्धन हेतु रखा गया है।

प्रबंधन द्वारा दिए गए वक्तव्य को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा टिप्पणी विद्युत (135 मे.वा.) और भाप (668 मी.टन/घंटा) की अधिकतम मांग को ध्यान में रखने के पश्चात् की गई थी। इसके अलावा, व्यवहार के अनुसार, आवधिक अनुरक्षण वार्षिक बंदी के दौरान किया जाता है जहां अनुरक्षण हेतु उत्पादन लाइन को भी उपयोग इकाईयों सहित सभी सुविधाओं के साथ बंद रखा जाता है। इसलिए आवधिक अनुरक्षण पूरा करने हेतु उपयोग प्रणाली के लिए अतिरिक्त क्षमता के पर्याप्त मार्जिन का तर्क स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, आगामी क्षमता संवर्धन हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन रखने के संबंध में यह देखा जा सकता है कि अप एवं डाउन स्ट्रीम क्षमताओं के विस्तार

की आईओसीएल की अभी कोई तात्कालिक योजना नहीं है। इस प्रकार, उपरोक्त उल्लेख के अनुसार सुविधाओं के कम उपयोग की सीमा तक उपयोग क्षमता में किया गया निवेश चालू होने से अब तक व्यर्थ रहा।

(II) फीडस्टाक प्रबंधन (आईओसीएल)

पीएनसीपी की संकल्पना आईओसीएल की पानीपत, मथुरा और कोयाली रिफाइनरी से उपलब्ध अतिरिक्त नाफ्था से पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन कर अतिरिक्त योगदान हेतु की गई थी (2003)। नाफ्था (3016 एमटीपीए) की प्राक्कलित आवश्यकता पानीपत (1280), मथुरा (300) और कोयाली रिफाइनरी (1436) से पूरा किया जाना संभावित था। आईओसीएल की रिफाइनरियों से उत्पादित नेफ्था को रिफाइनरी मुख्यालय (आरएचक्यू) की औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के अनुसार आवंटित किया जाता है। तदनुसार, पीएनसीपी पानीपत, मथुरा और कोयाली रिफाइनरियों के अलावा चार और रिफाइनरियों (आईओसीएल की बरौनी, बोंगाइगांव, हल्दिया और मित्तल एनर्जी लिमिटेड-एचएमईएल) से नाफ्था प्राप्त करती है।

संयंत्र प्राक्कलित उपलब्धता के अनुसार पाइपलाइनों के माध्यम से पानीपत और मथुरा रिफाइनरियों से नाफ्था प्राप्त कर रहा है। हालांकि कोयाली से नाफ्था की उपलब्धता की रेंज 130 से 397 टीएमटी तक थी जो प्राक्कलित उपलब्धता 1436 टीएमटीपीए से कम थी। नाफ्था की प्राक्कलित मात्रा की अनुपलब्धता को अन्य रिफाइनरियों और विभिन्न खपत मिश्रण का प्रयोग करके पूरा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान रेलवे रेकों के माध्यम से बरौनी, हल्दिया, बोंगाइगाँव, कोयाली, मथुरा¹ और एचएमईएल से 1683 टीएमटी नाफ्था खरीदा गया था। जिसमें से ₹ 85.25 करोड़ मूल्य का 17.90 टीएमटी नाफ्था पारगमन में खो गया। यहां तक कि अपने संचालन के पाँचवें वर्ष में भी संयंत्र को अभी भी नाफ्था की पारगमन हानि के लिए अनुमय सीमा के लिए प्रतिमान निर्धारित करने थे। प्रतिमानों के अभाव में पारगमन में नाफ्था की नियंत्रणीय सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सका।

¹ पाइपलाइन के माध्यम से भेजी गई मात्रा के अतिरिक्त मथुरा रिफाइनरी से नाफ्था की कुछ मात्रा रेल के माध्यम से भी लाई गई थी।

- नाफ्था के अतिरिक्त, पीएनसीपी एनसीयू में फीडस्टॉक के रूप में हाइड्रोजेनेटिड सी4 (सी4एच) का उपयोग करता है। सी4 मिश्रण इथाइलीन के उत्पादन से उत्पन्न एक उपोत्पाद है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन¹ का एक मिश्रण है। इस रूप में सी4 मिश्रण एलपीजी में मिलाने अथवा बिक्री के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः, सी4 मिश्रण को पहले हाइड्रोजेनेट (सी4 एच) किया जाता है और तब एलपीजी में मिलाया जाता है एवं/अथवा औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। एलपीजी में मिलाने के माध्यम से सी4एच की बेहतर विपणन योग्यता के मद्देनजर, एनसीयू में सी4एच पुनः चक्रण वाणिज्यिक रूप से लाभदायक नहीं था जैसा नीचे वर्णन किया गया है।

एनसीयू ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान 10.59 लाख एमटी (एलएमटी) सी4 मिश्रण का उत्पादन किया था जिसमें से 9.94 एलएमटी को हाइड्रोजेनेट किया गया था। इस मात्रा में से, 6.09 एलएमटी एलपीजी के उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया था। नाफ्था के अभाव में, एनसीयू में 3.55 एलएमटी को फीडस्टॉक के रूप में पुनर्चक्रित किया गया था तथा शेष को आन्तरिक ईंधन के रूप में उपयोग किया गया था। यह देखा गया था कि 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान एलपीजी का उत्पादन नियोजित उत्पादन से 70,089 एमटी तथा 63,675 एमटी तक कम था।

एमओपीएनजी/प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल/जुलाई/नवम्बर 2015) कि पीएनसीपी सी4एच पुनर्चक्रण के साथ साथ नाफ्था को क्रैक करने के लिए अभिकल्पित है। तथापि, फीड में नाफ्था तथा सी4एच का मिश्रण नाफ्था की उपलब्धता पर आधारित है तथा नाफ्था, एलपीजी तथा पॉलीमर उत्पाद के मूल्यों के आधार पर पुनर्चक्रण की आर्थिकता गिनने के पश्चात निर्धारित किया जाता है। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2012-13 से 2013-14 की अवधि के दौरान पीएनसीपी ने एलपीजी का मूल्य लाभ नहीं उठाया था तथा एलपीजी का उत्पादन करने के बजाएँ सी4एच का पुनर्चक्रण करने का विकल्प चुना था। इसके कारण मार्जिन की हानि ₹ 51.39 करोड़² गिनी गई थी।

एमओपीएनजी/प्रबन्धन ने यह भी बताया (जुलाई/नवम्बर 2015) कि प्रारंभिक अवधि के दौरान नाफ्था आवंटन योजना को उस प्रकार से लागू नहीं किया जैसी अभिकल्पना की गई थी। विभिन्न रिफाइनरियों से नाफ्था मंगवाने के परिणामस्वरूप नाफ्था की फीड गुणवत्ता में व्यापक अन्तर था जो पॉलीमर उत्पादन को बढ़ाने के लिए सी4एच के पुनर्चक्रण हेतु मंगाया गया था। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि अधिकतम मूल्य

¹ प्रोपेन (सी3), प्रोपिलीन, बुटेन (सी4), 1-3 ब्यूटाडीन इत्यादि

² राशि एलपीजी तथा पालीमर के उत्पादन से लागत लाभ पर विचार करने के पश्चात गिनी गई थी

संवर्धन प्राप्त करने के लिए आरएचक्यू द्वारा नाफ्था के आवंटन में बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

(III) फीडस्टाक, रसायनों तथा भाप की खपत (आईओसीएल)

संयंत्र की दक्षता को अधिकतम करने तथा इससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए फीडस्टाक रसायनों/भाप का श्रेष्ठतम उपयोग करना आवश्यक था। तथापि, यह देखा गया था कि फीडस्टाक, रसायनों तथा भाप की अधिक खपत के मामले हुए थे जैसा आने वाले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

क. एनसीयू में अभिकल्पित उत्पादन की प्राप्ति न होना

एनसीयू में पॉलीमर ग्रेड एथिलीन तथा पॉलीमर ग्रेड प्रोपिलीन का उत्पादन करने के लिए नाफ्था तथा अन्य पुनर्चक्रित तरल³ को क्रैक किया जाता है। एनसीयू की संचालनात्मक संहिता एथिलीन तथा प्रोपिलीन के उत्पादन के लिए सभी फीडस्टाक के क्रैकिंग उत्पादन को विनिर्दिष्ट करती है।

तथापि, विश्लेषण से पता चला कि संयंत्र वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान संचालनात्मक संहिता के विनिर्देशनों के अनुसार एथिलीन तथा प्रोपिलीन उत्पादन प्राप्त नहीं कर रहा था।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि उत्पादन में नाफ्था की गुणवत्ता के अनुसार अन्तर होता है तथा यह एनसीयू से अन्य तरलों के पुनर्चक्रण पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, पॉलीमर इकाइयों में क्रैक के लिए अलग अलग प्रवृत्ति होती है तथा ये एथिलीन तथा प्रोपिलीन को अलग अलग प्रतिशतता देती है। इन पुनर्चक्रणों से उत्पादन संभावनाएं मिश्रित फीड में पुनर्चक्रित संकायों के अनुपात के साथ भी परिवर्तित होती हैं। इसलिए, सटीक उत्पादन जानने तथा बैचमार्किंग की निगरानी के लिए पीवाईपीएस नामक सॉफ्टवेयर प्रतिष्ठापित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि संयंत्र पीवाईपीएस द्वारा की गई बैचमार्किंग भी प्राप्त नहीं कर रहा था। एनसीयू में नाफ्था तथा दूसरे इनपुटों की क्रैकिंग से एथिलीन (2012-13 एवं 2014-15) तथा प्रोपिलीन (2012-13 तथा 2013-14) का अभिकल्पित उत्पादन प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप पॉलीमर की लागत में ₹ 90.52 करोड़ राशि की भारी वृद्धि हुई जैसा अनुबन्ध-VII में वर्णित है।

³ ब्यूटेन (सी 4), पेंटेन (सी 5) तथा बेन्जीन (सी 6)

ख. एचडीपीई इकाई में हैक्सेन की अधिक खपत

हैक्सेन का उपयोग एचडीपीई इकाई में पॉलीमर पाउडर को घोल के रूप में रखने के लिए विलाय के रूप में किया जाता है। अभिकल्पित मानक के अनुसार एक एमटी एचडीपीई के उत्पादन के लिए 9.87 किग्रा हैक्सेन की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि हैक्सेन की वास्तविक खपत 11.20 किग्रा (2012-13) से 14.40 किग्रा (2014-15)¹ के बीच थी।

एमओपीएनजी/प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2015) कि हैक्सेन सुधार अभियान के इष्टमीकरण तथा मोम में हैक्सेन को कम करके इस अवधि में हैक्सेन की निवल खपत कम की गई है। इसके अतिरिक्त हैक्सेन खपत को कम करने के लिए वृद्धित हैक्सेन रिकवरी प्रणाली में संशोधनों की परिकल्पना की गई है।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जा सकता है कि चूंकि 2012-13 से अधिक खपत में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्ज की जा रही है, इसलिए कम्पनी को उत्पादन की लागत में कमी करने के लिए अभिकल्पित मानक तक खपत को सीमित करने की आवश्यकता है। हैक्सेन की अधिक खपत के कारण वहन की गई अतिरिक्त लागत ₹ 16.43 करोड़ बनती है जैसा *अनुबन्ध -VIII* में वर्णित है।

ग. एनसीयू में अभिकल्पित मानकों से अधिक भाप की खपत

एनसीयू में भाप के चार अलग अलग प्रवाहों नामतः अति उच्च दाब (एसएचपी), उच्च दाब (एचपी), मध्यम दाब (एमपी) तथा निम्न दाब (एलपी) की आवश्यकता होती है। चारों प्रवाह केप्टिव ऊर्जा संयंत्र (सीपीपी) में सर्जित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीयू में क्रेकिंग प्रक्रिया के दौरान एसएचपी भाप सर्जित होती है जिसे एनसीयू द्वारा आन्तरिक रूप से उपयोग किया जाता है। अतः एनसीयू में सीपीपी से एसएचपी भाप की आवश्यकता केवल संचालन के प्रारंभ के दौरान होती है।

यह देखा गया था कि डाउन स्ट्रीम इकाईयों द्वारा भाप की खपत श्रेष्ठतम संचालनात्मक गतिविधियों के दौरान निर्धारित सीमा में थी। यद्यपि, एनसीयू में खपत की गई भाप (सीपीपी द्वारा सर्जित) के संबंध में डाटा के विश्लेषण से पता चला कि भाप की खपत अभिकल्पित मानक से अधिक थी जैसा *अनुबन्ध-IX* में दर्शाया गया है। 85 एमटी/घण्टा के अभिकल्पित खपत मानक के प्रति 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए औसत भाप खपत 191 एमटी/घण्टा थी। 'ऊर्जा खपत बैठक तथा वार्षिक संचालन रिपोर्ट के लिए

¹ 2012-13 से पहले स्थिरीकरण अवधि होने के नाते विशिष्ट खपत पर विचार नहीं किया गया है।

प्रबन्धन सूचना प्रणाली' की समीक्षा से पता चला कि एनसीयू सीपीपी से एचपी, एमपी तथा एलपी के अतिरिक्त लगातार एसएचपी का उपयोग कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप पालीमर के उत्पादन की लागत परिणामी वृद्धि के साथ 106 एमटी/घण्टा की सीमा तक भाप की अधिक खपत हुई है।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि अभिकल्पित मानक से अधिक उपयोग की गई 106 एमटी/घण्टा भाप में से 92 एमटी/घण्टा निम्न उग्रता संचालनों, संचालनात्मक कारणों, डी कोकिंग आवश्यकता इत्यादि के कारण थी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि 14 एमटी/घण्टा की सीमा तक भाप की अधिक खपत के लिए प्रबन्धन द्वारा कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया था। इस अधिक खपत के कारण 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान उत्पादन की लागत में वृद्धि लगभग ₹ 138.85 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन द्वारा निम्नतर उग्रता परिस्थितियों, डिकोकिंग आवश्यकता तथा संचालनात्मक कारणों से भाप की अधिक खपत के संबंध में कोई स्वीकार्य अन्तर स्तर निर्दिष्ट नहीं किया गया था जिसके अभाव में इन कारणों से अधिक खपत के वित्तीय प्रभाव की लेखापरीक्षा में गणना नहीं की जा सकी। अतः, पीएनसीपी को उत्पादन लागत कम करने के लिए अभिकल्पित मानक तक भाप की खपत को सीमित करने की आवश्यकता है।

(IV) यूपीपीसी (गैस) में उर्जा संरक्षक उपायों को लागू करना

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, तकनीकी कारणों से गैस की कुछ मात्रा फ्लेयर कर दी जाती है। सुरक्षा तथा संचालनात्मक कारणों से एक फ्लेयर प्रणाली यथा स्थान होती है जो निकलती हुई गैसों को निरंतर जलाती रहती है। कम्पनी ने फ्लेयर की गई गैस की कुछ मात्रा को वापस पाने के लिए तथा इसे परिसर में गैस ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए एक कम्प्रेसर व्यवस्था का प्रावधान करने का निर्णय लिया (2002-03)। तदनुसार, कम्पनी ने ₹ 10.72 करोड़ की कुल लागत पर यूपीपीसी में कम्प्रेसर आधारित फ्लेयर गैस वसूली की प्रणाली (सी-एफजीआरएस) के कार्यान्वयन का अनुमोदन किया (2004)। परियोजना के कार्यान्वयन से 132894 एम.कैलोरी/वर्ष की सीमा तक ईंधन की बचत के साथ प्रति वर्ष¹ ₹ 6.50 करोड़ की तदनुरूपी लागत बचत का अनुमान लगाया गया था। तदनुसार लरगी इण्डिया कम्पनी लिमिटेड (एलआईसीएल) को 21 मई 2006 तक निर्धारित समापन के साथ ₹ 57.30 लाख की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए

¹ अनुमान 2.5 एमटी/घण्टे की सामान्य प्रवाह दर पर 3375 एससीएम/घण्टे पर गैस को वापस पाने की दर पर आधारित था। गैस का कैलोरीफ मान 4922 कैलोरी/एससीएम @ ₹ 2.44/एससीएम माना गया था।

इंजीनियरिंग, खरीद तथा निर्माण प्रबन्धन (ईपीसीएम) कन्सल्टैन्सी के लिए संविदा प्रदान की गई थी (फरवरी 2005)।

एलआईसीएल ने संविदा अवधि में परियोजना की मूलभूत तथा विस्तृत इंजीनियरिंग की, फ्लैयर्ड गैस कम्प्रेसर की खरीद तथा संयुक्त कार्य के लिए निविदा तैयार की। इसी बीच, सी-एफजीआरएस के बजाय इजैक्टर आधारित फ्लैयर गैस रिकवरी प्रणाली (ई-एफजीआरएस) की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी (मई 2006)। समिति ने टर्नकी आधार पर ई-एफजीआरएस को प्रारंभ करने तथा सीएफजीआरएस को छोड़ देने की सिफारिश की (मई 2006)। लागत प्रभावकारिता, विद्युत अवरोध इत्यादि के प्रभाव से मुक्ति इत्यादि कुछ लाभ थे जिनकी सी-एफजीआरएस की तुलना में ई-एफजीआरएस से आशा की गई थी। तदनुसार, कम्पनी ने ₹ 0.14 करोड़ का व्यय वहन करने के पश्चात एलआईसीएल के साथ पिछली ईपीसीएम संविदा छोड़ दी (मई 2006) तथा ₹ 4.22 करोड़ की अनुमानित लागत पर ई-एफजीआरएस को प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2007)।

ई-एफजीआरएस की खरीद एवं चालू करने के लिए ₹ 3.27 करोड़ पर कोम इन्जिनियरिंग को ठेका प्रदान किया गया (दिसम्बर 2009) तथा पाईपिंग तथा सहायक कार्यों के लिए ₹ 2.27 करोड़ पर कार्य 2011-12 के दौरान प्रदान¹ किया गया था। प्रणाली ₹ 4.70 करोड़ की कुल लागत पर मार्च 2013 में प्रतिष्ठापित की गई थी। प्रारंभ होने के पश्चात प्रणाली से गैस को फैलने से बचाने तथा इसे प्रोसेस हीटिंग के लिए प्रयुक्त लीन गैस के स्थान पर उपयोग करने की अपेक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2013 में ₹ 4.70 करोड़ की कुल लागत पर लागू की गई ई-एफजीआरएस प्रणाली को अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया था जिसके कारण सम्पत्ति बेकार पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, सी-एफजीआरएस पर ईपीसीएम कन्सल्टैन्सी सेवाओं पर खर्च किये गए ₹ 0.14 करोड़ निष्फल हो गए थे। इसके अतिरिक्त, प्रणाली को लागू करने तथा उपयोग करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप फ्लेयर की गई थी। गैस को वापस नहीं पाया गया। 2007-08 से 2013-14 की अवधि के दौरान, संयंत्र से 12.43 एमएमएससीएम गैस फ्लेयर की गई थी। गैस² की औसत दर के आधार पर फ्लेयर हुई गैस की लागत ₹ 18.66 करोड़ बनती है। लगभग 20 प्रतिशत फ्लेयर हुई गैस की वसूली योग्यता के वर्तमान अनुमान के आधार पर, उसी अवधि के दौरान वसूली योग्य गैस की कुल लागत ₹ 4.06 करोड़ बनती है।

¹ विभिन्न ठेकेदारों को

² सीमा ₹ 11.98/एससीएम और ₹ 23.50/एससीएम के मध्य

एमओपीएनजी/प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2015) ई-एफजीआरएस का अक्टूबर 2013 में पूर्व परीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, पाता-II के लिए बॉयलर हेतु ई-एफजीआरएस के उपयोग के लिए इसकी जांच की जा रही है जो दिसम्बर 2015 तक अपेक्षित है। तथ्य यह रहता है कि परिणामी वित्तीय प्रभाव के साथ उपयोग अभी प्रारंभ होना रहता था (नवम्बर 2015) जैसा ऊपर चर्चा की गई है।

(V) *तरल नाइट्रोजन तथा आक्सीजन (आईओसीएल) की खरीद*

आईओसीएल तथा एयर लिक्विड इन्डस्ट्रीज, बेल्जियम (एएलबी) ने पानीपत में नाफ्था क्रेकर परिसर में एएलबी को पट्टे पर दी गई भूमि पर आक्सीजन एवं नाइट्रोजन संयंत्र लगाने के लिए एक संविदा की (मई 2007)। एएलबी तथा आईओसीएल के बीच आक्सीजन तथा नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए एक लाइसेंस अनुबन्ध भी किया गया था (मई 2007)। अन्य बातों के साथ साथ संविदा की शर्तों तथा निबन्धनों में निर्धारित किया गया था कि एएलबी से आईओसीएल को प्रत्याभूत मात्रा पूरी करने के लिए तथा किसी अधिशेष आक्सीजन तथा नाइट्रोजन को खुले बाजार में बेचने के लिए गैसीय आक्सीजन तथा नाइट्रोजन के उत्पादन तथा आपूर्ति के लिए कम से कम 25 वर्षों तक नियमित संचालन करने में समर्थ एक संयंत्र का निर्माण, स्वामित्व तथा संचालन करना अपेक्षित था। संयंत्र तथा वितरण प्रणाली का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात, एएलबी ने कार्य एयर लिक्विड नॉर्थ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को सौंप दिया।

आईओसीएल पर आक्सीजन एवं नाइट्रोजन संयंत्र की आवश्यकतानुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने का संविदात्मक उत्तरदायित्व था। तदनुसार, प्रत्येक बिलिंग अवधि के दौरान आक्सीजन तथा नाइट्रोजन की कुल खरीद के लिए ठेकेदार को आईओसीएल द्वारा देय मूल्य उसी अवधि के दौरान आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए ठेकेदार से आईओसीएल द्वारा प्राप्य राशि के समायोजन के पश्चात निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- बिलिंग प्रवृत्ति के अनुसार, आईओसीएल ऊर्जा की लागत भी वसूल नहीं कर सका था क्योंकि ऊर्जा की लागत आक्सीजन तथा नाइट्रोजन की लागत से अधिक थी तथा दिसम्बर 2014 तक ठेकेदार से ₹ 39.90 करोड़ (हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड-एचएसईबी ऊर्जा दर के अनुसार) की राशि लम्बित थी। आईओसीएल ने अपनी बकाया देय राशियों की वसूली के लिए कोई प्रतिभूति भी नहीं ली थी। बोली दास्तावेज में संशोधन के अनुसार, बोलीदाताओं को ऊर्जा की लागत ₹ 3.95 प्रति इकाई (एचएसईबी ऊर्जा टैरिफ के बराबर) मानते हुए अपनी मूल्य बोली तैयार करना आवश्यक था। इसके विपरीत, संविदा

के अनुच्छेद 8.3.1 के अनुसार ठेकेदार को विद्युत की आपूर्ति के लिए आईओसीएल द्वारा प्रभारित विद्युत की दर सीपीपी की विद्युत सृजन की लागत है जो एचएसईबी दरों से अधिक है। यह ठेकेदार द्वारा यह कहते हुए विवादित है कि बोली के समय ₹ 3.95 प्रति यूनिट आधार दर थी और वह केवल एचएसईबी दरों के अनुसार ही आईओसीएल को विद्युत प्रभारों का भुगतान करने का दायी है।

अतः बोली दस्तावेज और ठेकेदार के साथ विरोधाभासी खण्डों के साथ करार करने के परिणामस्वरूप देयों की संदेहास्पद वसूली और इससे संयंत्र की कार्यशीलता में आक्सीजन और नाइट्रोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में अनिश्चितता हुई।

प्रबंधन ने बताया (जून 2015) कि इस संबंध में मध्यस्थता कार्रवाई प्रगति पर है।

(VI) ग्रेड-अनुसार लागत का अनुरक्षण न करना

क. गेल

जी-लेक्स और जी-लीन गेल द्वारा निर्मित और विपणित पॉलीमर्स का ब्रांड नाम हैं। कई वर्षों से गेल ने अपने पोलिमेर उत्पादों के मूल्य निर्धारण की अपनी नीति और एक सुपरिभाषित विपणन तंत्र विकसित किया। घरेलू बाजार में पॉलीमेर उत्पादों के मूल्य पॉलीमर्स के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (आयात अनुरूपता कीमत-आईपीपी) सूचकांक के अनुसार है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि गेल, पालिमर्स का ग्रेड-अनुसार लागत अनुरक्षण नहीं कर रहा है जो ग्रेड-अनुसार लाभकारिता का निर्धारण करने में सक्षम है।

एमओपीएनजी/प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर/नवम्बर 2015) कि गेल प्रारंभ में सभी डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में अखिल भारतीय उपस्थिति के लिए प्रयासरत था। बाजार परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, गेल ग्रेड- अनुसार के साथ साथ स्थान- अनुसार लाभकारिता का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। यह भी बताया गया कि 2005-06 में मानक लागत तंत्र का अनुरक्षण किया गया। हाल ही में ग्रेड- अनुसार लागत विश्लेषण के लिए अच्छा ताल मेल किया गया और पाता-II के संस्थापन के बाद ग्रेड इष्टमता प्रभावी रूप से लागू करना संभव होगा।

इस संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि गेल व्यवसाय में 1999 से है और अभी तक ग्रेड- अनुसार लागत को प्रभावी रूप से लागू करने में सक्षम नहीं था। इसके अभाव

में विभिन्न कीमत स्तरों पर भिन्न ग्रेडों की बिक्री से पर्याप्त प्रबंधकीय सूचना प्रदान करने के लिए मार्जिन का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

ख. आईओसीएल

‘प्रोपेल’ ब्रांड के छत्र के अन्तर्गत, आईओसीएल विभिन्न अनुप्रयोगों को चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल¹ की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तावित करता है। अपने पेट्रोकेमिकल उत्पादों (2009) के लिए कीमत नीति के अनुसार, घरेलू बाजार में कीमत आईपीपी के आधार पर निर्धारित की जाती है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आईओसीएल पॉलिमर्स की ग्रेड अनुसार लागत का अनुरक्षण नहीं कर रहा था जो ग्रेड- अनुसार लाभकारिता के निर्धारण को सक्षम बनाएगा।

प्रबंधन ने बताया (जून /अक्टूबर 2015) कि पॉलिमर की ग्रेड अनुसार लागत निकालने के लिए कार्यप्रणाली आंतरिक उद्देश्य के लिए उपलब्ध है। आईओसीएल ने भी लाभ कारिता अधिकतम करने के लिए कई अध्ययन किए हैं और मै. मेक्सिसे को ग्रेड अनुसार पॉलीमर की लागत का निर्धारण करने के लिए एक माडल विकसित करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा विकसित माडल जांच और स्थिरीकरण के अधीन है।

1.3.3.2 पेट्रोकेमिकल परियोजना प्रबंधन

(I) यूपीपीसी (गेल) की परियोजनाओं का क्षमता संवर्धन

गेल ने विजयपुर में ईथेन/प्रोपेन सुधार संयंत्र सहित यूपीपीसी की क्षमता संवर्धन परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य लिया (अगस्त 2010)। इस परियोजना के निष्पादन में विलम्ब थे जिसके परिणामस्वरूप पूर्णता के लिए लक्ष्य तिथि आगे बढ़ी और लक्षित एमओयू उत्पादन की प्राप्ति नहीं हुई जैसा नीचे चर्चा की गई है।

परियोजना में ₹ 8140 करोड़² के पूंजीगत खर्च से उत्पादन क्षमता का संवर्धन 4.00 एलएमटीपीए से परिकल्पित था जिसे दो स्थानों अर्थात् विजयपुर (मध्य प्रदेश) में ईथेन/प्रोपेन (सी2/सी3) रिकवरी और एनरिचमेन्ट संयंत्र और यूपीपीसी (पाता-11) में क्षमता के संवर्धन पर लगाया जाना था। परियोजना यंत्रवत रूप में ईपीसीएम परामर्शदाता की नियुक्ति की तिथि से 42 महीने में पूरी होनी निर्धारित थी।

¹ लीनियर, अल्काईन, बेंजीन, शुद्ध टैरेपथेलिक एसिड, पेरानाइलीन, एमईजी, पीपी, एलएलडीपीई और एचडीपीई

² विदेशी विनिमय घटेक के ₹ 1364 करोड़ सहित

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को नामांकन आधार पर परियोजना के लिए ईपीसीएम परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था (11 अगस्त 2010)। 42 महीने की निर्धारित समापन अवधि पर विचार करते हुए पाता-11 और विजयपुर में परियोजना की पूर्णता तिथि 10 फरवरी 2014 निर्धारित की गई थी। परियोजना स्थापित करने के लिए वित्तीय पोर्टफोलियो पर विचार किया गया जिसमें 60:40 की ऋण:इक्विटी में ₹ 5258 करोड़ का ऋण घटक था।

विजयपुर के संयंत्र में एचवीजे पाइपलाइन से उपलब्ध एनजी के भारी खंडों (ईथेन/प्रोपेन-सी2/सी3) की प्राप्ति परिकल्पित थी। प्राप्त किए गए ईथेन/प्रोपेन (लगभग 1.25 एमएमएससीएमडी) को पाइपलाइन में पुनः डाला जाएगा ताकि एनजी को यूपीपीसी में बाद में उपयोग हेतु ईथेन/प्रोपेन घटक से समृद्ध किया जा सके। विजयपुर में प्लांट (जीएसयू और जीपीयू) को फरवरी 2014 के लक्ष्य के प्रति 30 अगस्त 2014 तक पूर्ण किया गया था और संस्थापन में 12 महीने के विलम्ब के साथ मार्च 2015 में संस्थापित किया गया था।

यूपीपीसी की मौजूदा क्षमता का संवर्धन अपेक्षित तरल हाईड्रोकार्बन प्राप्ति सुविधाओं के साथ जीसीयू (4.50 एलएमटीपीए) और डाउनस्ट्रीम यूनिट (4.00 एलएमटीपीए) ब्यूटीन-1 संयंत्र (20 टीएमटीपीए) स्थापित करने द्वारा परिकल्पित था। परियोजना फरवरी 2014 की निर्धारित समापन के प्रति मार्च 2015 में आंशिक रूप से स्थापित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- फरवरी 2011 से सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान दिए गए ग्यारह मुख्य कार्य करार (विजयपुर में संयंत्र) जो मई 2012 और जनवरी 2014 के बीच पूर्ण होने निर्धारित थे, निर्धारित समय में पूरे नहीं हुए थे। बाद में इन परियोजनाओं को 10 और 32 महीने के बीच के विलम्ब से पूरा किया गया था। मुख्य कार्य आदेशों, परियोजना कार्यक्रम, भौतिक प्रगति जहां गिरावट पाई गई थी के विवरण और उनके कारण **अनुबंध-X** में दिए गए हैं।
- मई 2011 से जून 2012 की अवधि के दौरान दिए गए नौ मुख्य कार्य करार (पाता-11) जिनकी निर्धारित पूर्णता अगस्त 2012 और दिसम्बर 2013 के बीच थी को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया गया था। नौ करारों में से सात कार्य 11 और 20 महीने के विलम्ब से पूर्ण किए गए थे। जल संसाधन संयंत्रों से संबंधित दो बकाया कार्य जून 2015 तक पूर्ण नहीं किए गए थे। मुख्य कार्य

आदेशों, परियोजना कार्यक्रम, प्रत्यक्ष प्रगति जहां गिरावट पाई गई थी **अनुबंध-XI** में दिए गए हैं।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर संसदीय स्थायी समिति ने भी पाता विस्तारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब पर चिन्ता जताई थी (दिसम्बर 2014) और निर्णय दिया था कि परियोजना के निष्पादन में रूकावट सिविल और संरचनात्मक ठेकेदारों की ओर से चूको के कारण हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप मुख्य ठेकेदारों के कार्य की अनुपलब्धता से परियोजना पूर्णता पर प्रभावी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा दोनों स्थलों पर ठेकेदारों की वित्तीय तंगहाली से उप एजेंसियों का भुगतान कार्यक्रम प्रभावित हुआ। इससे गेल द्वारा परियोजना कार्यक्रम की मजबूत मानीटरिंग की आवश्यकता है, विशेष रूप से ईपीसीएम जिससे निर्धारित पूर्णता कारगर हो सके।

परियोजना संस्थापन के समग्र विलम्ब के संबंध में प्रबंधन ने कहा (जून 2015) कि (i) वैश्विक मंदी के प्रभाव से विभिन्न मिश्रित और संरचनात्मक ठेकेदारों के लिए निधि प्रवाह प्रभावित हुआ। (ii) 2011 में अप्रत्याशित मानसून के कारण सिविल कार्य प्रारंभ करने में विलम्ब (iii) कार्य बल की कमी और उनकी सीमित उत्पादकता (iv) स्थानीय विधि और व्यवस्था मामले, (v) विशिष्ट स्टील भागों की अनुपलब्धता (vi) ईपीसीएम परामर्शदाता द्वारा विकसित 3-डी माडलों में परिवर्तन के कारण सामग्री की मात्रा के अनुमान के कमी और लाइसेंस धारकों द्वारा प्रदत्त मूल इंजीनियरिंग विवरणों के परिणामस्वरूप अन्तिम चरणों में अधिप्राप्ति के लिए विलम्ब से आदेश (vi) बीएचईएल से मशीनों के विवरण में देरी, सामग्री प्राप्ति में अंतिम मिनट की कमी, डिजाइन दोष आदि (viii) ईपीसीएम द्वारा क्लिंग जल प्रणाली का घटिया डिजाइन, (ix) सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब (x) उपकरणों की विफलता जैसे पाता में सीमन्स द्वारा आपूरित उपस्टेशन स्विचों में लगातार समस्या इत्यादि।

महत्वपूर्ण कारण जैसे श्रम बल की कमी, सामग्री की अनुपलब्धता, घटिया डिजाइन इत्यादि ठेकेदार के चयन से संबंधित थे जो कि ईपीसीएम परामर्शदाता का उत्तरदायित्व था। ईपीसीएम परामर्शदाता इसमें विफल रहा जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। संविदात्मक अनुबंधों के अनुसार इस विफलता के विरुद्ध अभी कार्रवाई की जानी है।

क्षमता संवर्धन परियोजना के संस्थापन में विलम्ब के परिणामस्वरूप गेल वर्ष 2014-15 के लिए पाता परियोजना संवर्धन से 1,00,000 एमटी पॉलीमरों के उत्पादन के एमओयू लक्ष्य की प्राप्ति में विफल रहा और इससे वह ₹ 32.10 करोड़ के परिणामी लाभ मार्जिन

प्राप्त करने में विफल हो गया। पाता -II की विभिन्न यूनिटों की पूर्णता अक्टूबर 2015 तक लम्बित थी।

(II) पीएनसीपी (आईओसीएल) के साथ ब्यूटीन-1 परियोजना का गैर समकालीकरण

क. ब्यूटीन-1 एचडीपीई और एलएलडीपीई के उत्पादन में प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण रसायन है। पीएनसीपी के संकल्पना चरण पर यह परिकल्पित किया गया था (फरवरी 2004) कि ब्यूटीन -1 की आवश्यकता गुजरात रिफाइनरी के ब्यूटीन -1 संयंत्र से पूरी की जाएगी। यद्यपि गुजरात रिफाइनरी में ब्यूटीन-1 संयंत्र को 2001 में संस्थापित किया गया था, परन्तु वह ब्यूटीन-1 की गुणवत्ता विशिष्टता को पूरा न करने के कारण कार्यशील नहीं था। तदन्तर आईओसीएल ने वर्ष 2004-05 के लिए अपने लेखों में परिसम्पत्तियों की हानि (ब्यूटीन-1 संयंत्र) दर्शायी थी। तथापि, पीएनसीपी के लिए निवेश अनुमोदन (दिसम्बर 2006) प्रदान करते समय ब्यूटीन-1 के लिए कोई वैकल्पिक स्रोत पर विचार नहीं किया गया था। आईओसीएल ने जनवरी 2006 तक गुजरात में ब्यूटीन-1 संयंत्र के मामले को सुलझाने के लिए प्रयास जारी रखे। तब से संयंत्र को खाली रखा गया और अन्ततः दिसम्बर 2009 में बट्टे खाते में डाल दिया गया।

चूंकि ब्यूटीन-1 उपलब्ध नहीं था, पीएनसीपी के पास एचडीपीई और एलएलडीपीई के उत्पादन के लिए इसे आयात करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

आयात और भंडारण सुविधा पर व्यय से बचने के लिए, निदेशक बोर्ड (बीओडी) ने ₹ 134 करोड़ की अनुमानित लागत से पानीपत में 20 केटीए ब्यूटीन-1 के उत्पादन के लिए एथिइलीन डाइमेरिजेशन यूनिट के संस्थापन के लिए 'सिद्धान्ततः' अनुमोदन प्रदान किया (22 दिसम्बर 2010)। अन्तिम निवेश अनुमोदन सिद्धान्ततः अनुमोदन की तिथि से 13 महीने के विलम्ब के बाद ₹ 190 करोड़ की अनुमानित लागत पर दिया गया था। (फरवरी 2012)। तदन्तर संयंत्र ₹ 172.38 करोड़ की कुल लागत से 19 मई 2014 को संस्थापित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- गुजरात में ब्यूटीन-1 संयंत्र गुजरात रिफाइनरी से फीड का प्रयोग कर रहा था। ब्यूटीन-1 के उत्पादन के लिए फीड की गुणवत्ता आवश्यकता के अनुसार फीडस्टाक में सल्फर (मिलावट) का स्तर 'शून्य' होना चाहिए। तथापि, गुजरात रिफाइनरी से प्राप्त फीड में 20 पीपीएम¹ का सल्फर घटक था क्योंकि गुजरात

¹ प्रति मिलियन भाग

रिफाइनरी में संसाधित कूड मिश्रण में आयातित उच्च सल्फर कूड का लगाभग 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत भार होता है। ब्यूटीन-1 संयंत्र उसके संस्थापन से अप्रचालित पड़ा रहा क्योंकि गुजरात रिफाइनरी से संसाधन के लिए कूड की वांछित गुणवत्ता प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं थी। प्रबंधन को 2006 में पीएनसीपी के निवेश अनुमोदन का निर्णय लेते समय इस तथ्य का पता था। तब भी कम्पनी ने प्रस्तावित पीएनसीपी में ब्यूटीन-1 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुजरात रिफाइनरी से ब्यूटीन-1 प्राप्त करने पर विचार किया।

- आयात की लागत को कम करने के लिए, गुजरात में ब्यूटीन-1 संयंत्र को बट्टे खाते में डालने के एक वर्ष बीत जाने के बाद पानीपत में ब्यूटीन-1 के आन्तरिक उत्पादन के लिए सिद्धान्ततः अनुमोदन दिया गया था (दिसम्बर 2010)। तदन्तर, कार्यान्वयन पूर्व और नियोजन स्तर में 13 महीने का और विलम्ब हुआ था और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अन्तिम निर्णय फरवरी 2012 में लिया गया। मई 2014 में परियोजना पूर्ण और उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ब्यूटीन-1 संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ करने तक पीएनसीपी ने संयंत्र को चलाने के लिए ₹ 420.02 करोड़ की कुल लागत से 40,793 एमटी ब्यूटीन-1 का आयात किया।
- आईओसीएल के अनुमानों के अनुसार (अगस्त 2014), घरेलू उत्पादन के साथ आयातित ब्यूटीन-1 के स्थानापन्न द्वारा ₹ 50,510 प्रति एमटी की बचत हुई थी। अतः आयात स्थानापन्न में विलम्ब के कारण आईओसीएल को ₹ 189.24 करोड़² की बचत छोड़नी पड़ी।

ख. ब्यूटीन-1 के आयात के लिए आईओसीएल ने निविदाकरण प्रक्रिया के माध्यम से यूनाइटेड स्टोरेज और टैंक टर्मिनल लिमिटेड (यूएसटीटीएल) से 24 महीने (15 जनवरी 2012 तक) की अवधि के लिए ₹ 18 करोड़ के कुल करार मूल्य पर 3,360 एमटी की क्षमता के साथ पोर्ट स्थल पर भंडारण और हैंडलिंग सुविधाओं को किराए पर लिया (जनवरी 2010)। संविदा की अवधि को तीन वर्षों के लिए ₹ 26.52 करोड़ के संशोधित संविदा मूल्य के साथ एक वर्ष (15 जनवरी 2013 तक) आगे विस्तारीत किया गया था। अवधि की समाप्ति पर, 23 जनवरी 2013 से 18 महीने की अवधि के लिए ₹ 13.50 करोड़ पर एकल निविदा आधार पर संविदा आईएमसी लिमिटेड (पूर्व में यूएसटीटीएल) को प्रदान की गई थी।

² आयातित ब्यूटीन-1 प्रति एमटी की लागत (111926)/प्रति एमटी उत्पादन की लागत (61415) = 1.82

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए ब्यूटीन-1 की 40793 एमटी की आयात की कुल लागत = ₹ 420.02 करोड़
आयात के लिए उत्पादन की यथानुपात लागत = (₹ 420.02 करोड़ / ₹ 1.82) = ₹ 230.78 करोड़
आयात पर अतिरिक्त व्यय = (₹ 420.02 करोड़ - ₹ 230.78 करोड़) = ₹ 189.24 करोड़

आईओसीएल ने छोटे पार्सल साइज के परिवहन में सम्मिलित अधिक मालभाड़ा प्रभारों से बचने के लिए निविदा को कार्यान्वित करते समय 2,500 एमटी से 3,000 एमटी के पार्सल साइज के लिए भंडारण तथा हैंडलिंग सुविधा प्राप्त की। हालांकि, आयात 2,000 एमटी के अधिकतम पार्सल साइज में था। परिणामतः 3,360 एमटी की किराए पर ली गई भंडारण क्षमता को पूर्णविधि के दौरान कभी भी उपयोग नहीं किया गया। ठेका की सम्पूर्ण समयावधि के दौरान भी ब्यूटीन-1 की कुल प्राप्ति 13,000 एमटी प्रति वर्ष से कभी भी आगे नहीं बढ़ी थी।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2015) कि ब्यूटीन-1 की खपत ग्रेड आधारित है। इसलिए पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स प्लान (पीपीएलपी) में ग्रेडो की मासिक शेड्यूलिंग इनलैंड परिवहन के बढ़े हुए समय को ध्यान में रखकर आयात के पार्सल साइज का निर्णय लेती है। इसके अलावा, माल सूची तथा उसकी लागत को कम करने के लिए आयात किए गए वास्तविक पार्सल साइज को आवश्यकतानुसार बेहतर ढंग से उपयोग में लाया जाता है।

प्रबंधन के उत्तरों को इस पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि भंडारण क्षमता का वास्तविक उपयोग केवल 50 प्रतिशत था। इसके अलावा, सुविधाओं को किराए पर लेने से पूर्व, ग्रेड अनुसार शेड्यूलिंग के संबंध में पीपीएलपी के पूर्व डाटा का विश्लेषण वास्तविक साइज तथा भंडारण क्षमता की आवश्यकता के संदर्भ में प्रबंधन को जानकारी दे सकता था। ऐसे एक विश्लेषण के अभाव तथा पानीपत में 3360 एमटी की उपलब्ध भंडारण क्षमता पर विचार न करने के कारण किराए पर ली गई सुविधाओं का कम उपयोग हुआ तथा ₹15.58 करोड़¹ का व्यय निरर्थक रहा।

निष्कर्ष

यूपीपीसी, गेल

- **यूपीपीसी में अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम उत्पादन क्षमता के बीच बेमेलता के कारण उत्पादन के अवसरों की परिणामी हानि के साथ कम लोड पर डाउनस्ट्रीम इकाईयों का परिचालन हुआ।**
- **पॉलीमर की ग्रेड-अनुसार लागत का अनुरक्षण न होने के कारण विभिन्न मूल्य स्तरों पर विभिन्न ग्रेडों की बिक्री से मार्जिन का अनुमान नहीं लगाया जा सका।**

¹ 54 माह (अर्थात जनवरी-10 से जून-14) के लिए सुविधा किराया प्रभार @ ₹71.25 लाख ₹38.50 करोड़ x 1360 एमटी/3360 एमटी

- ईपीसीएम सलाहकार तथा ठेकेदार की ओर से विफलता के कारण पाता-11 के क्षमता विस्तार को क्रियान्वित करने में विलम्ब ने 2014-15 के दौरान एक लाख एमटी पॉलीमरों के उत्पादन के लाभ से गेल को वंचित किया।

पीएनसीपी, आईओसीएल

- वास्तविक आवश्यकता से अधिक विद्युत निर्माण तथा स्टीम उपार्जन क्षमता के कारण इन सेवाओं का कम उपयोग हुआ।
- एलपीजी के साथ ब्लेंडिंग के बजाय एनसीयू में फीडस्टॉक के रूप में सी4एच की रिसाइक्लिंग के परिणामस्वरूप एलपीजी की बिक्री से प्राप्त मूल्य लाभ का त्याग हुआ।
- फीडस्टॉक, केमिकल्स तथा स्टीम की खपत के संदर्भ में डिजाइन मानको की प्राप्ति न होने के कारण अधिक खपत हुई तथा इसके फलस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।
- पॉलीमर की ग्रेड-अनुसार लागत का अनुरक्षण न होने के कारण, विभिन्न मूल्य स्तरों पर विभिन्न ग्रेडों की बिक्री से मार्जिन का अनुमान नहीं लगाया जा सका।
- ब्यूटीन-1 परियोजना के पूर्व-क्रियान्वन तथा योजना स्तर में विलम्ब के कारण, उत्पादन विलम्बित हुआ जिससे आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से लागत लाभ से आईओसीएल वंचित रहा।

सिफारिशें

- गेल तथा आईओसीएल पॉलीमर की ग्रेड-अनुसार लागत का अनुरक्षण करें ताकि विभिन्न ग्रेडों की बिक्री से मार्जिन का अनुमान लगाया जा सके।
- आईओसीएल फीडस्टॉक तथा अन्य इनपुटों की अधिक खपत से बचने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें।
- गेल तथा आईओसीएल को पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं की समय पर पूर्णता को सुनिश्चित तथा मूल्यांकित करने के लिए और विलम्बों को कम करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्तरदायित्व केन्द्र के साथ एक तंत्र का विकास करना चाहिए।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

1.4 एचपीसीएल की मुम्बई रिफाइनरी में डीजल हाइड्रो ट्रीटर परियोजना पर परिहार्य व्यय

एचपीसीएल ने वर्तमान डीएचडीएस संयंत्र की उपेक्षा करते हुए, जो 2005 से समान गुणवत्ता के डीजल का उत्पादन करने में सक्षम था तथा जिसे वैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्नत किया जा सकता था, ₹ 1969.59 करोड़ की लागत पर डीजल के वैधानिक गुणवत्ता विनिर्देशनों को पूरा करने के लिए 2007 में डीजल हाइड्रो ट्रीटर (डीएचटी) परियोजना प्रारंभ की थी तत्पश्चात, डीएचडीएस परियोजना इसकी क्षमता को बढ़ाने तथा इसके आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्नयन हेतु ली गई थी। पुनर्निर्मित डीएचडीएस एचपीसीएल की मुम्बई रिफाइनरी की यूरो IV अपेक्षाएँ/समग्र यूएलएसडी पूरा करने में सक्षम था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1969.59 करोड़ के परिहार्य व्यय के साथ साथ डीजल के उत्पादन के प्रति अतिरिक्त क्षमता का सर्जन हुआ।

जीओआई की ऑटो ईंधन नीति (2003) ने 1 अप्रैल 2010 से भारत के 11 बड़े शहरों को यूरो-IV (50 पीपीएम से कम सल्फर तत्व) गुणवत्ता के डीजल की आपूर्ति अनिवार्य की थी।

एचपीसीएल ने 2000 में मुम्बई रिफाइनरी में डीजल हाइड्रो डी-सल्फयूरिजेशन (डीएचडीएस) संयंत्र प्रारंभ किया था तथा जिसे बाद में 2005 के दौरान पुनर्निर्मित किया गया था। पुनर्निर्माण के दौरान एक अतिरिक्त ट्रिकल बैड रिएक्टर जोड़ा गया था जिसने 20 पीपीएम¹ सल्फर वाले हाइड्रो ट्रीटेड डीजल उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता के साथ डीएचडीएस की क्षमता 1.65 एमएमटीपीए² तक बढ़ा दी थी। अतः, मुम्बई रिफाइनरी (एमआर) 2005 से ही अपने डीएचडीएस संयंत्र के माध्यम से यूरो-IV डीजल (50 पीपीएम से कम सल्फर तत्व) का उत्पादन करने में सक्षम थी। डीजल की अपेक्षित गुणवत्ता का उत्पादन करने की अपने वर्तमान क्षमता की उपेक्षा करते हुए, एचपीसीएल ने डीजल के वैधानिक गुणवत्ता विनिर्देशन पूरे करने के लिए डीजल हाइड्रो ट्रीटर (डीएचटी) संयंत्र की स्थापना शुरू की (अगस्त 2007)। वास्तव में, प्रबंधन ने अगस्त 2007 में बोर्ड को डीएचटी परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बताया था कि वर्तमान

¹ भाग प्रति मिलियन

² मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष

डीएचडीएस की क्षमता का अधिकतम संवर्धन किया गया था तथा इसकी दक्षता को और बढ़ाने की कोई संभावना नहीं थी। यह बल दिया गया था कि डीजल की अनिवार्य यूरो-IV गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग डीएचटी इकाई स्थापित किये जाने की आवश्यकता थी। अगस्त 2007 में डीएचटी परियोजना का प्रस्ताव देते समय यह महत्वपूर्ण सूचना कि डीएचडीएस संयंत्र में डीजल के यूरो IV ग्रेड का उत्पादन करने की क्षमता थी, बोर्ड को नहीं दी गई थी।

डीएचटी परियोजना का अनुमानित निवल वर्तमान मूल्य एक नकारात्मक आन्तरिक प्रतिफल दर के साथ (-) ₹ 2397,70 करोड़ था। एचपीसीएल बोर्ड ने 5 मार्च 2009 को परियोजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन किया। डीएचटी परियोजना नवम्बर 2013 में प्रारंभ की गई थी तथा जून 2015 में ₹ 1969,59 करोड़ की लागत पर पूंजीकृत की गई थी।

जब डीएचटी परियोजना प्रक्रियाधीन थी, तब एचपीसीएल ने वर्तमान डीएचडीएस संयंत्र के पुनर्निर्माण के लिए आइसो थर्मिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए एक अलग परियोजना (अक्टूबर 2009) प्रारंभ की। पुनर्निर्मित संयंत्र 10 पीपीएम¹ से कम सल्फर तत्व वाले डीजल का उत्पादन करने में सक्षम होता तथा साथ साथ यूरो IV सीटैन संख्या भी बनाए रखता। कार्यकारी निदेशक समिति (सीएफडी) ने पुनर्निर्माण परियोजना का अनुमोदन किया (अप्रैल 2011) जो ₹142,60 करोड़ की लागत पर जुलाई 2015 में प्रारंभ की गई थी। पुनर्निर्मित डीएचडीएस संयंत्र की 2.28 एमएमटीपीए की क्षमता और अल्ट्रा लो सल्फर डीजल (यूएलएसडी) की योग्यता थी।

इस प्रकार, वर्तमान में एचपीसीएल के एमआर में यूरो IV/यूएलएसडी ग्रेड डीजल के 4.48 एमएमटीपीए (डीएचटी की 2.20 एमएमटीपीए क्षमता+ डीएचडीएस की 2.28 एमएमटीपीए क्षमता) के उत्पादन की क्षमता है। तथापि, एमआर की मौजूदा कच्चा तेल संसाधन क्षमता केवल 6.50 एमएमटीपीए है। एमआर में पिछले छह वर्षों (2009-10 से 2014-15) में कच्चा तेल उत्पादन और डीजल उत्पादन पर विचार करते हुए, एमआर में औसत डीजल उत्पादन संसाधित कच्चा तेल का 30 प्रतिशत था (अनुबंध XII)। इसके अलावा, यूरो IV डीजल एमआर द्वारा डीजल उत्पादन का 15 प्रतिशत (नवम्बर 2013 से अगस्त 2015) था। इस प्रकार, यूएलएसडी/यूरो IV गुणवत्ता के डीजल के उत्पादन की आवश्यकता एमआर में सीमित है और किसी मामले में 2.34 एमएमटीपीए से अधिक नहीं है जैसा कि एमआर में 8 एमएमटीपीए की उच्चतर कच्चा तेल रिफाइनिंग क्षमता

¹ अल्ट्रा लो सल्फर डीजल है जो यूरो IV (50 पीपीएम से कम सल्फर तत्व) से उत्तम है।

पर विचार करते हुए मै. इआईएल द्वारा माना गया है। अतः निम्न सल्फर डीजल के 4.48 एमएमटीपीए के उत्पादन की निर्मित क्षमता एमआर आवश्यकता से अधिक है।

डीएचडीएस की मौजूदा क्षमता और आइसोथर्मिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उक्त की अगली मरम्मत की संभावना पर विचार किए बिना डीएचटी परियोजना के कार्यान्वयन द्वारा एचपीसीएल ने ₹ 1969.59 करोड़ अतिरिक्त परिहार्य व्यय करने के साथ-साथ यूएलएसडी/यूरो IV गुणवत्ता डीजल के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि:-

- (i) डीएचटी परियोजना पर भावी आवश्यक उत्पाद विनिदेशों को पूरा करने के लिए यूरो-IV ग्रेड ईंधन के साथ-साथ अल्ट्रा लॉ सल्फर डीजल की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने हेतु विचार किया गया था।
- (ii) 100 प्रतिशत यूरो-IV डीजल का उत्पादन करने के लिए डीएचडीएस आउटलेट को डीएचडीएस के कई हाइ सल्फर डीजल स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता था। अतः डीएचटी से पूर्व भूतकाल में कभी थी, मुम्बई रिफाइनरी ने यूरो-IV डीजल का उत्पादन नहीं किया था और बाजार आवश्यकता को केवल तटीय इनपुटों के माध्यम से पूरा किया जा रहा था। इन तथ्यों पर विचार करते हुए, बोर्ड को यह सूचना दी गई कि एमआर यूरो IV ग्रेड डीजल के उत्पादन में सक्षम नहीं है। अतः बोर्ड को यूरो-IV डीजल उत्पादन के संबंध में गलत सूचना देने की कोई घटना नहीं हुई।
- (iii) 2005 में पुनर्निर्मित डीएचडीएस यूनिट केन्द्र में कच्चे डीजल की 1.65 एमएमटीपीए फीड के तदनु रूप यूरो-IV डीजल (50 पीपीएम सल्फर) उत्पादन की योग्यता थी। 2006-07में डीएचडीएस प्रोसेस लाइसेंस मै. यूओपी ने 1.8 एमएमटीपीए तक संयंत्र में पुनर्निर्माण के लिए मौजूदा डीएचडीएस के उपस्कर में शुल्क परिवर्तनों का सुझाव दिया। इसलिए, लगभग 1.2 एमएमटीपीए डीजल का अंतर हो सकता था। उपरोक्त के मद्देनजर, मौजूदा डीएचडीएस यूनिट की इसकी अधिकतम क्षमता तक रिवैम्प पर ध्यान न देते हुए एमआर के डीजल उत्पादन की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए डीजल डिसल्फराइजेशन की अतिरिक्त क्षमता अपेक्षित थी।

यह उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है:-

- (i) एमआर में डीएचटी परियोजना का बोर्ड द्वारा अप्रैल 2010 से यूरो IV के उत्पादन तथा आपूर्ति के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए नकारात्मक आईआरआर तथा एनपीवी के बावजूद अनुमोदन किया गया था। वर्तमान डीएचडीएस में 2005 तक यूरो IV डीजल का उत्पादन करने की क्षमता थी। इस विकल्प की रिफाइनरी ने जांच नहीं की थी जब 2007 में डीएचटी परियोजना हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया था। भावी आवश्यक उत्पाद विनिर्देशों के पहलू को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया था।
- (ii) प्रबंधन का तर्क कि एमआर में 3 एमएमटीपीए से अधिक की डीजल क्षमता थी, एमआर की मौजूदा क्षमता या पिछले छह वर्षों के इसके डीजल उत्पादन प्रोफाइल से साबित नहीं होता है। वास्तव में, उच्चतर रिफाइनरी क्षमता (मौजूदा 6.5 एमएमटीपीए के प्रति 8 एमएमटीपीए) पर विचार करते हुए भी मै. इआईएल ने 2.34 एमएमटीपीए की कुल डीजल क्षमता प्रदान की थी। अतः डीएचटी परियोजना और डीएचडीएस रिवैम्प दोनों के कार्यान्वयन द्वारा, एमआर ने डीजल की आवश्यक सुविधा से दो गुना का निर्माण किया।
- (iii) डीएचडीएस परियोजना में न केवल कम पूंजी लागत आई (डीएचटी के लिए ₹ 1969.59 करोड़ के प्रति डीएचडीएस हेतु ₹ 103.40 करोड़), अपितु इससे कम हाइड्रोजन खपत और उच्चतर उर्जा संरक्षण भी होगा। अतः प्रचालन में भी डीएचडीएस, डीएचटी से किफायती साबित होगा।
- (iv) यदि समस्त तथ्यों को बोर्ड के समक्ष उचित समय पर लाया गया होता तब डीएचडीएस परियोजना के रिवैम्प को अप्रैल 2010 तक यूरो IV उत्पादों की आपूर्ति हेतु समय पर पूरा किया जा सकता था जैसा कि ऑटो इंधन नीति (2003) में परिकल्पित है।

अतः बोर्ड को डीएचडीएस परियोजना पर विचार करने का विकल्प दिए बिना ₹ 1969.59 करोड़ की लागत पर डीएचटी परियोजना का कार्यान्वयन विवेकपूर्ण नहीं था।

मामले को मंत्रालय के पास भेजा गया था (दिसम्बर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

1.5 निष्पादन संबंधित वेतन का अनियमित भुगतान

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने डीपीई दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण 'निष्पादन संबंधित वेतन' के प्रति वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिये ₹ 110.40 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में अधिकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों को वेतन और भत्ते, अतिरिक्त सुविधाएँ और निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) नियमित करने हेतु निर्देश जारी किये (नवम्बर 2008)। उपरोक्त निर्देशों ने पीआरपी को लाभ और अधिकारियों के निष्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा। इन निर्देशों और सितम्बर 2013 और सितम्बर 2014 में इन पर जारी आगे के स्पष्टीकरणों में पीआरपी के भुगतान के लिये निम्नलिखित शर्तें भी रखी गईं:

पीआरपी की गणना के लिये कर पूर्व लाभ (पीबीटी) सीपीएसई के निर्दिष्ट उद्देश्य और मूल गतिविधियों से आना अपेक्षित था और असाधारण मदों जैसे स्टॉक का मूल्यनिर्धारण, भारत सरकार द्वारा अनुदान/छूट, भूमि की बिक्री, निष्क्रिय नकद/बैंक शेष पर ब्याज आदि (मद की सूची पूर्ण नहीं है) को, जहां तक पीआरपी का संबंध है, पीबीटी की गणना में शामिल नहीं किया गया था।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने क्रमशः वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिये पीआरपी के भुगतान हेतु पीबीटी में कर्मचारियों को कर्ज और अग्रिम पर ब्याज, बैंक में सावधि जमा पर ब्याज, स्क्रैप की बिक्री, वित्तीय पट्टे से आय, निवेश की बिक्री पर लाभ आदि जैसे गैर-मूल गतिविधियों के कारण ₹ 1398.00 करोड़ और ₹ 1400.12 करोड़ का राजस्व शामिल किया था। तदनुसार, डीपीई दिशानिर्देशों (*अनुबंध-XIII*) का उल्लंघन करते हुये इन वर्षों में ₹ 41.94 करोड़ और ₹ 68.46 करोड़ के पीआरपी का अधिक भुगतान किया गया था।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अप्रैल/अक्टूबर 2015) कि चूँकि वो निवल उधारकर्ता है, कोई भी निष्क्रिय नकद/बैंक शेष नहीं था और इस प्रकार उस पर ऐसा कोई भी ब्याज नहीं था जो पीआरपी उद्देश्य हेतु पीबीटी से काटा जाना था। इसके विपरीत, यह एक ऑयल मार्किटिंग कंपनी है जिसे 2013-14 तक पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर वसूली काफी

कम हुई है। इन कम वसूलियों की या तो भारत सरकार या अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा भरपाई की गई थी लेकिन भारत सरकार द्वारा ऐसी भरपाई की घोषणा और वास्तविक प्राप्ति के बीच काफी लम्बा अंतर होने के कारण, कार्पोरेशन का उधार का स्तर 2012-13 और 2013-14 के दौरान काफी उच्च था। इसके अतिरिक्त, मुआवजे की प्राप्ति में ऐसे विलम्ब के कारण अतिरिक्त ब्याज भार ने कंपनी के वित्तीय परिणाम को प्रतिकूल रूप से भी प्रभावित किया है। यह दो घटक वास्तव में कार्पोरेशन की मूल कारोबार गतिविधियों से संबंधित थे और इस प्रकार दिनांक 2 सितम्बर 2014 के डीपीई पत्र के अनुसार पीआरपी के उद्देश्य हेतु पीबीटी की गणना करते समय इन्हे फिर से जोड़ा जाना चाहिये था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) से सरकार द्वारा वसूलियों के प्रति मुआवजा देने में विलम्ब के कारण कंपनी की उधारी पर ब्याज के भार को हटाने की अनुमति का अनुरोध (दिसम्बर 2013/जुलाई 2014) किया क्योंकि इससे कंपनी की मूल गतिविधि से होने वाले लाभ को नुकसान हुआ। एमओपीएनजी ने मामले को डीपीई के समक्ष तीन बार उठाया अर्थात् जनवरी 2014, जून 2014 और जुलाई 2014 में। लेकिन डीपीई ने पीबीटी की गणना के लिये ब्याज भार हटाने के लिये कंपनी के अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया (मई 2014) जैसा कि पीआरपी पर मौजूदा दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हैं कि यह कंपनी के पीबीटी पर आधारित होगा और पीबीटी की उधार ली गई पूँजी पर कंपनी द्वारा दिये गये ब्याज को जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त डीपीई ने दोहराया (सितम्बर 2014) कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से लाभ के आधार पर सीपीएसई के अधिकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों को देय पीआरपी दिनांक 18 सितम्बर 2013 के डीपीई ओएम के अनुसार होगा अर्थात् निष्क्रिय नकद/बैंक शेष पर ब्याज की पीबीटी से कटौती की जानी थी और पीआरपी, सीपीएसई की केवल मूल कारोबार गतिविधियों से उपचित लाभ के आधार पर वितरित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीआरपी के भुगतान के लिये पीबीटी में गैर-मूल गतिविधियों से आय को शामिल न करने के डीपीई के स्पष्ट निर्देश के बावजूद, कंपनी ने गैर-मूल गतिविधियों से आये ऐसे राजस्व को शामिल किया जैसा पहले ही ऊपर उल्लिखित है।

इस प्रकार, 'निष्पादन संबंधित वेतन' के भुगतान के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण, कंपनी ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिये ₹ 110.40 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

मामले को मंत्रालय को सूचित किया गया (नवम्बर 2015): उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

1.6 अधिकारियों को शिफ्ट भत्ता के रूप में दिये गये अनुचित लाभ

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 56.27 करोड़ की राशि के शिफ्ट भत्ते का भुगतान करके अधिकारियों को अनुचित लाभ दिया।

भारत सरकार ने दिनांक 26 नवम्बर 2008 के डीपीई ओ.एम¹ के माध्यम से 1 जनवरी 2007 से केन्द्रीय लोक क्षेत्र उधमों (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से निम्न अधिकारियों के साथ-साथ गैर संगठित पर्यवेक्षकों के वेतन और भत्तों के संशोधन हेतु नीति बनाई। उक्त ओ.एम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि सीपीएसई का निदेशक मंडल अधिकारियों की अलग-अलग श्रेणियों को अनुमेय भत्ता और अनुलाभ का निर्णय करेगा बशर्ते मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा हो। सीपीएसई 'कैफेटेरिया अप्रोच' का पालन कर सकते थे जिसके अन्तर्गत अधिकारियों को अनुलाभ और भत्तों के समूह से चयन करने की अनुमति थी। केवल चार भत्ते अर्थात् उत्तर पूर्वी भत्ता, भूमिगत खदान भत्ता, मंत्रालय द्वारा प्रमाणित जटिल और दूरदराज क्षेत्र में सेवा के लिये विशेष भत्ता और चिकित्सक के लिये नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता मूल वेतन के 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के दायरे से बाहर रखे गये थे। यह भी निर्देश दिये गये थे कि अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, क्लब आदि जैसे सीपीएसई द्वारा उत्पन्न बुनियादी सुविधाओं को अनुलाभ और भत्तों की गणना के उद्देश्य हेतु बुनियादी ढांचे के रखरखाव और संचालन पर किये गये व्यय के आधार पर मुद्रीकृत होना चाहिये।

बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से निम्न अधिकारियों के लिये वेतन मान का संशोधन क्रियान्वित करते समय, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने निर्णय लिया कि अधिकारियों की उपलब्ध हकदारी उनकी मूल वेतन से 44 प्रतिशत होगी क्योंकि मूल वेतन का छह प्रतिशत बुनियादी सुविधाओं की मुद्रीकृत मूल्य के रूप में माना जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी अपने अधिकारियों को शिफ्ट भत्ता दे रही है और उसे मूल वेतन की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के दायरे से बाहर रख रही है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान, ₹ 56.27 करोड़ का शिफ्ट भत्ता कंपनी के अधिकारियों को दिया गया था। कंपनी ने कहा (अक्टूबर 2015) कि रोटेटिंग शिफ्ट इयूटी न तो सामान्य इयूटी

¹ लोक उपक्रम विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70) 108-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/08 दिनांक 26-11-2008

है और न ही उसकी भरपाई सामान्य भुगतान थी, बल्कि यह पूर्ण रूप से आकस्मिक/ आवश्यकता आधारित परिचालन आवश्यकता थी। कठिन और खतरनाक ड्यूटी करने के प्रति क्षतिपूर्ति, कर्मचारियों जिन्हें सुबह, शाम और रात की शिफ्ट में बिना किसी अंतराल के आठ घंटे निरंतर ड्यूटी वाली रोटेटिंग शिफ्ट में कार्य करने के लिये स्थानांतरित किया गया था के उन नौकरी समूहों के लिये विशेष रूप से शिफ्ट आधार पर स्वीकृत थी। इस प्रकार, रोटेटिंग ड्यूटी भत्ता न तो अधिकारी को अनुलाभ/भत्ता की प्रकृति का था और न ही ये समान रूप से सबको देय था अर्थात् यह डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत सामान्य रूप से निर्धारित तरीके से अनुलाभ या भत्ता नहीं था। रोटेटिंग शिफ्ट ड्यूटी के प्रति व्यय खतरनाक/कठिन कार्य करने के लिये कंपनी द्वारा किया गया था, जो कि डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत भूमिगत खनन भत्ता या नॉन-प्रेक्टिसिंग भत्ता की प्रकृति का अधिक था। इसके अतिरिक्त, यदि इन अधिकारियों को कैफेटेरिया अप्रोच जिसमें शिफ्ट भत्ता शामिल है, के अंतर्गत अनुलाभ और भत्ते की श्रेणी से चयन करने का विकल्प दिया जाता तब कोई भी अधिकारी शिफ्ट भत्ते का चयन नहीं करता क्योंकि यह रोटेटिंग शिफ्ट ड्यूटी के माध्यम से कठिनाई उत्पन्न करता है। जिसके परिणामस्वरूप, परिचालन बहुत प्रभावित होगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शिफ्ट भत्ता दिन-रात लगातार उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये हैं और किसी भी कर्मचारी द्वारा खतरनाक प्रकृति की ड्यूटी के लिये क्षतिपूर्ति करने के लिये नहीं। प्रबंधन द्वारा व्यक्त की गई आशंका के संबंध में कि यदि अधिकारी शिफ्ट भत्ते का चयन नहीं करते तो परिचालन प्रभावित होगा, यह समझा जाना चाहिये कि कैफेटेरिया अप्रोच में जहां कि अधिकारियों को भत्ते के चयन की स्वतंत्रता दी जाती है, ड्यूटी के प्रवर्तन को अन्य की वरीयता में विशेष भत्ते के चयन से नहीं जोड़ा जा सकता। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में डीपीई ने स्पष्ट रूप से कहा (जून 2012 और जून 2013) कि चार भत्तों को छोड़कर जैसा कि 26 नवम्बर 2008 के डीपीई ओएम में उल्लिखित है, कोई भी अतिरिक्त भत्ता/लाभ/अनुलाभ कैफेटेरिया अप्रोच के अंतर्गत मूल वेतन की 50 प्रतिशत उच्चतम सीमा से बाहर अनुमत नहीं है।

इस प्रकार, शिफ्ट भत्ते के प्रति कंपनी द्वारा किया गया ₹ 56.27 करोड़ का भुगतान डीपीई दिशानिर्देश का उल्लंघन करते हुये किया गया था और इसलिये अनियमित था। मामला मंत्रालय को भेजा गया था (नवम्बर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

1.7 केजी डीडब्ल्यूएन 98/2 ब्लॉक में खोजों के मूल्यांकन और गैर मुद्रीकरण में विलंब

1.7.1 प्रस्तावना

केजी डीडब्ल्यूएन 98/2 कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक डीप वाटर ब्लॉक है जिसे अप्रैल 2000 में पहले नेल्प राऊंड के दौरान 100 प्रतिशत भागीदारी लाभ (पीआई) के साथ मै. केर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीईआईएल) को सौंपा गया था। ब्लॉक का कुल क्षेत्र उत्तर में 300 मीटर से दक्षिण में 3000 मीटर तक की जल गहराई के साथ 9756.6 वर्ग किलोमीटर (एसक्यू केएमएस) है। ब्लॉक में 100 प्रतिशत पीआई के साथ सीईआईएल इसका प्रचालक था।

ओएनजीसी ने मार्च 2005 में ₹ 371.12 करोड़ की लागत पर सीईआईएल से ब्लॉक में 90 प्रतिशत पीआई प्राप्त किया था। ब्लॉक में प्रसिद्ध और अनुभवी

कम्पनियों को जोड़ने के लिए ओएनजीसी ने अगस्त 2007 में हाइड्रो ऑयल एण्ड एनर्जी लिमिटेड (एचओईएल) को इसकी 10 प्रतिशत पीआई हिस्सा और सितम्बर 2007 में मैसर्स पेट्रोब्रास इंटरनेशनल ब्रासपेट्रो (पीआईबीबीवी) को दूसरा 15 प्रतिशत पीआई हिस्सा दिया। तत्पश्चात, दोनों भागीदारों पीआईबी बीवी और मै. स्टेटोयल (स्टेटोयल के साथ मै. एचओईएल के विलयन पर) ने क्रमशः दिसम्बर 2009 और जून 2010 में ब्लॉक से हट गए और बिना लागत के अपनी पीआई हिस्सेदारी ओएनजीसी को वापस सौंप दी। इस प्रकार जून 2010 तक, ओएनजीसी के पास सीईआईएल द्वारा धारित शेष 10 प्रतिशत के साथ ब्लॉक में 90 प्रतिशत पीआई था। सितम्बर 2012 में सीईआईएल भी हट गया और ओएनजीसी ने ₹ 212.44 करोड़ की लागत पर इसके हिस्से का अधिग्रहण कर लिया। वर्तमान में ओएनजीसी 100 प्रतिशत पीआई के साथ ब्लॉक में एक मात्र प्रचालक है।

केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 में जेवी भागीदारों द्वारा धारित भागीदारी लाभ का स्वरूप				
अवधि	केर्न एनर्जी इंडिया लि.	ओएन जीसी	पेट्रोब्रास इंटरनेशनल	एचओई आई
अप्रैल 2000	100 %			
मार्च 2005	10 %	90 %		
अगस्त/ सितम्बर 2007	10 %	65 %	15	10
दिसम्बर 2009	10 %	80 %	0	10 %
जून 2010	10 %	90 %	0	0
सितम्बर 2012	0	100 %		

ब्लॉक के सौंपे जाने के बाद ठेकेदार¹ ने अप्रैल 2000 से अप्रैल 2008 के दौरान अन्वेषण पूरा किया और 6 एक्सप्लोरेटरी कुओं के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के प्रति 14 एक्सप्लोरेटरी कुओं और एक अप्रैजल कुए की ड्रिलिंग की थी और नौ खोजे की थी। सितम्बर 2007 में विद्यमान 7,294.6 वर्ग किमी. के शेष ठेका क्षेत्र को खोज क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया था जिसमें उत्तरी भाग में की गई कई खोजों और दक्षिणी भाग में की गई एकाकी खोज (यूडी-1) के आधार पर क्रमशः उत्तरी खोज क्षेत्र (एनडीए)-3,800 वर्ग किमी. और दक्षिणी खोज क्षेत्र (एसडीए) -3,494.6 वर्ग किमी. शामिल हैं, प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा इसे स्वीकार किया गया था।

ठेकेदार ने खोजों की समीक्षा के लिए 69 माह का विस्तारण (अप्रैल 2008 से जनवरी 2014) प्राप्त किया था। अप्रैजल अवधि के दौरान ठेकेदार ने 12 अप्रैजल कुओं (एनडीए में आठ और एसडीए में चार कुएं) को ड्रिल किया था जिसके परिणामस्वरूप दो खोजें हुईं। ठेकेदार ने ब्लॉक में उस तिथि तक अधिसूचित कुल 11 खोजों में से 3 समूहों (समूह I: डी 1 और ई 1, समूह II: आर -1; पी1; एम-1; यू-1; ए-1; ए2 तथा एम3 और समूह III: यूडी-1) में 10 खोजों को विकसित करने का प्रस्ताव रखते हुए वाणिज्यिता की घोषणा (डीओसी) प्रस्तुत की (दिसम्बर 2013)। समूह I और II, विकास उत्तरी खेज क्षेत्र में की गई खोजों से और समूह III दक्षिणी खोज क्षेत्र की एकाकी खोज से था। ठेकेदार ने अप्रैजल अवधि के दौरान एनडीए में दो एक्सप्लोरेटरी कुओं को भी ड्रिल (मई 2013 से जून 2014) किया था जिसके परिणामस्वरूप कोई नई खोजें नहीं हुईं।

कम्पनी ने मार्च 2015 तक ब्लॉक में एक्सप्लोरेषण और अप्रैजल पर ₹ 8,402.56 करोड़ व्यय किए थे। ब्लॉक के तीन समूहों में विकास की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है।

- समूह I: खोजों के सतह प्रवाह डाटा/डीएसटी डाटा की अनुपलब्धता में पुनः प्राप्ति योग्य रिजर्वों का आकलन तथा उत्पादन प्रोफाइल तैयार नहीं किया जा सका जिससे की समूह I के डीओसी की समीक्षा नहीं की गई।
- समूह II: प्रबंधन समिति (सितम्बर 2014) ने समूह II के लिए डीओसी की समीक्षा की। इस समूह के लिए क्षेत्र विकास योजना सिद्धान्त अगस्त 2015 में अनुमोदन हेतु डीजीएच को प्रस्तुत किया गया। यह लगभग यूएस \$ 6583.58 मिलियन के केपेक्स (सुविधा लागत के फास्ट ट्रेक कार्यक्रम के विकल्प सहित) के साथ 2019-31 की अवधि के दौरान 23.53 एमएमटी ऑयल और 2018-34 की अवधि के दौरान 50.71 बीसीएम की प्राप्ति का प्रस्ताव रखता है।

¹ ठेकेदार- पीएससी के अनुसार, पीएससी के भागीदारों को सामूहिक रूप से ठेकेदार कहा जाता है।

- समूह III: इस समूह में एकाकी खेज हेतु प्रवाह डाटा/डीएसटी डाटा की कमी के कारण समूह III के लिए डीओसी की समीक्षा नहीं की गई थी।

1.7.2 समूह I सहित गोदावरी पीएमएल क्षेत्र के समेकित विकास की व्यवहार्यता

1.7.2.1 यह ब्लॉक (केजी डीडब्ल्यूएन-98/2) ओएनजीसी द्वारा प्रचालित गोदावरी पीएमएल क्षेत्र (आईजी नामांकन ब्लॉक)के सान्नििकट है जहां जी-4 के रूप से परिभाषित तीन गैस खोजें सितम्बर 2003 से अक्टूबर 2006 के दौरान की गई थी। लागत के इष्टतम उपयोग हेतु केजी -डीडब्ल्यूएन-98/2 ब्लॉक में समूह I और जी 4 खोजों की एकीकृत विकास की योजना बनाई गई थी। तदनुसार, कम्पनी ने इन दो क्षेत्रों के भूकंपीय डाटा की विस्तृत जीएण्डजी व्याख्या की थी (जुलाई 2013 तक)। इस अध्ययन के परिणामों ने "जी 4" पूल का मै. रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (मै. आरआईएल) द्वारा प्रचालित निकटवर्ती एनईएलपी ब्लॉक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3(डी 6) में विस्तारण दर्शाया था। ओएनजीसी ने डी 6 ब्लॉक में जी 4 पूल की निरंतरता की पुष्टि करने के लिए डीजीएच और मंत्रालय से डी 6 ब्लॉक से संबंधित डाटा की मांग की थी (जुलाई 2013)। तत्पश्चात (नवम्बर 2013) ओएनजीसी और मै. आरआईएल ने इन तीन निकटवर्ती ब्लॉकों से संबंधित डाटा साझा किए थे। ओएनजीसी ने साझा डाटा के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला (दिसम्बर 2013) कि जी4 रिजर्वायर मै. आरआईएल असहमत था। प्रचालित डी 6 ब्लॉक तक विस्तारित है और डी 6 में आर आई एल द्वारा ड्रिल किये गये 4 कुएँ वास्तव में इस कॉमन रिजर्वायर से गैस निकाल रहा था। मै. आरआईएल असहमत था।

1.7.2.2 असहमति का समाधान नहीं निकाला जा सका और कम्पनी ने यह आरोप लगाते हुए (क) भारत संघ; (ख) डीजीएच और (ग) मै. आरआईएल के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी (मई 2014) कि मै. आरआईएल ने 2009 से सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान इन निकटवर्ती ब्लॉकों के बीच साझा सामान्य रिजर्वायर से लगभग 18 बीसीएम गैस निकाली थी और आगे भी यह जारी रखा। ओएनजीसी ने सामान्य रिजर्वायर से उत्पादित गैस में हिस्सा मांगा था।

जुलाई 2014 में तीसरी पार्टी विशेषज्ञ मै. डीगोल्पर एण्ड मैकनोटन (डीएण्डएम) को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ डीजीएच के पर्यवेक्षण के तहत ओएनजीसी और आरआईएल के अनुरोध पर नियुक्त किया गया था:

- ओएनजीसी और आरआईएल द्वारा प्रचालित सभी ब्लॉक सीमाओं में चैनलों की निरंतरता और रिजर्वायर की संयोजकता का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक रिजर्वायर मॉडलिंग और विश्लेषण करना।

- यदि रिजर्वायर की निरंतरता और संयोजकता स्थापित हो जाती है, तब
 - ओएनजीसी और आरआईएल द्वारा प्रचालित संबंधित ब्लॉकों की गैस मात्रा (उपस्थित मात्रा, अनुमानित मुख्य रिकवरी (ईयूआर) और रिजर्वायर) का अनुमान लगाना।
 - किसी वाणिज्यिक करार/गैस संतुलन, यदि कोई लागू है, के उद्देश्य हेतु ओएनजीसी और आरआईएल को संयोजित/असंयोजित गैस मात्रा (उपस्थित मात्रा, ईयूआर, और रिजर्व) का आबंटन।


अध्ययन के क्षेत्र में गोदावरी पीएमएल क्षेत्र का भाग केजी डीडब्ल्यूएन 98/2 की डी 1 खोज (दोनों ओएनजीसी द्वारा परिचालित) और केजी डीडब्ल्यूएन 98/3 की डी1 एवं डी 3 खोज (आरआईएल द्वारा परिचालित) शामिल है।

मैसर्स डीएण्डएम ने नवम्बर 2015 की अपनी अंतिम रिपोर्ट में ओएनजीसी और आरआईएल द्वारा प्रचालित सभी ब्लॉकों में रिजर्वायरों की संयोजकता और निरंतरता की पुष्टि की थी। रिपोर्ट ने दर्शाया कि 31 मार्च 2015 तक आरम्भ में मौजूद गैस में से गोदावरी पीएमएल में 49.32 प्रतिशत और केजी डीडब्ल्यूएन-98/2 में 34.71 प्रतिशत (समूह 1) को स्थानांतरित कर दिया गया था जिसमें से 85.15 प्रतिशत (गोदावरी पीएमएल से संबंधित) और 73.25 प्रतिशत (केजी डीडब्ल्यूएन 98/2 से संबंधित) को केजी डीडब्ल्यूएन -98/3 ब्लॉक के डी1, डी3 क्षेत्रों के माध्यम से उत्पादित किया गया था। इस रिपोर्ट में गैस स्थानांतरण के उच्चतर हिस्से और 2019 की समाप्ति तक आरआईएल द्वारा प्रचालित केजी डीडब्ल्यूएन 98/3 ब्लॉक के माध्यम से इसके उत्पादन का प्रक्षेपण किया। कम्पनी गोदावरी पीएमएल क्षेत्र और केजी डीडब्ल्यूएन 98/2 ब्लॉक के समूह 1 का एकीकृत विकास करना चाहती थी (दिसम्बर 2013)। एकीकृत विकास हेतु संशोधित डीओसी तथा एफडीपी कम्पनी द्वारा अभी प्रस्तुत की जानी हैं (नवम्बर 2015) और ऐसे विकास की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर दोनों क्षेत्रों से बड़े स्तर पर गैस के स्थानांतरण का दर्शाने वाली विशेषज्ञ रिपोर्ट का प्रभाव अस्पष्ट बना रहा। इसके अलावा यह देखा गया कि कम्पनी ने दिसम्बर 2013 में व्यवहार्यता पर विचार विमर्श करते समय यूएस \$7 प्रति एमएमबीटीयू¹ की गैस कीमत (5.89 वर्षों की लाभ अवधि के साथ) पर विचार किया था। नए घरेलू गैस कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों (मार्च 2015 और सितम्बर 2015) के अंतर्गत गैस कीमत अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 के बीच यूएस \$4.66 प्रति एमएमबीटीयू और अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के बीच यूएस \$3.82 प्रति

¹ मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट

एमएमबीटीयू पर निर्धारित की गई थी जो कि समूह 1 (केजी डीडब्ल्यूएन 98/2) और गोदावरी पीएमएल क्षेत्र के एकीकृत विकास की वित्तीय व्यवहार्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय (सितम्बर 2015) ने इन निर्देशों के साथ याचिका का निपटान कर दिया कि भारत सरकार डीएण्डएम की रिपोर्ट की प्रस्तुति के छह माह की अवधि के अंदर रिपोर्ट के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय लेगी। डीएण्डएम रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने तीन माह की अवधि में रिपोर्ट पर विचार करने और विधिक, वित्तीय और संविदात्मक प्रावधानों जिनमें वह भी शामिल हैं जो ओआरडी¹ अधिनियम और पीएससीज में निर्दिष्ट हैं, पर विचार करते हुए सरकार की भावी कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक सदस्यीय समिति (न्यायाधीश ए.पी. शाह) नियुक्त किया है (दिसम्बर 2015)।



1.7.3 पीएससी के अनुसार अन्वेषण तथा अप्रैजल

पीएससी पेट्रोलियम प्रचालनों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों (अन्वेष, समीक्षा, विकास, उत्पादन) को निर्धारित करता है। क्षेत्र हेतु विकास योजना की प्रस्तुति हेतु पहुंचने के लिए अन्वेषण चरण में शामिल आनुक्रमिक कार्यकलापों (समीक्षा सहित) को साथ में दर्शाया गया है। हाइड्रोकार्बन की (अन्वेषण) खोज तक पहुंचती है। ऐसी खोज की तब वाणिज्यिक संभावना का निर्धारण और अधिसूचना की जाती है। खोज की समीक्षा करने हेतु समीक्षा योजना बनाई जाती है जिसे प्रबंधन समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है इसके पश्चात खोज की समीक्षा अनुमोदित समीक्षा योजना के अनुसार की जाती है। जिसके पूरा होने पर ब्लॉक के लिए दस्तावेज वाणिज्यिकता की घोषणा(डीओसी) एमसी को प्रस्तुत किया जाता है। डीओसी की समीक्षा पर विकास योजना बनाई जाती है। तत्पश्चात विकास योजना के अनुसार ब्लॉक का विकास किया जाता है। इन प्रत्येक कार्यकलापों क लिए पीएससी विशेष समय सीमाएं निर्धारित करती है।

¹ ओआरडी: ऑयल क्षेत्र (नियामन एवं विकास) अधिनियम, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने उपरोक्त पीएससी प्रावधानों से ठेकेदारों को कतिपय रियायत देते हुए समय समय पर नई नीतियों को अधिसूचित किया है। केजी डीडब्ल्यूएन 98/2 ब्लॉक के संबंध में लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए पीएससी प्रावधानों और अनुवर्ती एमओपीएनजी आधिसूचनाओं के संदर्भ में की गई थी कि क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन प्रचालन दक्षतापूर्ण एवं प्रभाविकता से किए गए थे। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

1.7.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.7.4.1 भागीदारों के मध्य समन्वय की कमी के कारण अन्वेषण तथा समीक्षा में विलम्ब

पीएससी की शर्तों के अनुसार क्षेत्र का एक्सप्लोरेशन चरण अप्रैल 2000 से अप्रैल 2008 तक था। अन्वेषण चरण के दौरान, 100 प्रतिशत भागीदारी लाभ धारण करने वाले ब्लॉक के प्रचालक मै. सीईआईएल ने अपनी परिसम्पतियों को बेचने का निर्णय किया। मै. सीईआईएल ने दो वर्षों (2003-05) के लिए क्षेत्र में अन्वेषण प्रयासों और अन्य पेट्रोलियम परिचालनों को आस्थगित रखा। तत्पश्चात, मार्च 2005 में 90 प्रतिशत भागीदारी लाभ को ओएनजीसी को हस्तांतरित कर दिया गया था। अप्रैल 2005 में ओएनजीसी ब्लॉक का प्रचालक बन गया था। प्रक्रिया में अन्वेषण चरण के दो वर्ष लग गए। डीजीएच/एमओपीएनजी ने अन्वेषण परिचालन को बंद रखने के लिए पहले प्रचालक मै. सीईआईएल को दंडित नहीं किया था क्योंकि पीएससी कार्य के स्वैच्छिक आस्थगन के मामले में प्रचालक/ठेकेदार को किसी दंड देने का प्रावधान नहीं करता।

तत्पश्चात, ओएनजीसी (अप्रैल 2005 से प्रचालक) ने ब्लॉक के शेष क्षेत्र को दो भागों अर्थात् दक्षिणी खोज क्षेत्र (एसडीए) और उत्तरी खोज क्षेत्र (एनडीए) में खोज क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया (फरवरी 2008)। ओएनजीसी को पीएससी के अनुच्छेद 21 के अनुसार समीक्षा के लिए एनडीए और एसडीए (एनडीए के लिए जुलाई 2010 तक और एसडीए के लिए दिसम्बर 2009 तक) में पिछली खोज की तिथि से 36 माह का विस्तारण दिया गया था (अप्रैल 2008)। तथापि, नए भागीदारों, 10 प्रतिशत पीआई धारण करने वाले मै. स्टेटऑयल (अगस्त 2007 से जून 2010 के दौरान) और 15 प्रतिशत पीआई धारण करने वाले मै. पेट्रोब्रास (सितम्बर 2007 से दिसम्बर 2009) ने दोनों खोज क्षेत्रों (एनडीए और एसडीए) के लिए समीक्षा कार्यक्रम का समर्थन नहीं किया। इसके अलावा, मै. सीईआईएल, जिनके पास ब्लॉक में 10 प्रतिशत पीआई था, ने एसडीए हेतु समीक्षा कार्यक्रम का समर्थन नहीं किया। भागीदारों के बीच सामंजस्य के अभाव से समीक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ था।

इसके पश्चात, ओएनजीसी एसडीए में समीक्षा कार्यक्रम के पूरे जोखिम और एनडीए में समीक्षा कार्यक्रम के मैसर्स स्टेटोयल और मै. पेट्रोब्रास के पीआई हिस्से (अतिरिक्त 25 प्रतिशत जोखिम) को वहन करने के लिए सहमत हो गया (अप्रैल 2008)। एमसी (दिसम्बर 2009) ने ओएनजीसी के अतिरिक्त जोखिमों के साथ समीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया। तथापि, समीक्षा कार्यक्रम को विस्तारण अवधि (एनडीए के लिए जुलाई 2010 और एसडीए के लिए दिसम्बर 2009) बीत जाने से पूर्व समाप्त नहीं किया जा सका था और ओएनजीसी ने समीक्षा कार्यक्रम पूरा किए बिना एमसी द्वारा समीक्षा हेतु डीजीएच को वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) प्रस्तुत कर दी थी (एसडीए के लिए दिसम्बर 2009 और एनडीए के लिए जुलाई 2010)। तथापि, एमसी ने डीओसी की समीक्षा नहीं की। ओएनजीसी ने सितम्बर 2010 में रिग हॉलीडे पोलिसी (आरएचपी) के अंतर्गत समीक्षा अवधि में विस्तारण मांगा।

तत्पश्चात, एमओपीएनजी (जून 2012) ने रिग संसाधनों की कमी (जनवरी 2008 से दिसम्बर 2010) और 193 दिनों¹ के क्षम्य विलंब पर विचार करते हुए खोजों की समीक्षा हेतु जनवरी 2014 तक पुनःविस्तारण की अनुमति दी थी। समीक्षा कार्यक्रम को इस विस्तारित अवधि में भी पूरा नहीं किया जा सका। संशोधित डीओसी को तीन समूहों (समूह I: दो खोजें, डी1 और ई-1, समूह II: सात खोजें, आर-1; पी-1; एम-1; यू-1; ए-1; ए-2 तथा एम 3 और समूह III: एकाकी खोज, यूडी-1) में 10 खोजों को विकसित करने के लिए तब तक की गई समीक्षा के आधार पर प्रस्तुत किया गया था (दिसम्बर 2013)। समूह I और II एनडीए में थे जबकि समूह III एसडीए में था।

तत्कालीन प्रचालक मै. सीईआईएल द्वारा दो वर्षों के लिए अन्वेषण कार्य के आस्थगन और अन्य बातों के साथ साथ ठेकेदारों के मध्य सामंजस्य के अनुवर्ती अभाव से ब्लॉक में अन्वेषण और समीक्षा प्रक्रिया में विलम्ब हुआ।

1.7.4.2 समस्त ठेका क्षेत्र की खोज के रूप में घोषणा और पीएससी अधिदेशी चरण वार परित्याग का अननुपालन

पीएससी² ने अन्य बातों के साथ साथ प्रावधान किया कि ठेकेदार पहले अन्वेषण चरण (शुरूआत से चार वर्ष) की समाप्ति पर मूल ठेका क्षेत्र के 75 प्रतिशत के आधिक्य में ठेका क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार, दूसरे अन्वेषण चरण (शुरूआत से सात वर्ष) की समाप्ति पर 50 प्रतिशत मूल ठेका क्षेत्र को वापस किया जाना था। तीसरे अन्वेषण

¹ लाइसेंस देने में विलंब हेतु 166 दिन और 27 दिन अप्रत्याशित घटना

² अनुच्छेद 4.1, 4.2 और 4.3

चरण (आठ वर्षों की अन्वेषण अवधि की समाप्ति) तक ठेकेदार द्वारा केवल विकास/खोज क्षेत्र अपने पास रखा जाएगा। तथापि, यदि विकास/खोज क्षेत्र पीएससी में निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तब ठेकेदार पूरे विकास/खोज क्षेत्र को धारण कर सकता है। पीएससी 'खोज क्षेत्र' को उस ठेका क्षेत्र के भाग के रूप में परिभाषित करता है जिसके बारे में ठेकेदार की ऐसे भाग ने ड्रिल किए गए कुए या कुओं से प्राप्त खोज एवं परिणामों के आधार पर राय है कि पेट्रोलियम विद्यमान है और वाणिज्यिक परिमाणों में उत्पादन की संभावना है।

मै. सीईआईएल (तत्काल ठेकेदार) ने पहले अन्वेषण चरण की समाप्ति पर (अप्रैल 2004) 9,756.6 वर्ग किमी. के मूल ठेका क्षेत्र के 25.23 प्रतिशत को प्रस्तुत करते हुए 2,462 वर्ग किमी. को छोड़ दिया। तथापि, ओएनजीसी (वर्तमान ठेकेदार) ने दूसरे अन्वेषण चरण की समाप्ति पर समाधित किया (सितम्बर 2007) कि 7,294.6 वर्ग किमी.का समस्त ठेका क्षेत्र खोज क्षेत्र था और 2,416 वर्ग किमी. छोड़ जाने वाले शेष क्षेत्र अर्थात् (मूल ठेका क्षेत्र का 50 प्रतिशत-25.23 प्रतिशत को प्रस्तुत करते हुए) को छोड़ा नहीं था।

अन्वेषण का तीसरा चरण अप्रैल 2008 में समाप्त हुआ। ओएनजीसी ने तीसरे चरण की समाप्ति पर भी किसी अतिरिक्त क्षेत्र को नहीं छोड़ा था क्योंकि समस्त क्षेत्र को पहले ही खोज क्षेत्र के रूप में नामित किया जा चुका था। ओएनजीसी ने समीक्षा कार्यकलापों के लिए ब्लॉक को दो भिन्न क्षेत्रों में बांटा (अप्रैल 2008) 3,800 वर्ग किमी. के खोज क्षेत्र के साथ उत्तरी खोज क्षेत्र (एनडीए) और 3,494 वर्ग किमी. के खोज क्षेत्र के साथ दक्षिणी खोज क्षेत्र (एनडीए)।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- (क) 3,494 वर्ग किमी. के समस्त एसडीए में एक कुंआ ड्रिल किया गया था जो 566 वर्ग किमी के अधिसूचित (फरवरी 2007) एरियल क्षेत्र के साथ खोज साबित हुआ (दिसम्बर 2006)। एसडीए में खोज की सीमित एरियल क्षेत्र के बारे में ज्ञात होने के बावजूद अन्वेषण के दूसरे चरण की समाप्ति (सितम्बर 2007) पर ओएनजीसी ने खोज क्षेत्र के रूप में समस्त 3,494 वर्ग किमी.के अवरोधन का प्रस्ताव रखा और एमसी ने अनुमोदन किया (फरवरी 2008) जो कि अनियमित था।
- (ख) इस खोज की समीक्षा पर, खोज सिकुड़ कर एरियल क्षेत्र को आगे ठेकेदार द्वारा दिसम्बर 2013 में प्रस्तुत संशोधित डीओसी में 141 वर्ग किमी. के रूप में

अधिसूचित किया गया था। इसके बाद भी डीजीएच ने एसडीए¹ में शेष क्षेत्र को छोड़ने के लिए नहीं कहा, यद्यपि पीएससी प्रावधानों के अनुसार केवल खोज एवं विकास क्षेत्र को प्रचालक द्वारा रखा जाना था।

ठेकेदार ने एसडीए में अतिरिक्त क्षेत्र रख कर 3डी क्यू मरीन डाटा (2007-09) के एपीआई में ₹ 161.39 करोड़² और अतिरिक्त क्षेत्र हेतु ₹ 4.59 करोड़ के पीईएल फीस (2007-14) के भुगतान का अतिरिक्त व्यय किया था।

ओएनजीसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2015) में बताया कि (क) “खोज का आकार” और “खोज क्षेत्र” पीएससी में अलग से परिभाषित दो भिन्न विषय हैं, अतः खोज के आकार के आधार पर अंकीय रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि खोज क्षेत्र बराबर आकार का होगा; और (ख) समीक्षा ड्रिलिंग के परिणामों के पश्चात दूरदर्श पर की गई खोज के घटाए गए एरियल क्षेत्र पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां ज्ञात हैं और अतः ठेकेदार द्वारा खोज क्षेत्र का अवरोधन अनियमित था।

डीजीएच ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि प्रचालक ब्लॉक में फैले कई स्वतंत्र चैनलों और भौगोलिक स्थितियों का खाका बनाने में सक्षम था जिसने 7294.6 वर्ग किमी.के समस्त क्षेत्र को ‘खोज क्षेत्र’ के रूप में स्थापित करने में प्रचालक को समर्थ बनाया।

ओएनजीसी/डीजीएच का उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर स्वीकार नहीं है:

(क) “खोज के आकार” को पीएससी में अलग से परिभाषित नहीं किया गया है जैसा कि उत्तर में बताया गया था। पीएससी खोज/विकास क्षेत्रों के आधिक्य में क्षेत्रों को वापस लौटाने के लिए प्रचालक को आदेश देती है, जो मौजूदा मामले में नहीं किया गया है।

(ख) दूसरे अन्वेषण चरण की समाप्ति तक 2डी डाटा के मूल्यांकन के आधार पर एसडीए में चिन्हित कई संभावनाओं में से केवल एक में ड्रिलिंग की गई थी

¹ एसडीए क्षेत्र 3,494 वर्ग किमी -2,416 वर्ग किमी. को चरण II की समाप्ति पर छोड़ा जाना था =1,078 वर्ग किमी.-दिसम्बर 2013 में 141 वर्ग किमी. खोज क्षेत्र = दिसम्बर 2013 में 937 वर्ग किमी. वापस किया जाना था।

² 3डीक्यू मरीन डाटा के 3,218 वर्ग किमी को मै. वेस्टर्न जीको को दिए गए ठेका के माध्यम से ₹214.96 करोड़ की लागत नवम्बर 2007 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान प्राप्त एवं संसाधित किया गया था। 2,416 वर्ग किमी. की आनुपातिक लागत को ₹161.39 करोड़ निकाला गया था।

जिसमें यह विचार करते हुए 566 वर्ग किमी.की सीमित एरियल सीमा प्रमाणित हुई। यह विचार करते हुए कि अन्य चिन्हित संभावनाएं इस भाग में ड्रिल किए गए कुएे अथा कुओं से प्राप्त परिणामों पर आधारित नहीं थी, 3494 वर्ग किमी. के समस्त क्षेत्र के प्रति मात्र 566 वर्ग किमी. ही एसडीए में रखा जाना चाहिए था।

- (ग) निकटवर्ती एनईएलपी ब्लॉक में अधिक क्षेत्र के अवरोधन के समान मामले को 2011-12 की एआर 19 में दर्शाया गया था। इसके पश्चात, एमओपीएण्डएनजी ने खोज क्षेत्र से परे अधिक क्षेत्र को वापस करने के लिए ठेकेदार को निर्देश¹ (अक्टूबर 2013) दिया जिसका ठेकेदार द्वारा पालन किया गया है। इस संदर्भ में इस बारे में जागरूक होने के बाद भी (दिसम्बर 2013) कि खोज कि एरियल सीमा केवल 141 वर्ग किमी. है, ओएनजीसी को एसडीए में अतिरिक्त क्षेत्र को रखने के लिए डीजीएच की अनुमति अनियमित है ।

अतः ॥ अन्वेषण चरण की समाप्ति पर मूल ठेका क्षेत्र (2,416 वर्ग किमी)और खोज/विकास क्षेत्र (3,353 वर्ग किमी) में 50 प्रतिशत के आधिक्य में ठेका क्षेत्र को छोड़ने में ठेकेदार की विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 3डी क्यू मरीन डाटा के एपीआई में और रखे गए अतिरिक्त क्षेत्र के लिए पीईएल फीस के भुगतान में ₹ 165.98 करोड़² का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

ओएनजीसी ने एसडीए के समस्त 3,494 वर्ग किमी. को 'खोज क्षेत्र' के रूप में रखा यद्यपि इस क्षेत्र में एकमात्र खोज की एरियल सीमा दिसम्बर 2013 में प्रस्तुत की गई डीओसी में ओएनजीसी की अधिसूचना के अनुसार 141 वर्ग कि मी. थी। अनियमित होने के अलावा, उच्चतर क्षेत्र के अवधारण के परिणामस्वरूप डाटा के अधिग्रहण और व्याख्या तथा अन्वेषण लाइसेंस हेतु भुगतान पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

¹ रिपोर्ट सं. 24 अध्याय 2 का पैरा सं. 2.5.1.3- हाईड्रोकार्बन उत्पादन सह भाजन ठेकाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

² ₹161.39 करोड़ जमा ₹4.59 करोड़

1.7.4.3 समीक्षा अवधि का विस्तार

क. उत्तरी खोज क्षेत्र (एनडीए)

अन्वेषण अवधि की समाप्ति तक ठेकेदार ने एनडीए में आठ खोजों की थी। समीक्षा चरण के दौरान एनडीए ने दो और खोजे की गई थी जिससे एनडीए में खोजों की कुल संख्या दस हो गई थी। इन दस खोजों में से केवल पाँच (आर-1, पी-1, एम-1, यू-1 एवं ए-1) के लिए ही समीक्षा कुओं की ड्रिलिंग की गई थी। यद्यपि, ए-2 खोज के लिए समीक्षा कुए की ड्रिलिंग हेतु स्थान का अनुमोदन कर दिया गया था, फिर भी समीक्षा हेतु अनुमत विस्तारित अवधि (दिसम्बर 2013) में कुएं को ड्रिल नहीं किया जा सका था। अंततः ठेकेदार ने दस खोजों में से नौ (आर-1, पी-1, एम-1, डी-1, यू-1, ए-1, ई-1, ए-2, और एम-3) को कवर करते हुए डीओसी प्रस्तुत कर दी थी (दिसम्बर 2013)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

एनडीए में खोजों की अधिसूचना		
क्र. सं.	एनडीए 3800 वर्ग किमी.	अधिसूचना की तिथि
1)	आर-1 गैस	18.7.2001
2)	पी-1 ऑयल	12.10.2001
3)	एम-1 ऑयल	16.11.2001
4)	यू-1 गैस	25.1.2006
5)	ए-1 गैस	25.1.2006
6)	डब्ल्यू-1 गैस	12.4.2006
7)	ई-1 गैस	2.5.2006
8)	डी-1 गैस	17.5.2006
9)	ए-2	28.3.2013
10)	एम-3	22.1.2014

- i) पीएससी प्रावधान (10.5 एवं 21.5.4) के अनुसार ठेकेदार को खोज की अधिसूचना के 32 (ऑयल खोज)/36 (गैस खोज) माह के अंदर प्रत्येक खोज की समीक्षा करनी थी। ठेकेदार ने एनडीए में खोजों को साझा करने के लिए अनुमति हेतु डीजीएच को अनुरोध किया क्योंकि एकल आधार पर उनकी समीक्षा करना किफायती नहीं था। एमसी ने एनडीए में तत्कालीन मौजूदा खोजों को साझा करने के लिए ठेकेदार को अनुमति दे दी (अप्रैल 2008), जबकि ऐसे संयोजन का प्रावधान पीएससी में नहीं था। एमसी ने भी एनडीए में की गई (जुलाई 2007) पिछली खोज से समीक्षा अवधि के लेखे की भी अनुमति दी थी। इस प्रकार खोजों के संयोजन के कारण समीक्षा को पूरा करने के लिए 4 से 7 वर्षों की अनुमति (पीएससी में प्रावधान किए गए अधिकतम तीन वर्षों के प्रति) के कारण एनडीए में पृथक-पृथक खोजे हुई जिसके ब्यौरे अनुबंध-XIV में दिए गए हैं।

- ii) ठेकेदार खोजों की पूलिंग के माध्यम से समीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त समय में भी जुलाई 2010 तक समीक्षा कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सका था और समीक्षा अवधि को जनवरी 2014 तक विस्तारित करना पड़ा। पीएससी के अनुसार, डीओसी खोजों की समीक्षा के आधार पर तैयार की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तारणों के बाद भी, एनडीए के लिए डीओसी तीन खोजों (डी-1,ई-1,एम-3) और ए-2 खोज हेतु ड्रिल न किए गए समीक्षा कुएं के लिए अनुमोदित समीक्षा कार्यक्रम के बिना प्रस्तुत की गई थी।

ओएनजीसी ने अपने उत्तर में निम्नलिखित के बारे में बताया (फरवरी 2015):

- (i) गहरे पानी रिगों की अनुपलब्धता के कारण 2 ½ वर्ष बेकार हुए और एमओपीएनजी द्वारा अन्वेषण चरण की पुनःसंरचना में विलंब के कारण 1 ½ वर्ष बेकार हुए (जनवरी 2011 से जून 2012)। नई नीति फ्रेमवर्क (नवम्बर 2014) भी समीक्षा हेतु अतिरिक्त समय की अनुमति देता है।
- (ii) यह कहना गलत होगा कि खोजों की समीक्षा नहीं की गई थी क्योंकि जीएण्डजी अध्ययन समीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। समीक्षा कार्यक्रम हमेशा समीक्षा ड्रिलिंग में समाप्त नहीं होता। इसके अलावा, खोजें डी 1 और ई 1 थोड़ी लघु/अत्यल्प होने के कारण समीक्षा ड्रिलिंग को न्यायसंगत नहीं ठहराती।
- (iii) ठेकेदार ने ब्लॉक को यथाशीघ्र उत्पादन पर लाने के हित में ए-2 और एम-3 खोजों की समीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं मांगा क्योंकि कुओं से पर्याप्त डाटा पहले ही एकत्र किया जा चुका था जिसके आधार पर एमसी समीक्षा हेतु डीओसी प्रस्तुत की गई थी और एफडीपी निरूपण के तहत है।

निम्नलिखित के मद्देनजर उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- (i) यह उत्तर समीक्षा कार्यक्रम की प्रस्तुति में बिलंब के कारणों को स्पष्ट नहीं करता। यह विलंब (अनुबंध-XIV के आधार पर 3 से 8 वर्ष की रेंज में) तीन माह की क्षम्य अवधि जिसका नए नीति फ्रेमवर्क (नवम्बर 2014) में प्रावधान है, से काफी अधिक है।
- (ii) ठेकेदार के पास व्यापक समीक्षा कार्यक्रम नहीं था और इस उत्तर में संदर्भित जीएण्डजी अध्ययन समीक्षा कार्यक्रम की प्रस्तुति हेतु प्रस्तावना रूप था;

- (iii) एनडीए खोजों की समीक्षा की अर्पणता को आगे इस तथ्य द्वारा दर्शाया गया है कि ई 1 खोज अधिसूचना एमसी द्वारा स्वीकृत नहीं की गई थी, डी 1 और ई 1 खोजों के पुनःप्राप्ति योग्य रिजर्वों का न तो अनुमान लगाया गया था और न ही इन खोजों के लिए उत्पादन प्रोफाईल सृजित किया गया था। एक उपयुक्त समीक्षा कार्यक्रम इन पहलुओं की डीओसी की प्रस्तुति से पूर्व पर्याप्त रूप से परीक्षण करेगा। यद्यपि ठेकेदार ने एनडीए में खोजों की पूलिंग के माध्यम से समीक्षा हेतु अतिरिक्त समय प्राप्त कर लिया था, फिर भी यह संतोषजनक रूप से समीक्षा पूरी करने में विफल रहा जिनके कारण अपर्याप्त डीओसी हुआ जिनसे इन खोजों के मौद्रिकरण में अधिक विलंब होगा।

ख. दक्षिणी खोज क्षेत्र (एसडीए)

एसडीए में, केवल एक कुआं ड्रिल (दिसम्बर 2006) किया गया था जिसे खोज (यूडी 1) के रूप में नामित किया गया था। ठेकेदार ने अप्रैल 2008 में एसडीए (एसडीए में धारित 3,494 वर्ग किमी. का समस्त क्षेत्र) के लिए समीक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। एमसी ने यह विचार करते हुए कि खोज की समीक्षा के लिए समय अपर्याप्त था, दिसम्बर 2009 तक समीक्षा को पूरा करने हेतु विस्तारण दिया था (पीएससी प्रावधानों के अनुसार खोज की तिथि से 36 माह की समीक्षा अवधि पर विचार करते हुए)। एसडीए हेतु समीक्षा कार्यक्रम में 3डी डाटा के एपीआई (अधिग्रहण, संसाधन और व्याख्या) तथा भौगोलिक एवं भू-भौतिकीय (जीएण्डजी) अध्ययन शामिल हैं।

इसी बीच, भारत सरकार ने डीप वाटर ब्लॉकों के लिए रिग होलीडे पोलिसी (आरएचपी) अधिसूचित (जुलाई 2010) की थी जिसने अन्य बातों के साथ साथ डीप पानी ब्लॉक में नेल्फ पाँच तक डीप वाटर ब्लॉक के लिए हस्तांतरित पीएससी को तीन वर्षों (1 जनवरी 2008 से 31 दिसम्बर 2010) के लिए रिग स्थगन की घोषणा की थी। आरएचपी में अन्य बातों के साथ साथ:

- (क) 1 जनवरी 2009 तक विद्यमान ड्रिलिंग प्रतिबद्धता के साथ ब्लॉको को 31 दिसम्बर 2010 तक या उनके समापन जो भी पहले हो तक विस्तारित किया जा सकता था।
- (ख) इसके पश्चात, ठेकेदार के पास शेष अन्वेषण अवधि, यदि कोई है, प्राप्त करने हेतु विकल्प होगा।

ठेकेदार ने आरएचपी के लिए आवेदन किया (सितम्बर 2010) और दिसम्बर 2012 तक एसडीए में समीक्षा चरण के विस्तारण का अनुरोध किया। इसने 5.5 माह का क्षम्य विलम्ब भी मांगा (जून 2011) जो अप्रैल 2000 से सितम्बर 2000 तक पीईएल देने में विलंब के कारण अन्वेषण चरण के आरंभ में हुआ था। मंत्रालय ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और पूरे ब्लॉक के लिए दिसम्बर 2013 तक का विस्तारण दे दिया (जून 2012)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (क) एसडीए, आरएचपी के तहत विस्तारण दिए जाने के अयोग्य था क्योंकि 1 जनवरी 2009 को इसकी कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं थी। वास्तव में, ठेकेदार की दिसम्बर 2009 में समीक्षा अवधि की समाप्ति तक कोई अनुमोदित ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं थी। अतः एसडीए के लिए आरएचपी के तहत 43 माह (जनवरी 2010 से जुलाई 2013) का विस्तारण दिया जाना अनियमित था।
- (ख) ठेकेदार ने समीक्षा अवधि की समाप्ति (एसडीए हेतु दिसम्बर 2009) के बाद जुलाई 2010 से जनवरी 2011 के दौरान दो अप्रैजल कुओं (यूडी 2 एवं यूडी 3) को ड्रिल किया था। अनुचित विस्तारण देने (जनवरी 2010 से जुलाई 2013) से ₹834.24 करोड़ की लागत पर इन दो समीक्षा कुओं की अनधिकृत ड्रिलिंग का वैधीकरण हुआ। तत्पश्चात, ₹594.14 करोड़ की लागत पर एसडीए में दो और समीक्षा कुओं की ड्रिलिंग हुई थी (नवम्बर 2012 से फरवरी 2013)।
- (ग) ठेकेदार द्वारा चार समीक्षा कुओं की ड्रिलिंग के माध्यम से की गई समीक्षा की प्रभाविकता भी संदेहास्पद थी। ठेकेदार द्वारा दिसम्बर 2013 में प्रस्तुत की गई एसडीए (समूह III) हेतु डीओसी की एमसी द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकी थी क्योंकि पूनः प्राप्ति योग्य रिजर्वों का आकलन नहीं किया गया था और उत्पादन लाभ इन खोजों हेतु सर्फेस फ्लो डाटा/डीएसटी डाटा के अभाव में सृजित नहीं किया जा सका था। इसके अलावा, ठेकेदार ने दावा किया कि 2800 मीटर और अधिक के ऐसे अल्ट्रा गहरा पानी में विश्व में कहीं भी कोई अनुरूप प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन सादृश्यताएं नहीं थी, इस क्षेत्र का और अधिक विकास संदेहास्पद रहा।

ओएनजीसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2015) में बताया कि मंत्रालय ने आरएचपी के तहत रिग ऋण स्थगन अवधि प्रदान की थी जिसने ठेकेदार को रिग ऋण स्थगन अवधि की समाप्ति के पश्चात शेष अन्वेषण अवधि प्राप्त करने हेतु विकल्प भी दिया। ठेकेदार ने गहरा पानी रिगों की अनुपलब्धता के कारण 2¹/₂ वर्षों से अधिक और जून 2012 में

मंत्रालय द्वारा आदेश देने में विलंब के कारण 1 ½ वर्ष गवां दिए। डीजीएच ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि प्रचालक ने पूरे ब्लॉक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 (एनडीए या एसडीए के लिए नहीं) के संबंध में आरएचपी हेतु आवेदन किया था और एमओपीएनजी ने जून 2012 में यह प्रदान कर दिया था।

यह उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है:

- (क) चूंकि 1 जनवरी 2009 तक एसडीए में या तो अन्वेषण या समीक्षा कार्यकलापों के लिए कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं थी, अतः आरएचपी एसडीए पर लागू नहीं थी। यह भी देखा गया कि ठेकेदार ने विस्तारण देने हेतु प्रतीक्षा नहीं की बल्कि औपचारिक विस्तारण मिलने से पूर्व एसडीए (जहां और अधिक विकास के लिए इसके पास प्रौद्योगिकी नहीं थी) में समीक्षा ड्रिलिंग कर दी थी।
- (ख) ओएनजीसी ने सितम्बर 2010 में जुलाई 2013 और दिसम्बर 2012 तक क्रमशः दो भिन्न ब्लॉक क्षेत्रों, एनडीए और एसडीए के अन्वेषण चरण की पुनः संरचना की मांग की थी, समस्त एक ब्लॉक के रूप में नहीं, जैसाकि उत्तर में बताया गया था। एनडीए और एसडीए दो भिन्न खोज क्षेत्रों में पहले से विभाजित होने (अप्रैल 2008) के साथ ब्लॉक में दो भिन्न समीक्षा अवधि होने पर, पूरे ब्लॉक क्षेत्र को एक मानना अनुचित था।

1.7.4.4 एनडीए में मूल्यांकन के दौरान अन्वेषण कुओं को ड्रिल करना

ठेकेदार ने अन्वेषण के दौरान एनडीए में गहरे क्रीटेशन की संभावना की पहचान की थी। यह समीक्षा चरण के दौरान अतिरिक्त ड्रिलिंग के माध्यम से इन संभावनाओं की जांच करना चाहता था। एमसी ने क्रीटेशन संभावना के अन्वेषण के लिए एनडीए में दो अन्वेषण कुओं केटी-2 (सितम्बर 2012 में) तथा जे-एए (अगस्त 2013 में) की ड्रिलिंग का अनुमोदन किया। कुएं जनवरी 2014 (पुनर्गठन समीक्षा चरण के अन्त में) खोदे गए थे तथा समीक्षा अवधि के पश्चात मई/जून 2014 तक पूरे हुए थे। जहां केटी 2 कुएं ने अन्वेषण उद्देश्य को प्राप्त किया था और गैस पाई गई थी, वहीं जे-एए कुआं तकनीकी बाधाओं के कारण खोजा नहीं जा सका। दोनों कुएं ₹ 1,905.41 करोड़¹ का व्यय वहन करने के पश्चात स्थाई रूप से छोड़ दिये गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएससी समीक्षा अवधि के दौरान अन्वेषण हेतु प्रावधान नहीं किया। समीक्षा चरण के दौरान अन्वेषण गतिविधियों को जारी रखने पर पिछले

¹ ₹1,244.18 करोड़ जमा ₹ 661.23 करोड़

लेखापरीक्षा¹ में टिप्पणी की गई है। एनडीए के मामले में, समीक्षा गतिविधियां समय पर पूरी नहीं की गई थी तथा ठेकेदार को इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए विस्तारण अनुमत किया गया था। जहां एनडीए की समीक्षा अधूरी (पैरा 3.3.ए) रही थी, वही काफी निवेश तथा बिना किसी मूर्त लाभ के अतिरिक्त अन्वेषण गतिविधियां की गई थी।

एनडीए में समीक्षा अवधि के दौरान किये गए अतिरिक्त अन्वेषण का प्रभाव व्यय को बढ़ाना था तथा ब्लॉक पर किसी मूर्त लाभ के बिना ₹1905.41 करोड़ की लागत वसूली हुई। यह ऐसे अतिरिक्त अन्वेषण प्रयासों का घेराव करने का मामला प्रतीत होता है, जैसा कि एमओपीएनजी द्वारा अन्वेषण अवधि की समाप्ति के पश्चात एमएल क्षेत्र में अन्वेषण हेतु अनिवार्य किया है; (अधिसूचना दिनांक फरवरी 2013 द्वारा)। यह सुनिश्चित करेगा कि मूल ब्लॉक की लागत वसूली प्रोफिट पेट्रोलियम तथा सरकारी हित के प्रति अनुचित रूप से न बढ़े।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में बताया कि स्थान मूल्य संवर्धन तथा रिजर्व संचयन के लिए दूर दर्शिता के महत्व के आधार पर अनुमोदित किया गया था।

डीजीएच ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2015) बताया कि:

- (i) भारत सरकार ने दिसम्बर 2013 तक अन्वेषण अवधि का पुनर्गठन (जून 2012) किया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की नीति (नवम्बर 2014) सुदृढ एफडीपी प्रस्तुत करने में संचालक को सक्षम करने के लिए ठेकेदारों को विस्तारित समीक्षा गतिविधियां करने की अनुमति देती है; तथा
- (ii) एमएल नीति में, एमएल क्षेत्र में राजस्व सृजित किया जा रहे है ताकि 'प्रोफिट पेट्रोलियम' के भारत सरकार के हिस्से को सुरक्षित किए जाने के लिए, सुरक्षा उपाय किये गए हैं। यद्यपि, भारत सरकार की नीति (नवम्बर 2014) विस्तारित समीक्षा गतिविधियों को अनुमत करती है, जहाँ रिजरवायर के विस्तारण का मूल्यांकन करने के लिए समीक्षा कुएं ड्रिल किये जाने है तथा यह अन्वेषण के प्रारंभिक चरण में है, इसलिए ब्लॉक में कोई राजस्व सृजित नहीं किया जा रहा। मूल विचार है कि प्रचालक एक सुदृढ एफडीपी प्रस्तुत कर सके।

प्रबंधन/डीजीएच का उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है:

¹ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2011-12 की सं.19 और 2014 की सं.24

- (i) प्रबंधन का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति से संबंधित नहीं है जिसने किसी मूर्त लाभ के बिना ऐसे अन्वेषण पर किये गये पर्याप्त निवेश को दर्शाया है।
- (ii) जून 2012 की अधिसूचना के अनुसार, अन्वेषण अवधि क पुनर्संरचना केवल समीक्षा कार्यक्रम करने के लिए स्वीकार किया गया था। यह पीएससी के अनुच्छेद 3.8 के प्रावधानों के अनुसार है जो ऐसे पुनर्संरचना को अनुमत करता है जब समीक्षा कार्यक्रम करने के लिए पर्याप्त समय न हो।
- (iii) डीजीएच का तर्क के अन्वेषण चरण के दौरान सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस समय कोई राजस्व सृजित नहीं हो रहा है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे व्यय लागत वसूली में वृद्धि करेंगे तथा एक बार ब्लॉक द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद ब्लॉक से प्रोफिट पेट्रोलियम को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे।

1.7.4.5 पीएससी द्वारा अनिवार्य की गई जांच प्रक्रियाओं का अननुपालन

पीएससी प्रावधानों के अनुसार (अनुच्छेद 10 तथा 21) जब ठेकागत क्षेत्र में कोई खोज की जाती है तो ठेकेदार को:

- (i) एमसी तथा सरकार को खोज के संबंध में तत्काल सूचित करना चाहिए तथा खोज के 30 दिनों के अन्दर लिखित में विवरण प्रस्तुत करने चाहिए।
- (ii) ड्रिल स्टैम टेस्ट (डीएसटी) /उत्पाद जांच से कम से कम 48 घंटे पहले उस सरकार को जिसे जांच के दौरान एक प्रतिनिधि उपस्थित रखने का अधिकार, अधिसूचित करना चाहिए।

तत्पश्चात, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना (नवम्बर 2014) के द्वारा उन खोजों का स्वीकरण अनुमत किया जिसके लिए अग्रिम अधिसूचना नहीं दी गई थी, बशर्ते ठेकेदार उचित अग्रिम सूचना देने के पश्चात नयी जांच करने को प्रतिबद्ध हो। भारत सरकार ने 29 अप्रैल 2015 को सीसीईए द्वारा अनुमोदन के पश्चात उन चूककर्ता ठेकेदारों को तीन विशिष्ट विकल्प भी उपलब्ध कराए (अधिसूचना दिनांक 13 मई 2015 के द्वारा) जिन्होंने पीएससी की जांच शर्त पूरी नहीं की थी।

विकल्प -1: खोजों से संबंधित ठेकागत क्षेत्र को छोड़ देना ;

विकल्प -2: इस शर्त के साथ कि यूएस 15 मिलियन की अधिकतम सीमा के साथ जांच हेतु वहन की गई केवल 50 प्रतिशत लागत वसूली के लिए अनुमत की

जाएगी, नई जांच करना तथा अप्रैल 2015 में सीसीईए के अनुमोदन से एक वर्ष के अन्दर संशोधित डीओसी प्रस्तुत करना; तथा

विकल्प -3: डीएसटी किये बिना खोज के विकास हेतु आगे बढ़ना परन्तु ऐसे विकास की लागत वसूली की सीमा होगी।

ठेकेदार को अधिसूचना के सीसीईए अनुमोदन की तिथि से दो महीने के अन्दर (अर्थात् जून 2015 के अन्त तक) विकल्प का चयन करना था। अधिसूचना ने यह भी निर्धारित किया कि ऐसी खोजों के संबंध में ठेकेदारों द्वारा पहले वहन की गई एमडीटी लागत वसूली हेतु अनुमत नहीं की जाएगी।

ठेकेदार ने पीएससी की निर्धारित पद्धति का अनुसरण नहीं किया और एमडीटी पर आधारित तीन खोजों-डी1, ई1 और यूडी-1 को अधिसूचित किया। वे डी1 और ई1 पर एमडीटी के संचालन से पूर्व अग्रिम अधिसूचना देने में भी असफल रहा। इस प्रकार, प्रारंभिक तौर पर डी1 और ई1 खोजें स्वीकृत नहीं की गई थीं। बाद में डी1 प्रत्याशा की एमडीटी द्वारा दूसरे कुए के टी-1 के माध्यम से जांच की गई थी जिसके आधार पर डी1 खोज को डीजीएच द्वारा स्वीकार किया गया था।

ठेकेदार ने इस खोजों के लिए दिसम्बर 2013 में डीओसी प्रस्तुत किया था (समूह-1 और यूडी-1 में डी-1 एवं ई-1, समूह III में अकेली खोज) सतह प्रवाह डाटा/डीएसटी की अनुपस्थिति में डीजीएच इन दो सूमहों के लिए डीओसी की समीक्षा करने के लिए सहमत नहीं हुआ।

तदनन्तर (मार्च-मई 2015) ठेकेदार ने एक नया कुँआ डी-1 सब की ड्रिलिंग के माध्यम से डी-1 खोज के लिए डीएसटी किया और ₹ 365.97 करोड़ (यूएस \$ 58.07 मिलियन) का व्यय किया। ई-1 एवं यूडी-1 खोजों के संबंध में, ठेकेदार ने डीएसटी (मई 2015 की अधिसूचना के विकल्प 2 के अनुसार) के करने के विकल्प का उपयोग किया (24 जून 2015)। परीक्षण अभी भी किया जाना है (जून 2015)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्न पर ध्यान दिया:

- (i) डीजीएच ने यूडी-1 और डी-1 को 'खोजों' के रूप में स्वीकार किया, हालाँकि पीएससी की परीक्षण आवश्यकता को पूर्ण नहीं किया गया था। तदनन्तर डीजीएच ने सतह प्रवाह डाटा/डीएसटी की आवश्यकता को बताते हुए इन खोजों के लिए डीओसी की समीक्षा नहीं की थी।

- (ii) परीक्षण आवश्यकता की नीति के अनुसार, विकल्प 2 का उपयोग करते हुए ठेकेदार ₹ 17.28 करोड़ की लागत वसूली के दावे के लिए अयोग्य हो जायेगा जिसने इसे तीन खोजों (डी-1 – ₹ 10.93 करोड़ और ई-1 – ₹ 3.10 करोड़ और यूडी-1 ₹ 3.25 करोड़) के लिए एमडीटी को करने में किया था जो इस व्यय को परिहार्य और अपव्ययी बनाता है।
- (iii) ठेकेदार द्वारा डी-1 के संबंध में किए गए नए डीएसटी के परिणामस्वरूप डी-1 खोज के लिए नया डीएसटी परीक्षण करने की और ₹ 271.44 करोड़ (यूएस \$ 43.07 मिलियन) का अतिरिक्त व्यय हुआ। ई-1 और यूडी-1 खोजों के लिए नये डीएसटी के मामलों में, 'परीक्षण आवश्यकता की नीति' के अनुसार यूएस\$ 15 मिलियन की उच्चतम लागत के साथ कम्पनी केवल 50 प्रतिशत की वसूली के लिए योग्य होगी।

इस प्रकार, निर्धारित डीएसटी को न करने में ठेकेदारों के पीएससी प्रावधानों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ई-1 और यूडी-1 खोजों के लिए डीएसटी पर आगे अवसूली योग्य लागतों के भविष्य की सम्भावना सहित इन खोजों के मौद्रीकरण और एमडीटी पर ₹17.28 करोड़ की अवसूली योग्य लागतों और डी-1 खोज के लिए नये डीएसटी पर ₹271.44 करोड़ का विलम्ब हुआ था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि डीजीएच के असंगत कदम के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त लागत और परिहार्य विलम्ब हुआ था किंतु यह अपने भाग पर ब्लॉक में अन्य तेल/गैस क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित विकास परियोजना का सामजस्य स्थापित करते हुए अधिक समय की हानि के बिना फील्ड को उत्पादन में लाने का प्रयत्न करेगा।

प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं है चूँकि डीजीएच ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि वे अपने निर्णय पर बने रहे थे कि प्रवाह दरों की वैधता के लिए डीएसटी की आवश्यकता है और चूँकि ठेकेदार इसके संचालन में असफल रहे, इसलिए डीओसी की समीक्षा नहीं की गई थी।

1.7.4.6 अनुपालन मामले

(I) वर्क प्रोग्राम और बजट (डब्ल्यूपी एंड बी) के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन में विलम्ब

पीएससी में निहित हैं, कि ठेकेदार को अन्वेषण प्रचालनों और विकास एवं उत्पादन प्रचालनों के अनुमोदन की समीक्षा के लिए पिछले वर्ष के 31 दिसम्बर तक डब्ल्यूपी एंड बी प्रस्तुत करना चाहिए। यदि परिस्थितियाँ न्याय संगत सिद्ध करती हों, या तो एमसी

की समीक्षा/अनुमोदन के लिए पीएससी में संशोधित डब्ल्यूपी एंड बी के प्रस्तुत करने के लिए भी प्रावधान है। 'नई नीति ढाँचे' (नवम्बर 2014) ने इस संबंध में तीन महीने तक के विलम्ब की माफी को अनुमत किया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पूरे दशक (2005-06 से 2014-15) में किसी भी वर्ष में पीएससी अनुबद्ध दिनांक (31 दिसम्बर) से पूर्व एमसी ने डब्ल्यूपी एंड बी की समीक्षा नहीं की। यहाँ तक की तीन महीनों की क्षमा अवधि को ध्यान में रखते हुए भी, डब्ल्यूपी एंड बी की छह वर्षों में (2005-06, 06-07, 08-09, 09-10, 12-13 और 14-15) देर से समीक्षा की गई थी और अन्य तीन वर्षों (2010-11, 2011-12, 2013-14) के लिए अभी समीक्षा नहीं की गई।

वर्ष 2010-11 और 2011-12 में, बजट अनुमोदन नहीं मॉंगा गया था चूँकि अगस्त 2010 में बढी हुई मूल्यांकन अवधि समाप्त हो गई थी और डीजीएच (अक्टूबर 2010) द्वारा ठेकेदारों के मूल्यांकन अवधि को बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया था। तथापि, ठेकेदार ने अतिरिक्त समय के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान ₹ 1,127.80 करोड़ का व्यय किया। वर्ष 2013-14 के लिए बजट प्रस्ताव भी देर से प्रस्तुत किया गया और इसका अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित था (जून 2015) यद्यपि उस वर्ष में ₹ 2,503.90 करोड़ का व्यय छह कुओं के मूल्यांकन/अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग पर खर्च किया गया।

ठेकेदार ने लागत वसूली के तहत वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2013-14 के लिए ₹ 3,631.7 करोड़ के समस्त व्यय का दावा किया है यद्यपि ऐसा व्यय प्राधिकृत नहीं था।

एमसी को शीघ्रता से इस व्यय की समीक्षा और तदनुसार लागत वसूली को नियमित करने की आवश्यकता है। प्रबंधन (अगस्त 2015) और डीजीएच (दिसम्बर 2015) ने अपने उत्तर में 2012-13 तक विलम्ब के लिए जेवी साझेदारों के प्रचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब को कारण बताया। ठेकेदार ने इस संबंध में पीएससी प्रावधानों की अनुपालना के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का भी आश्वासन दिया। उनके उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं चूँकि तीन वर्षों 2010-11, 2011-12 और 2013-14 के लिए डब्ल्यूपी एंड बी का अनुमोदन अब भी प्रतीक्षित है (अगस्त 2015)।

(II) वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुमोदन/अपनाने में विलम्ब

पीएससी में निहित है कि ठेकेदार को लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति भारत सरकार को उसकी प्राप्त करने के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करनी चाहिए और ऐसे

लेखापरीक्षित लेखाओं को एमसी¹ द्वारा अपनाया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि ठेकेदार ने 2005-06 से 2014-15 तक 10 वर्षों के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया था फिर भी एमसी में उनका अपनाया जाना 9 वर्षों तक के लिए लंबित रहा।

लेखाओं के अपनाने में अनियमित विलम्ब पीएससी की विचारधारा के विरुद्ध है। इसलिए लेखापरीक्षा संव्यवहारों की पुष्टि और उचित सुधारात्मक उपायों को करने के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं के समय से अनुमोदन और अपनाने की सिफारिश करती है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (अगस्त 2015) विलम्बों को स्वीकार किया किंतु इसका कारण लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए संयुक्त उद्यम साझेदारों से प्रचालन समिति अनुमोदन से प्राप्ति में विलम्ब को बताया। इसने यह भी कहा कि यह तब से है जब से प्राप्त हुई है और जुलाई 2013 में डीजीएच को प्रस्तुत की गई है। इसके बाद लेखापरीक्षित लेखाओं को एक बार फिर से जून 2015 में ठेकेदार द्वारा डीजीएच को अपनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था जो कि प्रगति में हैं।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि जुलाई 2013 में जेवी साझेदारों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भी लेखाओं को प्रस्तुत करने में 2 वर्षों का विलम्ब हुआ। इसके अलावा, लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उनके अपनाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में 9 से 10 वर्षों का विलम्ब दर्शाता है कि न तो प्रबंधन समिति बैठक के संयोजक के रूप में प्रचालक (ओएनजीसी) और न ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में दो सरकारी नामितियों ने इस संबंध में पीएससी का अनुपालन सुनिश्चित किया। ऐसे अननुपालन ने पीएससी अनुबद्ध अधिप्राप्ति प्रक्रिया के उल्लंघन को बढ़ावा दिया है जैसा कि अगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

डीजीएच ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2015) यह भी कहा कि वर्ष 2005-06 के लिए लेखापरीक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान ड्रिल किए गए कुँए डी-1 एंड ए1 से संबंधित लागत वसूली मामले के कारण लम्बित थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि कुँए ए1 एंड डी1 के संबंध में की गई आवश्यक कार्रवाई क्रमाशः जनवरी 2006 और जुलाई 2007 में ठेकेदार द्वारा की गई थी और डीजीएच ने मंत्रालय को फरवरी 2008 में स्वयं इन कुओं पर किए गए व्यय की लागत वसूली अनुमत करने की सिफारिश की थी।

¹ अनुच्छेद 6.6. (डी)

(III) पीएससी अनुबद्ध अधिप्राप्ति प्रक्रिया का उल्लंघन

माल एवं सेवाओं की प्राप्ति के लिए पीएससी प्रक्रिया निर्धारित¹ करता है। इन प्रावधानों के अनुसार, ठेकेदार निविदा की यथोचित प्रक्रिया जैसे कि पूर्व योग्यता मानदण्ड रखना, पूर्व योग्यता के लिए दलों के लिए निमंत्रणों को प्रकाशित करना, पूर्व-योग्यता मानदण्ड और निमंत्रण बोलियों के अनुसार अर्हता प्राप्त दलों का चयन एवं यथोचित बोली विश्लेषण के बाद संविदा देना और प्रचालन समिति के अनुमोदन के अनुसरण के बाद यूएस \$ 0.5 मिलियन के समान या अधिक मूल्य की माल और सेवाओं की खरीद कर सकता है। तथापि, पीएससी ने यह भी प्रावधान है कि ठेकेदार जब न्याय संगत परिस्थितियाँ हो तब एमसी के अनुमोदन से उपरोक्त विहित प्रक्रिया में संशोधन कर सकता है।

ठेकेदार के समस्त विभिन्न ब्लॉक पर कार्य वचनबद्धता की अत्यावश्यकता को बताते हुए आबंटन/नामांकन आधार पर क्रमशः ₹ 2,953.27 करोड़, ₹ 3,914.39 करोड़ और ₹ 899.49 करोड़ के संविदा मूल्य के तीन रिग- डिस्कवरर सेवन सीज डीडीकेजी-1² और जीएसएफ एक्सप्लोरर ले चुका था। यद्यपि यह पीएससी निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया से विचलन में था, फिर भी ठेकेदार ने बिना एमसी अनुमोदन प्राप्त किए ब्लॉक में उनकी सेवाओं का उपयोग किया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि प्रत्येक ओएनजीसी प्रचालित एनईएलपी ब्लॉक के लिए पृथक खरीद प्रक्रिया की व्यवहार्यता, पीएससी के अनुच्छेद 23.2 के अनुसार वर्तमान कठोर एमएम निर्धारित पद्धतियों/दिशानिर्देशों की उपस्थिति में आर्थिक/लागत लाभ का कार्यक्षेत्र मुहैया नहीं कराएगी और ओएनजीसी की खरीद नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार अपग्रेड की जाती है। प्रबंधन ने आगे यह भी कहा कि ओएनजीसी के पास के जी-डी डब्ल्यूएन-98/2 ब्लॉक में कोई भी जेवी नहीं है और वर्तमान में (अगस्त 2014) इसके पास 100% पी आई हैं।

¹ परिशिष्ट- एफ

² रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड से अल्ट्रा गहरे पानी रिग को अनियमित भाड़े पर लेने की 2012-13 की संघ प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 8 के पैरा 11.10 में टिप्पणी की गई थी। ओएनजीसी मानक निविदाकरण प्रक्रिया से विचलित हुआ और अमान्य योग्य आधार पर चार वर्षों की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आमंत्रण के बिना आरआईएल से डीडीकेजी1 को भाड़े पर लिया और मानक प्रतिमानों से विचलन के कारण ₹ 9.36 करोड़ और रिग के बार-बार खराब होने के कारण ₹ 29.32 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि इसने न तो खरीद पद्धति का अनुसरण किया जिस पर इसने सरकार के साथ सहमति दी थी जैसे कि यह पीएससी से न ही कोई लागत लाभ का दावा कर सका जब इसने प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों को आमंत्रित किए बिना नामांकन आधार पर संविदा दी थी। इसके अलावा, पीएससी के अनुसार¹ किया कि यह केवल आपातकालीन स्थिति में ही बोली प्रक्रिया से विचलित हो सकता है और वो भी एमसी के अनुमोदन के साथ। ठेकेदार ने काम की अत्यावश्यकता को बताते हुए नामांकन आधार पर तीन रिगों को लिया था किंतु एमसी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना उनकी सेवाओं का उपयोग किया जो कि पीएससी निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया से एक स्पष्ट विचलन था।

डीजीएच ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में यह भी स्वीकार किया कि एमसी अनुमोदन के लिए डीजीएच को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

निष्कर्ष

केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 ब्लॉक 2000 में एनईएलपी के पहले राउंड के तहत भारत सरकार द्वारा दिया गया था। कम्पनी ने 2005 में नब्बे प्रतिशत हिस्सेदारी को प्राप्त किया और 2012 में शेष हिस्सेदारी प्राप्त की। कम्पनी ने विभिन्न पीएससी प्रावधानों, सरकार की नीतियों और अनुमत छूटों के तहत ₹ 8402.56 करोड़ (मार्च 2015) की लागत पर इसकी खोजों के अन्वेषण एवं मूल्यांकन के लिए बहुत से विस्तारणों का लाभ उठाया था। अब तक (अगस्त 2015) कम्पनी ने ब्लॉक (एनडीए में 10 और एसडीए में 1) में कुल 11 खोजों को अधिसूचित किया है। कम्पनी ने 3 समूहों (एनडीए में समूह I एवं II और एसडीए में समूह III) में 10 खोजों के विकास के लिए डीओसी प्रस्तुत (दिसम्बर 2013) किया। तथापि प्रबंधन समिति ने केवल समूह II के लिए डीओसी की समीक्षा की (सितम्बर 2014) और समूह I एवं III की समीक्षा नहीं की चूँकि वसूली योग्य रिजर्व को अनुमानित नहीं किया जा सका था और इन खोजों के लिए सतह प्रवाह डाटा/डीएसटी डाटा की अनुपस्थिति में उत्पादन प्रोफाइल नहीं बनाया जा सका। समूह II में खोजों के मौद्रीकरण के लिए व्यवहार्य विकास योजना अब भी डीजीएच/मोपीएनजी द्वारा अनुमोदित की जानी है। समूह III (एसडीए) का मौद्रीकरण की योजना कम्पनी द्वारा नहीं की गई चूँकि ऐसे डीप वाटर के क्षेत्रों में अन्वेषण के विकास के लिए कोई उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी। समूह I के अन्वेषण के लिए एकीकृत विकास और पीएमएल गोदावरी के नामांकन ब्लॉक को भी इस क्षेत्र से रिजर्व के महत्वपूर्ण प्रवासन के संबंध में विशेषज्ञ

¹ अनुच्छेद 23.2

पुष्टि और इसके केजी-डब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक के माध्यम से आरआईएल द्वारा उनके दोहन को ध्यान में रखते हुए एक भारी असफलता मिली थी। इसके अलावा, दिसम्बर 2013 में व्यवहार्यता पर विचार करते हुए कम्पनी ने यूएस \$ 7 प्रति एमएमबीटीयू (5.89 वर्षों की पेबैक अवधि के साथ) की गैस कीमत पर विचार किया। नये घरेलू गैस कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों (मार्च 2015 और सितम्बर 2015) के तहत, अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 के बीच गैस मूल्य यूएस \$ 4.66 प्रति एमएमबीटीयू और अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के बीच यूएस \$ 3.82 प्रति एएम बीटीयू की दर पर निर्धारित किया गया जो कि आगे समूह 1 के एकीकृत विकास और गोदावरी पीएसएल क्षेत्र की व्यवहार्यता को पुनः प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (सितम्बर 2015)। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

1.8 कोल बेड मिथेन ब्लॉक की प्राप्ति के उद्देश्य की अनुपलब्धि

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा आधिप्राप्त कोल बेड मिथेन (सीबीएम) ब्लॉक में अन्वेषण गतिविधियों को शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण महत्वपूर्ण था बोली के लिए चिन्हित सीबीएम ब्लॉक संख्या में अन्वेषण गतिविधियों के लिए भूमि अधिग्रहण और संवैधानिक मंजूरीयों को सरल बनाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच पूर्व बोली स्तर पर एक तंत्र की कमी प्रतीत हुई। इसके अलावा, ओएनजीसी द्वारा इसे ब्लॉक दिए जाने के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई में विलम्ब और वचनबद्ध न्यूनतम वर्क प्रोग्राम को पूर्ण करने में विलम्ब ने पुनः ब्लॉक के अन्वेषण चरण को प्रभावित किया था। परिणामस्वरूप, ओएनजीसी को बार-बार विस्तारण करना पड़ा था, जिसके कारण न केवल कम्पनी को ₹ 6.81 करोड़ के परिसमापन हर्जाना का भुगतान भारत सरकार को करना पड़ा था बल्कि प्रत्येक चार ब्लॉकों के पाँच वर्षों के विकास चरण में भी प्रबल कमी आई थी। ओएनजीसी की ओर से विलम्ब कार्रवाई के कारण समय पर संबंधित एजेंसियों से खनन पट्टे और पर्यावरणीय मंजूरीयों प्राप्त करने में असफलता के कारण एक परिस्थिति हुई जहाँ भावि भविष्य में किसी भी ब्लॉक को उत्पादन में डालने के लिए विकास प्रचालन का प्रारम्भ असम्भाव्य प्रतीत हुआ था। अगस्त 2015 तक इसने सीबीएम ब्लॉक के अधिग्रहण के उद्देश्य को अनुपलब्धि योग्य और फरवरी 2003 से मार्च 2015 तक सीबीएम ब्लॉक के अन्वेषण में हुए ₹1,217.86 करोड़ के कुल व्यय को निष्फल बना दिया था।

1.8.1 प्रस्तावना

कोल बेड मिथेन (सीबीएम) कोयला और लिग्नाइट परतों में अवशोषित एक प्राकृतिक गैस (मिथेन) है और पर्यावरण-अनुकूल गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला सीबीएम के लिए स्रोत और जलाशय रोक दोनों हैं। सीबीएम बिक्री से पूर्व नहीं या कम से कम प्रसंस्करण की आवश्यकता वाली पाइपलाइन-गुणवत्ता की गैस है। सीबीएम गैस प्राकृतिक गैस के अन्य स्रोतों के समान है और बाजार में परंपरागत प्राकृतिक गैस के समान उपयोग के लिए बेची जा सकती है। 'स्वीट गैस' होने के नाते इसे तेल, कोयले यहाँ तक की परंपरागत प्राकृतिक गैस से अधिक पर्यावरणीय अनुकूल माना जाता है चूँकि सामान्यतः इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होती है।

1.8.1.1 भारत में सीबीएम अन्वेषण

भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रमाणित कोयला रिजर्व और चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक होते हुए सीबीएम की वाणिज्यिक वसूली की महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। जुलाई 1997 में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निरूपित सीबीएम नीति के तहत सीबीएम ब्लॉक कोयला मंत्रालय और केन्द्रीय खनन योजना एवं अभिकल्प संस्थान, राँची के साथ करीबी वार्तालाप में हाइड्रोकार्बन के महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा बनाए जाते हैं। देश में सीबीएम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए, सीबीएम ब्लॉक के आवंटन के लिए एकल तौर पर अथवा अन्य कम्पनियों के साथ मिलकर बोली के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीपी) के माध्यम से तकनीकी रूप से और वित्तीय रूप से सक्षम विदेशी एवं भारतीय कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है।

विनिंग बोली का चयन भारत सरकार को उत्पादन से जुड़े भुगतान सहित तकनीकी क्षमता, वित्तीय क्षमता, वर्क प्रोग्राम और राजकोषीय पैकेज पर आधारित है। इन प्रत्येक चार मानदण्डों का नियत महत्त्व है और उच्चतम स्कोर बोली लगाने वाले को एक सीबीएम ब्लॉक दिया गया है। 2001 और 2009 के बीच चार बार बोली आयोजित की गई थी। पृथक मानदंड के लिए भारिताएं निम्न प्रकार से थी:

तालिका 1

सीबीएम राउंड I से IV में बोली मानदण्ड

बोली मानदण्ड	100 बिंदुओं के स्केल पर भारिता			
	सीबीएम I	सीबीएम II	सीबीएम III	सीबीएम IV
तकनीकी सक्षमता	20	20	20	30
वित्तीय क्षमता	10	10	--	--
वर्क प्रोग्राम	50	50	45	35
राजकोषीय पैकेज	20	20	35	35

स्रोत: सीबीएम ब्लॉक के प्रस्तावों के आमंत्रण वाले नोटिस-I से IV राउंड

सफल बोली लगाने वाले भारत सरकार के साथ एक संविदा करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का प्रावधान है कि भारत में सीबीएम संसाधन को आधुनिक औद्योगिक पद्धतियों के अनुसार शीघ्रता से वाणिज्यिक मात्राओं में निर्धारित और उपयोग में लाया जाना चाहिए। संविदा में आवश्यक रूप से निम्न गतिविधियों को परिकल्पित किया गया है:



- **अन्वेषण प्रचालन:** यह वाणिज्यिक रूप से उपयोग में लाए जाने वाले सीबीएम संचय की खोज में संविदा क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं और सीबीएम संभाव्य के निर्धारण के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण और पायलेट कुओं की ड्रिलिंग शामिल है। अन्वेषण प्रचालन दो¹ चरणों, चरण-I और चरण-II में किए जाते हैं। दो अन्वेषण चरणों की कुल अवधि 6 से 7 वर्षों की हैं।
- **विकास प्रचालन:** अन्वेषण प्रचालनों के समापन के पश्चात विकास प्रचालन प्रारंभ होते हैं। इस चरण में गतिविधियाँ अनुमोदित विकास योजना के अनुसार होती हैं और इनमें विकास कुओं (डवलपमेंट वेलस) की ड्रिलिंग,

¹ चरण-I (प्रभावी दिनांक से दो से तीन वर्ष) और चरण-II (चरण-I के बाद 4 वर्ष)। प्रभावी दिनांक का अर्थ है पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) के प्रदान करने की तिथि और सामान्य तौर पर इसे ब्लॉक में गतिविधियों के प्रारंभ की तिथि के रूप में लिया जाता है।

संग्रहण लाइनें बिछाना, टैंकेज, मुख्य गैस भण्डार या गैस प्रसंस्करण सुविधाओं में सीबीएम के उत्पादन, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए आवश्यक अन्य उत्पादन एवं अंतः क्षेपक सुविधाएं निहित हैं। अन्वेषण प्रचालनों के तुरंत बाद विकास चरण की अवधि 5 वर्षों की है।

- **उत्पादन प्रचालन:** उत्पादन प्रचालनों में सीबीएम दोहन का अंतिम चरण गठित होता है। उत्पादन चरण की अवधि 22 से 25 वर्षों की है।

1.8.1.2 सीबीएम ब्लॉक का दिया जाना

डीजीएच ने देश में विभिन्न कोयला-क्षेत्रों में बहुत से संभावित सीबीएम ब्लॉक बनाए थे। सीबीएम बोली का पहला राउंड मई 2001 में हुआ था। सभी में सीबीएम बोली के चार राउंड भारत सरकार द्वारा 2001 से 2009 तक आयोजित किए गए थे जिसमें 36 सीबीएम ब्लॉकस प्रस्तावित किए गए थे।

सभी चार राउंड के दौरान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र कम्पनियों दोनों को 30 ब्लाक दिए गए थे जैसा कि तालिका 2 में दर्शाया गया है:

तालिका 2

विभिन्न कम्पनियों को चार राउंड में दिए गए ब्लॉकस

ओएनजीसी	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल)	एस्सर ऑयल लिमिटेड (एस्सर)	जिओपेट्रोल इंटरनेशनल इंक	एरो	डार्ट	कोल गैस	ग्रेट इस्टर्न एनर्जी कार्पोरेशन लिमिटेड (जीईईसीएल)	बीपी एक्सप्लोरेशन अफ्फ लिमिटेड
7	5	5	4	3	2	2	1	1

ओएनजीसी 2001 और 2003 में आयोजित 1 और 2 बोली राउंडों में 7 ब्लाकस लेने के लिए सफल हुआ था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 2001 एवं 2003 में नामांकन के आधार पर क्रमशः ओएनजीसी को दो ब्लाकस एवं जीईईसीएल को एक ब्लाक दिया था।

1.8.1.3 सरकार द्वारा दिए गए सीबीएम ब्लॉक्स की स्थिति

(I) दिए गए 33 ब्लॉक में से, खराब संभाव्यता के कारण 16 तब से छोड़ दिए गए थे या छोड़े जाने के तहत (अगस्त 2015) थे। शेष 17 ब्लॉक निष्पादन के विभिन्न चरणों के तहत थे, जिसका ब्यौरा नीचे तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3

निष्पादन के विभिन्न चरणों में ब्लॉक्स का ब्यौरा

विवरण	ओएन जीसी	निजी दल						कुल
		आर आई एल	एस्सर	जीईईसी एल	कोल गैस	जि ओ	डार्ट	
अन्वेषण चरण में ब्लॉक्स	0	0	4	1	2	1	1	9
विकास चरण में ब्लॉक्स	#4	2	1	1	0	0	0	8
मार्च 2015 तक सीबीएम (एमएमएससीएम) का उत्पादन	[^] 13.89	0	156.80	525.34	0	0	0	682.14
उपरोक्त उत्पादन पर राज्य सरकार को प्रेदत्त रायल्टी (₹ करोड़ में)	[^] 1.21	0	17.63	46.36	0	0	0	63.99
उपरोक्त उत्पादन पर आधारित भारत सरकार को उत्पादन लिंकड भुगतान (₹ करोड़ में)	[^] 0.30	0	0	11.59	0	0	0	11.59

झारखण्ड में: तीन ब्लॉक जैसे कि बोकारो, नोर्थ करनपुरा और झारिया। पश्चिम बंगाल में एक ब्लॉक जैसे कि रानीगंज नोर्थ।

[^] झारिया ब्लॉक से प्रासंगिक उत्पादन जो कुल जोड़ में शामिल नहीं हैं।

(II) उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जहाँ पर मार्च 2015 तक निजी दलों (एस्सर और जीईईसीएल) ने उनके द्वारा प्रचालित दो ब्लॉक्स से सीबीएम का 682.14 मिलियन मेट्रिक मानक घन मीटर (एमएमएससीएम) का उत्पादन प्राप्त किया,

राज्य सरकार को ₹ 63.99 करोड़ की रायल्टी का भुगतान किया और भारत सरकार को ₹ 11.59 करोड़ के उत्पादन लिंकड भुगतान का योगदान दिया, ओएनजीसी ने अभी तक (अगस्त 2015) इसके द्वारा प्रचालित चार ब्लॉक्स में विकास प्रचालन आरंभ नहीं किए थे और इस प्रकार प्रासंगिक उत्पादन से संबंधित को छोड़कर किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार को कोई भी राजस्व का योगदान नहीं किया गया।

(III) 31.3.2015 तक ओएनजीसी द्वारा उपार्जित और अभ्यर्पित सीबीएम ब्लॉक के ब्यौरे तालिका 4 में दिए गए हैं। ₹ 147.68 करोड़ का व्यय करने के पश्चात ओएनजीसी ने पाँच ब्लॉक छोड़ दिए थे।

तालिका 4
ओएनजीसी द्वारा छोड़े गए ब्लॉक

राउण्ड	ब्लॉक की संख्या	अधिग्रहित ब्लॉक का नाम	प्रभावी दिनांक	अभ्यर्पण की तिथि यदि अभ्यर्पण किया गया है	अभ्यर्पित ब्लॉक पर व्यय (₹ करोड़ में)	ब्लॉक की शेष संख्या
I	2	बोकारो	21.02.2003	एनए	एनए	2
		नोर्थ करनपुरा	21.02.2003	एनए		
II	5	बरमार-संचोर	10.09.2004	09.03.2008	32.02	0
		सतपुरा	23.02.2005	20.07.2007	3.41	
		वारधा	13.04.2005	12.04.2007	2.80	
		दक्षिण करनपुरा	12.05.2006	05.07.2011	91.18	
		नोर्थ पश्चिम करनपुरा	12.05.2006	23.06.2011	18.27	
नामाकंन	1	झारिया	28.08.2003	एनए	एनए	1
	1	रानीगंज	09.06.2004	एनए	एनए	1
कुल	9				147.68	4

एन ए- मान्य नहीं

मार्च 2015 तक ओएनजीसी ने इसके द्वारा प्रचालित चार ब्लॉक पर ₹ 1,070.18 करोड़ व्यय किए और पाँच ब्लॉक्स पर उनके उपार्जन से अभ्यर्पित तक ₹ 147.68 करोड़ व्यय

किए। सीबीएम ब्लॉक में ओएनजीसी के असंतोषजनक निष्पादन के विशेष कारणों की चर्चा नीचे की गई है।

1.8.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सभी नौ ब्लॉक्स में आरंभ से (2003-15) ओएनजीसी द्वारा कि गई सीबीएम गतिविधियों की जांच चार सक्रिय ब्लॉक्स में फोकस सहित लेखापरीक्षा में की गई थी जैसा कि उपर्युक्त तालिका 4 में दिखाया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी पैराग्राफ में सारांशीकृत किया गया है।

1.8.2.1 अन्वेषण गतिविधियों के समापन में विलम्ब

ओएनजीसी संविदा में आवंटित समय के अन्दर सीबीएम ब्लॉक्स में अन्वेषण गतिविधियाँ पूर्ण नहीं कर सका। छह से सात वर्षों की संविदात्मक समय सीमा के प्रति ओएनजीसी ने अन्वेषण गतिविधियों के समापन में सात से आठ वर्षों अधिक लिए। अन्वेषण चरण में विलम्ब का असर विकास चरण में गया और अन्ततोगत्वा सीबीएम के उत्पादन के लिए अनुमत समय को कम समय दिया जाएगा। अन्वेषण को पूर्ण करने में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, ड्रिलिंग के लिए तैयार स्थलों की अनुपलब्धता, लॉजिस्टिक्स की अनुपलब्धता आदि के कारण हुआ था, जैसा कि आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

(1) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब

सीबीएम ब्लॉक के आवार्ड होने के बाद, ठेकेदार (जैसे कि ओएनजीसी) संविदा क्षेत्र से संबंधित राज्य सरकार को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) के लिए आवेदन करता है। पीईएल की प्राप्ति पर ओएनजीसी कुओं की ड्रिलिंग के लिए संभाव्य स्थानों की पहचान की सुविधा के लिए प्रत्येक ब्लॉक के संविदा क्षेत्र में कोर होल की ड्रिलिंग करते हुए डाटा एकत्रित करता है। एक बार ड्रिलिंग अन्वेषण/पायलट कुओं¹ के लिए स्थान सुनिश्चित हो जाने पर भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित जिला प्राधिकारियों को आवेदन करने की जिम्मेदारी ओएनजीसी की है जिसके पश्चात सम्बंधित जिला प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण कर ओएनजीसी को उपलब्ध करवाते हैं। ओएनजीसी द्वारा सम्बंधित जिला प्राधिकारियों को भूमि के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारीयों में मुक्त स्थानों की

¹ पायलट कुओं संविदा क्षेत्र में संभाव्य सीबीएम संचयन के निर्धारण के लिए ड्रिल किया गया ।

स्टेकिंग¹ और संयुक्त जांच, स्वामित्व दस्तावेजों का एकत्रीकरण और ड्रिलिंग साइट का सीमांकन और आहरण शामिल था। इसके बाद, भूमि अधिग्रहण का आवेदन जिला प्राधिकरणों को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी आंशिक रूप से ओएनजीसी और आंशिक रूप से संबंधित राज्य सरकार के जिला प्राधिकारियों की होती हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूर्ण करने में ओएनजीसी और संबंधित राज्य सरकार के जिला प्राधिकारियों दोनों ने अत्यधिक समय लिया **(अनुबंध -XV)**

संबंधित राज्य सरकारों की ओर से विलम्ब पूर्ण बोली स्तर पर सक्रीय समन्वयन के लिए एक तंत्र की कमी की वजह से और ब्लॉक के आवंटन के पश्चात् और एमओपीएनजी, कोयला मंत्रालय (एमओसी) और संबंधित राज्य सरकारों के बीच समन्वयन की कमी से उत्पन्न हुआ जो कि (i) प्रस्तावित बोली लगाने वालों को सीबीएम ब्लॉक का वास्तविक भौगोलिक फैलाव का पता लगाने (ii) सफल बोली लगाने वालों को भूमि उपलब्ध कराने में यदि कोई, कठिनाई हो का पता लगाने और (iii) उन मामलों को कम करने के लिए जिनका सामान भूमि के गैर अधिग्रहण के कारण प्रचालनों को प्रारंभ करने में सफल बोलीदाताओं द्वारा किया जाता है और अन्य संविधानिक मंजूरीयों पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी), खनन पट्टा (एमएल) आदि शामिल है, ताकि परिहार्य विलम्ब के कारण ऐसे मामलों का समय पर समाधान किया जा सके जिसमें अग्रिम कार्यवाई करने की आवश्यकता है। ब्लॉक के आवंटन के बाद, भूमि के अधिग्रहण के लिए और ईसी और एमएल के लिए ओएनजीसी द्वारा सामयिक कार्यवाई करने में विलम्ब ने स्थिति को पुनः बिगाड़ दिया।

जबकि राज्य सरकारों की ओर से विलम्ब, ओएनजीसी के नियंत्रण से बाहर था, फिर भी भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन का प्रस्तुतीकरण पूर्णरूप से इसके नियंत्रण में था और विलम्ब को परिहार्य किया जा सकता था।

ओएनजीसी **(तालिका 4 देखें)** के पास चार ब्लॉक में फैले 23 स्थानों² **(अनुबंध-XV)** में से जिसके ब्यौरे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे, यह देखा गया कि 12 मामलों (52 प्रतिशत) में स्थानों का पता लगाने के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए जिला प्राधिकारियों

¹ स्टेकिंग का अर्थ है कुओं ड्रिलिंग के लिए निर्मुक्त स्थान की भौगोलिक स्थिति की भूमि जांच जहाँ पर निर्मुक्त स्थान सीबीएम ब्लॉक की पीईएल/एमएल सीमा के अन्दर एक सतह बिंदु दर्शाता है जहाँ एक सीबीएम कुओं ड्रिल किए जाने हेतु प्रस्तावित है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति प्राप्त हो चुकी थी।

² स्थान ब्लॉक्स में विशिष्ट बिन्दु हैं जहाँ कुएं ड्रिल किए गए हैं।

को आवेदन के प्रस्तुतीकरण में ओएनजीसी ने 145-600 दिन लिए। ओएनजीसी की ओर से विलम्ब के कारण भूमि अधिग्रहण में समग्र विलम्ब हुआ अन्वेषण चरण के लिए समय सीमा की हानि हुई और चार ब्लॉकों के विकास के लिए समय सीमा की हानि दर्शायी गई है, जैसा कि नीचे दिया गया है

- **बोकारो ब्लॉक:** चार वर्ष की अवधि (21 फरवरी 2005 से 20 फरवरी 2009) के दौरान अन्वेषण चरण-II में ड्रिल किए जाने वाले बारह पायलट कुओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन सितम्बर-दिसम्बर 2006 में विलम्ब से किया गया था अर्थात् अन्वेषण के चरण-II की प्रारम्भ करने से एक वर्ष से भी अधिक के बाद. वास्तविक भूमि अधिग्रहण कार्य मई 2007 से अगस्त 2010 के दौरान हुआ। परिणामस्वरूप कुओं की वास्तविक ड्रिलिंग निर्धारित समापन फरवरी 2009 तक के प्रति भारत सरकार से समय में वृद्धि प्राप्त करने के बाद जून/जुलाई 2009 में हो सकी थी।
- **नोर्थ करनपुरा:** अन्वेषण चरण-II (21 अगस्त 2005 से 20 अगस्त 2009) के दौरान ड्रिल किए जाने वाले पाँच कुओं के लिए भूमि अधिग्रहण जब चरण-II का अन्वेषण आरंभ होना था से दो वर्ष से भी अधिक के बाद (लगभग 28 महीने) जनवरी 2008 जुलाई 2008 में हुआ था। वास्तविक भूमि अधिग्रहण जुलाई 2009 में हुआ। परिणामस्वरूप, अगस्त 2009 तक उनके निर्धारित समापन के प्रति कुएं केवल मार्च 2010 से जनवरी 2011 के दौरान ही ड्रिल किए जा सके।
- **रानीगंज:** अन्वेषण चरण-II (09 जून 2007 से 08 जून 2011) के दौरान दो पायलट कुओं के लिए भूमि अधिग्रहण, चरण-II के शुरू होने के दो वर्ष से भी अधिक के बाद, क्रमशः अगस्त 2009 और जून 2010 में देर से प्रारंभ हुआ था। भूमि का वास्तविक रूप से अधिग्रहण केवल नवम्बर 2010 और मई 2011 में किया गया। कुओं की ड्रिलिंग जून 2011 तक निर्धारित समापन के प्रति अप्रैल 2011 से अप्रैल 2012 तक हुई थी।
- **झारिया:** अन्वेषण चरण-I (28 अगस्त 2003 से 27 अगस्त 2006) में दो अन्वेषी कुओं के लिए भूमि अधिग्रहण चरण-I के आरंभ करने के लगभग दो वर्षों के बाद जून 2005 और अगस्त 2005 में प्रारंभ हुआ था। भूमि का वास्तविक रूप से अधिग्रहण क्रमशः मार्च 2006 और जून 2006 में किया गया। कुएं वास्तविक रूप से चरण-I के निर्धारित समापन के बाद जुलाई 2006 से मई 2007 के बीच ड्रिल किए गए थे।

ओएनजीसी ने कहा (जनवरी 2015) कि:

- भूमि अधिग्रहण सदैव विलम्ब का एक मुख्य कारण था चूँकि अधिकतर क्षेत्र 'गेरमजरूआ'¹ या खराब उपलब्धता/राजस्व अभिलेखों के रखरखाव वाली चिन्हित आदिवासी भूमि में आते हैं।
- चूँकि भूमि अधिग्रहण में स्थानीय प्राधिकरण और जनसाधारण शामिल हैं इसलिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और ऐसे अधिग्रहण की गति ओएनजीसी के नियंत्रण में नहीं थी।
- सीबीएम क्षेत्रफल में ओवरलैपिंग मामलों (सीबीएम ब्लॉक में विभिन्न कम्पनियों द्वारा कोयला खनन प्रचालन कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खनन लाइसेंस दिए जाने पर किए जा रहे थे) ने भूमि अधिग्रहण परिदृश्य को और भी बिगाड़ दिया था।

निम्न को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं:

- लेखापरीक्षा आपत्ति ओएनजीसी की ओर से भूमि अधिग्रहण में विलम्ब पर केन्द्रित है जिसे इसके विभिन्न अनुभागों को अर्थात् भूमि अधिग्रहण अनुभाग (एलएक्यू), सिविल अनुभाग, खुदाई अनुभाग आदि के बीच प्रभावी योजना और समन्वय से परिहार्य किया जा सकता था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीबीएम ब्लॉक्स के विकास और उत्पादन को शीघ्र करने के लिए ओएनजीसी द्वारा गठित (जून 2010) एक कार्यबल ने अन्य बातों के साथ-साथ देखा (जून 2010) कि भूमि अधिग्रहण श्रमबल समर्पित वित्तीय अनुशासन अधिकारी के अलावा संख्याओं, कौशल और गठन और पूर्णकालिक कानूनी अधिकारी के अनुशंसित संघ और बाहर के कानूनी विशेषज्ञ मोटे तौर पर अपर्याप्त थे। इन मामलों पर कार्यकारी समिति की बैठक (जुलाई 2010) में विचार-विमर्श किया गया यद्यपि लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए अभिलेखों में इस संबंध में की गई सकारात्मक कार्यवाही के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। वास्तव में, एलएक्यू अनुभाग में तैनात श्रमबल को 2008-09 में ग्यारह से 2014-15 में पाँच तक घटा दिया गया था।
- लेखापरीक्षा ने ओवरलैपिंग के मामले को माना। तथापि, ओएनजीसी द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, यह देखा गया कि यह मामला उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना की कम्पनी द्वारा बताया गया था।

¹ गेरमजरूआ: अकृषित बंजर भूमि

बोकारो, नोर्थ करनपुरा और रानीगंज ब्लॉक्स में, ओवरलैप ने केवल प्रत्येक एक स्थान को प्रभावित किया। झारिया ब्लॉक में समस्या और भी गंभीर थी जहां पर ओवरलैप द्वारा छह स्थानों को प्रभावित किया जैसा कि निम्न तालिका 5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5

सीबीएम ब्लॉक्स में ओवरलैपिंग की स्थिति

ब्लॉक का नाम	कुल क्षेत्र (वर्ग कि.मी)	वर्तमान क्षेत्र	ओवरलैप किया गया क्षेत्र (वर्ग कि.मी)	ओवरलैप क्षेत्रों में आने वाले स्थानों के नाम
बोकारो	95.00	75.00	3.50	बीकेएएल
नोर्थ करनपुरा	340.00	271.50	30.00	एनकेएबी
झारिया	84.55	65.10	08.00	जेएच1, 1ए, 2, 3, 14, 15
रानीगंज	350.00	311.79	28.95	आरएनएए

तथापि, भारत सरकार ने झारिया ब्लॉक में ओवरलैपिंग मामलों के कारण विलम्ब के लिए ओएनजीसी को 14 महीनों (28 फरवरी 2007 से 27 अप्रैल 2008) तक की छूट अनुमत की थी।

(II) ठेकेदार को ड्रिलिंग के लिए स्थलों को सौंपने में असफलता के कारण ₹312 करोड़ का एक दावा हुआ

ओएनजीसी ने 18 दिसम्बर 2008 तक 36 कुओं की ड्रिलिंग के लिए (झारिया ब्लॉक के केन्द्रीय परबतपुर क्षेत्र में 14 विकास कुँए और 22 पायलट कुँए: बोकारो, नोर्थ करनपुरा और झारिया ब्लॉक में 3 क्षैतिज और 19 लम्बवत) एक एकीकृत टर्नकी संविदा की (मई 2006)। (आईटीसी) संविदा के अनुसार, ओएनजीसी को ड्रिलिंग गतिविधि प्रारंभ करने से कम से कम तीन महीने पहले ठेकेदार को ड्रिल स्थल (स्थानों) के लिए भूमि और एक सड़क उपलब्ध करानी थी। इस अवधि के बाद यदि ओएनजीसी ड्रिल साइटों और पहुँच सड़क प्रदान करने में असफल रहता है, ओएनजीसी को यूएसडी 50000 की दर पर गैर-

¹ ठेकेदार- ओएनजीसी द्वारा नियुक्त किया एक ठेकेदार जहाँ 'ठेकेदार' एक दल/दलों (ओएनजीसी के वर्तमान मामले में) को सन्दर्भित करता है जिसके साथ भारत सरकार ने सीबीएम संविदा पर हस्ताक्षरित किया।

प्रचालन दिवस दर से (एनओडीआर) और ₹50000 क्षैतिज कुओं के लिए यूएसडी 35,000 और ₹35,000 लम्बवत कुओं के लिए ठेकेदार को देना होगा। ठेकेदार ने 3 क्षैतिज और 16 लम्बवत कुओं को डील किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि ठेकेदार को कार्य मई 2006 में दिया गया था फिर भी उस समय पर ओएनजीसी के पास ठेकेदार को सौंपने के लिए कोई तैयार स्थान नहीं था। ठेकेदार को पहला स्थान फरवरी 2007 में सौंपा गया था अर्थात संविदा देने के नौ महीने बाद 2007-12 तक ओएनजीसी ठेकेदार को केवल 19 स्थान (संविदागत 36 में से) सौंप सकी थी जो कि ड्रिल किए गए थे। ठेकेदार ने संविदा स्थल की अनुपलब्धता के कारण ₹312 करोड़ के आपाती प्रभारों (एनओडीआर) का दावा किया था। एक बाह्य विशेषज्ञ समिति (ओईसी) का गठन (मार्च 2014) संविदा (दिसम्बर 2011) के पूर्व समापन के लिए किया गया था।

ओएनजीसी ने कहा (जनवरी 2015) कि सीबीएम परियोजना बोकारो के प्रारंभिक अवस्था में भूमि के कठिनाई-मुक्त अधिग्रहण के साथ, यह परिकल्पित किया गया है कि चिन्हित नियुक्त स्थान नियमित आधार पर आईटीसी ठेकेदार को सौंपे जाने के लिए समय पर अधिग्रहीत किए जाएंगे। तथापि अप्रत्याशित परिवर्तनों ने परिकल्पित योजनाओं को पूर्ण रूप से जोखिम में डाल दिया। ओएनजीसी ने कहा (दिसम्बर 2015) कि बहुत से सम्प्रेषणों और अनुदायों के बावजूद, ठेकेदार इसके कार्यचालन को प्रारंभ करने के लिए ओईसी के लिए पूर्व-शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा और बाद में ओईसी के समापन के लिए प्रस्ताव शुरू किया गया (नवम्बर 2015) और अंतिम निर्णय प्रतीक्षित (दिसम्बर 2015) था।

उत्तर स्वीकार नहीं है चूँकि किसी तैयार स्थान के बिना, ठेकेदार को सौंपने के लिए ओएनजीसी ने एक आईटीसी संविदा की थी। जिसके बाद, प्रस्तावित स्थानों के लिए भूमि के सामयिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने में कम्पनी असफल रही जिसके कारण ठेकेदार ने एनओडीआर खंड का आवाहन किया। यह ध्यान में रखते हुए कि ओएनजीसी द्वारा स्थलों को सौंपने में विलम्ब के मामले में संविदा में एनओडीआर खण्ड का प्रावधान था इसलिए ओएनजीसी की ओर से, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए पर्याप्त गंभीरता की आवश्यकता थी जैसा कि उपरोक्त पैरा 2.1.1 में टिप्पणी की गई है।

(III) भूमि के अधिग्रहण के बाद भी रिग की निष्क्रियता के कारण ₹21.04 करोड़ का परिहार्य व्यय और विलम्ब

सीबीएम परियोजना बोकारो के तहत चार ब्लॉकों में (बोकारो, नोर्थ करनपुरा, झारिया और रानीगंज तालिका 4 देखें) ड्रिलिंग स्थानों के लिए भूमि का अधिग्रहण अप्रैल 2004 से

मई 2011 के बीच किया गया। ओएनजीसी ने 5 जनवरी 2005 से 19 फरवरी 2014 तक जो कि है 2770 दिन है, चार ब्लॉक्स में चयनित स्थानों पर कुएँ ड्रिल करने के लिए एक विभागीय रिग (एम-750-1) को तैनात किया और उस पर ₹ 134.59 करोड़ का व्यय हुआ। इस अवधि के दौरान, रिग 552 दिनों के लिए निष्क्रिय रहा जिसमें से 428 दिन सिविल कार्यों के गैर-समापन के कारण तैयार ड्रिलिंग स्थानों की अनुपलब्धता बताया गया था और 124 दिन लॉजिस्टिक्स की अनुपलब्धता के कारण था। निष्क्रिय समय में लगभग कुल अवधि का 24 प्रतिशत बनता है जिसके लिए रिग तैनात किया गया था और कम्पनी की लागत ₹ 21.04 करोड़ **(अनुबंध-XVI)** आई थी।

ओएनजीसी ने कहा (जनवरी 2015) कि रूकावटें जैसे कि ठेकेदारों की सीमित उपलब्धता उनमें व्यावसायिक सक्षमता और सिविल सामग्री के लिए अच्छे आपूर्तिकर्ताओं की कमी और ठेकेदारों और इसके आपूर्तिकर्ताओं के बीच असहयोग/बैर सक्षम, अखंड कार्यान्वयन और प्रचालनों के निष्पादन के प्रति अनुभव था। कम्पनी ने आश्वासन दिया कि पुराने अनुभव से भविष्य में प्रत्येक प्रयास सिविल कार्यों के सामयिक समापन और परिवहन/लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

जबकि लेखापरीक्षा ओएनजीसी द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखता है, फिर भी तथ्य यह कहता है कि उपरोक्त उल्लिखित अवधि के दौरान विभागीय रिग की रोजाना प्रोहिवीटीव लागत ₹ 2.7 लाख से ₹ 6.6 लाख की रेंज में होते हुए तथा ओएनजीसी लम्बे समय से एक समान परिवेश में कार्य कर रहा है इसे अपने विभिन्न कार्यात्मक अनुभागों जैसे कि ड्रिलिंग अनुभाग, सिविल अनुभाग, लॉजिस्टिक्स आदि के बीच प्रयास और बेहतर समन्वय और प्रबंधन करना चाहिए था ताकि समय और लागत की वृद्धि के बिना ड्रिलिंग प्रचालनों को योजनानुसार किया जा सकता था। आगे, व्यावसायिक तौर पर सिविल कार्यों/सामग्री आदि के लिए सक्षम ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने में कम्पनी की असफलता अपने आप बोली/निविदाकरण प्रक्रिया में सुधार और ओएनजीसी में बेहतर संविदा प्रबंधन की आवश्यकता को जोकि सीबीएम ब्लॉकों के अन्वेषण से संबंधित है, बताती है।

(IV) अन्वेषण में विलम्ब के कारण परिसमापन हर्जाने का भुगतान

चार ब्लॉक अर्थात् बोकारों, नोर्थ करनपुरा, झारिया और रानीगंज का अन्वेषण चरण फरवरी 2009 और जून 2011 के बीच समाप्त होना था। तथापि, ओएनजीसी विलम्बित भूमि-अधिग्रहण (पैराग्राफ 2.1.1 देखें), विलम्बित सिविल कार्यों और लॉजिस्टिक्स समस्याओं आदि (पैराग्राफ सं. 2.1.3 देखें) के कारण तैयार स्थानों की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित अवधि के अन्दर अन्वेषण पूरा नहीं कर सका। परिणामस्वरूप,

ओएनजीसी ने इन ब्लॉकों में वचनबद्ध न्यूनतम वर्क प्रोग्राम (एमडब्ल्यूपी) के पूरा करने के लिए बार-बार अतिरिक्त समय की मांग की थी और ₹ 6.81 करोड़ का विलम्ब के लिए भारत सरकार को परिसमापन हर्जानों के रूप में भुगतान किया। परिणामस्वरूप इन चार ब्लॉक का अन्वेषण 368 से 549 दिनों (*अनुबंध-XVII*) की रेंज में विलम्ब सहित जनवरी 2011 से दिसम्बर 2012 के बीच ही पूरा किया जा सका जिसने उत्पादन के लिए ब्लॉक्स में विकास गतिविधियों के लिए उपलब्ध समय को कम कर दिया था।

ओएनजीसी ने कहा (जनवरी 2015) कि सीबीएम ब्लॉक्स ऐसे क्षेत्रों में थे जहाँ तेल और गैस उद्योग के लिए मूलभूत सुविधाएँ नहीं थी। परिणामस्वरूप, उपलब्ध और उनके संसाधन को जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। भूमि अधिग्रहण एक अन्य बड़ी बाधा थी। इसलिए ओएनजीसी अतिरिक्त समय की मांग करने के लिए बाध्य था जो कि बाद में उनकी पात्रता की जाँच करने के बाद भारत सरकार द्वारा दी गई थी।

उत्तर को निम्न के प्रति देखने की आवश्यकता है:

- (i) भारत सरकार ने ओएनजीसी को उसके द्वारा निर्णीत हर्जानों के भुगतान के अध्यक्षीन अतिरिक्त समय प्रदान किया था। इसने दर्शाया कि विलम्ब को भारत सरकार द्वारा क्षमा योग्य नहीं माना गया।
- (ii) इसके अतिरिक्त संसाधनों के सामयिक और प्रभावी प्रबंधन और प्रतिबद्ध गतिविधियों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ओएनजीसी सीबीएम संविदा द्वारा बाधित थी। तथापि, यह भूमि के सामयिक अधिग्रहण को सुनिश्चित नहीं कर सकी जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वयन द्वारा प्रबंधित किया जा सकता था। भूमि की उपलब्धता के बाद भी जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है ओएनजीसी की ओर से सिविल कार्यों के सामयिक समापन, लॉजिस्टिक्स और पर्याप्त श्रमबल की उपलब्धता में विलम्ब था और यह कारक सीबीएम ब्लॉक्स में अन्वेषण गतिविधियों को करते समय नियंत्रण योग्य थे।

1.8.2.2 घटकों के कारण कोई गतिविधि नहीं के साथ संकीर्ण विकास चरण

(I) अन्वेषण चरणों में खपत किया गया अधिक समय

सीबीएम संविदा के अनुच्छेद 10 में प्रावधान किया गया है कि विकास चरण, पाँच लगातार वर्षों के लिए अन्वेषण चरण-II की समाप्ति के बाद प्रारंभ होगा जिसके दौरान ठेकेदार विकास योजना के अनुसार विकास प्रचालन करेगा। अन्वेषण चरणों के लिए

अतिरिक्त समय के लिए भारत सरकार की नीति (दिसम्बर 2007) में प्रावधान है कि जहाँ सुसंगत चरण का एमडब्ल्यूपी उस चरण की अनुबद्ध अवधि के भीतर पूर्ण नहीं हुआ है और एमडब्ल्यूपी (छूट योग्य विलम्ब की छोड़कर) को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय की माँग की गई है, विस्तारण की अवधि अगले चरण से कम की जाएगी।

सीबीएम संविदा में प्रावधान है कि यदि ठेकेदार विकास चरण के भीतर विकास प्रचालनों को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है तो भारत सरकार ठेकेदार के अनुरोध पर विकास प्रचालनों को पूर्ण करने के लिए जोकि एक वर्ष से अधिक नहीं हो, के लिए विकास चरण के विस्तार पर विचार कर सकती है और इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि उत्पादन चरण से कम की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अन्वेषण चरण में लिए गए अतिरिक्त समय के कारण चारों ब्लॉक के विकास चरण के पाँच वर्ष को संकीर्ण किया गया जैसा कि *(अनुबंध-XVII)* में दिखाया गया है।

बोकारों ब्लॉक के मामले में विकास चरण 27 जुलाई 2014 को समाप्त हुआ था। 27 जुलाई 2015 को एक वर्ष के विस्तारण मांगने की विंडो भी समाप्त हो गई थी। इस प्रकार कोई विकास गतिविधि किए बिना ही विकास चरण बीत गया। समानरूप से, नोर्थ करनपुरा ब्लॉक के मामले में कोई विकास गतिविधियाँ नहीं की गईं। यद्यपि विकास चरण 26 मार्च 2015 को समाप्त हो चुका था, फिर भी लेखापरीक्षा ने देखा कि जुलाई 2015 तक ओएनजीसी ने एक वर्ष के अतिरिक्त समय की माँग नहीं की थी। अन्य दो ब्लॉकों के मामले में, अर्थात् रानीगंज और झारिया, यद्यपि विकास चरण जून 2016 और अक्टूबर 2016 में समाप्त होगा, फिर भी ओएनजीसी ने अगस्त 2015 तक उनके विकास चरणों (क्रमशः दिसम्बर 2012 और अक्टूबर 2012) को प्रारंभ करने के लिए इन ब्लॉकों में कोई भी विकास गतिविधियाँ नहीं कीं।

ओएनजीसी ने विलम्बित विकास चरण के मामले पर विशेष रूप से प्रतिक्रिया नहीं की।

(II) खनन पट्टा लेने में विलम्ब

सीबीएम संविदा के अनुच्छेद 11.1 में प्रावधान है कि अन्वेषण चरण-II के समापन के बाद और संविदा के अनुच्छेद 5.6 (डी) के अनुसार एक विकास योजना के प्रस्तुतीकरण पर ठेकेदार संविदा क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा धारित उत्पादनीय तथा उत्पादक योग्य क्षेत्र के संबंध में, पट्टे के लिए राज्य सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अन्वेषण-II के समापन के लगभग 7 से 29 महीने बाद, उपर्युक्त उल्लिखित चार सीबीएम ब्लॉक के संबंध में ओएनजीसी ने खनन पट्टे (एमएल) के प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जैसा कि **अनुबंध-XVIII** में दर्शाया गया है। अगस्त 2015 तक दो ब्लॉक्स (बोकारो और रानीगंज) के लिए एमएल प्राप्त नहीं हुआ था जबकि शेष दो ब्लॉकों नोर्थ करनपुरा और झारिया के लिए वही जुलाई 2015 में प्राप्त हुआ था।

ओएनजीसी ने कहा (जनवरी 2015) कि क्षेत्रीय विकास योजना (एफडीपी) के अनुमोदन की प्रभावी तिथि के संबंध में डीजीएच से संप्रेषण की प्राप्ति के बाद एमएल के लिए आवेदन संबंधित राज्य सरकारों को जुलाई 2013 में प्रस्तुत किया गया था। तथापि, प्रक्रिया को झारखण्ड राज्य में चुनावों के मद्देनजर (बोकारो, नोर्थ करनपुरा और झारिया ब्लॉक) रोक दिया गया था। इसका अब परियोजना द्वारा अनुसरण किया जा रहा है।

ओएनजीसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि सीबीएम संविदा के अनुच्छेद 11.1 के अनुसार विकास योजनाओं के प्रस्तुतीकरण और अन्वेषण चरण-II के समापन के तुरंत बाद एमएल आवेदनों को प्रस्तुत करना चाहिए था। चार ब्लॉकों के अन्वेषण चरण जनवरी 2011 और दिसम्बर 2012 के बीच पूर्ण हो गये थे। तथापि, एमएल के लिए आवेदन जुलाई 2013 में किए गए। इस प्रकार कम्पनी को विकास के लिए पहले से कम समय को संक्षिप्त करते हुए सात महीने से दो वर्षों से अधिक की हानि हुई।

(III) पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण के प्रारंभ करने में विलम्ब

सीबीएम संविदा के अनुच्छेद 14.5(बी) में अन्य बातों के साथ-साथ ठेकेदार को सीबीएम प्रचालनों के परिणामस्वरूप संविदा क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्यावरण मानवों और स्थानीय समुदायों, वनस्पति और जीव पर समान्य प्रभावों को स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण (ईआईए) अध्ययन किया जाना और पर्यावरणीय क्षति को कम करने एवं स्थल पुनरुद्धार कार्याकलापों को करने के लिए तरीको और उपायों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अनुच्छेद 14.5.2 में प्रावधान किया गया है कि ईआईए अध्ययन विकास प्रचालनों की शुरुआत से पहले पूर्ण किया जाना चाहिए और ठेकेदार द्वारा विकास योजना के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जायेंगे और विकास प्रचालनों की शुरुआत से पूर्ण सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसा अनुमोदन अकारणवश रोका नहीं जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएनजीसी ने चार ब्लॉक्स के विकास योजनाओं के लिए ईआईए अध्ययन प्रस्तुत नहीं किए। वास्तव में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा

कम्पनी को इसके लिए टर्मस ऑफ रिफरेंस (टीओआर) उपलब्ध कराने के बाद भी ओएनजीसी ने ईआईए अध्ययन कराने के लिए एजेंसियों के लगाने में विलम्ब किया। टीओआर नवम्बर 2011 और मार्च 2014 के बीच प्राप्त हुआ था जबकि ओएनजीसी द्वारा अध्ययन करने के लिए एजेंसियों का लगाया जाना केवल नवम्बर 2013 और दिसम्बर 2014 के बीच किया जा सका। इस प्रकार वहाँ पर, चार महीनों से दो वर्षों (अनुबंध-XIX) तक का अंतराल रहा जिसके कारण विकास चरण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) में विलम्ब हुआ। अगस्त 2015 तक ओएनजीसी ने केवल एक ब्लॉक (नोर्थ करनपुरा) के लिए ईसी प्राप्त किया था, जबकि शेष तीन ब्लॉक के लिए यह प्रतीक्षित था।

ओएनजीसी ने कहा (जनवरी 2015) कि एफडीपी के अनुमोदन के बिना ईआईए अध्ययनों को करना व्यवहार्य नहीं था। यदि ईआईए रिपोर्ट को एफडीपी के साथ प्रस्तुत करना था फिर भी ईआईए प्रक्रिया की कम से कम डेढ़ वर्ष पहले प्रारंभ करने की आवश्यकता होती, अर्थात् समय जब ब्लॉक का संभाव्य अब भी निर्धारण के अंतर्गत था और एफडीपी क्षेत्र भी परिभाषित किया जाना था। ऐसा करना विवेकपूर्ण नहीं होगा, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि प्रत्येक ईआईए अध्ययन पर लगभग ₹ 30 से 40 लाख पर्याप्त वित्तीय निहितार्थ है।

उत्तर को निम्न के प्रति देखा जा सकता है:

- संविदा में दो ईआईए अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है: पहला अन्वेषण चरण के दौरान प्रचालन आरंभ करने से पूर्व और दूसरा विकास चरण प्रारंभ करने से पूर्व। इसलिए सीबीएम संविदा के अनुच्छेद 14.5.2 के अनुसार, विकास प्रचालनों को प्रारंभ करने से पूर्व विकास योजना के भाग के रूप में ओएनजीसी को ईआईए अध्ययन पूर्ण करना और प्रस्तुत करना अपेक्षित था।
- ओएनजीसी के ब्लॉक-प्रबंधक कार्यालय से ईआईए अध्ययनों के प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद, ईआईए अध्ययनों के लिए एजेंसियों की पहचान और लगाए जाने में अनावश्यक रूप से अधिक समय लिया जिसका परिणाम है कि तीन ब्लॉक्स अर्थात् बोकारो, झारिया, और रानीगंज के लिए ईसी अब भी प्रतीक्षित अपेक्षित था (अगस्त 2015) जिसने विकास प्रचालनों के प्रारंभ में विलम्ब किया।

निष्कर्ष

2001 और 2003 में आयोजित बोली के पहले दो राउंड में ओएनजीसी ने सात सीबीएम ब्लॉकस प्राप्त किए। 2003 में, भारत सरकार ने भी इसे नामांकन आधार पर दो ब्लॉकों का आवंटन किया। अप्रैल 2007 से जुलाई 2011 के बीच, ओएनजीसी ने ₹ 147.68 करोड़ का व्यय करने के बाद, खराब संभाव्यता के आधार पर बोली के दूसरे राउंड में इसके द्वारा प्राप्त किए गए सभी पांच सीबीएम ब्लॉकों को छोड़ दिया। बोली द्वारा प्राप्त किए गए शेष दो ब्लॉक और दो नामांकन ब्लॉक के साथ ओएनजीसी अगस्त 2015 तक चार सीबीएम ब्लॉकस का प्रचालन कर रहा था। सफल बोलीदाताओं को ब्लॉक देने में अन्वेषण गतिविधियों को समय पर प्रारंभ करने के लिए सांवैधानिक मंजूरीया और भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने के लिए एमओपीएनजी, एमओसी और राज्य सरकार एजेंसियों के बीच तंत्र की कमी और ब्लॉक के आवंटन के बाद ओएनजीसी की ओर से अपेक्षित कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण भूमि अधिग्रहण में विलम्ब हुआ। शेष ब्लॉकों में प्रतिबद्ध एमडब्ल्यूपी को पूर्ण करने में ओएनजीसी की असफलता के साथ इस घटक के जुड़े होने के कारण, इन ब्लॉकों का अन्वेषण चरण बुरी तरह से प्रभावित हुआ और कुछ मामलों में निर्णीत हर्जाने का भुगतान करने के बाद भी एमडब्ल्यूपी पूर्ण करने के लिए ओएनजीसी को भारत सरकार से बार-बार अतिरिक्त समय की मांग करनी पड़ी। बार-बार विस्तार से पांच वर्षों के विकास चरण को कड़े रूप से कम कर दिया गया। अगस्त 2015 के अंत तक, विकास चरण की शेष अवधि पहले से ही दो ब्लॉक के मामले में समाप्त हो चुकी थी। शेष दो ब्लॉक के लिए, समय केवल 9 महीने (रानीगंज ब्लॉक) और 14 माह (झारिया ब्लॉक) था। स्थिति को बिगाड़ते हुए, ओएनजीसी संबंधित एजेंसियों से खनन पट्टे (एमएल) और पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) का आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एमएल और ईसी जो कि विकास प्रचालनों को प्रारंभ करने के लिए पूर्व-अपेक्षित है, प्राप्त नहीं हो सके। केवल एक ब्लॉक (नोर्थ करनपुरा) जहाँ एमएल एवं ईसी प्राप्त हुए थे वहाँ निर्धारित विकास चरण मार्च 2015 में समाप्त हो गया। तथापि ओएनजीसी ने उस ब्लॉक में भी विकास प्रचालनों को करने के लिए एक वर्ष का अनुमत विस्तार प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को कोई आवेदन नहीं किया था। कम्पनी ने इसके पास चार ब्लॉकों में ₹ 1,070.18 करोड़ का व्यय किया। ऐसे परिदृश्य में चार ब्लॉकों में से किसी में भी कोई भी विकास गतिविधियाँ अभी तक (अगस्त 2015) प्रारंभ नहीं हुई थी, ऐसा असमान्य प्रतीत होता है कि निकटतम भविष्य में ओएनजीसी इन ब्लॉकों को उत्पादन में डालने योग्य होगा। इस प्रकार, सीबीएम ब्लॉक के प्राप्त करने का उद्देश्य और उसके अन्वेषण में किया गया ₹ 1,217.86 करोड़ का कुल व्यय अनुपलब्धि रहा।

मामले को फरवरी 2015 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित किया गया था और मंत्रालय का मत जानने के लिए एक अनुस्मारक 11 दिसम्बर 2015 को जारी किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

1.9 ओएनजीसी द्वारा प्रयुक्त वित्तपोषण तंत्र को ओएनजीसी पेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड (ओपीएएल) की गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) प्रास्थिति को बनाए रखने के लिए बनाया गया था।

ओएनजीसी ने अप्रैल 2007 से मई 2013 के दौरान ओपीएएल को इक्विटी के प्रति अग्रिम दिए थे। ओपीएएल ने इक्विटी शेयरों को अग्रिमों में रूपान्तरण को विलम्बित किया। ओपीएएल ने ओएनजीसी को राईट इश्यू (मार्च 2015) भी प्रस्तावित किए। तथापि, बाद में इसने सीपीएसयू के रूप में कम्पनी की प्रास्थिति से बचने के उद्देश्य से शेयर जारी नहीं किए। ओएनजीसी ने दोबारा परिवर्तनीय वारंट के प्रति किशत के लिए राशि का भुगतान किया (जून 2015) जिसे अभी जारी किया जाना है। अतः ओएनजीसी ने किसी आनुपातिक लाभ के बिना ओपीएएल को ब्याज मुक्त निधियां उपलब्ध करवाईं। इसके परिणामस्वरूप ओएनजीसी को ₹ 408.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। ओएनजीसी द्वारा प्रयुक्त वित्त पोषण तंत्र का उद्देश्य केवल ओपीएएल को एक गैर सा.क्षे.उ सत्त्व के रूप में रखना था।

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने ओएनजीसी के एसपीबी में 26 प्रतिशत तक सीमित निवेश के साथ विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) मार्ग के माध्यम से पेट्रो केमिकल्स काम्प्लैक्स के कार्यान्वयन का अनुमोदन दिया (अगस्त 2006)। तदनुसार ओएनजीसी पेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड (ओपीएएल), एक संयुक्त उद्दम कम्पनी (जेवीसी) को ओएनजीसी के 26 प्रतिशत स्टोक और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन (जीएसपीसी) के पाँच प्रतिशत स्टोक के साथ समाविष्ट किया गया (नवम्बर 2006)। ओपीएएल को एक निजी कम्पनी होना था, जिसकी बकाया इक्विटी नीतिगत भागीदारों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से प्रत्याशित थी। बाद में, (मई 2009) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने ओपीएएल में निवेश (19 प्रतिशत इक्विटी जोखिम) करना स्वीकार किया। इस प्रकार, ओपीएएल में सार्वजनिक सत्त्वों का भाग 50 प्रतिशत होगा और शेष 50 प्रतिशत में निजी भागीदारों द्वारा सहयोग दिया जाना था। इस प्रकार, ओपीएएल, अपनी निजी/पीएसयू प्रकृति को बनाए रखेगा।

ओएनजीसी बोर्ड ने ओएनजीसी का इक्विटी योगदान ₹ 970 करोड़ (ओएनजीसी के 26 प्रतिशत इक्विटी सहयोग के साथ 2.33:1 के डेट इक्विटी अनुपात पर ₹ 12,440 करोड़ की

परियोजना लागत पर विचार करते हुए अनुमोदित किया था (फरवरी 2008)। तथापि, ओएनजीसी ने वित्तपोषण तंत्र, जो ओपीएएल की गैर सीपीएसयू प्रकृति को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, के माध्यम से ओपीएएल को काफी अधिक मात्रा में निधि उपलब्ध करवाई थी, जैसा नीचे चर्चा की गई है:

- (क) अप्रैल 2007 से मार्च 2011 के दौरान, ओएनजीसी ने ओपीएएल को इक्विटी के प्रति अग्रिम के रूप में ₹ 970.29 करोड़ का अंशदान दिया। ओपीएएल द्वारा पूरी राशि 'आवंटन हेतु लम्बित आवेदन राशि' या 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' के रूप में वर्गीकृत रही। असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनियों (अधिमान्य आवंटन) नियमावली, 2003 में संशोधन के कारण (दिसम्बर 2011 में) जिसमें आवेदन राशि की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर शेयरों का आवंटन अनिर्वाय था, ओपीएएल अग्रिमों के प्रति इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए बाध्य किया गया (सितम्बर 2012)। ओपीएएल ने ओएनजीसी को ₹ 637.43 करोड़ गेल को ₹ 634.44 करोड़ और जीएसपीसी को ₹ 29 करोड़ के इक्विटी शेयर जारी किए। इक्विटी शेयरों के जारी होने से, ओपीएएल कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत मानी गई सरकारी कम्पनी बन गई। आवंटन में विलम्ब ने ओपीएएल, निजी कम्पनी के रूप में अपनी प्रास्थिति बनाए रखते हुए अप्रैल 2007- सितम्बर 2012 के दौरान किसी लागत के बिना सार्वजनिक क्षेत्र की सस्थाओं (ओएनजीसी, गेल, जीएसपीसी) की इन निधियों के उपयोग करने की अनुमति मिली।
- (ख) जबकि सितम्बर 2012 में ओएनजीसी को ₹ 637.43 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी किए गए थे, फिर भी ओपीएएल ने बकाया ₹ 332.86 करोड़ (₹ 970.29 करोड़- ₹ 637.43 करोड़) इक्विटी के प्रति अग्रिम के रूप में अपने पास बकाया रखे। इसके अलावा, ओएनजीसी ने 15 मई 2013 को ओपीएएल को ₹ 27.64 करोड़ का सहयोग इक्विटी के प्रति अग्रिम हेतु किया था। ओपीएएल द्वारा ₹ 360.50 करोड़ के कुल इक्विटी शेयर केवल 16 मई 2013 अर्थात् ₹ 332.86 करोड़ की राशि प्राप्ति की तिथि से 775 से 1168 दिन (दो से तीन वर्ष) के बाद आवंटित किए गए। गेल को भी उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों के प्रति मई 2013 में अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी किए गए। मई 2013 में शेयरों के आवंटन के साथ ओपीएएल का पूंजीगत ढांचा ओएनजीसी: 49.36 प्रतिशत गेल: 49.21 प्रतिशत और जीएसपीसी: 1.43 प्रतिशत था। ओपीएएल कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मानी गई सरकारी कम्पनी बनी रही। ओपीएएल द्वारा इक्विटी शेयरों के आवंटन में विलम्ब के कारण बिना किसी लागत के सरकारी कम्पनियों की निधियों का उपयोग लम्बी अवधि के लिए जारी रहा।

- (ग) तपश्चात, ओएनजीसी ने विभिन्न वित्तपोषण तंत्रों के उपयोग से ओपीएएल को वित्त देना जारी रखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ओपीएएल एक सार्वजनिक क्षेत्र इकाई न बन जाए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:-
- (i) इक्विटी शेयरों की आखिरी श्रृंखला जारी करने के मात्र दो दिन बाद, ओपीएएल ने अपने इक्विटी शेयरधारकों को एक राइट्स इश्यू का प्रस्ताव दिया (18 मई 2013)। ओएनजीसी ने 21 मई 2013 को ₹ 670.92 करोड़ के राइट्स इश्यू अधिग्रहण किए। अन्य शेयरधारकों (नामत: गेल और जीएसपीसी) न राइट्स इश्यू मंजूर नहीं किए। ओपीएएल ने ओएनजीसी को शेयर जारी नहीं किए। यदि शेयर जारी किए जाते, तो ओपीएएल पीएसयूज के लिए नीतिज्ञ सरकारी दिशानिर्देशों द्वारा बाध्य होकर ओएनजीसी की सहायक और एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बन जाती।
- (ii) कम्पनी अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के साथ ओपीएएल द्वारा राइट्स शेयरों के प्रति प्राप्त निधि जो 'जमा' के रूप में मानी गई थी को कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रारंभ से पूर्व स्वीकार किया गया था और ओपीएएल को संवैधानिक रूप से उक्त प्रावधानों की शर्तों के तहत अपेक्षित फाइलिंग या 31 मार्च 2015 तक ओएनजीसी को जमा वापिस करना था। ओपीएएल ने निर्णय लिया (मार्च 2015 में हुई वित्तीय प्रबंधन समिति (एफएमसी) की बैठक में) कि यह वांछनीय है कि ओपीएएल के गैर सार्वजनिक ढांचे और प्रकृति को बनाए रखा जाए। कम्पनी अधिनियम 2013 के सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप ओपीएएल ने 30 मार्च 2015 को ओएनजीसी को राइट्स इश्यू के प्रति प्राप्त निधि (₹ 670.92 करोड़) वापिस कर दी। इस प्रकार राशि ओपीएएल के पास एक वर्ष ओर दस महीने के लिए अवरूद्ध पड़ी रही जिससे ओपीएएल को ब्याज मुक्त निधियों के माध्यम से लाभ मिला।
- (iii) राइट्स इश्यू जारी न करने के प्रति ओपीएएल से वापिस ₹ 670.92 करोड़ (31 मार्च 2015) प्राप्त करने के एक दिन बाद, ओएनजीसी ने नए राइट्स हिस्से के लिए आवेदन राशि के रूप में ₹ 750.55 करोड़ का भुगतान किया। ओपीएएल के बोर्ड ने नोट किया (मई 2015) कि ओएनजीसी ही एक शेयरधारक था जिसने राइट्स इश्यू में भाग लिया और उक्त आवेदन राशि के प्रति शेयरों का आवंटन कम्पनी की प्रकृति को बदल देगा (ओपीएएल)। अतः ओएनजीसी को राशि वापिस करने का निर्णय लिया गया। तथापि, ओपीएएल ने धन वापिस करने से पहले कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुमत

75 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए निधि को अपने पास रखा (एक्सेपटेश ऑफ डिपाजिट रूलस, 2014¹)।

₹ 750.55 करोड़ की राशि वापसी की प्राप्ति के एक पखवाड़े के बाद, ओपीएएल से शेयर वारंट के अंशदान हेतु एक मांग सूचना प्राप्त की गई थी। यद्यपि ओपीएएल द्वारा परिवर्तनीय ऋण साधन और गौण ऋण जारी करने के विकल्प पर भी विचार किया गया, यह कम्पनी अधिनियम 2013 द्वारा प्रस्तुत प्रतिबंधों के कारण आगे नहीं बढ़ सके, शेयर वारंट अधिनियम में न तो परिभाषित किया गया है और न ही उन्हें इश्यू करने की प्रक्रिया उस पर परिभाषित है। ओएनजीसी ने इक्विटी शेयरों को जारी करने के प्रति वारंटों के लिए ₹ 961 करोड़ (₹ 5 प्रति वारंट की पहली किश्त) और ₹ 480.50 करोड़ (नवम्बर 2015 के दौरान ₹ 2.50 प्रति वारंट की दूसरी किश्त) की राशि का अंशदान दिया (30 जून 2015)। वारंट जारी करने की तिथि से 12 माह की अवधि के अन्दर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय थी। वारंट कार्य अवधि को 12 महीने से 18 महीने तक विस्तारित (अक्टूबर 2015) किया गया। ओएनजीसी द्वारा वारंटों के प्रति प्रदत्त राशि भी ओपीएएल को 18 महीने की अवधि के लिए ब्याज मुक्त निधि के रूप में दी गई।

यदि अठारह महीने की समाप्ति पर इक्विटी शेयर इन वारंटों के प्रति जारी किए जाते हैं, ओपीएएल ओएनजीसी की सहायक और एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होती। तथापि, ओएनजीसी के पास वारंट को शेयर में परिवर्तन करने का विकल्प है। ओएनजीसी द्वारा वारंट परिवर्तन का उपयोग न करने के मामले में पहले से प्रदत्त वारंट योगदान कीमत जब्त हो जाएगी।

इस प्रकार ओएनजीसी द्वारा प्रयुक्त वित्तपोषण तंत्र का मात्र उद्देश्य गैर पीएसयू सत्त्व के रूप में ओपीएएल की प्रकृति को बनाए रखना था। ऐसा निधियन उसकी अपनी हानि के लिए था क्योंकि ये बिना किसी आनुपातिक लाभ के ओपीएएल को ब्याज मुक्त निधि की भारी मात्रा उपलब्ध करवाया है। अनुचित वित्तपोषण तंत्र के कारण ओएनजीसी को ₹ 408.15 करोड़² की ब्याज की हानि हुई जैसा **अनुबंध-XX** में दर्शाया गया है।

¹ एक्सेपटेश ऑफ डिपाजिट रूलस, 2014 में निर्धारित है कि आवेदन राशि की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर शेयर जारी किए जाएंगे और उस मामले में, यदि कम्पनी शेयर जारी करने में विफल रहे तो, वापसी के लिए 15 दिन की छूट अवधि के साथ जारी किए जाएंगे।

² सुसंगत अवधि के दौरान ओएनजीसी के अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज के आधार पर गणना की गई

प्रबन्धन का उत्तर था (नवम्बर 15) कि:

- (क) यह ओएनजीसी के निदेशक मंडल का प्रबुद्ध निर्णय था जिसमें कार्यकारी, गैर कार्यकारी/स्वतंत्र और सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल थे ताकि ओपीएएल की गैर पीएसयू-एसपीवी के रूप में संरचना को बनाए रखा जा सके ताकि परियोजनाएं उद्योग से पेशवरों के अधिष्ठापन के माध्यम से कार्यान्वित की जा सकें और कम्पनी को तीव्रतर पारदर्शी और उद्देश्यपरक निर्णय शीथिलता के साथ लेने का एक प्लेटफार्म मिल सके।
- (ख) आगे यह बताना उपयुक्त है कि ओएनजीसी, ओपीएएल परियोजना का नेतृत्व एक प्रोत्साहक के रूप में कर रहा है क्योंकि यह एक डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन परियोजना और मूल्य संवर्धन परियोजना है जो अपने भविष्य की योजना से संरेखित है। इसलिए 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' के रूप में पूंजी लगाना, ओपीएएल में रोकड़ प्रवाह आवश्यकता के साथ मेल खा रहा था ओएनजीसी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सामयिक रोकड़ प्रवाह सुनिश्चित कर रही है और इसके साथ ही प्रमुख प्रोत्साहक के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के संबंध में संभावी ऋणदाताओं को सुविधा प्रदान कर रही है। अतः ओपीएएल के परिकल्पित ढांचे के संरक्षण के लिए और उसी समय प्रोत्साहकों द्वारा दीर्घावधि ऋण के आहरण के लिए अप्रकंट इक्विटी लगाने की शर्त को पूरा करने के लिए, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' के विकल्प का सहारा लिया गया।
- (ग) इसकी सराहना की जा सकती है कि उस मामले में यदि प्रोत्साहकों को इक्विटी (अर्थात् इक्विटी के प्रति अग्रिम) के लिए उसकी प्रतिबद्धता के प्रति ब्याज मांगना, ऐसी निधि को लगाने को परियोजना में प्रोत्साहकों की प्रतिबद्धता के रूप में नहीं माना जाएगा और इस प्रकार कोई ऋणदाता वित्तपोषण आधार पर परियोजना पर कोई निधि विस्तारित नहीं करेगा जिससे पूरी परियोजना को जोखिम में डाल दिया जाएगा। अन्य शब्दों में, दीर्घावधि ऋण के साथ समान रूप से रैंकिंग वाले प्रोत्साहकों द्वारा विस्तारित ब्याज सहित अग्रिम ऋणदाताओं को स्वीकार्य नहीं होगा या प्रोत्साहकों द्वारा लगाई गई अप्रकंट निधि की आवश्यकता को पूरा करेगी।
- (घ) ओएनजीसी द्वारा इक्विटी की ओर निधियों के डालने को ओपीएएल में डाली गई निधियों पर ब्याज अर्जित करने के गवांए गए अवसर की बजाय इसके बोर्ड

निर्णय के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ओएनजीसी की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा सकता है।

प्रबंधन के उत्तर की निम्नलिखित के संदर्भ में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है:

- (क) इस पर जोर देने की आवश्यकता है कि ओपीएएल की निधि सरकारी कम्पनी की निधि थी भले ही इसका स्वरूप एक गैर-पीएसयू एसपीबी के रूप में रहा हो। इस प्रकार, ओपीएएल को पीएसयू पर लागू उत्तरदायित्वों के बिना सार्वजनिक निधियों की अभिगम्यता दी गई थी।
- (ख) जबकि, ओएनजीसी ने ओपीएएल की गैर-पीएसयू प्रास्थिति के संरक्षण के लिए प्रयास किए (अपनी स्वयं की लागत पर) यह सराहना करने की जरूरत है कि निजी नीतिगत निवेशकों को ओपीएएल के समावेशन के नौ वर्षों के पश्चात भी (नवम्बर 2006 से दिसम्बर 2015) अभी तक पहचाना नहीं गया है। नियोजित वित्तपोषित तंत्र के माध्यम से, ओएनजीसी ने ओपीएएल को ब्याज मुक्त निधियों को ओएनजीसी के किसी आनुपातिक लाभ के बिना उपलब्ध कराया है तथा इस प्रकार अपने स्वयं के हित के विरुद्ध कार्य किया।
- (ग) उद्यम से व्यवसायिको के समावेश अथवा तीव्र पारदर्शी तथा उद्देश्यात्मक निर्णय निर्माण का लचीलापन पीएसयू को प्रतिबंधित नहीं करता है। ओएनजीसी के उत्तर की उसके स्वयं के एक पीएसयू होने के संदर्भ में समीक्षा की जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि ओपीएएल द्वारा परियोजना की पूर्णता में असामान्य विलम्ब हुआ। जनवरी 2014 में मूल निर्धारित पूर्णता की तुलना में परियोजना को अभी (दिसम्बर 2015 तक) पूर्ण किया जाना है इसके फलस्वरूप 24 माह से अधिक का समय लगा तथा 117 प्रतिशत अधिक लागत लगी (फरवरी 2008 में ₹ 12,440 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत ने जुलाई 2014 में ₹ 27,011 करोड़ तक वृद्धि हुई)। वास्तव में, समय तथा लागत के अधिक लगने के कारण परियोजना अर्थव्यवस्था अधिक समय तक व्यवहार्य नहीं है। यह उस कम्पनी के वर्तमान संरचना की व्यावसायिकता तथा दक्षता पर संदेह उत्पन्न करती है जिसे परिरक्षित किए जाने के लिए मांगा गया है।
- (घ) लेखापरीक्षा ने यह सुझाव नहीं दिया कि निधियों जोकि ओपीएएल के पास उपलब्ध है पर ब्याज लगाया जाए परन्तु यह बताया गया कि ओएनजीसी का निधियन तंत्र अविवेकपूर्ण है। ओएनजीसी ने ओपीएएल को ओएनजीसी के किसी आनुपातिक लाभ अथवा ओपीएएल पर उत्तरदायित्व के बिना ब्याज मुक्त निधि

उपलब्ध कराई। ओपीएएल में निवेशित कुल ₹ 3860.92 करोड़ की राशि में से ओएनजीसी ने ₹ 997.95 करोड़ के आरंभिक निवेश के प्रति केवल 997955639 संख्या के शेयरों का आवंटन प्राप्त किया। ओएनजीसी ने उस इक्विटी के रूप में न तो कोई प्रतिदाय और न ही कोई अन्य लाभ प्राप्त किया जिसे ₹ 1421.47 जोकि ओपीएएल द्वारा शेयरों के आवंटन के बिना वापिस किए गए थे, को निधियों पर आगामी तिथि में बेचा जा सके। शेयर वारंटों की खरीद के प्रति ओएनजीसी द्वारा ₹ 961.00 करोड़ तथा ₹ 480.50 करोड़ के शेष निवेश के प्रति शेयरों का आवंटन आवंटन, की तिथि से 18 माह की अवधि के पश्चात वारंट रूपान्तरण करने के अध्यक्षीन है। यह भी नोट किया जा सकता है कि अन्य पीएसयू निवेशकों (गेल, जीएसपीसी) ने ओएनजीसी द्वारा नियोजित वित्तपोषण तंत्र का अनुसरण नहीं किया है।

ओपीएएल द्वारा अग्रिमो का इक्विटी में गैर-रूपान्तरण/विलम्बित रूपांतरण, ओएनजीसी द्वारा शेयरों के अधिकारों को लिए अशंदात तथा गतिरोध उत्पन्न करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के लिए अनुगामी प्रतिदाय तथा ओएनजीसी द्वारा इक्विटी शेयरों के प्रति वारंटों के मामले ने ओपीएएल को किसी लाभांश अथवा ब्याज का भुगतान किए बिना सरकारी कम्पनियों की निधियों का उपयोग करने तथा एक गैर पीएसयू एसपीबी की प्रतिष्ठा को निरन्तर बनाए रखने में सक्षम बनाया है।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (फरवरी 2015)। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

1.10 गैस परिवहन प्रभारों के भाग की प्राप्ति में अत्यधिक देरी के कारण ब्याज की हानि

विक्रेता पन्ना मुक्ता ताप्ती संयुक्त उद्यम (पीएमटीजेवी) और क्रेता गेल (इंडिया) लिमिटेड, (गेल) के बीच वितरण बिंदु पर विवाद के कारण तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) (परिवाहक) को गैर परिवहन प्रभारों के प्रति विधि संगत दावा प्राप्त नहीं हुआ। ओएनजीसी ने निजी साझेदारों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड (बीजीईपीआईएल) की रोक की गई निधियों को इसके प्राप्यों को निर्मुक्त किए बिना निर्मुक्त करने की अनुमति दी जिसके कारण इसकी प्राप्य राशियाँ (यूएस \$ 21.54 मिलियन) का अपर्याप्त आस्थगन हुआ और 1998-2005 तक उन पर (यूएस \$ 24.93 मिलियन) के ब्याज की

परिणामी हानि हुई थी। निजी साझेदारों से सशर्ता कम्फर्ट पत्र की स्वीकृति के कारण पूर्णतः उगाहीता भी संदेहात्मक है।

आरआईएल (30 प्रतिशत), बीजीईपीआईएल (30 प्रतिशत) और ओएनजीसी (40 प्रतिशत) के बीच वितरित पीएमटीजेवी में रुचिकर्ता भाग लेने वालों के साथ पन्ना मुक्ता (पीएम) क्षेत्र पन्ना मुक्ता ताप्ती संयुक्त उद्यम (पीएमटीजेवी) द्वारा प्रचालित होता है। पीएम क्षेत्र अपतट में उत्पादित गैस ओएनजीसी के हजीरा टर्मिनल में ओएनजीसी की ट्रंक पाइपलाइन द्वारा पहुँचाई जाती है, जहाँ यह संसाधित की जाती है। परिवहन और प्रसंस्करण सेवाएँ प्रदान करने के लिए, ओएनजीसी मुआवजे के लिए पात्र है।

सरकार ने गेल को पीएम गैस का क्रेता नामांकित किया था। चूँकि पीएम क्षेत्र (फरवरी 1998) से उत्पादन के प्रारंभ से ही, गैस के मामले में 'वितरण बिंदु' पर पीएमटीजेवी और गेल (सरकार द्वारा नामांकित क्रेता) एकमत नहीं थे। पीएमटीजेवी में अपतट को 'वितरण बिंदु' बनाए रखा हालांकि एमओपीएनजी/गेल ने इसे ऑनशोर पर हजीरा समझा था। उत्पादन साझेदारी संविदा के अनुसार 'वितरण बिंदु' तक सभी लागतों के लिए विक्रेता (पीएमटीजेवी) उत्तरदायी है जिसके बाद यह क्रेता (गेल) की जिम्मेदारी होगी। चूँकि अपतट और हजीरा के बीच गैस का परिवहन ओएनजीसी करता है, इसलिए वितरण बिंदु के स्थान पर निर्भर करते हुए यह विक्रेता (पीएम-जेवी) या क्रेता (गेल) से मुआवजा प्राप्त करेगा। 'वितरण बिंदु' पर विवाद के साथ ओएनजीसी ने या तो विक्रेता या क्रेता (फरवरी 1998 से मार्च 2005) से परिवहन प्रभार प्राप्त नहीं किया था। वितरण बिंदु के संबंध में विवाद का लम्बित समाधान, एमओपीएनजी ने गेल को पीएम गैस की बिक्री प्राप्ति के 10 प्रतिशत को पृथक निलंब लेखा में रोक कर रखने के निदेश दिए थे (जनवरी 1998)।

यह स्थिति अप्रैल 2005 तक बनी रही जब पीएमटीजेवी ने प्रत्यक्ष विपणन अधिकारों को अनुमत किया क्योंकि गेल पीएम गैस के संशोधित कीमत के लिए सहमत नहीं हुआ था। मंत्रालय से प्रत्यक्ष विपणन अधिकार प्राप्त करने पर, पीएमटीजेवी ने निजी दलों को गैस बेचना (अप्रैल 2005 से) प्रारंभ कर दिया था और वितरण बिंदु को हजीरा पर अन्तरित कर दिया था। इस बीच गुजरात सरकार ने इस शर्त के अन्तर्गत कि वितरण बिंदु ऑनशोर है इसलिए पीएमटीजेवी द्वारा गैस की बिक्री के लिए बिक्री कर (जनवरी 2004) की मांग की थी। माँग पीएमटीजेवी द्वारा विवादित थी और मामला गुजरात के उच्च न्यायालय में गया था। अप्रैल 2005 में वितरण बिंदु को ऑनशोर में बदलने के बाद पीएमटीजेवी ने प्रत्याशित रूप से बिक्री कर का भुगतान किया था यद्यपि पिछली अवधि (फरवरी 1998 से मार्च 2005) के लिए विवाद जारी रहा।

ओएनजीसी ने प्रस्ताव दिया (जुलाई 2005 में पीएमटीजेवी भागीदारों के बीच एक बैठक में) कि गेल द्वारा रोके गए राजस्वों के निर्मुक्त करने के लिए जेवी साझेदारों को सरकार से सम्पर्क करना चाहिए था जिसमें से 50 प्रतिशत, बिक्री कर पर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद निर्मुक्त करने के लिए निलंब खाते में रखा जायेगा और शेष उनके भागीदारी हित के अनुसार साझेदारों के बीच साझा किया जायेगा। तदनुसार, यह व्यवस्था पीएमटीजेवी और ओएनजीसी (दिसम्बर 2005) के बीच हुए निपटान करार में शामिल थी। पीएमटीजेवी ने निपटान करार में सहमत दरों के अनुसार अप्रैल 2005 से ओएनजीसी को परिवहन प्रभारों का भुगतान करना प्रारंभ कर दिया था।

रोके गए राजस्वों के निर्मुक्त करने के लिए प्रस्ताव करते हुए, एमओपीएनजी ने पीएमटीजेवी से एक संयुक्त हर्जाने की माँग (सितम्बर 2007) यह दर्शाते हुए की कि पीएमटीजेवी उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अनुसार सभी गैस का वितरण हजीरा पर पन्ना-मुक्ता से करेगा और हजीरा तक वितरण की सभी लागतों उदाहरणतः बिक्री कर, प्रसंस्करण प्रभारों, पर्यावरण पहलुओं आदि का संविदा की प्रभावी तिथि से वहन करेगा। तदनुसार, पीएमटीजेवी ने यह कहते हुए कि गैस बिक्री के प्रारंभ के समय से ठेकेदार परिवहन प्रभारों, प्रसंस्करण प्रभारों और पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित सभी लागतों और देयताओं को वहन करने की जिम्मेदारी लेता है और सरकार के प्रति इस कारण के लिए कोई दावा नहीं करेगा, को पृथक रूप से एमओपीएनजी (दिसम्बर 2007) और गेल (अप्रैल 2008) को क्षतिपूर्ति की। इस प्रकार क्षतिपूर्ति बाँड स्पष्ट करता है कि पहले की अवधि के लिए जेवी परिवहन प्रभारों का भुगतान ओएनजीसी को करेगा।

गेल ने नवम्बर 2008 में रोकी गई राशि (₹388.84 करोड़) निर्मुक्त की। निर्मुक्त राशि का पचास प्रतिशत साझेदारों को उनके साझेदारी लाभ के बीच वितरित किया गया था और शेष (ओएनजीसी को देय गैस परिवहन प्रभारों के बराबर) पृथक निलंब लेखा में साझेदारों द्वारा रखे गए थे। मई 2015 में गुजरात उच्च न्यायालय ने इसका न्याय दिया था कि गैस के लिए वितरण बिंदु अपतट था और इसलिए फरवरी 1998 से मार्च 2005 की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान के लिए पीएमटी जेवी दायी नहीं है। निर्णय को राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय (एससी) में चुनौती दी गई है और वर्तमान में मामला एससी के एमक्ष लम्बित है।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

- ओएनजीसी ने अपने वैध गैस परिवहन प्राप्यों की उगाही को स्वेच्छा से आस्थगन की अनुमति दी और सेवा संभरक के रूप में अपने प्राप्यों का भुगतान सुनिश्चित करने की अपेक्षा पीएमटीजेवी भागीदारों के बीच रोकी गई राशि (उस पर प्राप्त ब्याज के साथ) के 50 प्रतिशत का वितरण अनुमत किया। यह भी देखा गया कि निजी जेवी भागीदारों ब्याज सहित के निलम्ब लेखा में वर्तमान राशि (यूएस \$ 25.80 मिलियन) यूएस \$ 46.47 मिलियन¹ (मूल राशि यूएस \$ 21.54 मिलियन और ब्याज यूएस \$ 24.93 मिलियन) की ओएनजीसी के परिवहन बकाया की राशि को कवर करने में अपर्याप्त हैं।
- एमओपीएनजी ने पीएमटीजेवी से अपने परिवहन प्रभार दावों को प्राप्त करने के लिए पीएससी के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये विवाद निपटान तंत्र की सहायता लेने के लिए ओएनजीसी को परामर्श दिया (दिसम्बर 2004)। तथापि, ओएनजीसी एमओपीएनजी के परामर्श के बावजूद अपने ही वित्तीय ब्याज को बचाने के लिए पीएससी के अंतर्गत उपलब्ध विवाद निपटान तंत्र का सहारा लेने में असफल रही।
- सरकार और गेल और उपक्रम को आरम्भ से ही परिवहन प्रभारों की पीएमटीजेवी क्षतिपूर्ति के साथ यह स्पष्ट था कि ओएनजीसी न्यायालय मामले के परिणाम पर ध्यान दिये बिना जेवी से परिवहन प्रभारों को प्राप्त करेगा। तथापि, ओएनजीसी ने पीएमटीजेवी भागीदारों (बीजीईपीआईएल एवं आरआईएल) से परिवहन सेवाओं की क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक आश्वासन पत्र (अगस्त 2007) मांगा था, यदि उच्च न्यायालय का निर्णय जेवी के पक्ष में हो। आश्वासन पत्र में, निजी भागीदारों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि यदि न्यायालय निर्णय देता है कि सुपुर्दगी बिन्दु अपतट पर है, बीजीईपीआईएल तथा आरआईएल, ओएनजीसी को चुकाई जाने वाली परिवहन कीमत की राशि के बारे में ओएनजीसी के साथ व्यवस्था करेंगे। निपटान करार के अनुसार, ओएनजीसी पहले से ही वास्तविक कीमत आधार पर परिवहन सेवाओं के लिए जेवी को प्रभारित करने पर सहमत था। दरों पर आगे समझौता करते हुए, ओएनजीसी ने स्वयं को अलाभकारी माना।

¹ फरवरी 1998 से मार्च 2005 (बिक्रीकर मामले में उच्च न्यायालय निर्णय में अपनाई गई दर) की अवधि हेतु अपनाई गई ब्याज दर 9 प्रतिशत है।

- गुजरात उच्च न्यायालय ने, अपने निर्णय (मई 2015) में निर्णय दिया है कि पन्ना मुक्ता गैस के लिए सुपुर्दगी बिन्दु 1998-2005 अवधि के लिए अपतट था। सशर्त आश्वासन पत्र की दृष्टि में, ओएनजीसी द्वारा कूड के परिवहन के लिए प्राप्त की जाने वाली प्रतिपूर्ति का परिणाम अनिश्चित रहा।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि गेल द्वारा निलंब लेखे में धारित धन सहित शामिल सभी बकाया विषयों का एक बहुप्रयोजन समझौता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), ओएनजीसी द्वारा नियंत्रित आरआईएल तथा बीजीईपीआईएल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में लिया गया (जुलाई 2005)। यह बाद में “निपटान करार” (दिसम्बर 2005) के माध्यम के औपचारिक किया गया। पीएमटीजेवी भागीदारी के निलंब लेखे में इकट्ठी राशि ब्याज वहन करने वाली है तथा उपचित ब्याज के विषय पर उच्चतम न्यायालय का फैसला प्राप्त करने के पश्चात चर्चा की जाएगी।

प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित के मद्देनजर देखे जाने की आवश्यकता है:

- (i) ओएनजीसी एमओपीएनजी की सलाह के बावजूद, पीएससी के अन्तर्गत प्रदत्त विवाद निवारण तंत्र की सहायता द्वारा, अपने स्वयं के वित्तीय हित की सुरक्षा करने में विफल रहा।
- (ii) ओएनजीसी ने, स्वयं ही, जारी की गई राशि के 50 प्रतिशत को एक निलंब लेखे में इकट्ठा करने का प्रस्ताव दिया, (प्राप्त होने योग्य गैस परिवहन शुल्क के समान) जिसने इसे बिक्री कर विषय के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार, ओएनजीसी ने स्वेच्छा से परिवहन पर इसकी वैध देय राशि की वसूली में आस्थगन से निजी भागीदारों को लाभ की अनुमति दी।
- (iii) मार्च 2015 को निलंब लेखे में स्थित ब्याज सहित यूएस \$ 25.80 मिलियन का निजी भागीदार (आरआईएल तथा बीजीईपीआईएल) का हिस्सा ओएनजीसी का यूएस \$ 46.47 मिलियन (मूलधन यूएस \$ 21.54 मिलियन तथा यूएस \$ 24.93 मिलियन का ब्याज) की देय राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- (iv) ‘निपटान करार’ ओएनजीसी को इसकी बकाया राशि पर देय ब्याज के भुगतान पर भी मूक है।

इस प्रकार, ओएनजीसी ने निजी भागीदारों (आरआईएल तथा बीजीईपीआईएल) को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप 1998-2005 में उपचित यूएस \$ 21.54 मिलियन के इसके परिवहन राजस्व के अतिरिक्त आस्थगन में परिणत हुआ। देरी के

कारण, कम्पनी ने यूएस \$ 24.93 मिलियन (₹ 157.05 करोड़) (पीएमटीजेवी निजी भागीदार का हिस्सा) के ब्याज हानि को वहन किया। इन देय राशियों की पूर्ण वसूली इस तथ्य को ध्यान में रखकर संदेहास्पद है कि निलंब लेखे में ओएनजीसी के दावों तथा ओएनजीसी द्वारा स्वीकृत सशर्त आश्वासन पत्र, जो ओएनजीसी को चुकाई जाने वाली राशि में आगे समझौता प्रदान करता है, को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त निधि नहीं है।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (दिसम्बर 2015)। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

1.11 कुशल कुंआ पूर्णता उपकरण प्राप्त करने के अनुचित निर्णय के कारण उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे

कम्पनी ने मुम्बई अपतट में अठारह कुंओं में कुशल कुंआ पूर्णता (आईडब्ल्यूसी) तकनीकी के कार्यान्वयन की योजना बनाई। निविदा को अन्तिम रूप देने में देरी हुई थी। जिस समय तक ठेका दिया गया अधिकतर अपेक्षित कुँए पहले ही पूर्ण हो चुके थे। अन्य कुँए, जहाँ आईडब्ल्यूसी तकनीकी नियोजित की जानी थी, उपयुक्त नहीं थे। इसे दो आईडब्ल्यूसी सैटो के अनुचित प्रयोग तथा लगभग चार वर्षों के लिए 12 आईडब्ल्यूसी सैट पड़े रहे। वास्तविक आवश्यकता के उचित निर्धारण के बिना अधिप्राप्ति ठेका देना एक अविवेकपूर्ण वाणिज्यिक निर्णय था। निष्क्रिय उपकरणों का मूल्य ₹ 46.24 करोड़ था।

ओएनजीसी (कम्पनी) ने कुशल/स्मार्ट कुँआ पूर्णता¹ (आईडब्ल्यूसी) तकनीकी के क्रियान्वयन की योजना (दिसम्बर 2008) बनाई जो कुँए की उत्पादकता सुनिश्चित करते समय कुँए की पूर्णता के लिए रिग के परिनियोजन को असंभव बनाती है। आईडब्ल्यूसी को 2009-10 में आरएस-15 तथा आरएस-16 प्लेटफार्म में तेरह कुंओं तथा 2010-11 में बी-193 समूह में पांच कुंओं में नियोजित करना था। इसके लिए माँगपत्र अक्टूबर 2009 में दिया गया।

कम्पनी ने आईडब्ल्यूसी के अभिकल्प अधोगामी उपकरणों की आपूर्ति तथा 18 आयोजित कुँओं में आईडब्ल्यूसी कार्यान्वित करने के लिए उपकरण तथा विशेषज्ञों के प्रावधान के

¹ क्षैतिज खुले छिद्र में कुशल कुंआ पूर्णता बढ़ते जल उत्पाद, मध्यवर्ती शेल की उपस्थिति, शोधन कमी का समाना करने तथा व्यक्तिगत भागों के चयनित प्रोत्साहन को सुगम करने के लिए एक तकनीक है। इस प्रकार के पूर्ण क्षैतिज खुले छिद्र, खुले छिद्र वैक्स का प्रयोग करते हुए भागों में विभक्त होता है, चयनित उत्पादन/प्रोत्साहन/समाप्ति के लिए सतह नियंत्रित आईसीवी प्रयोग किए जाते हैं तथा उत्पादकता तथा नियंत्रण के लिए मापन उपकरण प्रयोग किए जाते हैं।

लिए एक वैश्विक निविदा (19.02.2010) आरम्भ की। यद्यपि आईडब्ल्यूसी के लिए माँगपत्र अक्टूबर 2009 में प्रस्तुत किया था, ठेका, संघटन की तिथि से 30 महीनों की अवधि के लिए मई 2011 में मै. श्लमबर्जर एशिया सर्विसेज लिमिटेड (ठेकेदार) को प्रदान किया गया। इस प्रकार, कम्पनी ने माँगपत्र की तिथि से ठेके को अन्तिम करने के लिए कम्पनी के माल प्रबंधन नियमावली में अनुबद्ध 140 दिनों के प्रति डेढ वर्ष के अधिक का समय लिया।

ठेकेदार ने जनवरी 2012 (09.01.2012 पर) में कम्पनी के न्हावा सप्लाई बेस (एनएसबी) पर आईडब्ल्यूसी उपकरणों के 18 सैट संघटित किए।

कम्पनी ने 2009-10 के दौरान प्लेटफार्म आरएस-15 तथा आरएस-16 के कुंओं में 13 आईडब्ल्यूसी उपकरणों को प्रयोग करने की योजना बनाई थी। आईडब्ल्यूसी ठेके को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण, आरएस-15 तथा आरएस-16 प्लेटफॉर्म में सभी कुंए आईडब्ल्यूसी उपकरण के निर्धारित संघटन से पहले खोदे तथा पूर्ण कर लिए गए थे। इस प्रकार, 18 आईसीडब्ल्यू उपकरण में से 13 अपेक्षित कुंओं की पूर्णता के लिए प्रयोग नहीं किए जा सके।

बकाया पांच आईडब्ल्यूसी उपकरण बी-193 समूह में कुंओं के लिए उल्लिखित किए गए थे। इन कुंओ की खुदाई केवल 2013-14 में ही शुरू की गई जब कम्पनी के पास आईडब्ल्यूसी उपकरण उपलब्ध थे। तथापि, कम्पनी ने बी-193 समूह में इन कुंओ में एच₂एस तथा सीओ₂ के लिए पीपीएम के उल्लेख के कारण आईडब्ल्यूसी उपकरण प्रयोग नहीं किए थे। इस प्रकार, ये पांच आईडब्ल्यूसी उपकरण भी अपेक्षित कुंओं के लिए प्रयोग नहीं किए गए थे।

अगले 30 महीनों में (ठेका अवधि), कम्पनी अपतट कुंओं में आईडब्ल्यूसी उपकरण के केवल चार सैट प्रयोग कर सकी तथा अन्य दो सैट मेहसाना तटवर्ती परिसंपत्ति को स्थानान्तरित कर दी गई थी। मेहसाना परिसंपत्ति पर आईडब्ल्यूसी उपकरण का प्रयोग, जैसा कम्पनी द्वारा अपेक्षित था, नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, उपकरण का केवल 50 प्रतिशत मेहसाना परिसम्पत्ति द्वारा प्रयोग हुआ है तथा बकाया 50 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा। लेखापरीक्षा ने निकट भविष्य में आईडब्ल्यूसी इकाइयों के इन बकाया मर्दों (₹ 4.73 करोड़ की कीमत) के प्रयोग के लिए कोई योजना नहीं प्राप्त की। आईसीडब्ल्यू के बकाया बारह सैट एनएसबी में अप्रयुक्त पड़े हैं (दिसम्बर 2015)।

ठेके की शर्तों के अनुसार, एनएसबी पर उपकरणों के संघटन की सफलतापूर्वक पूर्णता की तिथि से 15 कार्य दिवसों के अन्दर उपकरणों की कीमत का साठ प्रतिशत देय था।

सेवाओं की कीमत के साथ-साथ उपकरण कीमत का बकाया चालीस प्रतिशत प्रत्येक कार्य के यथेष्ट तथा सफल पूर्णता के पश्चात देय था। कम्पनी ने यूएस \$ 6.36 मिलियन (₹ 32.53 करोड़) यानी सफल संघटन के बाद उपकरण कीमत का साठ प्रतिशत तथा बकाया यूएस \$ 3.53 मिलियन (₹ 21.73 करोड़), यानी ठेका संबंधी अवधि की पूर्णता पर चालीस प्रतिशत चुकाया।

संघटन के पश्चात लगभग चार वर्षों के लिए (जनवरी 2012 से दिसम्बर 2015), आईडब्ल्यूसी उपकरण के बारह सैट कम्पनी के पास बेकार पड़े रहे। यह ध्यान में रखते हुए कि ठेका अवधि 30 महीने थी जिसमें सभी आईडब्ल्यूसी सैटों को लगाना उल्लिखित था तथा जिसके लिए वारंटी प्रदान की गई थी, सैटों की बहुसंख्या का निष्क्रिय पड़े रहना ओएनजीसी की ओर से अपर्याप्त योजना को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, इतनी लंबी अवधि के लिए बेकार रहने के बाद उपकरणों की स्थिति भी संदेह में है।

प्रबंधन ने उत्तर (नवम्बर 2015) दिया कि:

- चूंकि ओएनजीसी में प्रथम समय आईडब्ल्यूसी उपकरण तथा सेवाएं उपाार्जित की जा रही थी तथा प्रवृत्ति जटिल होने के कारण, बीईसी के अन्तिम रूप देने में अधिक समय लगा। बोली-पूर्व सम्मेलन में प्रश्नों की बड़ी संख्या, अतिरिक्त धाराओं का समावेश, तकनीकी बोली प्रस्ताव (टीबीओ) का विस्तार तथा स्पष्टीकरणों के दो क्रमों ने अधिक समय लिया।
- कुशल कुंआ पूर्णता के साथ खोदे गए सभी कुंए सेवा प्रदाता तथा उपकरण आपूर्तिकर्ता के साथ परामर्श के पश्चात नियोजित किए गए थे। हालांकि, असेट द्वारा कुंए की योजना अनुपयुक्त नहीं थी, कुओं का निष्पादन मिश्रित था।
- बी-193 समूह के कुंए, एक गैस क्षेत्र के अतिरिक्त, उच्च एच₂एस तथा सीओ₂ होने के कारण प्रवृत्ति में अत्यधिक अम्लीय थे। आईईओटी तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर बी एंड एस असेट द्वारा संक्षारण प्रतिरोधी (सीआरए) धातु विज्ञान के बड़े पोत, अम्ल प्रतिरोधी पोत हैंगर, सीएस धातु विज्ञान, अम्ल प्रतिरोधी सीएस धातु विज्ञान के नली उत्पादन तथा सीआरए धातुविज्ञान के कुंआ पूर्णता पैक करने वाली कम्पनी के साथ कुंओं को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।
- मुम्बई हाई (एमएच) असेट ने कुशल पूर्णता के लिए चार कुंओं, 2015-16 में तीन कुंए तथा 2016-17 में एक कुंए को पहचाना। बसैन एंड सेटलाईटअसेट ने चार

कुंओ को कुशल पूर्णता के लिए पहचाना, 2016-17 तथा 2017-18 प्रत्येक में दो। बकाया चार आईडीब्ल्यू सैट एमएच असैट के चरण III के कुओं में प्रयोग होंगे। किराया सेवाओं के लिए ठेका समान दरों तथा शर्तों एवं नियमों के साथ जनवरी 2016 में दिए जाने की संभावना है।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित के दृष्टिगत तर्कसंगत नहीं है:

- जिस समय तक आईडीब्ल्यूसी के लिए ठेका प्रदान किया गया (मई 2011), इन प्लेटफॉर्मों में कुल 19 कुंओं में से 16 कुंए पहले ही पूर्ण हो चुके थे तथा दो और कुंए खुदाई के अधीन थे। इस प्रकार, ठेका प्रदान करने के समय पर भी, कम्पनी को जानकारी थी कि उपार्जित किए जा रहे आईडीब्ल्यूसी सैट आरएस-15 तथा आरएस-16 प्लेटफॉर्मों में अपेक्षित 13 कुंओं की पूर्णता के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते थे।
- बी-193 परिवर्धन परियोजना कुंओ के लिए आवरण धातुविज्ञान के चयन पर अध्ययन अभियांत्रिकी एवं समुद्र तकनीकी संस्थान (आईईओटी) के माध्यम से 2009 तक जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया गया था। आईईओटी रिपोर्ट (मई 2009) ने देखा कि बी-193 कुंओ की सभी संरचनाएं (बसैन, मुक्ता तथा पन्ना संरचना) उच्च एच₂एस तथा सीओ₂ अवयव के साथ बहुत अम्लीय थे। आईईओटी ने प्राथमिकता के साथ बी-193 कुंओ के लिए सीआरए धातु शोधन प्राप्त करने का सुझाव दिया था। इस प्रकार, कम्पनी अक्टूबर 2009 में आईडीब्ल्यूसी सैटों के लिए मॉगपत्र की व्यवस्था से और भी पहले सीआरए धातु शोधन के साथ बी-193 की पूर्णता की आवश्यकता के लिए पूर्ण रूप से अभिज्ञ थे। आईडीब्ल्यूसी के लिए बी-193 समूह में पांच कुंए चयनित करते समय, कम्पनी को आईईओटी रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए था।
- कम्पनी ने उत्तर में आश्वासन दिया है कि आईडीब्ल्यूसी सैट 2015-16 तथा 2016-17 में छह कुंओ में प्रयुक्त किए जाएंगे। 2015-16 तथा 2016-17 के लिए रिग विकास योजनाओं की समीक्षा से पता चला कि छह कुंओ में से केवल चार ही 2015-17 के दौरान खुदाई के लिए वास्तविकता में नियोजित किए गए हैं।

इस प्रकार, कम्पनी का उनकी वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना आईडीब्ल्यूसी उपकरण की अधिप्राप्ति का निर्णय एक अविवेकपूर्ण व्यवसायिक निर्णय था तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.24 करोड़ की कीमत वाले उपकरण की निष्क्रिय पड़े रहे।


यह मामला मंत्रालय को भेजा गया था (दिसम्बर 2015)। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

ओएनजीसी पेट्रो एडीशन्स लिमिटेड

1.12 क्रेकर संयंत्र सहित डाउनस्ट्रीम इकाइयों एवं अन्य उपयोगिताओं के निर्माण के गैर समकालिक होने के कारण क्रेकर संयंत्र के संरक्षण और संयंत्र जांच पर परिहार्य व्यय

क्रेकर संयंत्र सहित डाउनस्ट्रीम इकाइयों के संरूपण को स्थिर करने और सभी पैकेजों के पूरा करने एवं देने के समकालिक करने में ओपीएएल की विफलता के परिणामस्वरूप संरक्षण प्रभारों के प्रति ₹ 13.19 करोड़ का परिहार्य भुगतान और क्रेकर संयंत्र की सयंत्र जांच के प्रति ₹ 73.36 करोड़ का भुगतान हुआ।

ऑयल एंड नैचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) बोर्ड ने विशेष आर्थिक क्षेत्र, दहेज में एक अलग विशिष्ट उद्देश्य वाहन (एसपीवी) ओएनजीसी पेट्रो एडीशन्स लिमिटेड (ओपीएएल) के रूप में एक एकीकृत गैस तथा तरल आधारित पेट्रोकेमिकल काम्प्लैक्स की स्थापना को स्वीकृत किया (अगस्त 2006)। यह अभिकल्पित किया गया था कि नाफथा (ओएनजीसी के हजिरा तथा उरण प्लांट से) तथा सी2-सी3,सी4 (दहेज में ओएनजीसी की इकाई से) का फीडस्टॉक एथिलीन तथा प्रोपलीन उत्पन्न करने के लिए प्रतिप्रवाह इयूल फीट क्रेकर प्लांट यूनिट (डीएफसीयू) तथा सहयोगी उपयोगिताओं में संसाधित की जाएगी जो तब अनुप्रवाह पोलिमेर इकाइयों में एलएलडीपीई, एचडीपीई, पोलिप्रोपलीन, एसबीआर¹ इत्यादि जैसे पोलिमेर उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।



पेट्रो कॉम्प्लैक्स का प्रक्रिया प्रवाह चित्र

¹ एलएलडीपीई-कम घनत्व रेखामय पोलिएथिलीन, एचडीपीई-उच्च घनत्व पोलिएथिलीन तथा एसबीआर-स्टाईरिन ब्यूराडीन रबर

मै. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) द्वारा अप्रैल 2005 में तैयार की परियोजना विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट (डीएफआर) में अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम इकाईयों की तुल्यकालन पूर्णता के लिए कहा। अपस्ट्रीम इकाईयों (डीएफसीयू तथा सहायक इकाईयों) के लिए ठेका दिसम्बर 2008 में सितम्बर 2012 तक निर्धारित पूर्णता तथा दिसम्बर 2012 तक शुरुआत के साथ एक संघ¹ को प्रदान किया गया था। डीएफआर में वर्णित अनुसूची के अनुसार सभी डाउनस्ट्रीम इकाईयों तथा सेवाओं के लिए ठेका अपस्ट्रीम ठेके (फरवरी 2009) के प्रदान करने के दो महीनों के अन्दर प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि डाउनस्ट्रीम इकाईयों के लिए ठेको में देरी की गई तथा नवम्बर 2010 से मई 2012 के मध्य भिन्न ठेकेदारों (15 ठेके²) को अलग-अलग प्रदान किए जा सकते थे।

दिए गए ठेके के अनुसार, डाउनस्ट्रीम इकाईयां तथा सेवाएं अक्टूबर 2013 तक पूर्ण की जानी थी। तथापि, ये अब भी पूर्ण होने हैं (नवम्बर 2015)। अपस्ट्रीम सुविधाएं, जैसा अभिकल्पित था, सितम्बर 2012 तक यंत्रवत ढंग से पूर्ण की गई थी तथा डाउनस्ट्रीम सुविधाएं तथा सेवाओं की अनुपस्थिति में अभी भी शुरू नहीं किए गए हैं।

इसी दौरान, डीएफसीयू पर वारंटी समाप्त हो गई तथा ओपीएएल को फरवरी 2014 से परिरक्षण के अन्तर्गत इकाई का अनुरक्षण करना था। फरवरी 2014 से मार्च 2015 तक, ओपीएएल ने ₹ 13.19³ करोड़ की कीमत पर डीएफसीयू के परिरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए ईआईएल को नियोजित किया। तपश्चात, मार्च 2015 में, ओपीएएल ने मै. सैमसंग तथा मै. लिक्डे के समूह को प्रवर्तन-पूर्व के लिए संयंत्र जांच के लिए एक ठेका प्रदान किया। नवम्बर 2015 तक, ओपीएएल ने इस समूह को ₹ 73.36 करोड़ का भुगतान किया।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

- डाउनस्ट्रीम ठेके को प्रदान करने में देरी ओपीएएल द्वारा परियोजना विनिर्देशों बारंबार परिवर्तनों के कारण थी। परियोजना विनिर्देश फरवरी 2008 में परिवर्तित किए गए थे, जिन्होंने प्रबंधन नियंत्रण के साथ 26 प्रतिशत सहभागिता पर ओएनजीसी द्वारा ₹ 992 करोड़ के एक निवेश सहित परियोजना मूल्य को ₹ 12,440 करोड़ (2007 में आकलित ₹ 19486 करोड़ से) तक नीचे गिरा दिया।

¹ मै. लिनडे ए.जी., जर्मनी एवं मै. सैमसंग इंजीनियरिंग क. लिमिटेड, कोरिया

² अभियांत्रिकी अधिप्राप्ति निर्माण (ईपीसी) ठेके।

³ मै. ईआईएल को ₹ 10.97 करोड़ तथा ₹ 2.22 करोड़ अन्य खर्चों के प्रति।

परियोजना मूल्य को घटाना आवश्यक था ताकि परियोजना में ओएनजीसी का योगदान निवेश के लिए (नवरत्न कम्पनी के रूप में ₹ 1000 करोड़) इसकी वित्तीय स्वायत्तता के अधीन रहे। बाद में, मार्च 2009 में, ओपीएएल ने परियोजना विनिर्देशों को फिर से स्विंग इकाईयों के वास्तविक विन्यासों में वापस आने के लिए संशोधित किया था तथा एक समर्पित एचडीपीई को परियोजना कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया। इसने परियोजना मूल्य को ₹ 19846 करोड़ तक बढ़ा दिया। इससे संशोधित मूल्य पर आगे एसबीआई कैप्स (ओपीएएल के लिए ऋण सलाहकार प्रबन्धक) के साथ विचार किया गया। एसबीआई कैप्स ने संशोधित परियोजना मूल्य को ₹ 19535 करोड़ निकाला, जिसे जून 2010 में ओपीएएल बोर्ड द्वारा ओएनजीसी द्वारा महारत्न स्थिति (मई 2010) प्राप्त करने के बाद ही स्वीकृत किया गया, जिससे ओएनजीसी की वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि हुई।

- मार्च 2009 में परियोजना विनिर्देशों की संस्वीकृति के बाद, ओपीएएल ने सितम्बर 2009 में डाउनस्ट्रीम इकाईयों के लिए लाईसेंस प्रदाता का चयन किया। यह देखा गया कि ओपीएएल ने लाईसेंस के लिए औद्योगिक सहयोग सचिवालय (एसआईए) से मंजूरी प्राप्त करने के लिए योजना नहीं बनाई थी, जिसने पांच महीने लिए। लाईसेंस प्रदाता ने डिजाइन डाटा उपलब्ध कराने के लिए अन्य छह महीने लिए (सितम्बर 2010)। इस प्रकार, संसाधित पैकेज की प्राप्ति में लगभग दो वर्षों की देरी हुई थी (नवम्बर 2008 की निर्धारित तिथि के प्रति यह सितम्बर 2010 में प्राप्त हुई थी) जिसने डाउनस्ट्रीम सुविधाओं के प्रारंभ होने में देरी में योगदान दिया।
- कैप्टिव विद्युत संयंत्र, उत्पाद भंडार, प्रयोगशाला, आवास क्वार्टर, तथा जल पैकेज को कार्यक्षेत्र परियोजना विनिर्देशों के वास्तविक कार्यक्षेत्र में बाद में जोड़ा गया था।
- ओपीएएल ने 15 ईपीसी ठेके विभिन्न ठेकेदारों को प्रदान किए। उनकी निर्धारित पूर्णता के अनुसार, सभी डाउनस्ट्रीम सुविधाओं (इकाईयां तथा सेवाएं) को फरवरी 2014 तक पूर्ण किया जाना था। इन ठेकों के क्रियान्वयन में देरी हुई थी। विशेष रूप से, सेवा ठेकों में (पानी ठंडा करने की प्रणाली; अपगामी उपचार संयंत्र तथा बकाया सेवाएं तथा ऑफ साइट्स) बुरी तरह विलंब हुआ था। इन सेवाओं का कार्य अभी भी पूर्ण होना है (नवम्बर 2015)।

- सभी डाउनस्ट्रीम इकाईयों तथा सेवाओं की पूर्णता के बाद भी, परिचालन के लिए फीडस्टॉक प्रबंध की अनुपस्थिति में परियोजना शुरू नहीं की जा सकी है। अपस्ट्रीम सुविधा, डीएफसीयू, को दोहरे ईंधन, नाफथा तथा सी2, सी3, सी4 पर कार्य करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह अभिकल्पित किया गया था कि दहेज से एक पाईपलाईन के माध्यम से ओएनजीसी के हजीरा प्लांट से नाफथा को आपूर्ति की जाएगी। तथापि, आरओयू समस्याओं के कारण, पाईपलाईन नहीं बिछाई जा सकी। नाफथा को जीसीपीटीसीएल से दहेज तक लाने का एक दूसरा प्रबंध शुरू किया गया है। यद्यपि जीसीपीटीसीएल तथा दहेज के बीच पाईपलाईन बिछा दी गई है, दोनों सिरों पर टर्मिनल सुविधाएं अभी भी पूर्ण होनी हैं।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (नवम्बर 2015) कि:

- (i) कोर इकाई के रूप में डीएफसीयू तथा सहायक इकाईयों के साथ, इतने बड़े पेट्रोकेमिकल काम्प्लैक्स में विभिन्न अन्य डाउनस्ट्रीम इकाईयों के साथ डिजाइन अवस्था में भी गहन परस्पर निर्भरताएं हैं। जीसीपीटीसीएल तथा सेवाएं डिजाइन/भार डीएफसीयू तथा एयू के डिजाइन उत्पाद के अन्तिम रूप देने के साथ ही कल्पित की जा सकती हैं। ईंधन गुणवत्ता संबंधी आपूर्ति मुद्दे के साथ (समृद्ध ईंधन का मिश्रित आर- एलएनजी ईंधन में परिवर्तन), आउटपुट स्ट्रीम के लिए विनिर्देशों को अंतिम रूप देने में समय लिया।
- (ii) एलएलडीपीई/एचडीपीई स्विंग इकाई की डाउनस्ट्रीम इकाई के लिए ईपीसी कार्य प्रदान करने में देरी लाईसेंसप्रदाता से प्रक्रिया डिजाइन पैकेज (पीडीपी) प्राप्त करने में प्रतीक्षा के कारण हुई।
- (iii) परिवर्तन के कारण परियोजना का मूल्य ₹ 7095 करोड़ (₹ 19535 करोड़- ₹ 12440 करोड़) तक बढ़ गया तथा ऐसा कैप्टिव विद्युत संयंत्र के साथ भाप उत्पादन सुविधा के संकलन के कारण भी हुआ जिसने अभिकल्पित अतिरिक्त खर्च के लिए ओपीएएल मंडल की संस्वीकृति को आवश्यक बना दिया। इसके साथ ही, क्षेत्र/विन्यास में परिवर्तन सेवा आवश्यकता में वृद्धि की ओर ले गया, जिस पर सेवा पैकेजों के लगाने से पहले, पुनः कार्य करना था।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित के दृष्टिगत तर्कसंगत नहीं है:

- (i) वास्तव में अभिकल्पित ओएनजीसी के समृद्ध ईंधन की बजाए सी2 सी3 प्लांट के लिए मिश्रित आर-एलएनजी उपलब्ध कराने के कारण ईंधन गुणवत्ता में परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ओपीएएल ने डीएफसीयू में 973 केटीपीए के डिजाईन ईंधन के पूरा करने तथा अनुरक्षण के लिए बाजार (जून 2010) से बकाया सी2 + अंशों का उपार्जन करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार, डीएफसीयू का उत्पादन परिवर्तित नहीं होगा तथा परिणमस्वरूप में अनुप्रवाही इकाईयों के डिजाईन को भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) ईपीसी कार्य प्रदान करने में देरी ओएनजीसी की वित्तीय स्वायत्तता के अन्दर परियोजना मूल्य के अनुरक्षण के लिए परियोजना विनिर्देशों में किए गए परिवर्तनों के कारण थी तथा परियोजना विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण लाईसेंसप्रदाता के चयन में देरी तथा एसआईए चालान के लिए योजना न बनाने के कारण भी हुई थी।
- (iii) उत्तर में ओपीएएल द्वारा इंगित परियोजना मूल्य में वृद्धि ओएनजीसी का योगदान इसकी वित्तीय स्वायत्तता सीमाओं के अन्दर रखने के लिए परियोजना क्षेत्र में सविराम परिवर्तनों के कारण था। यह ध्यान देने कि आवश्यकता है कि परियोजना लागत (2007) ₹ 19486 करोड़ थी जो ओपीएएल द्वारा फरवरी 2008 में जानबूझ कर ₹ 12440 करोड़ तक घटा दी गई थी तथा फिर से ₹ 19535 करोड़ तक (जून 2010) बढ़ा दी गई थी। क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन खराब योजना को दर्शाता है। यह ध्यान दिया गया कि केन्द्रीय प्रयोगशाला-ओप्टिकल नियंत्रण प्रणाली पैकेज अक्टूबर 2012 तक की देरी से प्रदान किया गया था जबकि अपस्ट्रीम डीएफसीयू सितम्बर 2012 में पहले ही पूर्ण हो चुकी है।

इस प्रकार, पेट्रोकेमिकल परियोजना में अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम सुविधाओं का गैर-तुल्यकालन के कारण नवम्बर 2015 तक अपस्ट्रीम इकाई (डीएफसीयू) की पुनःशुरूआत के लिए परिरक्षण तथा संयंत्र जांच के प्रति ₹ 86.55 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ। चूंकि डाउनस्ट्रीम इकाईयां, सेवाएं तथा सीमावर्ती सुविधाएं फीडस्टॉक प्राप्त करने के लिए अभी भी पूर्ण होनी हैं (नवम्बर 2015), पहले ही निर्मित सुविधाओं का निष्क्रिय रहना इसके परिरक्षण पर उत्तरदायी अतिरिक्त खर्च के साथ जारी रहने की संभावना है।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (दिसम्बर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

अध्याय II: सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.1 छूटग्राही को अनुचित लाभ (पीआईयू बेगूसराय)

एनएचएआई ने छूटग्राही को छूट करार के उल्लंघन में ₹ 21.83 करोड़ के शीघ्र पूर्णता बोनस तथा ₹ 29.20 करोड़ की वार्षिकी के भाग होने के नाते जो कार्य के कार्यक्षेत्र में कमी के कारण देय नहीं था, सहित ₹ 51.03 करोड़ के अनुचित वित्तियता लाभों का भुगतान किया।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) तथा मै. मोकामा -मुंगेर हाईवे लिमिटेड (छूटग्राही) ने 68.582 किमी. की कुल परियोजना लम्बाई के लिए बिहार में एनएच -80 के मोकामा -मुंगेर खण्ड पर दो -लेन सड़क का निर्माण करने के लिए एक छूट करार(सीए) पर हस्ताक्षर किए (12 जुलाई 2010) जिसमें बराहिया बाईपास (8.1 किमी की लम्बाई के साथ) तथा रेल ब्रिज (आरबीज) का निर्माण सम्मिलित था। परियोजना को ₹ 351.54 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर 730 दिनों¹ अर्थात् 14 मई 2013 तक पूर्ण होना था। सीए का अनुच्छेद 28.1.1 में कुल परियोजना हाईवे की पूर्णता के पश्चात ही छूटग्राही को पूर्व पूर्णता बोनस (ईसीबी) का भुगतान अनुबंधित है। अनुच्छेद 15.1 बताता है कि प्रावधानिक पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीओडी²) छूटग्राही को कार्य के कार्यक्षेत्र में किसी नकारात्मक परिवर्तन के लिए किसी कटौती के अधीन पूर्ण हुए भाग के लिए उसके प्रथम वार्षिकी का हकदार बनाएगा परन्तु अशतः पूर्ण कार्य पर पूर्व पूर्णता बोनस प्रदान नहीं किया। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएं देखी:

- (i) भूमि अधिग्रहण (एलए) समस्याओं के कारण, एनएचएआई छूटग्राही को बाधा मुक्त भूमि तथा अन्य मंजूरीया प्रदान नहीं कर सका, इसीलिए, बराहिया बाईपास तथा आरबीज पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। इस प्रकार, एनएचएआई के साथ करार में स्वतंत्र इंजीनियर (आईई) ने प्रावधानिक रूप से 20 जनवरी 2013 से

¹ नियुक्त तिथि 15.5.2011 से 730 दिन

² प्रावधानिक वाणिज्यिक परिचालन तिथि (पीसीओडी)

प्रभावी वाणिज्यिक परिचालन (पीसीओडी) हेतु योग्य के रूप में परियोजना लम्बाई 68.482 किमी. को प्रमाणित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एलए समस्याओं के कारण छूटग्राही ने अक्टूबर 2013 से जुलाई 2014 के दौरान तीन बार बराहिया बाईपास तथा आरबीज कार्य के कार्यक्षेत्र को कम करने का अनुरोध किया था। एनएचएआई की परियोजना क्रियान्वयन यूनिट (पीआईयू), बेगूसराय ने भी एनएचएआई मुख्यालयों, नई दिल्ली को सिफारिश की (मई 2014) कि 'यह संगठन के हित में था कि बराहिया बाईपास को कार्य के कार्यक्षेत्र से हटाया जाए क्योंकि छूटग्राही वार्षिकी की पूर्ण राशि ले रहा था।' तथापि सीए के अनुच्छेद 28.1.1 के प्रावधानों का दर्शाते हुए छूटग्राही ने अशंत पूर्ण 60.482 किमी. परियोजना लम्बाई के लिए 114 दिनों के पूर्व पूर्णता बोनस (ईसीबी) का दावा किया जैसेकि पूर्ण परियोजना हाईवे (जिसमें बराहिया बाईपास तथा दो आरबीज सम्मिलित थे) को भी पूर्णता की निर्धारित तिथि अर्थात् 14 मई 2013 से पूर्व पूरा किया गया था। आईई की सिफारिश पर, एनएचएआई ने छूटग्राही को ₹ 21.83 करोड़ की राशि के 100 दिन के पूर्व पूर्णता बोनस का भुगतान किया (फरवरी 2015)।

हालांकि आईई ने छूटग्राही को 100 दिनों के लिए ईसीबी की सिफारिश करने के लिए अविश्वसनीय अनुमानों का उपयोग किया (23 सितम्बर 2014)। पहले आईई ने बोनस के भुगतान के लिए पूर्व पूर्णता के 100 दिनों की संगणना करते समय संभावित समय जो छूटग्राही बराहिया बाईपास तथा दो आरबीज के निर्माण में लेगा, की वैज्ञानिक रूप से गणना नहीं की। बराहिया बाईपास सड़क तथा दो आरबी सहित अशंत: पूर्ण परियोजना हाईवे के पीसीओडी (20 जनवरी 2013) तथा पूर्ण परियोजना हाईवे के लिए निर्धारित सीओडी (14 मई 2013) के बीच 114 दिनों का समय अन्तर था। इसने यह दर्शाया कि अशंत: पूर्ण परियोजना हाईवे लिए 100 दिनों की पूर्व पूर्णता की संगणना करते समय, आईई ने बराहिया बाईपास सड़क तथा दो आरबी के कार्यों जो प्रारम्भ नहीं हुए थे, को केवल 14 दिनों में पूर्ण करने का कार्यभार संभाला जो किसी कारण के अतिरिक्त था। दूसरा, 114 दिनों को 60.482 किमी. की एक भाग परियोजना लम्बाई के लिए पूर्व पूर्णता की संगणना के लिए निष्पादन आधार के रूप में नहीं मानना चाहिए क्योंकि सीए में निर्दिष्ट 730 दिनों की समय सीमा 8.1 किमी. के बराहिया बाईपास तथा रेल ब्रिजों (आरबीज) सहित 68.582 किमी की पूर्व अभिकल्पित सम्पूर्ण लम्बाई के लिए निर्मित थी। इसलिए अशंत पूर्ण परियोजना लम्बाई अर्थात् 60.482 किमी. के लिए पूर्व पूर्णता की संगणना करने हेतु संदर्भित बिन्दु 14.5.2013 या 730 दिन नहीं होना चाहिए परन्तु इसे पूर्ण कार्य की लम्बाई की प्रगति के आधार पर 14.5.2013 से आनुपातिक रूप में

कम किया जाना चाहिए। हालांकि, आईई द्वारा छूटग्राही को बोनस का भुगतान करने के लिए पूर्व पूर्णता दिवसों की संगणना करते समय इस पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा छूटग्राही द्वारा स्रोतों के आवागमन की गति समान नहीं थी क्योंकि सम्पूर्ण मासिक प्रगति प्रथम 8 माह (जून 2011 से जनवरी 2012 तक) में योजनाबद्ध लक्ष्यों से कम थी। अगले पांच माह (फरवरी 2012 से जून 2012) में यह लक्ष्य के करीब थी तथा कार्य की गति जुलाई 2012 के बाद से बढ़ी। प्रबंधन ने कहा कि डीबीएम का कार्य जून 2011 में आरम्भ हुआ जबकि वह बीसी¹ फरवरी 2012 में शुरू हुआ हालांकि, 100 दिनों की पूर्व पूर्णता अवधि की संगणना करने के लिए स्वतंत्र इंजीनियर केवल एक माह अर्थात् जून 2012 में किए गए डीबीएम तथा बीसी कार्य पर विचार करते हुए छूटग्राही की अधिकतम पेविंग क्षमता पर उसकी धारणा पर आधारित थी। सम्पूर्ण परियोजना के संदर्भ में यह औसत/सामान्य पेविंग क्षमता नहीं थी इसलिए अवधारणा हेतु एक आधार के रूप में विचार करना सही नहीं था। इस तरह, छूटग्राही को 100 दिनों के लिए एक पूर्व पूर्णता बोनस के रूप में ₹ 21.83 करोड़ का भुगतान अनियमित था तथा उनको अनुचित वित्तीय लाभ देने के बराबर था।

- (ii) सीए के अनुसार, छूटग्राही सीओडी या पीसीओडी जैसाभी मामला हो के बाद छः माह से आरम्भ होकर प्रत्येक ₹ 39.94 करोड़ के 26 अर्द्धवार्षिक वार्षिकी के भुगतानों का दायी होगा। सीए का अनुच्छेद 28.4.2 पांच प्रतिशत तक सुनिश्चित लेन उपलब्धता² (एएलए) की कमी के लिए वार्षिकी में एक प्रतिशत कमी तथा पांच प्रतिशत से अधिक एएलए में प्रत्येक एक प्रतिशत गिरावट के लिए वार्षिकी में दो प्रतिशत की कमी के लिए अनुबंधित है। चूंकि बाईपास तथा आरबीज पर कार्य आरम्भ होने की कोई संभावना नहीं थी तथा पीआईयू बेगूसराय ने पहले ही एनएचएआई मुख्यालय को इन कार्यों की समाप्ति के लिए सलाह दी थी (मई 2014) अतः यह स्पष्ट रूप से 11.81 प्रतिशत³ की सीमा तक कार्य के नकारात्मक कार्यक्षेत्र का मामला था इसलिए अर्द्ध वार्षिक वार्षिक भत्ता राशि को

¹ डीबीएम (डैस बीटूमिनॉस मेकेडेम) एक मूल कोर्स है, बीसी (बीटूमिनस कंक्रीट) सड़क की ऊपरी परत है। बीसी का कार्य सतह को सील करना या पानी को नीचली सतहों के अन्दर घुसने से रोकना तथा व्हील लोड का सामना करना है।

² प्रत्येक वार्षिकी भुगतान की अवधि के लिए छूटग्राही द्वारा सुनिश्चित कैरिजवे की उपलब्धता

³ 11.81 प्रतिशत= $8.1/68.582 \times 100$ जहां 8.1 किमी बराहिया बाईपास तथा दो रेल ब्रिजों के अपवर्जन के कारण परियोजना हाईवे की लम्बाई में कमी थी।

पांच वार्षिक भत्तों के भुगतान से पूर्व 14.62 प्रतिशत¹ तक कम किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया। फलस्वरूप, 31 अक्टूबर 2015 तक छूटग्राही को कुल ₹ 29.20² करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

एनएचएआई ने भूमि की हैंडलिंग में विलम्बो सहित एनएचएआई को किसी वृद्धि या अधिक लागत के बिना बराहिया बाईपास तथा दो आरबी की पूर्णता के लिए छूटग्राही के साथ पूरक करार हस्ताक्षरित किया (1 अगस्त 2013)। यह भी निर्णय लिया गया कि एनएचएआई बाधामुक्त भूमि की हैंडलिंग ओवर न होने के कारण कार्यक्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन नहीं करेगा तथा सीए में बताए अनुसार वार्षिकी को कम नहीं करेगा तथा रोक कर नहीं रखेगा। जब एनएचएआई शेष कार्यों को न करने का निर्णय ले तब वार्षिकी की कमी के लिए सीए के खण्ड लागू होंगे।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2016) कि (I) छूटग्राही को इन कार्यों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) सौंपने की विफलता के कारण बराहिया बाईपास तथा 2 आरबीज का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, आईई की सिफारिशों के आधार पर तथा सीए के प्रावधानों के अनुसार पूर्व पूर्णता बोनस का भुगतान किया गया था, (II) वार्षिकी राशि को कम नहीं किया गया अथवा रोका नहीं गया क्योंकि कार्यक्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन पर अंतिम निर्णय जांच तथा अंतिम रूप देने के अन्तर्गत है। मंत्रालय ने प्रबंधन के मतों को दोहराया (फरवरी 2016)।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि (I) अंशतः पूर्ण कार्य पर पूर्व पूर्णता बोनस के भुगतान के लिए सीए में कोई अनुच्छेद नहीं है। (II) स्वतंत्र इंजीनियर ने छूटग्राही को 100 दिनों के लिए ईसीबी की सिफारिश करने के लिए अविश्वसनीय अवधारणाओं का उपयोग किया (III) कार्य के कार्यक्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए एनएचएआई की ओर से निर्णय विलम्बित हुआ जिसके परिणामस्वरूप छूटग्राही को वार्षिक भत्तों की अधिक राशि का भुगतान हुआ जिसे छूट करार के अनुच्छेद 28.4.2 के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक लेन उपलब्धता के संदर्भ में समायोजित किया जाना चाहिए था। परिणामतः छूटग्राही को 31 अक्टूबर 2015 तक ₹ 29.20 करोड़ का कुल अधिक भुगतान हुआ था।

¹ 14.62 प्रतिशत राशि के वार्षिकी में कमी = 1 प्रतिशत + 13.62 प्रतिशत अर्थात कार्य के कार्यक्षेत्र में आरंभिक 5 प्रतिशत कमी के लिए वार्षिक भत्ते में {1 प्रतिशत कमी + कार्य के कार्यक्षेत्र में अगली 6.81 प्रतिशत (11.81-5) कमी के लिए 2 प्रतिशत}

² ₹29.20 करोड़ = ₹199.70 करोड़ (31 अक्टूबर 2015 तक छूटग्राही को जारी 5 वार्षिकी x ₹39.94 करोड़) का 14.62 प्रतिशत

इस प्रकार, एनएचएआई ने छूट करार के उल्लंघन में ₹ 21.83 करोड़ के पूर्व पूर्णता बोनस तथा वार्षिकी के भाग होने के नाते ₹ 29.20 करोड़ जो कार्य के कार्यक्षेत्र में कमी के कारण देय नहीं था, को शामिल करते हुए ₹ 51.03 करोड़ के अनुचित वित्तीय लाभों का भुगतान किया।

2.2 एनएच-33 के हजारीबाग – रांची खंड के बीच चार लेन परियोजना से संबंधित छूटग्राही को एनएचएआई द्वारा अनुचित लाभ

शीघ्र पूर्णता के लिए बोनस के रूप में छूटग्राही को ₹ 47.05 करोड़ का भुगतान अनियमित था तथा छूटग्राही को अनुचित वित्तीय लाभ देने के समान था।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) तथा मै. हजारीबाग रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, रांची (छूटग्राही) ने निर्माण परिचालन तथा अन्तरण (बीओटी) वार्षिक वृत्ति आधार पर झारखंड के राज्य में एनएच-33 के हजारीबाग – रांची खंड पर 71.16 किमी. (रामगढ़ शहर से गुजरने वाली सड़क सहित) के चार लेनों के निर्माण, परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए एक कंसेशन समझौता (सीए-8 अक्टूबर 2009 को) किया। 71.16 किमी. की परियोजना लम्बाई को 910 दिनों यानी 27 जनवरी 2013 तक में निर्मित करना था।

10 फरवरी 2010 को, जैसा एनएचएआई द्वारा वांछित था, छूटग्राही, एनएचएआई पर किसी भी प्रकार की वित्तीय देयता के बिना रामगढ़ शहर से गुजरने वाली सड़क के स्थान पर, 15.723 किमी. की लंबाई वाले रामगढ़ बाईपास के निर्माण को शामिल करने पर सहमत था। संशोधित प्रबंधन में, परियोजना की कुल लंबाई इस प्रकार 71.16 किमी. से 73.799 किमी. बढ़ गई यानी रामगढ़ बाईपास की 15.723 किमी. लम्बाई तथा बाईपास अंश के अतिरिक्त 58.076 किमी.। इसे वास्तविक सीए दिनांक 08 अक्टूबर 2009 के प्रति एक अनुपूरक समझौते द्वारा औपचारिक (11 अप्रैल 2013) किया गया। अनुपूरक समझौते में, छूटग्राही एनएचएआई द्वारा बाधा रहित भूमि के सौंपने में देरी जिसमें रामगढ़ बाईपास के लिए 2.335 किमी. की भूमि सौंपने में देरी, के लिए दावे शामिल हैं, को भी माफ करने के लिए तैयार हो गया। 15.723 किमी. के रामगढ़ बाईपास अंश के लिए एक अलग पूर्णता अवधि भी स्वीकृत की गई। रामगढ़ बाईपास सहित सड़क का अंतिम मापन 73.866 किमी. था, जो 1 अप्रैल 2015 को पूर्ण में प्रमाणित किया गया था।

सीए (दिनांक 8.10.2009) के अनुच्छेद 28.1 के अनुसार, निर्धारित पूर्णता तिथि यानी 27 जनवरी 2013 से पूर्व वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त कर लेने के

मामले में छूटग्राही स्वतंत्र इंजिनियर (आईई) द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात परियोजना के पूर्ण लम्बाई (71.160 किमी.) को जल्द पूरा करने के लिए एक बोनस प्राप्त करने का हकदार था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एनएचएआई ने छूटग्राही को शीघ्रपूर्णता के लिए बोनस के रूप में ₹ 47.05 करोड़ का भुगतान किया था जो अनियमित था तथा निम्नलिखित कारणों से छूटग्राही को अनुचित वित्तीय लाभों को प्रदान करने के समान था:

- (i) चूंकि रामगढ बाईपास का निर्माण तथा इसकी पूर्णता सीमाएं पूरक अनुबंध (दिनांक 11.4.2013 द्वारा निर्धारित की गई थी, स्वतंत्र इंजीनियर ने यह प्रमाणित करते हुए अस्थायी पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया (12 अप्रैल 2013) कि 58.067 किमी. 15 सितम्बर 2012 से वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त था। एनएचएआई ने 58.067 किमी. निर्धारित पूर्णता तिथि अर्थात् 27 जनवरी 2013 से 134 दिन¹ पहले पूरा करने के लिए शीघ्र पूर्णता बोनस के प्रति छूटग्राही को 47.05 करोड़² का भुगतान किया। यह अनियमित था क्योंकि 58.067 किमी.की जल्दी पूर्णता की गणना के लिए 27 जनवरी 2013 को संदर्भ बिन्दु के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए था क्योंकि यह तिथि 71.160 किमी. की पहले अभिकल्पित लम्बाई की पूर्णता हेतु निर्धारित तिथि थी। 58.067 किमी. के लिए संदर्भ बिन्दु पूरे किए गए कार्य की रेखीय प्रगति के आधार पर अनुपातिक रूप से 27 जनवरी 2013 से कम किया जाना चाहिए था। रेखीय प्रगति के आधार पर 58.067 किमी. की लंबाई मध्य अगस्त 2012 तक पूरी की जानी चाहिए थी जब कि यह 15.9.2012 को पूर्ण प्रमाणित किया गया था। अतः इसे शीघ्र पूर्णता का मामला नहीं माना जाना चाहिए। अतः छूटग्राही को 47.05 करोड़ के बोनस का भुगतान अनियमित था तथा मूल अथवा पूरक कंसेशन समझौता के प्रावधानों के अन्तर्गत छूटग्राही को अनुचित वित्तीय लाभ देने के बराबर था।
- (ii) कंसेशन समझौता बताता है कि चार लेनों का भाग बनाने वाली सभी सूचीबद्ध परियोजना सुविधाएं परियोजना पूर्णता तिथि को या पहले पूर्ण हो जानी चाहिए थी। ये परियोजना सुविधाएं भी 58.067 किमी. खंड पर 15 सितम्बर 2012 तक पूरी तरह पूर्ण नहीं थी।

¹ 15 सितम्बर 2012 तथा 27 जनवरी 2013 के मध्य 134 दिनों की अवधि।

² औसत दैनिक वार्षिक वृत्ति तथा दिनों की संख्या, जिस तक पीसीओडी निर्धारित चार लेन की तिथि से आगे था, का गुणनफल अर्थात् $64.08 \times 2 / 365 \times 134$ दिन

प्रबंधन (अप्रैल 2015)/मंत्रालय (मार्च 2016) ने कहा कि (i) छूटग्राही को बोनस कंसेशन समझौते की धारा 28.1.1, 15.1 तथा 10.3.5 के अनुसार चुकाया गया था, (ii) अनुपातिक आधार पर 58.067 किमी. लम्बाई को पूरा करने के लिए समय की गणना की कार्यप्रणाली का सुझाव उचित नहीं था क्योंकि परियोजना हेतु भूमि देर से व टुकड़ों के आधार पर छूटग्राही को सौंपी गई थी, (iii) शहर सड़क के एवज़ में रामगढ़ बाईपास का प्रस्ताव झारखंड सरकार के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लिया गया था। छूटग्राही ने पर्याप्त संसाधन समय से पहले काम पूरा करने के लिये तैनात कर दिये गए थे लेकिन उन्हें भूमि की अनुपलब्धता के कारण उपयोग नहीं किया जा सका, (iv) दूरसंचार और राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली से संबंधित कार्य जहाँ ज़मीन उपलब्ध थी पूरा किया गया, लेकिन रामगढ़ बाईपास में भूमि की समस्या के कारण केबल की कनेक्टिविटी की कमी के कारण इस प्रणाली को पीसीओडी के समय पर परिचालित नहीं बनाया जा सका। भूमि अधिग्रहण के बाद सिस्टम 19-7-2013 को परिचालित किया गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि: (i) सीए (दिनांक 8 अक्टूबर 2009) के संदर्भित धाराओं के अन्तर्गत, बोनस शीघ्र पूर्णता के लिए देय था, यदि उल्लिखित पूर्ण लम्बाई यानी 71.160 किमी. छूटग्राही द्वारा संबंधित निर्धारित पूर्णता तिथि यानी 27 जनवरी 2013 से पहले पूर्ण किया जाता। एनएचएआई ने 134 दिनों के लिए शीघ्र पूर्णता बोनस के लिए छूटग्राही को ₹ 47.05 करोड़ चुकाए जैसे 15 सितम्बर 2012 को समग्र 71.160 किमी. पूर्ण हो चुके थे जबकि केवल 58.067 किमी. को इस तिथि के लिए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने के लिए उचित प्रमाणित किया गया था, (ii) मंत्रालय का जवाब कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण देरी हुई लेखापरीक्षा के अवलोकन के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है जोकि इस पर प्रकाश डालता है कि कम लम्बाई अर्थात् 58.07 किमी. को पूरा करने के लिए नियत तारीख 58.067 किमी. को शीघ्र पूरा करने पर बोनस की गणना करने के लिए फिर से परिभाषित नहीं की गई। आगे और, एनएचए आई के समय पर भार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थता को कम आंशिक पूरी की गई लंबाई (58.067 किमी.) को पूरा करने के लिए शीघ्र बोनस की गणना के लिए पहले परिकल्पित लंबाई (71.160 किमी.) के लिए निर्धारित समय (910 दिन) पर आधारित थी, को औचित्य के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए 58.067 किमी. के पूरा होने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में 27 जनवरी 2013 को लेना उचित नहीं था और आधार को कार्य पूरा होने के संदर्भ में परिभाषित करना अवश्यक था। (iii) भूमि सौंपने तथा बाईपास अंश के निर्माण में देरी से संबंधित मामले एक अन्य समझौते द्वारा एनएचएआई को कोई लागत के बिना संकल्पित किये गए थे,

तथा (iv) दूरसंचार प्रणाली और राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली का कार्य 58.067 किमी. के खण्ड पर 15 सितम्बर 2012 तक पूरा नहीं हुआ था और केवल 19 जुलाई 2013 तक सभी संबंधों में पूरा किया गया।

इस प्रकार शीघ्र पूर्णता के लिए बोनस के रूप में छूटग्राही को ₹ 47.05 करोड़ का भुगतान अनियमित था तथा छूटग्राही को अनुचित वित्तीय लाभों को प्रदान करने के बराबर था।

2.3 छूटग्राही को अनुचित लाभ (पीआईयू दरभंगा)

एनएचएआई ने सुरक्षित और उचित वाणिज्यिक संचालन अर्थात् टोल प्रबंधन प्रणाली और राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिये निर्धारित जांच पूर्ण किये बिना और रियायत करार के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये परियोजना सुविधाओं के पूर्ण होने से पूर्व 8 फरवरी 2012 से अस्थाई पूर्ण प्रमाणपत्र जारी करने में कमी के कारण रियायतग्राही को ₹ 31.90 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ दिया।

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) और मैसर्स कोसी ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड (छूटग्राही) ने निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (वार्षिक वृत्ति) के आधार पर माइलस्टोन 148.55 और 159.185 कि.मी. के बीच बिहार में एनएच-57 पर कोसी नदी के ऊपर चार-लेन के पुल के निर्माण हेतु रियायत करार (सीए) हस्ताक्षरित किया (6 अक्टूबर 2006)। परियोजना निर्धारित परियोजना पूर्ण करने की तिथि(एसपीसीडी) अर्थात् 4-4-2010 तक पूर्ण नहीं की जा सकी। स्वतंत्र सलाहकारों (आईसी) ने 8-2-2012 की तिथि को (सीए के अनुच्छेद 16.5 के अंतर्गत) पूरी परियोजना के लिये अस्थाई वाणिज्यिक संचालन तिथि (पीसीओडी) प्रमाणित करते हुये, इस तिथि को अस्थाई पूर्ण प्रमाणपत्र (पीसीसी) जारी किया (18-4-2012)। एनएचएआई को एनएचएआई के कारण 507 दिनों के विलम्ब सहित, परियोजना पूर्ण होने में 675 दिनों¹ के कुल विलम्ब का पता लगा। वार्षिक भुगतान अनुसूची ने 4-10-2010 से अर्थात् एसपीसीडी के छह माह के अंदर 34 वार्षिक वृत्ति प्रत्येक ₹ 31.90 करोड़ की राशि की निर्धारित की। 8 फरवरी 2012 से पीसीसी के आधार पर एनएचएआई ने 8 फरवरी 2012 के बाद तुरंत आने वाले 4 अप्रैल 2012 से प्रत्येक ₹ 31.90 करोड़ की 31 वार्षिक वृत्ति (34 वार्षिक वृत्ति में से) के भुगतान की स्वीकृति दी। तथापि, 8 फरवरी 2012 से पीसीसी जारी करने में कमी के कारण रियायतग्राही को ₹ 31.90 करोड़ का अनुचित भुगतान किया।

¹ 675 दिन एसपीसीडी अर्थात् 4-4-2010 और पीसीओडी अर्थात् 8-2-2012 के बीच का समय अंतराल है।

1. सीए के अनुच्छेद 16.1, 16.4 और 16.5 में निर्धारित है कि आईसी एनएचएआई के अनुमोदन से अस्थाई पूर्ण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, यदि सारी जांच अनुसूची 'जे' का पालन करते हुये की गई है और किसी भी खण्ड के संबंध में सफल हो और खण्ड वाणिज्यिक संचालन में कानूनी, सुरक्षित और उचित रूप से रखी जा सकती है यद्यपि कुछ कार्य/वस्तुएँ जो उसका भाग बनाती हैं अभी पूर्ण न हो। ऐसे मामले में अस्थाई पूर्ण प्रमाणपत्र को 'अंतिम अनुसूची' के साथ संलग्न होना चाहिये, ऐसे अंतिम सूचीबद्ध कार्य पीसीसी की प्रभावी तिथि से 120 दिनों के अंदर पूर्ण होना अपेक्षित है और निर्धारित क्षेत्र/स्थान में वृक्षारोपण और भूनिर्माण, सड़क के किनारे गैर-रेखांकित और रेखांकित नालियाँ, विश्राम क्षेत्र, बाड़, तटबंध ढलानों पर घास बिछाना, पत्थर की चिनाई का कार्य और पत्थर डालने जैसे कार्य शामिल हैं [अनुच्छेद 16.5 के साथ पठित अनुच्छेद I(1.1)]। परियोजना कार्यक्षेत्र में कवर्ड अन्य मद करार की अनुसूची 'बी' में निर्धारित थे और परियोजना सुविधाओं की न्यूनतम स्थान-संबंधी/कार्यकारी आवश्यकताएँ अनुसूची 'सी' में निर्धारित थीं। अनुसूची 'बी' और 'सी' के अंतर्गत कवर्ड कार्य परियोजना की संपत्ति थे क्योंकि वे परियोजना के लिए न्यूनतम स्थानिक-कार्यकारी आवश्यकताएँ बनाते हैं और अनुच्छेद 1(1.1) के तहत निर्धारित अंतिम अनुसूची की परिभाषा में कवर नहीं होते थे।
2. आईसी और एनएचएआई के बीच संदर्भ की शर्तों में निर्धारित था कि आईसी अंतिम सूची मर्दों, यदि कोई है, के साथ अस्थाई प्रमाणपत्र जारी करेगा, जैसा सीए में उल्लिखित है, रियायतग्राहियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के बाद, यदि रियायतग्राही इसका अनुरोध करता है, एनएचएआई के अनुमोदन के बाद। रियायतग्राहियों के अनुरोध के आधार पर, आईसी ने अस्थाई पूर्ण प्रमाणपत्र जारी करने के लिये 31 जनवरी 2012 और 21 जनवरी 2012 को औपचारिक अनुमोदन और निर्देश मांगे प्रत्येक बार मसौदा अंतिम सूची (उसदिन तक अद्यतित) संलग्न की जिसमें अन्य छोटे कार्यों के साथ अनुसूची 'बी' और 'सी' का कुछ कार्य संगठित था।
3. परियोजना 8 फरवरी 2012 को उद्घाटित की गई थी और एनएचएआई ने इस तिथि को अस्थाई पूर्ण तिथि के रूप में मानने की सहमती दी। इसके बाद, आईसी ने 18 अप्रैल 2012 को औपचारिक रूप से पीसीसी जारी किया और 8 फरवरी 2012 से अतीतलक्षी ढंग से परियोजना का पीसीओडी घोषित किया। उसके साथ संलग्न अंतिम सूची 18 अप्रैल 2012 तक अद्यतित थी जिसमें पता चला कि टोल प्रबंधन प्रणाली और राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली (आपातकालीन संचार प्रणाली)¹ के संबंध में

¹ राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली (एचटीएमएस) अन्य बातों के साथ-साथ दुर्घटना, वाहन खराब होने और आग के मामले को नियंत्रित करने और रोड पर असामान्य परिस्थितियों के बारे में राजमार्ग प्रयोग

निर्धारित जांच अभी की जानी बाकि थी। अंतिम सूची ने सीए के अनुच्छेद 1(1.1) की श्रेणी के अंतर्गत कवर्ड लघु प्रकृति के अन्य कार्यों के साथ-साथ, प्रशासनिक संचालन और आधार शिविर, रोड फर्नीचर और रोडसाइड सुविधाओं के प्रावधान जैसे अपूर्ण कार्य भी दर्शाये जो सीए की अनुसूची 'सी' का भाग बनाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीसीओडी के रूप में 8 फरवरी 2012 की घोषणा रियायत करार के प्रावधानों के विपरीत थी क्योंकि (i) टोल प्रबंधन प्रणाली और राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली(आपातकालीन संचार प्रणाली) के संबंध में अनुसूची 'जे' के अंतर्गत निर्धारित जांच अभी तक नहीं की गई थी और इन जांचों के सफलतापूर्वक पूर्ण हुये बिना, इस तिथि से पीसीसी जारी करने के लिये एनएचआई से आईसी को अनुमोदन देना सीए की अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। आईसी के पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2012 के अनुसार यह जांच 18 अप्रैल 2012 तक पूर्ण नहीं की गई थी; (ii) अनुसूची 'सी' का भाग बनाने वाले रोड फर्नीचर, रोडसाइड सुविधाओं और प्रशासनिक संचालन और आधार शिविर रखरखाव के कार्य अंतिम सूची मर्दों में शामिल नहीं किये जाने चाहिये थे क्योंकि वे परियोजना के लिये न्यूनतम स्थानिक-कार्यकारी आवश्यकताएँ बनाते हैं और सीए के अनुच्छेद 16.5 के साथ पठित अनुच्छेद 1(1.1) के अंतर्गत निर्धारित अंतिम सूची मर्दों की परिभाषा के अंतर्गत कवर्ड नहीं थे। इसलिए पीसीसी तारीख (8 फरवरी 2012) तक इन्हे पूरा किया जाना चाहिए था। इस तरह अनुसूची सी के कार्यों को अंतिम सूची में शामिल करने से 120 दिनों का लाभ इन महत्वपूर्ण कार्यों को भी दिया गया जो अन्यथा अंतिम सूची का हिस्सा बनने के योग्य नहीं थे जैसा उपर पैरा 1 में बताया जा चुका है। आईसी द्वारा प्रमाणित अनुसार यह कार्य 23 जून 2012 तक अपूर्ण थे। वास्तविक तिथि, जब तक रोड फर्नीचर और रोडसाइड सुविधाओं और प्रशासनिक संचालन और आधार शिविर रखरखाव का कार्य पूरा किया गया, उपलब्ध नहीं थी, तथापि, आईसी ने एनएचआई को सूचित किया (23 जुलाई 2013) कि अंतिम सूची (दिनांक 18-4-2012) के अंतर्गत उल्लिखित सभी मद 8 जून 2012 तक अर्थात् सीए के अंतर्गत निर्धारित 120 दिनों¹ की समय सीमा के अंदर छूटग्राहियों द्वारा पूर्ण नहीं किये गये थे, लेकिन वास्तव में 8 फरवरी 2013 तक सभी तरह से पूर्ण किये गये थे। इसलिये, एनएचआई द्वारा 8-2-2012 की अस्थाई पूर्ण तिथि के रूप में घोषणा उचित नहीं थी। इसलिये, छूटग्राही 4 अप्रैल 2012 (पीसीओडी 8 फरवरी 2012 के शीघ्र बाद) को होने वाली ₹ 31.90 करोड़ की 4^{थी} वार्षिकी के लिये पात्र नहीं था और कुल वार्षिकी पात्रता अनुसूची-जी में अनुसूचित केवल

करने वालों को पहले से चेतावनी देने के लिये आकस्मिक कॉलर बूथ (ईसीबी) के माध्यम से आपातकालीन कॉल करने के लिये राजमार्ग प्रयोग करने वालों को सुविधा प्रदान करती है।

¹अस्थाई पूर्ण प्रमाण-पत्र की प्रभावी तिथि 8-2-2012 से 120 दिन

4-10-2012 को उपयुक्त 5^{वीं} वार्षिकी से शुरू 30 वार्षिकी (एनएचएआई द्वारा अनुमोदित 31 की बजाय) होनी चाहिये थी। इस प्रकार ₹ 31.90 करोड़ की वार्षिकी का अधिक भुगतान हुआ था।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2016) कि वास्तविक समय जांच टोल प्रबंधन प्रणाली और आकस्मिक कॉलर बूथ पर की जानी थी जो नहीं की जा सकी क्योंकि टोल संग्रह एजेंसी पीसीसी के समय उपलब्ध नहीं थी और यह कि छूटग्राही ने इन परीक्षणों की रिपोर्ट पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2012 के तहत दी। अंतिम सूची के अंतर्गत मद लघु प्रकृति के थे, वाणिज्यिक संचालन प्रभावित नहीं हुआ और यह पीसीसी से 120 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण किये गये थे उस भाग को छोड़कर जिसे लोक संघर्ष द्वारा अनुमत नहीं किया गया था। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों को दोहराया (मार्च 2016)

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि (i) टोल प्रबंधन प्रणाली और राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना की सुरक्षित और उचित वाणिज्यिक संचालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक थे और वे पीसीसी तिथि 8 फरवरी 2012 के बाद पूर्ण किये गये थे, जबकि सीए की अनुच्छेद 16 में अपेक्षित है कि पीसीसी अनुसूची 'जे' में निर्धारित सभी जांच का सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद जारी किया जाना चाहिये, (ii) यह दावा की अंतिम सूची के कार्य मामूली प्रकृति के थे प्रसांगिक नहीं है क्योंकि अंतिम सूची के कार्यों में अनुसूची 'सी' के कार्य भी शामिल थे जो परियोजना सुविधाओं की न्यूनतम स्थानिक कार्यकारी आवश्यकताएं थी और अंतिम सूची में अनुसूची 'सी' के कार्यों का समावेश सीए के प्रावधानों के खिलाफ था क्योंकि ये सुविधाओं की न्यूनतम स्थानिक और कार्यात्मक जरूरतें थी और इन्हे पीसीसी तारीख तक पूरा किया जाना था। छूटग्राही द्वारा अनुबंध के अनुसूची 'सी' में कार्यों को पूरा किया जाना था और अनुसूची 'जे' में निर्धारित परीक्षण किए जाने थे। लेखापरीक्षा अवलोकन 8 फरवरी 2012 की पीसीसी तारीख तक निर्धारित परीक्षणों को करने में विफलता और अनुसूची सी की मदों को अंतिम सूची में गलत शामिल किए जाने से संबंधित है। मंत्रालय द्वारा कहना कि, जनता आंदोलन की वजह से अंतिम सूची के कुछ कार्यों का निर्धारित 120 दिन में पूरा न हो पाना लेखापरीक्षा अवलोकन को प्रभावित नहीं करता। अंतिम सूची में अन्य कार्य जैसे टोल प्रबंधन प्रणाली, राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली (आपातकालीन संचार प्रणाली) भी 18 अप्रैल 2012 तक पूर्ण नहीं थे (जैसा कि 18 अप्रैल 2012 की/को आधारित अंतिम सूची जो कि आईसी के पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2012 के साथ संलग्न थी, में दिखाया गया था) अर्थात् 4 अप्रैल 2012 को देय चौथे वार्षिकी भुगतान की तारीख के बाद तक। इसलिए ₹ 31.90 करोड़ का चौथा वार्षिकी भुगतान उचित नहीं था और अनुसूची जी में सूचीबद्ध 4 अक्टूबर 2012 से देय पांचवी वार्षिकी से वार्षिकी भुगतान शुरू किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, सुरक्षा और उचित पहलुओं पर उचित ध्यान दिये बिना 8 फरवरी 2012 से अस्थाई पूर्ण प्रमाणपत्र का असामयिक रूप से जारी करना रियायत करार के प्रावधानों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप एनएचएआई द्वारा छूटग्राही को ₹ 31.90 करोड़ का अनुचित भुगतान हुआ।

अध्याय III: वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान मंत्रालय

सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड

परिचालनों के सम्पन्न पर अनुत्पादक व्यय

सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने इसके सोलर फोटोवोल्टेयिक संयंत्र के परिचालनों को दो मेगावाट पीक से 10 मेगावाट पीक (एमडब्ल्यूपी) प्रति वर्ष तक सम्पन्न किया। तथापि, सोलर फोटोवोल्टेयिक सैल का उत्पादन 2007-08 से 2014-15 के दौरान दो एमडब्ल्यूपी प्रति वर्ष की मूल क्षमता से भी नीचे रहा जिसने परिचालनों को सम्पन्न करने पर ₹ 22.43 करोड़ के व्यय को व्यर्थ बना दिया।

सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (कम्पनी) का साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में एक सोलर फोटोवोल्टेयिक (एसपीवी) प्लांट सिलिकॉन वेफर के प्रक्रमण द्वारा एसपीवी सैल बनाने के लिए है। संयंत्र की क्षमता एक अद्यतन एवं सम्पन्नन परियोजना के अन्तर्गत दो मेगावाट पीक¹ (एमडब्ल्यूपी) प्रतिवर्ष से 10 एमडब्ल्यूपी प्रतिवर्ष बढ़ाई गई थी तथा सम्पन्न परियोजना ₹ 22.43 करोड़ की कीमत पर जुलाई 2007 में सम्पूर्ण हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संयंत्र का उपयोग 2007-08 से 2014-15 के दौरान 0.25 एमडब्ल्यूपी से 1.30 एमडब्ल्यूपी के मध्य की क्षमता पर प्रयोग किया जा रहा था। संयंत्र की क्षमता प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा दी गई थी कि दो एमडब्ल्यूपी प्रति वर्ष की तत्कालीन पर उत्पादन मात्रा उत्पादन खर्च तथा ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी तथा कम्पनी केवल तभी घरेलू तथा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती है यदि यह इसके वर्तमान संयंत्र क्षमता को न्यूनतम 10 एमडब्ल्यूपी तक बढ़ाती। तथापि, पिछले आठ वर्षों में वास्तविक क्षमता प्रयोग दो एमडब्ल्यूपी की मूल क्षमता से भी कम था जिसने संयंत्र के सम्पन्न होने पर ₹ 22.43 करोड़ के सम्पूर्ण खर्च को व्यर्थ बना दिया।

कम उत्पादन के कारणों के संबंध में प्रबंधन का तर्क (अगस्त 2011) था कि सिलिकॉन वेफर के बाजार में अस्थिरता के कारण, कम्पनी ने सिलिकॉन वेफर का सैलो में रूपान्तरण को कम करने तथा सैलो को (बाहर से उपार्जित) सौर माड्यूलों में रूपान्तरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने का निर्णय लिया क्योंकि वह अधिक लाभदायक पाई गई।

¹ 1000 किलो वाट पीक, एक मेगावाट पीक के समान है।

तथापि, लेखापरीक्षा जांच (अप्रैल 2014) से पता चला कि सिलिकॉन वेफर की मांग तथा उत्पादन पर विचार करते समय कम्पनी ने कच्चे माल (यथा सिलिकान वेफर) की उपलब्धता तथा इसकी प्राप्ति के स्रोत की वास्तविक स्थिति पर विचार नहीं किया था वास्तव में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (नवम्बर 2003) में केवल यही कहा कि सिलिकॉन बहुत मात्रा में उपलब्ध था क्योंकि यह पृथ्वी की भूपर्पटी के लगभग 20 प्रतिशत के बराबर था। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों ने इंगित किया कि कम्पनी इस तथ्य से अभिज्ञ था कि सिलिकॉन माल तथा वेफर के लिए मांग 2004 में ही भारत में कुल उत्पादन से अधिक हो गया था तथा भारतीय फोटोवोल्टेयिक उद्यम के लिए सिलिकॉन वेफर की लगभग 90 प्रतिशत आवश्यकता आयातों के माध्यम से पूरी होती है। तथपि भारत सरकार ने सौर फोटोवोल्टेयिक परिचालनों के 29 मार्च 2005 को 10 एमडब्ल्यूपी प्रति वर्ष तक उन्नयन तथा सम्पन्न होने को स्वीकृत किया।

प्रबंधन ने आगे कहा (अप्रैल 2014) कि चूंकि सैलो के उत्पादन की कीमत प्रचलित बाजार मूल्य से बहुत ऊंची थी तथा निजी भागीदारों से प्रतिस्पर्धा थी, उत्पादन को और घाटे से बचने के लिए नहीं बढ़ाया गया था।

प्रबंधन का तर्क परिचालनों को सम्पन्न करने के लिए प्रस्ताव को उचित ठहरने के लिए इसकी पहले तर्क के प्रतिकूल है, जिसमें इसने कहा था कि उत्पादन क्षमता में व्यापक वृद्धि में बढ़त ही उत्पादन की उच्च लागत को कम कर सकती है।

इस प्रकार, कम्पनी ने कच्चे माल की उपलब्धता में अवरोधों तथा वेफर के बाजार में अस्थिरता के प्रकाश में परियोजना की आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता पुनर्मूल्यांकन नहीं किया था। इसने ₹ 22.43 करोड़ के सम्पूर्ण व्यय को व्यर्थ बना दिया क्योंकि परिचालनों के सम्पन्न होने के बाद क्षमता प्रयोग मूल क्षमता से भी निम्नतर रखा गया था।

मामले को अक्टूबर 2015 को मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2016) था।

अध्याय IV: जहाजरानी मंत्रालय

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

4.1 अवसंरचना सुविधाओं के उपयोग की स्थिति की समीक्षा

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) का गठन 1986 (अक्टूबर) में आईडब्ल्यूएआई अधिनियम 1985 के अन्तर्गत देश में जहाजरानी तथा नौपरिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विनियमन तथा विकास करने के लिए किया गया था। इस कारण से आईडब्ल्यूएआई जहाजरानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान का उपयोग कर राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास तथा अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेता है।

आईडब्ल्यूएआई के गठन के पश्चात इलाहाबाद से हल्दिया (1620 किमी.) तक गंगा - भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली, धुबरी से सदिया (891 किमी.) तक ब्रह्मपुत्र नदी का खंड तथा उद्योग मंडल तथा चंपाकारा नहरों के साथ-साथ पश्चिम तट नहर की कोल्लम-कोट्टापुरम खंड (कुल 205 किमी.) को क्रमशः अक्टूबर 1986, सितम्बर 1988 तथा फरवरी 1993 में एनडब्ल्यू-1, एनडब्ल्यू-2 तथा एनडब्ल्यू-3 घोषित किया गया था। बाद में, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के साथ काकीनाडा पुडुचेरी नहरों का खंड तथा ब्राह्मणी नदी तथा महानदी डेल्टा नदियों के साथ एकीकृत पूर्व तट नहर (नवम्बर 2008 में) एनडब्ल्यू -4 तथा एनडब्ल्यू-5 घोषित किए गए थे; तथापि, ये एनडब्ल्यूज विकास की प्राथमिक अवस्था में हैं चूंकि कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं हुई।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्मित अवसंरचना के प्रयोग की स्थिति को समीक्षित किया तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं।

4.1.1 राष्ट्रीय जलमार्ग -1

(क) गायघाट पटना पर निर्मित अवसंरचना का कम उपयोग-

एक निम्न स्तर घाट गायघाट पटना¹ पर ₹ 30.29 करोड़ की लागत से निर्मित (अप्रैल 2007) किया गया। बाद में, बाढ़ के मौसम के दौरान जल स्तर में विभिन्नता तथा यह तथ्य कि वर्तमान निम्न स्तर घाट से कार्गो को संभाला नहीं जा सकता, आईडब्ल्यूएआई

¹ निम्न स्तर घाट से सम्बंधित एक लेखापरीक्षा टिप्पणी पिछली रिपोर्ट संख्या पी.ए. 09 वर्ष 2008 में पैरा संख्या 8.4.1 में शामिल की जा चुकी है।

ने ₹ 13.73 करोड़ की लागत पर सीपीडब्ल्यूडी को उच्च स्तर घाट के निर्माण का कार्य सौंपा (जुलाई 2005)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्न स्तर घाट से डीपीआर में प्रक्षेपित 2.70 लाख एमटी प्रतिवर्ष (2010-11 तक) कार्गो गतिविधि के प्रति वास्तविक कार्गो गतिविधि अप्रैल 2007 तथा जनवरी 2009 के मध्य केवल 0.06 लाख एमटी थी। हालांकि निम्न स्तर घाट से कार्गो गतिविधि में कोई संतोषजनक वृद्धि नहीं थी, आईडब्ल्यूएआई ने उच्च स्तर घाट के निर्माण का निर्णय ले लिया। उच्च स्तर घाट के निर्माण से संबंधित कार्य ₹ 27.54 करोड़ की कीमत पर अगस्त 2012 में पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2012-13 में उच्च स्तर घाट से केवल 300 एमटी की कार्गो गतिविधि थी तथा उसके बाद 2014-15 तक कोई गतिविधि नहीं देखी गई। दोनों घाटों से पिछले तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15) में कुल कार्गो गतिविधि केवल 0.03 लाख एमटी थी।

प्रबंधन ने इसके उत्तर (फरवरी 2016) में कहा कि स्थायी संरचना का निर्माण विशेषतया नदी तट पर, 20 से 50 वर्षों के जलविज्ञान सम्बंधी आंकड़ों को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर यह पता चला कि जब जल स्तर 45 मीटर तक ऊपर उठता है, निम्न स्तर घाट का प्रयोग होगा तथा जब यह 45 से 50 मीटर के ऊपर उठता है (निम्न स्तर घाट को जलमग्न करता है), तब उच्च स्तर घाट का प्रयोग होगा। इस प्रकार उच्च स्तर घाट उच्चतम बाढ़ स्तर 50 मीटर मानते हुए निर्मित किया गया था। उत्तर में यह भी कहा गया कि गंगा नदी की मुख्य धारा जैटी के विपरीत तट की ओर विस्थापित हो गई है। अतः घाटों के सामने उचित जल गहराई की अनुपलब्धता के कारण, कुछ वर्षों से कार्गो को उचित रूप से संभाला नहीं जा सका। आईडब्ल्यूएआई नहर को जहाज परिवहन लायक बनाने के लिए घाटों के पूरे वर्ष इष्टतम प्रयोग के लिए अनुकूल उपाय करने की प्रक्रिया में था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उच्च स्तर घाट के निर्माण के पश्चात भी, वर्ष 2012-13 में केवल 300 एमटी कार्गो को संभाला गया तथा उसके बाद मार्च 2015 तक वहां कोई कार्गो गतिविधि नहीं हुई थी। साथ ही पूरे वर्ष इसे जहाज परिवहन लायक रखने के लिए आईडब्ल्यूएआई को नदी प्रशिक्षण (रीवर ट्रेनिंग), तलकर्षण इत्यादि के द्वारा नहर में उचित जल प्रवाह बनाए रखने की आवश्यकता थी। अतः ₹ 57.83 करोड़ की कीमत पर निर्मित अवसंरचना सार्थक रूप से कम उपयोगी रही।

(ख) कोलकता में जीआर घाट II का अव्यवहारिक प्रक्षेपणों के कारण गैर-इष्टतम प्रयोग

आईडब्ल्यूआई ने डीपीआर (2004) के अनुसार अपेक्षित कार्गो वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 2009 तक आरसीसी घाट के साथ एक स्थायी टर्मिनल बनाने का निर्णय एनडब्ल्यू-1 को पूर्ण क्रियाशील बनाने के लिए लिया। डीपीआर के अनुसार प्रस्तावित कार्गो गतिविधि वर्ष 2005-06 में 10.39 लाख एमटी तथा वर्ष 2010-11 में 18.20 लाख एमटी थी, जबकि वास्तविक कार्गो गतिविधि केवल 0.55 लाख एमटी तथा 1.26 लाख एमटी क्रमशः थी। सीपीडब्ल्यूडी को कार्य 24 महीनों की पूर्णता अवधि के साथ ₹ 23.14 करोड़ की राशि पर प्रदान (मार्च 2007) किया गया। अंत में कार्य ₹ 36.59 करोड़ की लागत पर, फरवरी 2014 में पूर्ण हुआ। आडिट ने देखा कि वर्ष 2014-15 के दौरान कोलकाता टर्मिनल से प्रबंधित 1.50 लाख एमटी के कुल कार्गो के प्रति जीआर घाट II का योगदान केवल 0.02 लाख एमटी था।

इस प्रकार से ₹ 36.59 करोड़ की लागत पर जेआर घाट-II के निर्माण के बावजूद, कार्गो गतिविधि में कोई वृद्धि नहीं हुई।

प्रबंधन ने इसके उत्तर (फरवरी 2016) में कहा कि सम्पूर्ण एनडब्ल्यू-I तथा एनडब्ल्यू-II के साथ सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्गो उचित प्रबंधन सुविधा के बिना टर्मिनल के विकास तथा पर्याप्त नौपरिवहन योग्य गहराई के बिना, जीआर घाट-II से 2004 में मै. आरआईटीईएस द्वारा प्रस्तुत उनकी रिपोर्ट में प्रस्तावित कार्गो गतिविधि को प्राप्त करना संभव नहीं था। तब से जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त जल मार्ग विकास परियोजना को सम्पूर्ण एनडब्ल्यू-I के पूर्ण विकास की संभावनाओं को तलाशने के लिए आई डब्ल्यू ए आई को सौंप दिया है (अक्टूबर 2014)।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तथ्य यह है कि एनडब्ल्यू-1 तथा एनडब्ल्यू-2 के विकास में देरी के कारण ₹ 36.59 करोड़ की लागत पर निर्मित जीआर घाट -II की अवसंरचना सुविधा कम प्रयुक्त रही।

4.1.2 राष्ट्रीय जल मार्ग-2

(क) पांडू में निम्न और उच्च स्तर जेटी का कम उपयोग

प्राधिकरण ने ₹ 47.70 करोड़ (₹ 30 करोड़ + ₹ 17.70 करोड़) की संभावित लागत पर पांडू में निम्न और उच्च स्तर जेटी के निर्माण का निर्णय (मार्च 2002 और मार्च 2006) लिया। मानसून अवधि के दौरान जल स्तर के कारण वर्ष में लगभग छः महीनों

के लिए निम्न स्तर जेटी, जिसे ₹ 37.91 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 2008 में पूरा किया गया था, जलमग्न रहती है।

प्राधिकरण ने 24 महीनों की निर्दिष्ट अवधि में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत किये गये एस्टीमेट के आधार पर ₹ 17.70 करोड़ की संभावित लागत पर पांडू में उच्च स्तर जेटी के निर्माण को अनुमोदित (मार्च 2006) किया। लागत ₹ 24.58 करोड़ (मई 2007) तक बढ़ गई और बाद में ₹ 33.42 करोड़ (नवम्बर 2008) तक बढ़ गई और अंत में मार्च 2014 में ₹ 43.85 करोड़ की लागत में इसे पूरा किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विगत छः वर्षों (2009-10 से 2014-15) के दौरान कार्गो प्रचालन केवल 314 एमटी था जो यह दर्शाता है कि ₹ 81.76 करोड़ की लागत पर निर्मित आधारभूत संरचना कार्गो प्रचालन के अभाव में पर्याप्त रूप से अप्रयुक्त रही।

(ख) पांडू टर्मिनल में ब्रॉड गेज (बीजी) रेलवे साईडिंग और वैकल्पिक सड़क का कम उपयोग

आईडब्ल्यूएआई ने ₹ 5.93 करोड़ (मार्च 2005) की लागत पर पांडू टर्मिनल और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बीच ब्रॉडगेज लिंक (बीजी लिंक) के निर्माण का निर्णय लिया जो बाद में संशोधित होकर ₹ 10.36 करोड़ (फरवरी 2006) हो गयी। कार्य को मार्च 2008 तक नियत निर्माण के साथ उत्तरपूर्व सीमांत (एन एफ) रेलवे द्वारा किया जाना था। बीजी साईडिंग का निर्माण ₹ 12.59 करोड़ की लागत पर अप्रैल 2012 में पूरा किया गया था। यद्यपि, निर्माण से तीन वर्षों के बाद भी, रेलवे द्वारा बताया गयी (मार्च 2015) कुछ प्रचालन बाधाओं जैसे आईडब्ल्यूएआई साईडिंग पर 42 बीसीएन वैगनों के रोक को समायोजित करने के लिए आवश्यक क्षेत्र की अनुपलब्धता, शंटिंग बाधाएं आदि के कारण बीजी साईडिंग को कार्यान्वित (अगस्त 2015) नहीं किया जा सका।

2005 में रेलवे साईडिंग निर्माण के निर्णय के बाद, आईडब्ल्यूएआई ने ₹ 12.32 करोड़ की संभावित लागत पर पांडू के सड़क सम्पर्क को सुधारने के लिए वैकल्पिक दोहरे मार्ग के निर्माण का निर्णय लिया (नवम्बर 2011)। प्रस्तावित सड़क की मार्गरेखा लगभग 6210 वर्ग मी. की रेलवे भूमि से गुजरती है। रेलवे प्राधिकारी दीर्घावधि आधार पर आईडब्ल्यूएआई को 6210 वर्ग मी. की भूमि के स्थानांतरण के लिए सहमत हो गये और तदनुसार 35 वर्षों के पट्टे के लिए जून 2012 में एनएफ रेलवे के पास ₹ 3.45 करोड़ राशि के पट्टा प्रभार जमा कराये गये । ₹ 11.43 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 2011 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, असम सरकार (पीडब्ल्यूडी असम) को कार्य सौंपा गया और ₹ 6.11 करोड़ की राशि अदा की गई थी (अगस्त 2012)। यद्यपि, संबंधित कार्य को बाधा

मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरंभ नहीं किया जा सका। वैकल्पिक भूमि के प्रदान के लिए आईसीडब्ल्यूए का प्रस्ताव रेलवे (2013) द्वारा यह कहते हुए ठुकरा दिया गया कि सड़क का निर्माण केवल पट्टे वाली भूमि पर संभव होगा। अक्टूबर 2013 में, आईसीडब्ल्यूए ने कार्य बंद करने का निर्णय लिया और पीडब्ल्यूडी असम और एन एफ रेलवे से राशि को पुनः प्राप्त करने हेतु दावा किया। एन एफ रेलवे से राशि अभी भी वसूल की जानी शेष थी (मार्च 2015)।

इस प्रकार ब्रॉड गेज रेलवे साइडिंग को प्रचालित नहीं किया गया और वैकल्पिक सड़क निर्माण को मूर्त रूप नहीं दिया गया है। इन सुविधाओं के अभाव में पांडू पोर्ट पर उपलब्ध कराई गई आधारभूत संरचना सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, ₹ 94.35 करोड़ की लागत से निर्मित सारी आधार भूत संरचना लगभग अप्रयुक्त पड़ी है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में कहा कि ब्रॉडगेज रेलवे साइडिंग के गैर-प्रचालन का मामला रेलवे के साथ उठाया जा रहा है। जहां तक वैकल्पिक पहुँच मार्ग के निर्माण का संबंध है, आईडब्ल्यूएआई ने सड़क परियोजना को बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन ने कहा कि पांडू पोर्ट के लिए एक पहुँच मार्ग पहले से ही मौजूद है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि पांडू टर्मिनल से रेल/सड़क संयोजन उपलब्ध कराने का मामला सुलझाया नहीं गया है जिसके कारण उपलब्ध आधारभूत संरचना का पूर्णतः प्रयोग नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, मौजूदा पहुँच मार्ग काफी संकरा है और भारी वाहनों के परिवहन के लिए अनुपयुक्त है।

4.1.3 राष्ट्रीय जल मार्ग-3

एन डब्ल्यू-3 में निर्मित अवसंरचनाओं का कम उपयोग

केरल में चंपाकर नहर (14 कि.मी.) और उद्योग मंडल नहर (23 कि.मी.) के साथ-साथ कोल्लम् से कोट्टापुरम (168 कि.मी.) की पश्चिम सागर तटीय नहर को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग-3 घोषित किया (फरवरी 1993) था। भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ₹ 26 करोड़ की संभावित लागत पर मुख्य ड्रेजिंग और भूमि अधिग्रहण द्वारा पश्चिम सागर तटीय नहर को चौड़े करने का अनुमोदन किया गया (दिसम्बर 1997)। कोल्लम् और कोच्ची के बीच चार¹ खंडों में 1998 में ड्रेजिंग के पहले चरण का

¹ (i) कोची-अलप्पुझा, (ii) अलप्पुझा -कायमकुलम, (iii) कायमकुलम-इडापल्लीकोटा (iv) इडापल्लीकोटा -कोल्लम्

कार्य प्रारंभ किया गया था। भूतल परिवहन मंत्रालय ने ₹ 14.84 करोड़ की लागत पर एनडब्ल्यू-3 में 11 टर्मिनलों का निर्माण भी अनुमोदित किया (जुलाई 1999)।

प्रथम चरण में की गई मुख्य ड्रेजिंग अक्टूबर 2015 तक दो¹ खंडों में पूरी कर दी गई थी। जबकि कायमकुलम-इडापल्लीकोटा, इडापल्लीकोटा-कोल्लम खंड में कार्य अभी भी (नवम्बर 2015) अधूरा है। दूसरे चरण में कोटापुरम-कोच्ची खंड में, आरंभ किया गया (फरवरी 2002) मुख्य ड्रेजिंग का कार्य मई 2012 में पूरा किया गया था। अक्टूबर 2001 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपे गये 11 टर्मिनल का निर्माणकार्य 31 मार्च 2003 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था। कुल 11 टर्मिनलों में से, 8 टर्मिनलों² का निर्माण मार्च 2004 और फरवरी 2015 के बीच ₹ 21.46 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया था जबकि अलप्पुझा में 9वीं टर्मिनल, जिस पर मार्च 2015 तक ₹ 7.71 करोड़ राशि व्यय की जा चुकी थी, निर्माणाधीन थी। जैसाकि फरवरी 2007 में आईडब्ल्यूएआई द्वारा यह निर्णय लिया गया, शेष दो टर्मिनल, अर्थात् सीएसईजैड कक्कनड और चवारा का निर्माण पूर्व-निर्मित टर्मिनलों का उपयोग आरम्भ होने तक टाल दिया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, ₹ 89.74 करोड़³ की पूर्णता की (जनवरी 2009) संशोधित संस्वीकृत लागत के प्रति मुख्य ड्रेजिंग पर ₹ 73.97 करोड़ (नवम्बर 2015 तक) व्यय करने के बावजूद, छः⁴ टर्मिनल अनुप्रयुक्त रही और शेष दो अर्थात् अलुवा और मराडू पर्याप्त रूप से अप्रयुक्त रही। इस प्रकार, राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित किये जाने के 23 वर्षों के बाद भी, एनडब्ल्यू-3 पूर्णतः नौकायनयोग्य नहीं हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि एनडब्ल्यू 3 में विभिन्न भागों में मुख्य ड्रेजिंग कार्य ड्रेज की गई सामग्री के निपटान हेतु डंपिंग ग्राऊंड की अनुपलब्धता के कारण और अन्य स्थानीय मामले, जो आईडब्ल्यूएआई/ठेकेदारों के नियंत्रण से बाहर थे, के कारण बाधित हुये। लागत में वृद्धि मुख्य ड्रेजिंग कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई। टर्मिनल के निर्माण के संबंध में, प्रबंधन ने उत्तर दिया कि उचित नौकायन मार्ग योग्य नहर के साथ उचित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए, टर्मिनल के निर्माण के लिए समांतर कार्यवाही आरंभ की गई थी। प्रबंधन ने आगे कहा कि एनडब्ल्यू-3 का निर्धारित उपयोग धीरे-धीरे किया जाएगा।

¹ कोची- अलप्पुझा (2000 में), अलप्पुझा -कायमकुलम और कायमकुलम-इडापल्लीकोटा (अक्टूबर 2015 में)

² (i) कोट्टापुरम, (ii) अलुवा, (iii) मराडू, (iv) थन्नीरमुक्कम, (v) वाइकोम, (vi) थिरीकुनापुजा, (vii) कायमकुलम (viii) कोल्लम.

³ 1997 में वास्तविक संभावित संस्वीकृत लागत ₹26 करोड़ थी।

⁴ (i) कोट्टापुरम, (ii) वैकुम, (iii) थन्नीरमुक्कम, (iv) थिरीकुनापुजा, (v) कायमकुलम (vi) कोल्लम

2016 की प्रतिवेदन संख्या 15 (खण्ड II)

तथ्य रहता है कि ₹ 95.43 करोड़ का व्यय (₹ 73.97 करोड़ मुख्य डेजिंग पर, नवम्बर 2015 तक तथा ₹ 21.46 करोड़ टर्मिनल्स के निर्माण पर मार्च 2015 तक) होने के बावजूद, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित होने के 23 वर्ष बाद भी, एन ड्रब्ल्यू-3 पूर्ण रूप से नौकायन योग्य नहीं हो पाया है।

इस प्रकार, ₹ 284.20 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय जल मार्ग 1, 2 और 3 पर निर्मित आधारभूत संरचना न्यूनउपयोगी रही।

मामला फरवरी 2016 में मंत्रालय को बता दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

अध्याय V: इस्पात मंत्रालय

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

5.1 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में कार्यों का निष्पादन

5.1.1 प्रस्तावना

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल या कंपनी) इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में लोहे और इस्पात वर्क्स और गौण संयंत्रों के लिए निर्माण परियोजनाओं के कार्यान्वयन शामिल हैं। एचएससीएल परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य (पीएमसी) के प्रदान करने के साथ-साथ सड़क, इस्पात, विद्युत, खनन, रेलवे और अन्य क्षेत्र जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे आधार भूत क्षेत्रों की विस्तृत रेंज में परियोजनाओं के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन को संभालती है। यह कोलकाता में स्थित मुख्यालय और देश भर में फैले हुए 34 स्थल कार्यालयों के माध्यम से प्रचालन करती है।

5.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा ठेके के कार्यों के निष्पादन की समीक्षा यह जानने हेतु की गई कि क्या (i) परियोजनाओं का कार्यान्वयन कुशल और तीव्र था; (ii) निगरानी उपयुक्त और सभी स्तरों पर प्रभावी थी। (iii) कार्य ठेकों को उप-ठेकों में सौंपा जाना पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और निष्पक्ष था।

इस विषयक अध्ययन 2012-13 से 2014-15 तक की तीन वर्षों की अवधि को कवर किया। इस अवधि के दौरान, एचएससीएल ने ₹ 5,653 करोड़ राशि वाले 1,398 ठेके सुरक्षित किया। कम्पनी की 34 इकाईयों में से, लेखापरीक्षा ने इनके टर्नओवर के आधार पर 10 इकाईयां चयनित की, जिसने इस अवधि के दौरान ₹ 4,226.68 करोड़ राशि वाले 1299 ठेके सुरक्षित किये। इन 1299 ठेकों में से, लेखापरीक्षा ने 188 ठेकों (₹ 10 करोड़ से अधिक राशि वाले सभी 64 ठेके, और शेष 1,235 ठेकों में से 124 ठेके) की राशि 3,968.96 करोड़ थी जो कंपनी की कुल ठेका मूल्य का 70 प्रतिशत कवर करती थी। लेखापरीक्षा ने चयनित ठेके, कार्य मैनुअल, अन्य प्रचालन प्रक्रियाएं और निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्तों के रिकॉर्डों की जांच की। इन रिपोर्ट को दिनांक 8 जनवरी 2016 के प्रबंधन उत्तरों को ध्यान में रखने के बाद अंतिम रूप दिया गया है।

5.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.3.1 कार्य नियमपुस्तक में त्रुटियां

कार्य नियमपुस्तक - 2004 में दिये गये दिशा-निर्देश कंपनी के बिजनैस मॉडल में परिवर्तन जो कि विभागीय कार्यान्वयन से उप-ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वयन में स्थानांतरित किया गया है, को संबोधित करने में अपर्याप्त थे। लेखापरीक्षा ने नोट किया कार्य नियमपुस्तक 2004 को कंपनी के बोर्ड (जून 2010) द्वारा अद्यतित और अनुमोदित किया गया था परन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। प्रबंधन ने कहा कि 2010 मैन्यूल के प्रावधानों के विश्लेषण से यह पता चला कि वे मौजूदा संगठनात्मक ढांचे की बाधाओं, अतिरिक्त श्रम बल अधिष्ठापन पर प्रतिबंध और एचएससीएल के व्यापार की परिवर्तित प्रकृति के कारण कार्यान्वयन में सक्षम नहीं थे। एचएससीएल के वित्तीय, व्यापार और संगठनात्मक पुनः संरचना करने पर सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (2008) की पुनः संरचना के लिए बोर्ड की सिफारिशों के कारण, 2010 मैन्यूल को कार्यान्वित करना व्यवहारिक महसूस नहीं किया गया। उत्तर की इस तथ्य के मद्देनजर समीक्षा की जानी चाहिए कि कंपनी द्वारा बाद में एक नई मानक और वाणिज्यिक प्रचालन प्रक्रिया (एससीओपी) - 2015, पांच वर्ष बाद सितम्बर 2015 में आरंभ की गई थी, जबकि इसके पुनः संरचना प्रस्ताव को अभी भी भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

5.1.3.2 किसी ठेके को सौंपने के विभिन्न सोपानों के लिए समयावधि का अभाव

कार्य नियमपुस्तक-2004 में ग्राहकों से आदेश प्राप्त करने के बाद उप-ठेकेदारों से कार्य की ऑफलोडिंग के लिए निविदाकरण और ठेके को सौंपने के लिए कोई समयावधि नहीं दी गई थी। कार्य को सौंपने के लिए निर्धारित समयावधि के अभाव में, लेखापरीक्षा ने उप-ठेकेदारों को कार्य सौंपने के लिए एससीओपी-2015 में विनिर्दिष्ट समयावधि पर विचार किया जिसके अनुसार खुली निविदा के अंतर्गत ग्राहक से ठेके सुरक्षित करने की तिथि से ठेके चार सप्ताह के अंदर और सीमित निविदा के अंतर्गत तीन सप्ताह के अंदर सौंपे जाने थे। इस समयावधि के आधार पर, 188 ठेकों में से 147 ठेकों में विलम्ब देखे गये थे जैसाकि तालिका 1 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1: ठेके प्रदान करने में विलम्ब का विश्लेषण

लेखापरीक्षित ठेकों की रेंज	लेखापरीक्षित ठेकों की सं.	ठेके प्रदान करने में विलम्ब के मामले देखे गये			
		कुल मामले	3-6 महीने का विलम्ब	6-12 महीने का विलम्ब	एक वर्ष से अधिक का विलम्ब
₹10 करोड़ से अधिक	64	43	5	14	14
₹10 करोड़ से कम	124	104	31	10	11
कुल	188	147	36	24	25

प्रबंधन ने ठेको की प्राप्ति के समय केवल अवस्थाई रूप से कार्यक्षेत्र का प्रस्तुत करना तथा अवधारणा योजना के अनुमोदन, प्राथमिक अनुमान, ड्राइंग्स और बिलों की मात्रा (बीओक्यू) का ग्राहकों द्वारा विलम्ब से प्रस्तुतीकरण को विलम्ब का जिम्मेदार दर्शाया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षित 188 ठेकों में से, 25 ठेकों में एक वर्ष से अधिक विलम्ब सहित 85 ठेकों में तीन महीनों से अधिक का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, विलम्ब के पाये गये मामलों को ठेके के सौंपने से पहले अंतिम रूप दिया जाना था।

5.1.3.3 निविदाकरण के ओपन मोड का अनुसरण नहीं किया गया

अनुमोदित दर संरचना (एआरएस) मानक दरों जैसे डीएसआर¹, राज्य के दरों की अनुसूची, अतीत के अनुभव व बाज़ार दर पर आधारित 'प्रति इकाई निर्माण लागत' का ब्रेक-अप प्रदान करती है। विक्रेताओं को एआरएस पर कार्य की उनकी बोली क्षमता के आधार पर विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत सूची में सम्मिलित किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एआरएस पर कार्य के सौंपने की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धिक नहीं थी क्योंकि अधिकांश मामलों में काम नामांकन के आधार पर सौंपा गया था। 181 ऑफलोडिड ठेकों की एक समीक्षा से पता चला कि ठेका सौंपने के लिए खुली निविदा क्रम केवल 45 मामलों (25 प्रतिशत) में अपनाया गया था। ₹ 10 करोड़ या अधिक के 8 ठेकों, सहित 22 ठेके (12 प्रतिशत) सीमित निविदा जांच (एलटीई) प्रदान किये गये थे और ₹ 10 करोड़ या अधिक के 10 ठेकों सहित 112 ठेके (62 प्रतिशत) एआरएस पर सूचीबद्ध ठेकेदारों को प्रत्यक्ष रूप से सौंपे गये थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विक्रेता डाटाबेस गैर-निष्पादकों को हटाने और क्षेत्र में नये प्रवेशकों को शामिल करने के लिए विगत तीन वर्षों (2012-15) के दौरान खुले विज्ञापन द्वारा अद्यतित नहीं किया गया था।

¹ दरों की दिल्ली सारणी

प्रबंधन ने कहा कि एआरएस को कार्य सौंपना 'नामांकन आधार' के अंतर्गत नहीं आता और यह एक व्यवहारिक नीति होती है जब कि ग्राहक ने कार्य आरंभ करने में अत्यावश्यकता को दर्शाया हो। इसमें खुली/सीमित निविदाओं की अपेक्षा उच्चतर लाभ प्रतिधारण रहता है। उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि कार्य को विभाजित करने (एस जैसे प्रकृति के कार्य और अन्य) में सामान्य वित्तीय नियंत्रण जैसे शक्तियों का प्रत्यायोजन, प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लिए खुली निविदा क्रम को अपनाने, ठेकेदारों की क्षमता का वित्तीय निर्धारण आदि के साथ समझौता करना पड़ता है। एआरएस के लिए कार्य सौंपते हुए ठेकेदार के चयन के लिए किसी विशिष्ट मानदंड के अभाव में ठेकेदारों के तदर्थ चयन के लिए मौका प्रदान करता है।

5.1.3.4 उप ठेकेदारों को सौंपने के लिए ठेकेदारी कार्य को विभाजित करना

1999 में कंपनी द्वारा निर्धारित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, कंपनी के कार्यकारी निदेशक, समूह महाप्रबंधक और महा प्रबंधक क्रमशः ₹ 75 लाख, ₹ 25 लाख और ₹ 10 लाख के आधार पर एआरएस को कार्य सौंपने के लिए सशक्त थे। ₹ 133.59 करोड़ राशि के कंपनी को सौंपे गये आपके 14 ठेकों में, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि इन्हें एलटीई या एआरएस में 160 ठेकों में विभाजित और 32 ठेकेदारों के बीच ऑफलोडिंग किया गया था तथा एक जैसी प्रकृति के कार्य कई कार्य आदेशों में विभाजित कर ठेकों पर दिये गये थे जैसाकि तालिका 2 (क) और (ख) में दर्शाया गया है।

तालिका 2: उप-ठेके देने के लिए कार्यों को विभाजित करने का विवरण
(₹ करोड़ में)

(क) 14 ठेकों का 160 उप- ठेकों में विभाजन का ब्यौरा							
एचएस-सीएल कार्यालय	कार्य आदेश	कार्य की प्रकृति	मूल्य	विभाजन (सं.)	उप-ठेका (सं.) \$	ओटीई/ एलटीई/ एआरएस	लिये गए दिन #
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बोकारो	4565011703	धातुमल निपटान एसएमएस-I	7.41	10	1	एआरएस	376-500
	4565011704	धातुमल निपटान एसएमएस- II	13.09	30	4	एआरएस	383-500
	4565014656	लोको चालक किराये पर लेना	1.89	8	4	एआरएस	56-522
	4565015250	शांटिंग संचालन	3.18	18	5	एआरएस	45-378
	4565016781	पीआरडब्ल्यू का तैनाती	0.41	4	4	एआरएस	89-112
	5465015095	पीआरडब्ल्यू को किराये पर लेना	0.16	4	3	एआरएस	74-110

भुवनेश्वर	परि./3985/12	सामान्य निर्माण	37.79	6	4	एलटीई	88-243
कोलकाता	2010एनवीएस (डब्ल्यू)	विद्यालय निर्माण	16.28	2	1	एलटीई	599
दिल्ली	144/09(संस्वी. II)/611	सामान्य निर्माण	27.00	3	2	खुली 1/ एलटीई 2	456-800
	2014एनवीएस (डब्ल्यू)	सामान्य निर्माण	21.40	3	1	एलटीई	92-161
लखनऊ	सीएसआर/2013	26 विद्यालय कक्षा	1.98	26	2	एआरएस	42-110
	सीएसआर/ 2013/48	10 विद्यालय कक्षा	0.76	10	3	एआरएस	58-121
	सीएसआर/194	26 विद्यालय कक्षा	1.71	26	3	एआरएस	71-280
	सीएसआर/194	10 विद्यालय कक्षा	0.53	10	3	एआरएस	161
(ख) सामान कार्य का अनेक अनुबंधों के तहत उप-ठेकों पर देना							
कोलकाता	*20 मार्च 2013	13 गोदाम निर्माण	43.35	-	6	एलटीई	169-320
	*मार्च-मई 2013		28.18				

उप-ठेके प्रदान करने में लिए दिन, *ग्राहक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्य सौंपने की तिथि

\$ कुल 32 उप-ठेकेदारों ने 14 ठेकों में कार्य किया उनमें से कुछ ने एकाधिक ठेकों में काम किया

तालिका 2 (क) एवं (ख) में वर्णित ठेकों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित पता चला:

- एमएसएस-I और एसएमएस-II¹ से धातुमल निपटान से संबंधित बोकारों में ₹ 7.41 करोड़ और ₹ 13.09 करोड़ राशि के दो कार्य आदेशों (4565011703 और 4565011704) को क्रमशः 10 और 30 कार्य आदेशों में विभाजित किये गये थे और क्रमशः एक और चार पार्टों के बीच बाटें गये थे। प्रबंधन ने कहा कि ऐसे कार्यों को प्रतिदिन एक भी दिन बिना बाधा के चलते रहना चाहिए। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य सितम्बर 2012 में प्राप्त हुआ था और जुलाई 2013 और अक्टूबर 2014 के बीच ही उप ठेका दिया गया था।
- ₹ 37.79 करोड़ राशि के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) परिसर के निर्माण का कार्य (परि/3985/12) प्रत्येक ठेके का मूल्य ₹ 10 करोड़ से कम निर्धारित करते हुए छः ठेकों का विभाजन किया गया था और इसलिए खुली निविदा की आवश्यकता की अनदेखी की गई। प्रबंधन ने इस मुद्दे पर कोई विशेष टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

¹ सेल की बोकारो एकीकृत स्टील प्लांट में स्टील मैल्टिंग शॉप I और II

- दिल्ली [2014 एनवीएस (डब्ल्यू)] और कोलकाता [2010 एनवीएस (डब्ल्यू)] में ₹ 21.40 करोड़ और ₹ 16.28 करोड़ राशि के दो ठेके को क्रमशः तीन और दो भागों में विभाजित किया गया था और एलटीई आधार पर एक उप-ठेका सौंपा गया था। प्रबंधन ने कहा कि दिल्ली इकाई के संबंध में तीन पैकेजों में कार्यों का विभाजन ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया गया था और उनका निविदाकरण अलग किया गया था परंतु बाद में उक्त एजेंसी ही तीनों पैकेजों के लिए न्यूनतम बोलीदाता बन गई। कोलकाता से संबंधित ठेके के मामले में, कार्य का विभाजन कार्य की तीव्र कार्यान्वयन हेतु किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली इकाई में, एलटीई आधार पर आमंत्रित तीन अलग-अलग निविदाओं में एक विशेष ठेकेदार का नाम शामिल किया गया था और उक्त ठेकेदार ही बाद में सभी तीनों मामलों में चयनित हुआ था। परिणामस्वरूप उसको केवल ₹ 5 से ₹ 10 करोड़ की उसकी सूचीबद्ध बोली क्षमता के प्रति ₹ 21.40 करोड़ का कार्य सौंपा गया था, जिसे ठेकेदार के प्रति अवांछित पक्षपात को दर्शाया। कोलकाता इकाई के मामले में, कार्य को सौंपने में 599 दिनों का असमान्य विलम्ब हुआ था। जनवरी 2015 में कार्य पूर्ण किया गया जब कि सितम्बर 2012 में इसको पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था।
- विभिन्न स्थानों पर ₹ 4.98 करोड़ राशि के 72 कक्षा कक्ष के निर्माण का कार्य लखनऊ इकाई द्वारा प्राप्त हुआ था, जिस में से 49 कक्षा कक्ष प्रक्रिया और सीवीसी नियमों के अनुसार निविदाकरण द्वारा कार्य को सौंपने के लिए ग्राहक के निर्देश के बावजूद एआरएस आधार पर एक ठेकेदार को सौंपे गये थे। प्रबंधन ने कहा कि सीएसआर परियोजनाओं की तीव्र रूप से कार्यान्वित करने के लिए ग्राहक की ओर से अत्यावश्यकता दर्शाई गई थी और एआरएस में कार्य निविदाकरण की प्रक्रिया की तुलना में विलम्ब को रोकना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभिन्न स्थानों पर निर्माणकार्य सात सूचीबद्ध ठेकेदारों को एआरएस पर सौंपे गये थे और उनमें से एक ने विभिन्न स्थानों में 49 ठेके प्राप्त किये थे। इसलिए, तीव्र कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों की बड़ी संख्या के बीच निर्माण कार्यों के विभाजन के लिए कम्पनी के तर्क का कोई आधार नहीं है।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने कम्पनी को ₹ 71.53 करोड़ के कुल मुल्य के लिए मार्च-मई 2013 के दौरान 13 खाद्य गोदामों के निर्माण सौंपे, इसके परिणामस्वरूप ग्राहक के साथ एमओयू में धारा 1.8 के प्रावधान जो कि यह दर्शाता है कि ई-टेंडर की संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाया जाना था, के बावजूद एलटीई आधार पर 13 अलग कार्यों द्वारा अगस्त 2013 और फरवरी 2014

के बीच छः ठेकेदारों के बीच कार्य बांट दिया। प्रबंधन ने कहा कि प्रारंभ में पांच गोदामों के लिए आमंत्रित ईओआई प्रति क्रियाहीन रही, और बाद में, एलटीई का प्रयोग किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने पुनः निविदाकरण नहीं किया और सभी 13 गोदामों के लिए एक खुली निविदा का आमंत्रण से बोलियों की काफी बड़ी संख्या को लुभाने का अच्छा अवसर हो सकता था।

लेखापरीक्षा की राय है कि बड़े निर्माणकार्यों के विभाजन के कारण अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अनुज्ञा प्राप्त कर उच्चतर मूल्य कार्य को अनुमोदन किया गया और इस कारण ये निर्माणकार्य न्यूनतम बोली क्षमता के साथ ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित किये गये। इसके अतिरिक्त, इसने अधिक प्रतिस्पर्धात्मक खुले निविदा मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। तालिका-2 के कॉलम-3 में इन कार्यों के विभाजित करने का आश्वासन देने के लिए कार्यों की प्रकृति भिन्न नहीं थी।

5.1.3.5 बोलियों के निमंत्रण में पर्याप्त प्रचार की कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि अखबार में प्रकाशित निविदा सूचनाएँ में निविदाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे कार्य संभावित मूल्य, बयाना राशि, कार्यस्थल और ठेका पूरे करने की अवधि की जानकारी नहीं थी। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि लागत नियंत्रित करने के लिए विवरण विज्ञापनों के संक्षिप्त संस्करण में नहीं दिये गये थे और आगे के विवरण के लिए बोलीदाताओं को कम्पनी की वेबसाइट पर केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी) संदर्भित की गई थी। उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि अधिसूचनाओं में ठेकेदारों की उपयुक्त श्रेणी से भागीदारी आमंत्रित करने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण सूचना शामिल नहीं थी।

5.1.3.6 निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में यथोचित श्रम का अभाव

₹ 47.15 करोड़ राशि के रामनगोर कोयला खान (सेल के अंतर्गत एक खदान) के वैज्ञानिक उपयोग कार्य के लिए उपस्कर किराये पर लेने के लिए ठेके का उप-ठेका (मार्च 2012) खुली निविदा द्वारा मै. पीएस माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के आधार पर आसनसोल को दिया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये बोली दस्तावेजों में कमियां थी जिनकी ठेका सौंपते समय निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अनदेखी की गई। ठेकेदार को सौंपा गया कार्य पूरा नहीं किया और ठेके को निरस्त (मार्च 2013) कर दिया गया जो यह दर्शाता है कि ठेकेदार का तकनीकी मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण था। प्रबंधन का उत्तर कि निविदा समिति उपस्कर पर मालिकाना हक और अधिकार दर्शाते हुए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये बोली दस्तावेजों से संतुष्ट थी और चयन प्रक्रिया

दोषपूर्ण नहीं थी। ठेकेदार ने कार्यवाही करने के बावजूद बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की। प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित के अंतर्गत देखा जाना चाहिए:

- ठेकेदार द्वारा उपस्कर का मालिकाना हक और अधिकार दर्शाते हुए बीजक पत्रों पर हस्तक्षेप के निशान थे और अपने आसनसोल पते की अपेक्षा नाम के साथ किसी अन्य पते (अर्थात् दिल्ली, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़) भेजे गये थे जबकि कार्य पश्चिम बंगाल में किया जाना था। व्यापार अनुभव की पुष्टि के लिए विगत ग्राहकों से दो पत्रों में उनमें संदर्भित कार्यों की तिथियों से पहले की तिथि थी;
- निविदा आवश्यकताओं के बावजूद, तकनीकी समिति ने ठेकेदार से प्रसंस्करण शुल्क के प्रति डिमांड ड्राफ्ट के स्थान पर एक चैक स्वीकार किया, जबकी इसी ठेकेदार को इससे पूर्व उसी आधार पर अयोग्य दर्शाया गया था। ठेकेदार को स्वीकृति पत्र (एलओए) को 45 दिनों के अंदर ठेका मूल्य का चार प्रतिशत की निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करनी थी जोकि उसने प्रस्तुत नहीं की। ऐसा करना ठेकेदार को दिया जाने वाला अवांछनीय पत्रपात था क्योंकि एचएससीएल को ग्राहक के साथ निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का पूरे आठ प्रतिशत जमा कराने थे। इसलिए, कंपनी ने ठेकेदार द्वारा गैर-निष्पादन के जोखिम के प्रति स्वयं को सुरक्षित नहीं किया;
- ₹ 85 लाख के ब्याज वाले अग्रिम गलत कथन कि उसने जून 2012 तक ₹ 99.49 लाख के मूल्य का कार्य पूरा किया था, के आधार पर ठेके की शर्तों के उल्लंघन में दो किश्ते (जुलाई-सितम्बर 2012) में ठेकेदार को अदा किये गये थे जबकि उस तिथि तक उनके द्वारा किया गया वास्तविक कार्य केवल ₹ 64.83 लाख का था। ₹ 3.66 करोड़ कि राशि अग्रिम, किराया प्रभाव और निर्णित हर्जानों के ब्याज के कारण ठेकेदार से वसूल किये जाने थे (जनवरी 2016)।

5.1.3.7 निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करने में देरी

पीबीजी प्रस्तुत करने के सम्बंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (क) ₹ 241.46 करोड़ मूल्य वाले 35 ठेकों में ठेकेदार द्वारा पीबीजी प्रस्तुतीकरण में अनुज्ञेय अवधि से अधिक 10 दिनों से 288 दिनों तक के बीच विलम्ब था।
- (ख) कर्नाटक के गुलबर्ग में बेल्लारी थर्मल पॉवर स्टेशन (बीटीपीएस) और पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर राख के तालाब के निर्माण के ठेके की शर्तों में कहा कि एचएससीएल को अपने ग्राहक को 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत क्रमशः पर

पीबीजी प्रस्तुत करनी थी और उक्त ही काउंटर बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में ठेकेदारों से प्राप्त किये जाने थे। कम्पनी की नीति के अनुसार, बीजी कमीशन पर एचएससीएल द्वारा किये गये व्यय ठेकेदार से वसूले जाने थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि बीटीपीएस कार्य के मामले में ठेकेदार के अनुरोध पर, एचएससीएल ने एचएससीएल द्वारा दिये गये और ठेकेदारों से वसूलीयोग्य बीजी पर बीजी कमीशन को बचाने के लिए प्रत्यक्षतः ग्राहकों (दोनों मामलों में) के पास पीबीजी जमा कराने की अनुमति ठेकेदारों को दी। इस प्रकार, कम्पनी ने ठेकेदारों का पक्ष लिया और उनके द्वारा ठेके के उल्लंघन के जोखिम को कम करने के लिए दो ठेकेदारों से ₹ 25.74 करोड़¹ का बीजी नहीं लिया।

(ग) रामनगोर कोयला खान में कोयले के वैज्ञानिक उपयोग के लिए ठेकों में, कंपनी ₹ 3.77 करोड़ पीबीजी जमा सुनिश्चित करनी में विफल रही और अंततः ठेकेदार निष्पादन में असफल रहा। 'दूर्गापूर स्टील प्लांट की टाऊनशीप में सड़कों के पुनः निर्माण' के मामले में, कम्पनी ठेकेदारों से आरए बिलों से ₹ 32.80 लाख सुरक्षा जमा बिलों से वसूलने में असफल रही क्योंकि उसने किसी भी बिल के प्रस्तुतीकरण के बिना कार्य रोक दिया। परिणामतः कार्य की पुनः निविदाकरण पर व्यय किये गये ₹ 1.99 करोड़ की अतिरिक्त लागत एसडी राशि की सीमा तक क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा कि (i) चालू बिलों से पीबीजी और/ या वसूली के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब पर ठेके को निरस्त करने से बचाने के वैध कारण सहित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ विचार किया गया था, (ii) पीबीजी को सीधे ग्राहक को प्रस्तुत करने में एचएससीएल को वित्तीय जोखिम शामिल नहीं था, (iii) ठेकेदार ने दोहरे संचार के बावजूद बैंक गारंटी जमा नहीं की और बिल प्रस्तुत किये बिना ही काम छोड़ दिया। उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि (क) पीबीजी के समयबद्ध अवधि में जमा सुनिश्चित न करने में जोखिम होते हैं क्योंकि पीबीजी शर्त गैर-निष्पादक ठेकेदारों के प्रति सुरक्षित करने के लिए निविदा/ठेके में शामिल की गई है, (ख) ग्राहक के साथ प्रत्यक्ष रूप से उप ठेकेदारों द्वारा पीबीजी का जमा ठेकेदार के गैर-निष्पादन के प्रति कम्पनी के जोखिमों को कम नहीं कर पाएगी, (ग) पीबीजी के मामले के साथ गैर पालन

¹ बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन के मामले में बीजी राशि- ₹11.92 करोड़ (₹119.23 करोड़ के ठेका मूल्य का 10 प्रतिशत) और पैरा मेडीकल इंस्टीट्यूट के मामले में ₹13.82 करोड़ (₹276.47 करोड़ के ठेका मूल्य का 5 प्रतिशत)

के कारण कम्पनी के नुकसान को बीजी की राशि की सीमा तक मुआवजा नहीं मिल सका।

5.1.3.8 ठेके का निष्पादन

(I) 'जोखिम और लागत क्लॉज के अंतर्गत कार्यवाही में असफलता

प्रत्येक ठेके में 'जोखिम और लागत' क्लॉज शामिल होता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी छः ठेकेदारों के प्रति 'जोखिम और लागत' क्लॉज के अंतर्गत कार्रवाई करने में असफल रही जबकि वे ठेकेदार ठेकेदारी जिम्मेदारियों के निष्पादन करने में असफल रहे थे, और परिणामस्वरूप, तालिका-3 के अनुसार ऐसा कार्य कम्पनी के ₹ 20.40 करोड़ की कुल अतिरिक्त लागत पर किया जाना था।

तालिका 3: कार्यवाही न किये गये और/या पाई न गई जोखिम खरीद के विवरण

(₹ करोड़ में)

निर्माण कार्य	ठेकेदार का नाम	कार्य की स्थिति	जोखिम और लागत क्लॉज में वापिस पाई जाने वाली राशि	समायोजित	वसूली न गई राशि
बीएसपी/सेल में यूआरएम ¹ के सामान्य कार्य	अमर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जया प्रोजेक्ट्स	10/2012 और 09/2014 में ठेकेदारों द्वारा रोक गया कार्य। ठेका निरस्त नहीं किया गया।	12.76	3.32	9.44
डीएसपी/सेल सड़क का पुनः निर्माण	आर.पी. निर्माण	2012 में कार्य ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया। ठेका निरस्त नहीं किया गया।	1.99	-	1.99
सीएलडब्ल्यू ² कार्यशाला निर्माण	हैप्पी राईज इंफ्रावैचर्स (प्रा.) लिमि.	07/2012 में ठेका निरस्त कर दिया गया।	1.05	0.40	0.65
पीएमजीएसवाई	दिलीप के कर और कल्याणी देबनाथ	12/2013 और 09/2014 में ठेका निरस्त कर दिया गया।	11.73	3.41	8.32
कुल			27.53	7.13	20.40

¹ यूनिवर्सल रेल मिल

² चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि अन्य ठेकों में उनको देय किसी शेष सहित राशि के लिए प्रयास किये जा रहे थे। उनके द्वारा रोके गये कार्य/ठेकों को निरस्त करने से काफी अधिक समय के बावजूद ठेकेदारों (जनवरी 2016 तक) से ₹ 20.40 करोड़ वसूल किये जाने शेष थे।

(II) ठेकेदार को ₹ 6.83 करोड़ का अनियमित भुगतान

कम्पनी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए योजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के रूप में त्रिपुरा सरकार द्वारा नामांकित किया गया था। कम्पनी ने ₹ 56.36 करोड़ के कुल मूल्य के लिए तीन सूचना आमंत्रण निविदा (एनआईटी) के अंतर्गत में, दिलीप कुमार कर के कार्य के भाग के रूप में ऑफ लोड कर दिया। ठेकेदार ने इसको पूर्ण करने से पहले ही कार्य को रोक दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि ठेकेदार ने केवल ₹ 33.45 करोड़ हेतु का कार्य किया, साईट कार्यालय ने चूककर्ता ठेकेदार द्वारा अचानक रोके गये कुछ अपूर्ण कार्य के लिए भुगतान सहित ठेकेदार को ₹ 40.28 करोड़ अदा किये। ₹ 6.83 करोड़ के अधिक भुगतान के लिए कारण तलाशने के लिए कोई जांच नहीं की गई। प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2015) कि चूककर्ता ठेकेदार को मामला सूचित कर दिया गया था और मामला विचाराधीन है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यही है कि ठेकेदार का भुगतान करते समय अपूर्ण और अचानक रोके गये कार्य को भी आंका गया।

(III) समझौते में त्रुटियों के कारण कम्पनी के हित को सुरक्षित न करना।

(क) कम्पनी को झारखंड में पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के लिए पीआईयू नियुक्त किया गया था। कम्पनी की रांची इकाई ने 59 सड़क/पुल निर्माण पैकेज के लिए डीपीआर (2012-15 के दौरान) की तैयारी पर ₹ 48.96 लाख व्यय किये जिसे बाद में झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (जेएसआरआरडीए) द्वारा निरस्त कर दिया गया था। कम्पनी ने क्षतिपूर्ति के लिए जेएसआरआरडीए पर कोई दावा नहीं किया था। प्रबंधन ने कहा कि वे क्षतिपूर्ति के लिए जेएसआरआरडीए पर दावा करेंगे और गैर-प्रवेशज्ञा के मामले में; उक्त को व्यापार व्यय के रूप में माना जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को ऐसी स्थिति को परिकल्पित करना चाहिए था और पीएमसी समझौते में लागत की क्षतिपूर्ति शामिल की जानी चाहिए थी।

(ख) कम्पनी ने संभावित लागत पर पांच प्रतिशत पर ₹ 408.28 करोड़¹ के मूल्य हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से 41 नई आईटीआई और 6 पॉलिटैक्निक का निर्माण कार्य प्राप्त किया। पांच प्रतिशत की दर पर एजेंसी शुल्क के भुगतान के साधन न तो समझौते में परिभाषित किये गये थे और न ही ग्राहक से संस्वीकृति पर में दर्शाया गया था। भुगतान के परिभाषित साधन के अभाव में, जैसाकि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई थी, कंपनी ₹ 14.59 करोड़² का पीएमसी शुल्क की वसूली नहीं कर सकी। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि ₹ 14.59 करोड़³ का पीएमसी शुल्क वसुलीयोग्य था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पांच प्रतिशत प्रभार अभी भी अनुमोदित किये जाने थे और बिल भी भुगतान के लिए विचाराधीन हैं। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीएमसी प्रभारों के निस्तारण के लिए ग्राहक के साथ मामले पर विचार करने की जिम्मेदारी कम्पनी की थी। इसके अतिरिक्त, भुगतानों के साधन समझौते में परिभाषित किये जाने अपेक्षित थे।

(ग) गुलबर्गा, कर्नाटक में ईएसआईसी अस्पताल और पैरा मेडीकल इंस्टीट्यूट हेतु कार्य ठेके के संबंध में, ठेका समझौते में दोनों निर्माण कार्यों में एचएससीएल को ग्राहक द्वारा अदा किये जाने वाले किये गये कार्य के पांच प्रतिशत के रूप में सेंटेज प्रभार⁴ विनिर्दिष्ट थे। परियोजना लागत की वृद्धि के मामले में सेंटेज प्रभार निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट खंड नहीं था। दोनों मामलों में परियोजना लागत में वृद्धि हुई। चूँकि वृद्धि लागत पर सेंटेज प्रभारों के उद्ग्रहण हेतु कोई प्रावधान ठेका समझौते में नहीं बहाया गया था, ग्राहक ने वृद्धि मूल्य के लिए लागू सेंटेज प्रभारों के लिए अस्पताल के मामले में ₹ 6.71 करोड़ और संस्थान के मामले में ₹ 55 लाख प्रदान नहीं किये। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि मामले पर ग्राहक के साथ विचार किया गया है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्माण ठेकों में वृद्धि एक सामान्य घटना है तो कम्पनी को वृद्धि हुई लागत पर सेंटेज प्रभारों में संशोधन हेतु समझौते में उपयुक्त खंड उपलब्ध कराना चाहिए था।

5.1.3.9 निर्णित हर्जानों (एलडी) को लागू ना करना

(I) प्रचालन नियमपुस्तक का खण्ड 9.10 के साथ पठित पीएमजीएसवाई मानक बोली दस्तावेज का खण्ड 44 निर्माण कार्यों के पूरा करने में विलम्ब हेतु ठेकेदार पर एलडी को

¹ ₹185.37 करोड़ मूल्य वाले 24 आईटीआई ₹124.21 करोड़ मुख्य वाली 17 आईटीआई और ₹98.70 करोड़ मूल्य वाले छः पॉलिटैक्निक हेतु ठेके क्रमशः अगस्त 2012, जुलाई 2014 और जुलाई 2014 में दिये गये।

² मार्च 2015 तक किये गये कार्य पर ₹14.59 करोड़ व्यय किये गये जो ₹291.78 करोड़ का 5 प्रतिशत थे।

³ ₹9.62 करोड़ जो 24 आईटीआई और ₹4.97 करोड़ जो छः पॉलिटैक्निक के लिए थे।

⁴ सेंटेज प्रभार निर्माण कार्यों से संबंधित पर्यवेक्षण प्रभार होते हैं।

लागू करने को दर्शाते हैं। यद्यपि कम्पनी पीएमसी होने के नाते ठेकेदार की ओर से विलम्ब, यदि कोई है, हेतु एलडी की कटौती, 10 प्रतिशत से अधिक नहीं, के लिए उत्तरदायी थी; इसमें एलडी वसूली के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि एलडी की राशि ग्राहक द्वारा उठाई गई परियोजना लागत के प्रति समायोजित की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने विलम्ब के स्तरों को, विलम्ब के कारणों को और क्या विलम्ब ठेकेदार के कारण थे, पहचानने के लिए विलम्ब का विश्लेषण नहीं किया परिणामतः सितम्बर 2015 तक, एलडी त्रिपुरा में पीएमजीएसवाई निर्माणकार्यों के 53 मामलों में से विलम्ब के 13 मामलों में लागू नहीं की जा सकी। इस प्रकार लागू करने वाले सरकारी विभाग दोषी ठेकेदारों से एलडी के रूप में मुआवजे से वंचित रहे। रांची में 393 पीएमजीएसवाई के 221 की एक समीक्षा से 40 से 1355 दिनों के बीच विलम्ब का पता चला। प्रबंधन ने कहा कि सभी विलम्ब के लिए ठेकेदार उत्तरदायी नहीं था और कि झारखंड सरकार ने एलडी के बिना समय में वृद्धि प्रदान की। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीआईयू के रूप में कम्पनी ठेके पर ठेकेदार के कारण हुई विलम्ब की सीमा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थी। एलडी की पहचान न करने का अर्थ है लागू करने वाले सरकारी विभागों की कार्यान्वयन लागत पर ठेकेदार को अवांछित लाभ प्रदान करना।

(II) कम्पनी की लखनऊ इकाई ने संसाधनों के उपयोग में ठेकेदार की असमर्थता के कारण पूर्णता में 18 महीनों के विलम्ब और ठेकेदार पर एलडी लागू करने के लिए सिडबी से लगातार अनुस्मारक के बावजूद पीएमसी आधार पर ₹ 6.61 करोड़ हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा सौंपे गये (नवम्बर 2010) 'आवासीय फ्लैट के निर्माण' के कार्य हेतु ठेकेदार के प्रति एलडी लागू नहीं की। ग्राहक के साथ लागू शर्तों के अनुसार, कार्य की संभावित लागत के 10 प्रतिशत से कम प्रत्येक सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर पर एलडी विलम्ब के मामले में वसूली जानी थी। प्रबंधन ने कहा कि एलडी को लागू करने का मामला अनसुलझा रहा; सिडबी पांच प्रतिशत तक एलडी का कम कर सकता है; और एलडी राशि की वसूली के लिए ठेकेदार के बिलों के प्रति काफी राशि को रोका गया था जब तक कि संबंधित विवाद सुलझ न जाये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि सिडबी पहले ही कम्पनी के देय कुल राशि में से ₹ 66 लाख की एलडी राशि की वसूली (मई 2015) कर चुकी थी परंतु कम्पनी ने उसके कारण विलम्ब के लिए ठेकेदार से वसूली जाने वाली एलडी राशि का अभी तक निर्धारित नहीं किया गया था।

5.1.3.10 ग्राहक से करों की पुनः प्रतिपूर्ति

गुलबर्गा, कर्नाटक में ईसीआईसी अस्पताल और पैरा मेडिकल हेतु निर्माण कार्य के लिए ठेके (क्रमशः मई 2010 और जुलाई 2011 में सौंपे गई) की शर्तें दर्शाती हैं कि कंपनी द्वारा अदा किये गये निर्माणकार्य ठेका कर (डब्ल्यूसीटी) और टर्नओवर कर भुगतानों की प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर ग्राहक द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी। कम्पनी ने ग्राहक से ₹ 7.28 करोड़ का डब्ल्यूसीटी और ₹ 2.47 करोड़ के टर्न ओवर कर की क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की क्योंकि यह ग्राहक को सभी संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। प्रबंधन ने कहा कि वे ग्राहक के साथ सक्रिय रूप से मामले पर विचार कर रहे थे।

निष्कर्ष

कार्य नियमपुस्तक 2014 निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए, निविदा के रूप का चयन करने के लिए मानदंड, निविदा आमंत्रण अधिसूचना के संक्षिप्त संस्करण में मुख्य सूचना के प्रकाशन आदि जो कार्य को सौंपे जाने और पूर्णता में विलम्ब का कारण बनते हैं; के लिए समय अवधियाँ नहीं दर्शाता है। उच्च मूल्य ठेकों को कम मूल्य ठेकों में विभाजित कर दिया गया था जिससे बेहतर संसाधनों वाले ठेकेदार की भागीदारी रूक जाती थी। निष्पादन बैंक गारंटी के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता 35 मामलों में पूरा नहीं किया गया था। ठेकेदारों के चयन में पूर्ण चौकसी नहीं बरती गई थी। कम्पनी समझौते में कमियों के कारण ग्राहक से सेंटेंज प्रभार के रूप में ₹ 21.84 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी। ₹ 9.75 करोड़ के कार्य ठेका कर और टर्नओवर कर की ग्राहक द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं की गई, क्योंकि एचएससीएल संतोषजनक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, एक ठेकेदार जिसने कार्य अधूरा छोड़ दिया था उसे ₹ 6.83 करोड़ के अधिक भुगतान करने और ₹ 20.40 करोड़ राशि तक जोखिम और कार्रवाई लागत के कार्यान्वयन नहीं करने के मामले भी लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये थे।

सिफारिशें

- कम्पनी मौजूदा नीतियों, ठेके सौंपने और कार्यान्वयन के संबंध में प्रक्रियाओं और प्रणालियों की जांच कर सकती है तथा व्यापार जोखिमों और कठिनाईयों को कम करने के लिए मौजूदा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को पूर्ण रूप से मजबूत कर सकता है।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

5.2 सेल में विपणन गतिविधियां

5.2.1 प्रस्तावना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कम्पनी) इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत महारत्न कम्पनी है। निदेशक (वाणिज्यिक) के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत सेल की केन्द्रीय विपणन संस्थान (सीएमओ) 31 मार्च 2015 को चार क्षेत्रीय कार्यालयों, 37 शाखा बिक्री कार्यालयों (बीएसओ), 67 वेयरहाऊस जिसमें 42 किराये पर लिए गए वेयरहाऊस सहित और 27 ग्राहक सूचना कार्यालय के नेटवर्क के माध्यम से अपने पांच एकीकृत स्टील प्लांटों के स्टील उत्पाद के विपणन और बिक्री के लिये उत्तरदायी है। सीएमओ 16 रूपांतरण एजेंटों¹, 4 वेट पट्टे एजेंटों¹ और 2711 अधिकृत डीलर के कार्य का पर्यवेक्षण के अतिरिक्त स्टील प्लांटों के लिये कम्पनी के वार्षिक उत्पादन की तैयारी के लिये बाजार आकलन बनाने और व्यापार प्राप्ति की आपूर्ति और वसूली की निगरानी भी करती है। गौण उत्पादों² का विपणन और बिक्री एकीकृत स्टील प्लांट के विपणन मण्डल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। लेखापरीक्षा ने विपणन गतिविधियों की समीक्षा में उत्पाद मूल्य, उपभोक्ता क्रेडिट, छूट और कमिशन से संबंधित कंपनी के विपणन नेटवर्क, नीतियों और योजनाओं की पर्याप्तता और प्रभाविकता, विपणन और बिक्री गतिविधियों की प्रभाविकता के अतिरिक्त रूपांतरण एजेंटों/वेट पट्टे एजेंटों/डीलरों की नियुक्ति में पारदर्शिता का आकलन करना था। इस अध्ययन ने सीएमओ के परिचालन पर ध्यान केन्द्रित किया और 19 बी एस ओ (37 बीएसओ में से) सहित सीएमओ कार्यालय के अभिलेखों की समीक्षा की जो एक साथ कम्पनी की कुल बिक्री में करीब 60 प्रतिशत योगदान देता है। लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्ष का लेनदेन कवर किया और स्थिति 2014-15 तक अद्यतित की थी।

¹ रूपांतरण एजेंट अपने परिसर में सेल द्वारा आपूर्ति सेमी (जैसे बिलेट, ब्लूम, स्लैब आदि) को तैयार के साथ अन्य उत्पादकों उत्पाद (टीएमटी बार, संरचनागत, वायर रोड आदि) को परिवर्तित करता है, जबकि, वेट पट्टा एजेंट निर्धारित समय के लिये एक ही उत्पाद को उनके पूरे ढांचे को पट्टे पर देकर परिवर्तन का कार्य करता है।

² गौण उत्पादों में मुख्य रूप से लौह और इस्पात स्क्रैप, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग (बीएफ स्लैग), पिग ऑयरन, कोल रसायन और सह उत्पाद, अपशिष्ट उत्पाद आदि शामिल होता है।

5.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.2.2.1 बिक्रय निष्पादन

2009-10 से 2014-15 तक छह वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा उत्पादित बिक्री योग्य की मात्रा, बिक्री मूल्य, कर के बाद लाभ, प्रति टन स्टील निवल बिक्री वसूली (एनएसआर)¹ और तैयार स्टील की राष्ट्रीय खपत और उपलब्धता तालिका-1 में दर्शाई गई है।

तालिका 1: राष्ट्रीय स्टील उत्पादन, उपलब्धता और खपत और कम्पनी की बिक्री का विवरण

वर्ष	मिलियन टन में कम्पनी की बिक्री					बिक्री	लाभ	प्रति टन एनएसआर	राष्ट्रीय तैयार स्टील मिलियन टन \$		
	कुल बिक्री [@]	प्रतिशतता		अंतिम स्टॉक	बाजार शेयर				₹ करोड़	उत्पादित	उपलब्ध
		निजी	सरकारी/ पीएसयू								
2009-10	12.11	81	19	0.86	18.5	43935	6754	31030	60.62	64.75	59.34
2010-11	11.72	80	20	1.10	16.2	47041	4905	33962	68.62	71.64	66.42
2011-12	11.42	84	16	0.93	14.8	50348	3543	37329	75.70	77.97	71.02
2012-13	11.11	82	18	1.22	13.8	49350	2170	36291	81.68	84.24	73.48
2013-14	12.07	84	16	1.10	14.6	51866	2616	35572	87.68	87.14	74.10
2014-15	11.71	84	16	1.44	14.2	50627	2093	35198	91.46	95.18	76.99

[@] गौण मदों की बिक्री शामिल है, # आयात और निर्यात के समायोजन के बाद, \$ लम्बा, चपटा और पीईटी तैयार स्टील

स्टील के उत्पादन एवं खपत की समीक्षा में लेखापरीक्षा में दर्शाया :

(i) समीक्षा की अवधि में चपटे, लंबे और पीईटी (पाईप, इलैक्ट्रिकल शीट और टिन प्लेटेड) स्टील उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई थी। देश की स्टील खपत 2009-10 में 59.34 मिलियन टन से 2014-15 में 76.99 मिलियन टन तक हुई। कम्पनी की कुल बिक्रीयोग्य तैयार स्टील की बाजार हिस्सेदारी जो 2005-06 में 25 प्रतिशत थी, कम होकर 2009-10 में 18.5 प्रतिशत और 2014-15 में 14.2 तक हो गयी। कम्पनी का बाजार शेयर स्टील उत्पादों की सभी तीन श्रेणियों में कम हुआ।

(ii) सेल के तीन विशेष स्टील प्लांट अर्थात् दुर्गापुर में अलॉय स्टील प्लांट (एएसपी), भद्रावती में विश्वेश्यरैया ऑयरन और स्टील प्लांट (भीआईएसपी) और सेलम में सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी) अपनी क्षमता से काफी कम उत्पादन कर रहे थे, और वे

¹ निवल बिक्री वसूली = उत्पाद को बेचने से प्राप्त कुल राजस्व - बिक्रय वापसी की लागत भत्ते और छूट की लागत

लगातार संचालन हानि कर रहे थे (अनुबन्ध-XXI) क्योंकि प्लांट अपने उत्पादों के लिये बाजार ढूंढने में असमर्थता के कारण पूर्ण क्षमता पर संचालित नहीं किये जा रहे थे।

प्रबंधन ने कहा कि बाजार हिस्सेदारी में कमी क्षमता बाधा के कारण थी और सेल ने जो उत्पादित किया वो बेचा और पूर्ण बाजार हिस्सेदारी क्षमता वर्धन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद ही बढ़ेगी। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये देखा जाना चाहिये कि कम्पनी के बाजार हिस्सेदारी में कमी क्षमता वर्धन परियोजनाओं जिसे पूर्ण करने का निर्धारित समय वर्ष 2010 था, को 2006-07 में शुरू किया तथा वे 4 से 5 वर्ष लम्बित हुए जबकि टाटा जैसे अन्य घरेलू उत्पादक उसी अवधि के दौरान क्षमता वर्धन में सफल हुए और अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त स्टील मांग पूर्ण करने में सक्षम हुए।

यह भी देखा जा सकता है कि मौजूदा उत्पादन में ही, कम्पनी के लम्बे और पीईटी उत्पादों की बिक्री उत्पादन से कम थी, और मौजूदा भण्डार 0.93 लिमियन (मार्च 2012) से 1.44 मिलियन टन (मार्च 2015) बढ़ा (जैसा तालिका-1 में देखा गया)। लेखापरीक्षा ने देखा कि 1992 से प्रभावी मूल्य विनियंत्रण और प्रतिस्पर्धियों की संख्या काफी बढ़ने के बाद भी, कम्पनी ने मूल्य निर्धारण, विपणन और स्टील उत्पाद बेचने के लिये अपनी नीति नहीं बदली।

5.2.2.2 रिटेल डीलरशिप के माध्यम से बिक्री

सेल की डीलरशिप योजना का उद्देश्य सेल उत्पादों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिये व्यापक वितरण नेटवर्क तैयार करने और आगे जाकर बाजार हिस्सेदारी और निवल बिक्री प्राप्ति को सुधारने का उद्देश्य था। कम्पनी की डीलरशिप नेटवर्क 611 जिले कवर करती है। कम्पनी गैर-विशेष अधिकृत रिटेल डीलर (एआरडी) नियुक्त करती है जो अन्य स्टील उत्पादकों को भी उत्पाद बेच सकते हैं। कम्पनी ने ब्लॉक, तहसील और तालुका स्तरों पर छोटे ग्रामीण उपभोक्ताओं की स्टील मांग पूरी करने के मुख्य उद्देश्य के साथ वर्ष 2011-12 'सेल ग्रामीण डीलरशिप योजना' शुरू की, लेकिन योजना उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रही। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2015 तक 910 ग्रामीण एआरडी में से, केवल 238 सक्रिय थे। रिटेल क्षेत्र में बिक्री में कम वृद्धि निम्नलिखित के कारण थी:

(क) 2009-10 में 975 एआरडी, कुल 2,508 एआरडी का 39 प्रतिशत और वर्ष 2014-15 में 1456 एआरडी कुल 2711 एआरडी का 54 प्रतिशत, निष्क्रिय थे, अर्थात् उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में कोई भी माल नहीं उठाया। 261 जिलों में कोई भी नियुक्त एआरडी 31 मार्च 2015 तक सक्रिय नहीं थे। सक्रिय डीलरशिप आधार के अभाव ने रिटेल

बिक्री में वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। रिटेल क्षेत्र ने कम्पनी की कुल बिक्री में केवल करीब 5 प्रतिशत का योगदान दिया (अनुबंध XXII)।

(ख) कम्पनी की संवर्धन गतिविधियों में राजमिस्त्री की जरूरत, इंजीनियर और आर्किटेक्ट की जरूरत, डीलर की जरूरत और बाद में एफएम चैनल में विज्ञापन शामिल है। वार्षिक बिक्री संवर्धन व्यय 2009-2015 के दौरान केवल ₹ 3.72 करोड़ से ₹ 5.45 करोड़ के बीच था, जो संबंधित वर्षों के कुल बिक्री कारोबार का 0.007-0.01 प्रतिशत था।

(ग) शाखा प्रबंधक का पर्यवेक्षण अपर्याप्त देखा गया था। निष्क्रिय डीलरों को उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार हटाया नहीं गया। कोलकाता, गुवाहाटी और पटना जिलों में यादृच्छिकता से चयनित निष्क्रिय डीलर की लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि शाखा कार्यालय द्वारा एआरडी की गतिविधियों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र में, अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 के दौरान, नियोजित दौरे, कुल एआरडी के 15 से 28 प्रतिशत थे और वास्तविक दौरे, नियोजित दौरों के 23 से 88 प्रतिशत के बीच थे।

प्रबंधन ने स्वीकार्य किया (अक्टूबर 2015) कि वे क्षेत्र जहां उनके अधिकृत डीलर निष्क्रिय हो गये थे में मांग अन्य मुख्य और सहायक उत्पादकों द्वारा पूर्ण की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि कम्पनी उन क्षेत्रों में आपूर्ति के लिये निष्क्रिय डीलरों के क्षेत्र में नये डीलरों की नियुक्ति कर रही है, डीलरों के निष्पादन की नियमित समीक्षा की जा रही थी और यदि एआरडी का निष्पादन संतोषजनक नहीं था, के ठेके रद्द किये गये थे। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने कहा कि टीएमटी¹ और जीपी/जीसी शीट² की उपलब्धता न होने कारण, डीलरों को सामग्री की आपूर्ति नहीं की जा सकी। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये देखा जाना चाहिये कि 50 प्रतिशत से अधिक एआरडी हमेशा निष्क्रिय थे और 2011-15 के दौरान उनसे कोई आपूर्ति नहीं की गई थी। 8-12 एमएम साइज़ के टीएमटी बार जिसकी मांग खुदरा बाजार में उच्च था की मांग पूरी नहीं की गई थी, क्योंकि कम्पनी ने संस्थागत उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिये उच्च व्यास वाले टीएमटी की बिक्री पर ध्यान दिया यद्यपि इससे अपेक्षाकृत कम बिक्री मार्जिन आया। कम्पनी टीएमटी बार की आपूर्ति नहीं बढ़ा सकी क्योंकि अर्ध-पूर्ण माल को टीएमटी बार में परिवर्तित करने के लिये 10 विभागीय स्टील संसाधन इकाईयों को परिचालित करने के लिये पिछले दस वर्षों में अपने प्रयासों में अभी तक विफल रही और इसी उद्देश्य के लिये निजी पार्टियों के साथ गठित पांच उधम उपक्रम (2012) पारिचालित नहीं हुये। कम्पनी ने बड़े संस्थागत उपभोक्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से उच्च

¹ थर्मो मैकेनिकलि संसाधित (टीएमटी) बार

² गैलवनाइज्ड प्लेन (जीपी) और गैलवनाइज्ड नालीदार (जीसी) शीट्स

मूल्य विक्री पर अधिक भरोसा किया जिससे 2014-15 में उसकी कुल बिक्री का 92 प्रतिशत हुआ और रिटेल क्षेत्र में उपभोक्ता आधार बनाने के लिये इन सभी वर्षों में कम प्राथमिकता दी (अनुबंध XXIII)।

5.2.2.3 ठेका प्राप्ति में विफलताओं के अध्ययन के लिए सिस्टम का अभाव

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने 2012-15 से 3 वर्ष की अवधि के दौरान 224 निविदाओं में भाग लिया, जिसमें से वे मुख्य रूप से उच्च मूल्य उद्धृत करने के कारण 69 निविदाओं में सफल नहीं हुए। कम्पनी के पास निविदा में भाग लेने के माध्यम से व्यापार पाने के लिए प्रभावी नीति नहीं था। सीएमओ भाग लिये गये निविदाओं, मिली, न मिली निविदाओं के संबंध में बीएसओ से डाटा और अन्य संबंधित जानकारी एकत्र करने में विफल रहा और कम्पनी द्वारा निविदा में व्यापार हानि के लिये और भविष्य की कार्य योजना बनाने के लिये कोई भी विश्लेषण नहीं किया जा रहा था।

5.2.2.4 समझौता जापन (एमओयू) के माध्यम से बिक्री

कम्पनी एमओयू के माध्यम से व्यापक रूप से उच्च मांग वाले संस्थागत और थोक खरीददारों को अपना उत्पाद बेचती है। कुल एमओयू बिक्री 2009-10 में 57 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 92 प्रतिशत हुई (अनुबंध XXIII)। एमओयू खरीददारों को प्रस्तुत दर जिसमें रियायत एवं कटौती शामिल हैं, एमओयू द्वारा तय उठाव मात्रा द्वारा प्रेरित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओयू बिक्री में वृद्धि के समान कुल छूट 2009-10 में 2,467 करोड़ (बिक्री मूल्य का 6 प्रतिशत) से 2014-15 में ₹ 6,088 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी की उत्पाद लागत से अधिक उनके लागत लाभ के साथ संयोजित निजी स्टील उत्पादकों के बीच हाल ही में क्षमता वर्धन के साथ, कई खरीददारों ने प्रतिस्पर्धी मूल्य पाने के लिये खुली निविदा का रास्ता अपनाना शुरू किया। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि नियमित सरकारी और पीएसयू उपभोक्ता एमओयू आधारित खरीद से खुली निविदा को अपना रहे हैं। केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) जैसे बीएचईएल और एनटीपीसी ने 2012-15 के दौरान खुली निविदा की सहायता ली। तथापि, कम्पनी ने अपनी विवेकाधीन शक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की रियायतों और छूट देकर निजी उपभोक्ताओं को आकर्षित करना जारी रखा (पैराग्राफ 2.5) और कम्पनी की कुल बिक्री मात्रा में निजी खरीददारों का शेयर 2009-10 में 81 प्रतिशत से 2014-15 में 84 तक बढ़ा (तालिका I का संदर्भ)।

5.2.2.5 उच्च उत्पादन लागत के चलते उच्च कीमत

जनवरी 1992 में सरकार द्वारा स्टील का मूल्य विनियंत्रित करने के बाद कम्पनी द्वारा उसके स्वयं के बिक्रीयोग्य स्टील उत्पादों का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। 1997 से, प्लांट प्रमुख और 2-3 कार्यकारी निदेशकों वाली राजस्व अधिकतम लाभ दल (आरएमटी) मासिक पूर्व कार्य मूल मूल्य और मासिक मूल्य समायोजन सीमा (रियायत) जो उनके विवेकाधीन शक्तियों के अंदर निदेशक (वाणिज्यिक) से बीएसओ प्रमुख सीएमओ अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है को निर्धारित करता है। स्टील उत्पादन में बाजार निर्णायक होने के कारण सेल अन्य स्टील उत्पादकों के लिये स्टील बाजार में मूल्य प्रवृत्तियां निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल व्यय के प्रति कच्चेमाल खपत की लागत प्रतिशतता और कम्पनी से उत्पादित स्टील की प्रति टन स्टाफ लागत अपने दो प्रतिस्पर्धियों से अधिक थी। सेल की कुल व्यय के प्रति कच्चे माल की लागत क्रमशः जेएसपीएल और टाटा से 7-9 और 9-17 प्रतिशत प्वाइंट अधिक थी। उत्पादित कच्चे स्टील के प्रति टन के संदर्भ में सेल का स्टाफ लाभ व्यय 2011-12 में आरआईएनएल (सीपीएसई) और टाटा की अपेक्षा ₹ 1492 और 2025 से अधिक था और यह अंतर 2013-14 में ₹ 1,631 और ₹ 3,324 तक और बढ़ा।

तालिका 2: टाटा, जेएसपीएल और आरआईएनएल के साथ सेल में लागत की संबंधी तुलना

विवरण		2012-13	2013-14	2014-15					
कुल व्यय के प्रति खपत किये गये कच्चे माल की लागत की प्रतिशतता* (%)	टाटा	34.42	31.46	34.69					
	जेएसपीएल	42.17	36.01	36.05					
	सेल	51.29	43.41	43.35					
टाटा-जेएसपीएल से सेल में माल की उच्च लागत		9-17	7-12	7-9					
स्टाफ लाभ व्यय/टन स्टील	2011-12		2012-13		2013-14				
	सेल	आरआईएनएल	टाटा	सेल	आरआईएनएल	टाटा	सेल	आरआईएनएल	टाटा
	6397	4905	4372	6974	5066	4545	7437	5806	4113

* वित्तीय लागत और प्रावधान रहित

स्रोत: 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिये संबंधित कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट।

5.2.2.6 रियायत और प्रोत्साहन

कम्पनी ने अपने उत्पाद को खरीदने के लिये खरीददारों को आकर्षित करने के लिये छूट के रूप में महत्वपूर्ण राशि दी। केवल पांच एकीकृत स्टील प्लांटों में ही, कम्पनी ने पिछले 6 वर्षों में ₹ 26,058 करोड़ की छूट दी और प्रति टन औसत छूट 2009-10 में

₹ 2241/- (एनएसआर¹ का 7 प्रतिशत) से 2014-15 में ₹ 5764/- (एनएसआर का 16 प्रतिशत) तक बढ़ी (अनुबंध XXIV)।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया :

(क) लेखा परीक्षा ने निम्नलिखित पाया: उत्पाद लागत की वसूली पर उपभोक्ताओं को दी गई कई तरह के छूटों के प्रभाव का प्रबंधन द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया था। पिछले 5 वर्षों में एनएसआर 13.43 प्रतिशत बढ़ा जबकि बिक्री की लागत² 31.16 प्रतिशत बढ़ी। संबंधित लागत हानि की तुलना में उसके प्रतिस्पर्धी घरेलू आपूर्ति और आयात से अधिक प्रतिस्पर्धा के साथ संयोजित थे; सीएमओ का ध्यान धीरे-धीरे उच्च छूट/रियायत का प्रयोग करके राजस्व को अधिकतम करने से बिक्री मात्रा अधिकतम करने पर चला गया जिसने पिछले तीन वर्षों में एनएसआर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

(ख) 19 बीएसओ में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छूट या रियायत अनुमोदन का दस्तावेजीकरण संतोषजनक नहीं था और उच्च रियायत देने के लिये प्रतिस्पर्धा मूल्य और आयात मूल्य जैसे महत्वपूर्ण बाहरी कारक लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से प्रमाणित नहीं थे। इसलिये लेखापरीक्षा में यह निष्कर्ष देना संभव नहीं था कि सीएमओ अधिकारियों द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अंदर विभिन्न खरीददारों को रियायत आदि देना यथोचित था।

(ग) रियायत की बढ़ती दर बिक्री की मात्रा में वृद्धि नहीं करती जो 2009-10 में 12,110 हजार टन से घटकर 2014-15 में 11,710 हजार टन तक हो गया और सेल की बिक्री योग्य स्टील स्टॉक धीरे-धीरे बढ़कर 2009-2015 के दौरान अपने बिक्री मात्रा भाग से 26 दिनों से 45 दिनों तक हो गया।

प्रबंधन ने कहा कि आरएमटी ने सुनिश्चित किया कि कम्पनी बाजार की प्रतिक्रिया, उत्पाद मात्रा, लागत, गुणवत्ता, उत्पाद मिश्रण आदि को ध्यान में रखते हुये और प्रतिस्पर्धी बाजार में बाजार विकास के लिये समय पर प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये, मूल्य पर संतुलित योजना बनाये। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, सूचीबद्ध आधारित कीमत में आरोही संशोधन था, जिसके परिणामस्वरूप छूट की राशि मौजूदा बाजार मूल्य के संबंध में विक्रय मूल्य के समायोजन के लिये उपयोग की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में कम्पनी का बिक्री की मात्रा स्टील प्लांट के पूर्ण उत्पादन का ध्यान

¹ निवल बिक्री प्राप्तियां = उत्पाद को बेचने से अर्जित कुल राजस्व - बिक्री प्राप्ति, भत्ते और छूट की लागत।

² बिक्री की लागत उत्पाद बनाने/सेवा देने के लिए कुल लागत का कुल संचित है।

रख रहा है। तथ्य यह है कि उचित दस्तावेजीकरण का अभाव था क्योंकि इसमें उच्च छूट देने के लिए औचित्य के समर्थन में सबूत पेश नहीं किए गए थे। और आगे बढ़ती हुई छूट के परिणाम बिक्री की मात्रा में वृद्धि नहीं थी।

5.2.2.7 आर्डर बुकिंग नीति का क्रियान्वयन

कम्पनी के अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये आर्डर बुकिंग नीति (ओबीपी) अनुमोदित की। ओबीपी के अनुसार बिक्री मात्रा का अनुमान लगाने के लिये और तदनुसार उत्पादन योजना का निर्णय लेने के लिये वर्ष के शुरू में उपभोक्ताओं के साथ एमओयू किया जाता है। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां सीएमओ प्रबंधन ने ओबीपी का पालन नहीं किया। कुछ मामले निम्नलिखित प्रकार हैं:

(क) क्रेडिट अवधि का अनुचित विस्तार

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिये लागू ओबीपी में निर्धारित है कि एचआर कॉयल्स¹ (विशेष गुणवत्ता सहित) के लिये एमओयू उपभोक्ता 10-30 दिनों के ब्याज रहित क्रेडिट (आईएफसी) के पात्र थे जो 2012-13 से 10-40 दिनों तक बढ़ा दी गई थी। तदनुसार, मैसर्स तिरूपति ग्रुप, एचआर कॉयल्स का एमओयू उपभोक्ता क्रमशः 2009-11 और 2012-14 की अवधि के लिये केवल 24 दिनों और 15 दिनों के आईएफसी का पात्र था। एमओयू में आईएफसी को 60 दिनों तक बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, एमओयू हस्ताक्षरित करने के बाद, उपभोक्ता के अनुरोध पर, कम्पनी ने 2009-10, 2010-11 2012-13 और 2013-14 की अवधि से चार लगातार एमओयू हेतु 60 दिनों के लिये एमओयू में दी गई आईएफसी को संशोधित किया, इस प्रकार ₹ 3.98 करोड़ का अनुचित लाभ दिया। प्रबंधन ने कहा कि (i) बिक्री मात्रा बढ़ाने के लिये एलपीजी एचआर क्वॉइल्स के उपभोक्ताओं को आईएफसी देने के लिये वाणिज्यिक निर्णय लिया गया था। (ii) वर्ष 2012-13 से, एमओयू विशेष गुणवत्ता श्रेणी में हस्ताक्षरित किया जा रहा था और विशेष गुणवत्ता श्रेणी के अंतर्गत एमओयू होने वाले सभी एलपीजी ग्राहक को 60 दिनों तक आईएफसी दिया गया था। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये देखा जाना चाहिये कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिये विशेष गुणवत्ता सामग्री के ओबीपी ने 100 टन और अधिक मासिक माल लेने पर 15 दिनों तक मान्य था। क्रेडिट का उच्च स्तर गुण के आधार पर किया जा सकता था लेकिन इस मामले में, ग्राहक की मांग 2009-10 से 2013-14 के दौरान धीरे-धीरे 54,108 टन से घटकर 20,730 टन तक हो गया। चूँकि मैसर्स तिरूपति ग्रुप की मांग 2009-14 की अवधि के

¹ गर्म लपेटी गई कॉयल्स

दौरान क्रमशः कम हुई, 2012-14 के दौरान एमओयू शर्तों से परे 60 दिनों तक आईएफसी बढ़ाना अनुचित था।

(ख) निर्णय लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप परिहार्य राजस्व हानि और माल रखने की लागत लगी

रेलवे बोर्ड ने मार्च 2012 में स्टेनलैस स्टील वेगन के निर्माण के लिये स्टेनलैस स्टील शीट/प्लेट के 55,953 टन की खरीद के लिये निविदा जारी की। सेल ने निविदा में भाग लिया, और आदेश के पूर्वानुमान में, अलॉय स्टील प्लांट (एसपी) दुर्गापुर से 409 एम ग्रेड के 19,993 स्लेब प्राप्त किये। इन स्लेबों का भाग लपेट कर और शीघ्र आपूर्ति की उम्मीद के साथ तैयार स्थिति में रखा गया था। तथापि, कम्पनी आर्डर लेने में विफल रही क्योंकि उसकी ₹ 74,500 प्रति टन (पूर्व कार्य) की बोली ₹ 68,850 प्रतिटन एल-1 मूल्य से अधिक थी। भारतीय रेल (आईआर) ने अल्पकालीन अवधि के लिये बाजार से बाजार मूल्य अधिकरण (एमपीए) रूट के माध्यम से स्टील प्लेट खरीदने के लिये रेलवे वेगन बिल्डर्स (आरडब्ल्यूबी) को अन्तरिम अवधि के लिए अधिकृत किया और रेलवे उनको एल-1 दर पर प्रतिपूर्ति कर रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2012 में, सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी) में 409 एम-ग्रेड स्लेब का 24,274 टन माल था, लेकिन ₹ 68850 प्रति टन (पूर्व कार्य) पर आरडब्ल्यूबी को नहीं बेचा, इस आधार पर कि माल की परिवर्तनीय लागत ₹ 74,121 प्रति टन थी। 20 माह समाप्त होने के बाद बोर्ड ने दिसम्बर 2013 में उसे परिवर्तनीय लागत से कम पर बेचने की स्वीकृति दी और सेल ने ₹ 63517 प्रति टन और 66,438 प्रति टन के बीच औसत एनएसआर पर आरडब्ल्यूबी को माल बेचा जो रेलवे द्वारा स्वीकृत कीमत ₹ 68,850 प्रति टन से कम था। इस प्रकार लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्णय लेने में अनुचित विलम्ब के कारण, कम्पनी को ₹ 9.47 करोड़ की राजस्व हानि हुई और नवम्बर 2013 तक ₹ 35.72 करोड़ का माल रखने की लागत लगी जो परिहार्य योग्य थी।

प्रबंधन ने कहा कि उन्हें एल-1 आधार पर पूर्व वर्ष में आईआर से 409 एम ग्रेड स्टील की अधिकतर मात्रा प्राप्त हुई और तत्काल मामले में भी उनका आर्डर प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहे थे। उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिये कि पता न होने के बावजूद भी माल रेलवे के लिये विशेष रूप से बनाया गया था जो एकमात्र मुख्य उपभोक्ता था और सेल के पास इन स्लेब/तैयार स्टील के निपटान के लिये दूसरा उपभोक्ता नहीं था, कम्पनी ने बाजार की स्थिति के संबंध में उचित निर्णय लेने में विलम्ब किया और 1 वर्ष 8 माह से अधिक तक स्टॉक में माल रखा यह जानते हुये भी कि समय बीतने पर गुणवत्ता में कमी के कारण माल का बाजार मूल्य कम होगा। यदि प्रबंधन ने सभी पहलुओं पर ध्यान दिया होता, जो उन्होंने बाद में सोचा, वे ₹ 9.47 करोड़ की राजस्व

हानि और नवम्बर 2013 तक ₹ 35.72 करोड़ की माल रखने की लागत को बचा सकते थे।

5.2.2.8 व्यापार प्राप्तियां

निजी खरीदार से ₹18.81 करोड़ के ब्याज की गैर-वसूली

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिये कम्पनी और मैसर्स लार्सन और टर्बो लिमिटेड (एलएंडटी) के बीच हस्ताक्षरित एमओयू की निबंधन और शर्तों में असुरक्षित क्रेडिट देना शामिल था। 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिये लंबित भुगतान पर ब्याज के कारण एलएंडटी से ₹ 18.81 करोड़ वसूली योग्य था लेकिन उसे वसूल नहीं किया। प्रबंधन ने कहा कि वे 2014-15 में खरीदार को देय कुल कारोबार छूट के प्रति राशि वसूल करेंगे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ब्याज राशि वर्ष वार आधार पर वसूल की जानी थी। इसके अतिरिक्त 2014-15 तक संचित ब्याज की वसूली एलएंडटी को देय ₹ 11.43 करोड़ के टीओडी¹ उपार्जन से अधिक थी, और सकल राशि 31 अक्टूबर 2015 तक वसूल की जानी बाकी थी।

5.2.2.9 रूपांतरण एजेंसियों से अर्ध पूर्ण माल का तैयार उत्पाद में परिवर्तन

(क) अपूर्ण माल में वृद्धि के कारण उच्च राजस्व वसूली छोड़ी गई

कम्पनी के पास अंतिम उपयोग के लिये मूल उत्पाद के उत्पादन के लिये अपूर्ण जैसे मध्यवर्ती उत्पादों के पूर्ण प्रयोग के लिये पर्याप्त रोलिंग क्षमता नहीं थी, और क्षमता वर्धन कम्पनी के आधुनिकीकरण और विस्तारण परियोजनाओं को पूर्ण करने में 4-5 वर्ष के विलम्ब के कारण संभव नहीं हो सकी। अपूर्ण (बिलेट, ब्लूम और स्लैब) का आर्थिक मूल्य है और जिसे पुनः रोलिंग मिलों को बेचे जाते हैं। लेकिन उनकी निवल बिक्री प्राप्तियां (एनएसआर) टीएमटी जैसे तैयार उत्पाद और विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से कम है (अनुबंध XXV)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने कम्पनी के प्लांट से आपूरित बिलेट, ब्लूम, स्लैब जैसे अपूर्ण माल को परिवर्तित करने और परिवर्तन के बाद टीएमटी, संरचनागत जैसे पूर्ण मूल्य विद्धत उत्पादों को वापस करने के लिये निजी रूपांतरण एजेंसियों को सूची में सम्मिलित किया था। बार और रॉड (जिसमें टीएमटी शामिल है) और संरचनागत के लिये 2009-15 के दौरान पर्याप्त राष्ट्रीय मांग थी। कम्पनी द्वारा किराये पर लिये गये वेट पट्टे एजेंट (डब्ल्यूएलए) और रूपांतरण एजेंटों (सीए) के साथ परिवर्तन के लिये काफी

¹ कारोबार छूट

क्षमता थी जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ था। अपूर्ण माल का तैयार उत्पाद में परिवर्तन समय के साथ कम हुआ, और बिक्री योग्य अपूर्ण माल का उत्पादन 2009-10 में 2,392 हजार टन से बढ़कर 2014-15 में 3,007 हजार टन हुआ। इस प्रकार कम्पनी ने इन वर्षों में मूल्य वृद्धित तैयार उत्पादों से उच्च राजस्व वसूली का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने मूल्य वृद्धित तैयार उत्पादों से उच्चतर उदग्रहण को स्वीकार करते हुए बताया कि सेमिज की बिक्री बाजार स्थिति, कम लागत पर रूपान्तरण निर्णय लेते समय विचार किया गया था। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि कम्पनी ने सीए तथा डब्ल्यूएलए की संख्या को 2009-10 में 51 से 2014-15 में 32 तक कम कर दिया इस प्रकार पूर्ण परिवर्तन क्षमता में कमी हो गई। डब्ल्यूएलए की ठेकागत क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था और बिक्रीयोग्य सेमिज के अवरोधन में वृद्धि हो रही थी।

(ख) रूपांतरण एजेंसियों का अपर्याप्त पर्यवेक्षण

रूपांतरण एजेंट (सीए) को रूपांतरण व्यवस्था के तहत अन्य संसाधनों से आपूरित सेमिज को रोल करने की स्वतंत्रता है और वे कंपनी द्वारा उनके परिसर में आपूरित सेमिज को रोल करने के लिए प्रतिबंधित नहीं थे जबकि वैट पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत डब्ल्यूएलए की पूरी अवसंरचना को कम्पनी द्वारा आपूरित सेमिज से अंतिम उत्पाद के विनिर्माण हेतु पट्टा पर दिया गया था। रूपांतरण नीति और वैट पट्टा व्यवस्था नीति, 2009 सेमिज और रूपांतरित उत्पादों के उपयोग के निरीक्षण और पर्यवेक्षण की व्यवस्था गई थी। नजदीक के बीएसओ को प्रत्येक सीए और डब्ल्यूएलए के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया था। कम्पनी की आपूर्तियों और सीएज तथा डब्ल्यूएलएज द्वारा सेल ब्रांड नाम के दुरुपयोग के निम्नलिखित मामले लेखापरीक्षा ने देखा :

- (i) मेसर्स एसकेएस इस्पात रायपुर, एक सीए, बीएसओ-भिलाई के पर्यवेक्षण के अंतर्गत, को सेल ब्रांडनाम का दुरुपयोग करते हुए पाया (27 सितम्बर 2011) गया था किन्तु उस पर कोई कार्यवाई नहीं की गई सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। तथापि, सीए ने अगले 15 माह के दौरान उत्पादों पर सेल लोगो का दुरुपयोग जारी रखा और कम्पनी ने 28 जनवरी 2013 को ठेका समाप्त कर दिया। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि सेल ट्रेड मार्क के अतिक्रमण से सीए को रोकते हुए स्थायी आदेश प्राप्त करने और हानि की वसूली करने के लिए ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत माननीय बम्बई उच्च न्यायालय में दिवानी मुकद्दमा दायर किया गया था। कम्पनी ने ₹ 6.65 करोड़ की जब्ती की जिसमें प्रतिभूति जमा, रूपांतरण प्रभारों

के लिए लंबित बिल और बैंक गारंटी का नकदीकरण शामिल है। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि सीए को मार्च 2012 में दूसरी बार सेल ब्रांड का दुरुपयोग करते हुए पाया गया था किन्तु सीए को ऐसा करने दिया गया और दिसम्बर 2012 में सीए के तीसरी बार सेल ब्रांड का दुरुपयोग करते हुए पाए जाने पर ही कार्रवाई आरम्भ की गई थी। कम्पनी ने इसके राजस्व और प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए ₹ 337 करोड़¹ तक हर्जाने का अनुमान लगाया था और मै. एसकेएस इस्पात, रायपुर पर ₹ 330 करोड़² का दावा किया। इस प्रकार, बीएसओ द्वारा सीए पर पर्यवेक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप सेल ब्रांड नाम के साथ अन्य उत्पादकों को इस्पात बेचने की अनुमति देते हुए ₹ 330 करोड़ का अनुमानित अनुचित लाभ सीए को पाहुंचाया। रूपांतरण नीति के अनुसार बीएसओ कार्यकारियों से सामग्री के उचित उपयोग का निरीक्षण करने के लिए सीएज के परिसरों में निरंतर दौरा करना अपेक्षित था किन्तु यह नहीं किया जा रहा था।

- (ii) लेखापरीक्षा में रूपांतरण एजेंसियों पर मौजूदा नियंत्रण अपर्याप्त पाए गए थे या इन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था। कम्पनी ने बीएसओ स्तर पर उनकी विहंगावलोकन जिम्मेदारियों के सम्पादन में ढिलाई के कारण काफी समय बीत जाने के बाद सीए द्वारा सेल ब्रांड नाम के दुरुपयोग के केवल कुल मामलों का पता लगाया जा सका। सीए परिसरों में सेल के सेमिस का उचित पेंट मार्किंग के साथ और गैर सेल सामग्री के साथ तैयार इस्पात के साथ स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित नहीं किया गया था। सेल तथा सीएज/डब्ल्यूएलएज के बीच और सेल तथा राइट्स (तीसरी पार्टी निरीक्षण एजेंसी) के बीच करारों की प्रतियां क्रमशः राइट्स तथा सीएज/डब्ल्यूएलएज के साथ साझा नहीं की गई थी जिससे राइट्स के कार्य के प्रभावी निष्पादन में बाधा आई। सेल द्वारा निर्धारित ब्रांडिंग के अनुसार 100 प्रतिशत एम्बोजिंग की नीति का पूर्णतः कार्यान्वयन नहीं किया गया था। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि रूपांतरण प्रक्रिया के पर्यवेक्षण की प्रणाली को कड़े अनुपालन हेतु सुदृढ़ किया गया था। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि कम्पनी ने बाजार और संसाधनों में नकली सेल ब्रांडेड सामग्री और ऐसे प्रचालन की कार्यप्रणाली के महत्व को समझने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है।

¹ सेल तथा द्वितीयक उत्पादकों के बीच लाभ मार्जिन या कीमत अंतर द्वारा वर्द्धित उत्पादित अनधिकृत मात्रा (अर्थात् सेल रूपांतरण के लिए उत्पन्न मात्रा में से घटाकर कुल उत्पादन) प्राप्त करके संगणित की गई।

² ₹ 337 करोड़ से ₹ 7 करोड़ के समायोजन के पश्चात ₹ 330 करोड़ का दावा किया गया।

(iii) बीएसओ, वाईजाग ने मार्च 2011 और 2012 की समाप्ति तक में वेलगापुडी स्टील लिमिटेड विशाखापत्तन, एक डब्ल्यूएलए का अपेक्षित भौतिक सत्यापन नहीं किया था। 25 अप्रैल 2012 से 3 मई 2012 तक किए भौतिक सत्यापन में ₹ 5.74 करोड़ मूल्य की 1152 टन इस्पात सामग्री कम पाई गई थी। यदि ब्रांच ने 2011 और 2012 का वार्षिक भौतिक स्टॉक सत्यापन समय पर किया होता तो कमी का समय पर पता लगाया जा सकता था और स्टॉक के आगे के गलत विनियोजन को रोका जा सकता था। लेखापरीक्षा ने देखा कि डब्ल्यूएलए के निष्पादन का निरीक्षण अपर्याप्त था। फर्म अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान टीएमटी बार के न्यूनतम तिमाही गारन्टीड उत्पादन को प्राप्त करने में विफल रही और बीएसओ, विजाग ने ₹ 7.54 करोड़ की शास्ति के भुगतान हेतु नोटिस जारी किया था। इसके बजाय बीएसओ/विजाग ने उन पर लगाई गई शास्ति की वसूली के बिना 19 जुलाई 2011 से 27 अप्रैल 2012 के दौरान ₹ 5.50 करोड़ के रूपांतरण बिलों का भुगतान किया। ठेका भी समाप्त नहीं किया गया था अपितु इसे चौथे वर्ष की समाप्ति पर 4 मई 2012 को समाप्त होने किया गया। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि ₹ 13.28 करोड़ के कुल दावे में से ₹ 4.98 करोड़ की वसूली बीजी एवं बिलों आदि के नकदीकरण के माध्यम से की गई थी। शेष ₹ 8.52 करोड़ की राशि के लिए पार्टी अनुकूल रूप से उत्तर नहीं दे रही थी और स्कोप फोरम के माध्यम से समाधान निकाला गया था। बाद में, पार्टी ने मध्यस्थता की मांग की। कंपनी के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि कंपनी के उत्तरदायी अधिकारियों को उनकी तरफ से गंभीर लापरवाही के बावजूद केवल आक्षेप प्रशासनिक चेतावनी और चेतावनी पत्र की मामूली शास्ति के साथ छोड़ दिया गया था, और दक्षिणी क्षेत्र में बिक्री हेतु टीएमटीज की आपूर्ति रोकने से राजस्व हानि हुई।

5.2.10 निर्यात दायित्व पूरा न करना

सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) ने निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत 3 प्रतिशत की दर पर रियायती सीमा शुल्क प्राप्त किया था (2008-10)। इस प्रकार एसएसपी ने पूंजीगत माल और स्पेयर्स के आयातों तथा एसएसपी क्षमता विस्तार कार्यक्रम के लिए आयातित माल पर ₹ 114.55 करोड़ का सीमाशुल्क बचाया। ईपीसीजी योजना (11 अप्रैल 2008) के अंतर्गत, कंपनी को 30 नवम्बर 2017 तक एसएसपी उत्पादों से ₹ 1987 करोड़ का निर्यात दायित्व पूरा करना था जिसमें ₹ 993.50 करोड़ अर्थात् एसएसपी द्वारा विनिर्मित स्टेनलेस स्टील उत्पादों से कुल निर्यात दायित्व तथा शेष निर्यात दायित्व के लिए अन्य संयंत्रों से निर्यातों के 50 प्रतिशत का निर्यात

दायित्व शामिल था। यद्यपि, एसएसपी पर उत्पादन सुविधाएं सितम्बर 2010 से शुरू की गई थी, फिर भी 31 मार्च 2015 तक एसएसपी द्वारा पूरा किया गया कुल निर्यात दायित्व ₹ 45.29 करोड़ से अधिक नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के पास कोई योजना नहीं थी कि एसएसपी के शेष निर्यात दायित्व को कैसे पूरा किया जाए तथा यह जोखिम है कि कम्पनी को योजना के अंतर्गत बचाए गए ₹ 114.55 करोड़ के सीमा शुल्क के प्रतिदाय के अलावा दायित्व अवधि की समाप्ति पर ब्याज एवं समझौता फीस के रूप में ₹ 121.42 करोड़ का भुगतान करना पड़े। प्रबंधन ने जवाब दिया कि एसएसपी के निर्यात दायित्व का पूरा करने के लिए सेल के दूसरे प्लांट के निर्यात को शामिल कर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि एसएसपी प्रबंधन ने एसएसपी के निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए एसएसपी और सेल के अन्य इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित नरम इस्पात को शामिल करने हेतु महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी), कोयम्बटूर में विलंब से आवेदन किया (17 अप्रैल 2015) जिसे डीजीएफटी, कोयम्बटूर ने निवेदन को अस्वीकार कर दिया (4 जून 2015) क्योंकि मामले में महत्व की कमी थी। तत्पश्चात, एसएसपी ने इस मामले को डीजीएफटी, नई दिल्ली में उठाया (18 जून 2015), जिनका उत्तर फरवरी 2016 तक प्रतीक्षित था।

5.2.2.11 सेमिस के बहुल ढुलाई के कारण उच्चतर लागत आई

इस्पात संयंत्रों से एवं डब्ल्यूएलए के परिसरों पर सेमिस के स्टॉक स्थानांतरण में माल भाड़ा के अलावा ढुलाई लागत शामिल था और उसका वहन कम्पनी द्वारा किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सर्वप्रथम 9.51 लाख टन सेमिस का भिलाई इस्पात संयंत्र से भिलाई एवं नागपुर के स्टॉकयार्ड और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से दुर्गापुर के स्टॉकयार्ड में स्थानांतरण किया गया था। बाद में उसको बीएसओ के अधिकारक्षेत्र के सीए एवं डब्ल्यूएलए को आपूरित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप दो ढुलाई यदि सेमिस को इस्पात संयंत्र से सीए/डब्ल्यूएलए को सीधे ही स्थानांतरित कर दिया जाता, के बजाय सामग्री के तीन बार प्रबंधन किए गए। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि स्टॉकयार्ड आपूर्तियों सहित सभी व्ययों का रूपांतरण इकोनामिक्स में ध्यान रखा गया था और स्टॉकयार्डों से स्टॉक स्थानांतरण की अनुमति हेतु लॉजिस्टिक्स तथा स्टॉक उपलब्धता जैसे कारण बताए। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि एक अतिरिक्त प्रबंधन का अभिप्राय अतिरिक्त लागत और तैयार उत्पाद की बिक्री से कम लाभ है।

निष्कर्ष

भारत में इस्पात खपत 2009-15 के दौरान 30 प्रतिशत तक बढ़ गई थी, किंतु कुल बिक्रीयोग्य तैयार इस्पात में सेल की बाजार हिस्सेदारी में उसी अवधि के दौरान 18.5

प्रतिशत से घटकर 14.2 प्रतिशत तक आ गई थी। यह केवल क्षमता संवर्धन परियोजनाओं में विलंब के कारण नहीं था, अपितु सक्रिय डीलरशिप आधार की कमी के कारण भी था जिसने खुदरा बिक्रियों में वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। कंपनी की एआरडीज 39 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक निष्क्रिय थी। ब्रांच कार्यालयों द्वारा एआरडीज के कार्याकलापों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। बड़े संस्थागत उपभोक्ताओं के साथ एमओयू के माध्यम से बिक्री 2014-15 में कम्पनी की कुल बिक्रियों की 92 प्रतिशत थी और खुदरा क्षेत्र में उपभोक्ता आधार के विकास का कम प्राथमिकता से समर्थन किया गया था। कम्पनी अधिकतर उच्चतर बोलियों के कारण 2012-15 के 3 वर्षों की अवधि के दौरान भाग ली गई लगभग 30 प्रतिशत निविदाओं में सफल नहीं हुई थी। कम्पनी द्वारा निविदाओं में व्यापार हानि के कारणों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया था और भावी कार्यवाही योजना बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मैसर्स तिरुपति गुप को क्रेडिट अवधि के विस्तार परिणामस्वरूप ₹ 3.98 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। मैसर्स लारसेन एण्ड टर्बो लिमिटेड से ₹ 18.81 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं की गई थी। रूपांतरण एजेंसियों पर अपर्याप्त पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप कम्पनी आपूर्तियों और सीए एवं डब्ल्यूएलए द्वारा ब्रांड नाम के दुरुपयोग के मामले सामने आए। कम्पनी विशाखापत्तनम के डब्ल्यूएलए से ₹ 8.52 करोड़ वसूल नहीं कर सकी थी।

सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि कंपनी निम्नलिखित उपाय करने के लिए विचार करे:

- **खुदरा क्षेत्र में इसके उपभोक्ता आधार का विस्तार और अधिकृत खुदरा डीलरों से कार्याकलापों के आवधिक पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना;**
- **निविदाओं के माध्यम से आदेशों को सुरक्षित करने में आई विफलता के कारणों का विश्लेषण करना और ऐसे विश्लेषण के परिणामों का भावी कार्यवाही योजनाओं को बनाते समय उपयोग किया जाए;**
- **रूपांतरण एजेंटों और वैंट एजेंटों के निष्पादन मूल्यांकन में सुधार करना।**

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (नवम्बर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

5.3 सेल के एसपीयू बेतिया परियोजना में निष्फल निवेश

सेमी को फिनिशड स्टील में परिवर्तन के लिए बेतिया में एक एसपीयू की स्थापना वित्तीय और वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था। परिणामस्वरूप, एसपीयू में ₹ 140.16 करोड़ का निवेश गैर-निष्पादित हो गया और एसपीयू के लिए विशिष्ट रूप से 137 अधिकारियों की नियुक्ति निष्फल हो गई।

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कम्पनी) ने बेतिया, बिहार में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट (एसपीयू) की स्थापना का निर्णय (2007) लिया। बोर्ड ने ₹ 116.24 करोड़ की कुल लागत पर परियोजना को अनुमोदित कर दिया (जुलाई 2008)। 50,000 टन पाईप और 20000 टन जीपी/जीसी शीटों की वार्षिक उत्पादन क्षमता सहित जीपी/जीसी शीटों¹ हेतु पाईप/ट्यूब मिलें और कार्यशालाएं चरण-1 में संस्थापित की जानी थी। चरण-1 परियोजनाएं जनवरी 2010 तक पूरी नहीं की जा सकी जैसा कि निर्धारित किया गया था। अतंतः एसपीयू को ₹ 140.16 करोड़ की कुल लागत पर लगभग तीन वर्षों के विलम्ब से दिसम्बर 2012 तक पूरा किया गया था। बाजार मूल्य तुलना में उत्पादन की अधिक लागत के कारण, कम्पनी ने जांच के लिए अपेक्षित स्तर और मिल को प्रचालित रखने के स्तर से अधिक उत्पादन को नहीं बढ़ाया। उत्पादन 2011-15 के दौरान मिल की क्षमता के एक प्रतिशत से कम था। इस प्रकार एसपीयू बेतिया में ₹ 140.16 करोड़ का निवेश गैर-निष्पादित हो गया और एसपीयू के लिए विशिष्ट रूप से 137 अधिकारियों की नियुक्ति (आरंभ में 145 अधिकारी नियुक्त किये गये) निष्फल हो गई (जनवरी 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(क) संयंत्र संस्थान का अविवेकपूर्ण चयन

- (i) सेमी को फिनिशड स्टील में परिवर्तन के लिए बेतिया में एक एसपीयू की स्थापना वित्तीय और वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था। बेतिया एसपीयू की स्थापना का प्रारंभिक उद्देश्य बिहार में खपत के स्थल पर साईजड और फिनिशड स्टील के लिए मांग को पूरा करना था। यद्यपि, उत्पादन की लागत बेतिया में एसपीयू के लिए अधिक होने का अनुमान था क्योंकि निवेशित सामग्री सेमी-फिनिशड स्टील के रूप में मौजूदा स्टील संयंत्रों (बोकारो और दुर्गापुर) से

¹ चरण-1 में 3" और 3-8" ब्लैक पाईप उत्पादित करने के लिए पाईप/ट्यूब मिल और जस्तेदार सपाट (जीपी) और जस्तेदार लहरदार (जीसी) शीटों के उत्पादन के लिए कार्यशालाएं थीं।

स्थांनातरित की जानी थी जिससे उत्पादन की लागत में मालभाड़ा कारक और बढ़ गया।

- (ii) अलग सुविधाएं जैसे आवासीय क्वार्टर्स, गैस्ट हाउस, ग्रीन बेल्ट आदि भी मौजूदा संयंत्रों से दूरी के कारण बेतिया में सृजित करनी थी निर्धारित लागत के संविभाजन का लाभ एसपीयू की इकाई के लिए उपलब्ध नहीं था।
- (iii) लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि अपेक्षित मांग पूरा करने का उद्देश्य मौजूदा संयंत्रों में क्षमता संस्थापित, और इस तथ्य के मद्देनजर कि कंपनी का पटना में शाखा सेल्स कार्यालय था और स्थानीय क्षेत्रों में मांग के दोहन के एक मात्र उद्देश्य के साथ बिहार के 37 जिलों में 103 प्राधिकृत रिटेल डीलर्स नियुक्त किये थे; खपत के लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए कम्पनी के विपणन नेटवर्क द्वारा उत्पादों की आपूर्ति कर भी पूरा किया जा सकता है। बेतिया एसपीयू से किया गया उत्पादन भी इसी विपणन नेटवर्क द्वारा बेचा जाना था। 70000 टन पाईप और शीटों के परिकल्पित क्षमता के प्रति, केवल 706 टन पाईप और लहरदार शीटें ही 2011-2015 के दौरान उत्पादित की जा सकी और इसका लगभग आधा भाग (366 टन) को सेल के अन्य इस्पात संयंत्रों में उपयोग कर लिया गया था। इसलिए, खपत के लक्ष्य तक उत्पाद की बिक्री द्वारा ग्रामीण घरों/छोटे उपभोक्ताओं की मांग दोहन का बताया गया उद्देश्य पूरा नहीं किया गया था।

(ख) स्टाफ की निष्क्रियता

बीएसएल¹ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 128 कर्मचारियों की आवश्यकता के विपरीत 145 कर्मचारियों की नियुक्ति की। ये कार्मिक निष्क्रिय थे क्योंकि एसपीयू ने उत्पादन रोक दिया था। वर्तमान में, यहां 137 कर्मचारी हैं और उनके वेतन और भत्तों के लिए ₹ 3 करोड़ प्रति वर्ष (मार्च 2015 तक) तक खर्च किये जा रहे हैं। इस संबंध में संचयी खर्च ₹ 11.90 करोड़ (अप्रैल 2009 – अक्टूबर 2015) था।

(ग) अतिरिक्त क्षमता का सृजन

एसपीयू में चरण-1² में मिलों के लिए 3.6 एमवीए आवश्यकता थी, जबकि, कम्पनी ने प्रत्येक को ₹ 40.26 लाख की लागत पर दो 5 एमवीए ट्रांसफार्मर और ₹ 2.11 करोड़ की लागत पर एक डीजी सेट की खरीद की (2009)। दूसरा ट्रांसफार्मर और डीजी सेट खरीद

¹ एसपीयू बेतिया के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएलएल) एक मुख्य संयंत्र है।

² चरण-1 में 3' और 3-8" ब्लैक पाईप उत्पादित करने के लिए पाईप/ट्यूब मिल और जस्तेदार सपाट (जीपी) और जस्तेदार लहरदार (जीसी) शीटों के उत्पादन के लिए कार्यशालाएं थीं।

के समय से अप्रयुक्त रहा। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने चरण-1 मिलों की जांच और प्रारंभ किये जाने के लिए 1000 केवीए की आपूर्ति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) के साथ एक समझौता किया (मार्च 2011)। बीएसईबी के किराया आदेश का खंड-6 यह दर्शाता है कि एचटी उपभोक्ता की ट्रांसफार्मर क्षमता ठेका मांग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसका उल्लंघन करना एक अपराध माना जाएगा। इसके बावजूद, प्रबंधन ने ठेका मांग में संबंधित वृद्धि के बिना 1500 केवीए के स्थान पर 5000 केवीए की क्षमतावाला ट्रांसफार्मर संस्थापित कराया जबकि मिलों के न्यून उपयोग के कारण विद्युत के उच्च उपयोग की कोई गुंजाईश नहीं थी। बीएसईबी ने एक अनुस्मारक (दिसम्बर 2011) जारी करने के बाद उच्चतर क्षमता ट्रांसफार्मर का प्रयोग करने के लिए ₹ 6.44 करोड़ (मार्च 2015 तक) प्रभारित किये। इसके कारण एसपीयू के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई।

अपनी बैठक (25 फरवरी 2014) में कम्पनी के निदेशक मंडल ने पाया कि बेतिया में एसपीयू ने उत्पादन आरंभ कर दिया परन्तु नियमित उत्पादन आरंभ नहीं किया गया था और कि एसपीयू बाजार मूल्य की तुलना में उत्पादन की उच्चतर लागत के कारण जीवक्षम नहीं थी। समीक्षा बैठक (29 अप्रैल 2014) में निदेशक (तकनीकी) ने विचार दिया कि बेतिया में एसपीयू के बेचना उक्त को बंद करने के बजाय बेहतर विकल्प है। इसकी पुष्टि उस समय के संयुक्त सचिव (एमओएस) और सचिव (इस्पात) द्वारा की गई जिन्होंने इस एसपीयू को चलाने का कोई औचित्य नहीं पाया और भूमि और मशीनरी के निपटान के लिए और कार्मिकों की दूसरे संयंत्र/इकाईयों में तैनाती करने की तुरन्त कार्रवाई की इच्छा जताई। यद्यपि, प्रबंधन ने इस निर्णय (जनवरी 2016) को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

इस्पात मंत्रालय को अपने उत्तर में प्रबंधन जो कहा (जनवरी 2016) वह इस प्रकार है:

- (i) परियोजना तकनीकी रूप से संभव और वित्तीय रूप से व्यवहार्य था, और इसलिए कार्यान्वयन के लिए विचार किया गया,
- (ii) इकाई के चलाने और अनुरक्षित करने के लिए मत विचार (इओआई) आमंत्रित किया गया था और निविदा आमंत्रण अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद देखा जाएगा,
- (iii) एसपीयू को राज्य में, जहां कोई इस्पात संयंत्र नहीं था, वहां पर ग्रामीण लघु उपभोक्ताओं को इस्पात की आवश्यकताओं को पूरे करने के सामाजिक उद्देश्य से स्थापित की गई थी,

- (iv) विभिन्न समय पर सुरक्षा कार्य सहित विभिन्न गतिविधियां के लिए श्रमबल कार्य कर रहा था।
- (v) साईट पर ट्रांसफार्मर मिल चुके थे और उन्हें लगाया जाना था।

प्रबंधन का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि (i) एसपीयू व्यवहार्यता सकल लाभ पर आधारित थी जैसे निवल बिक्री वसूली¹ (-घटा) विनिर्माण लागत और विनिर्माण लागत में प्रशासनिक व्यय जैसे कार्यालय वेतन और अन्य कार्यालय व्यय शामिल नहीं होते। इससे अतिरिक्त, व्यवहार्यता रिपोर्ट के (2007) के अनुसार, जीसी शीट (₹ 39,259 की निर्माणकार्य लागत पर ₹ 591 प्रति टन) के उत्पादन में सकल लाभ बहुत कम था। केवल विनिर्माण लागत के आधार पर आंका गया कम सकल लाभ के आधार पर निवेश की वित्तीय व्यवहार्यता में उच्च जोखिम था विशेषतः तब जब प्रशासनिक व्यय संविभाजन की किसी गुंजाईश के बिना अपनाए जाने थे, (ii) बीएसएल प्रबंधन का निर्णय संयंत्र को अनुरक्षित और प्रचालित करने के लिए इओआई प्राप्त करने हेतु उस तथ्य से अलग था कि सेल बोर्ड (फरवरी 2014) और मंत्रालय (अप्रैल 2014) ने अवलोकन किया कि एसपीयू बाजार मूल्य के विपरीत उत्पादन की उच्चतर लागत के कारण व्यवहार्य नहीं थी, (iii) ग्रामीण लघु उपभोक्ताओं की मांग को उनके घर तक पूरा करने के सामाजिक उद्देश्य को नगण्य उत्पादन की वजह से उच्च उत्पादन लागत के कारण एसपीयू द्वारा पूरा नहीं किया जा सका, (iv) एसपीयू बेटिया में तैनात श्रमबल बिल्कुल निष्क्रिय थे क्योंकि उत्पादन निर्धारित क्षमता के एक प्रतिशत से कम थी और अन्य इस्पात संयंत्रों/इकाईयों में श्रमबल की पुनः तैनाती के लिए कोई कदम नहीं उठाये और (v) प्रबंधन ने ट्रांसफार्मर को बदलने और संस्थापन के लिए एक 1500 केवीए ट्रांसफार्मर के आदेश (जनवरी 2015) देने का निर्णय लेने में तीन वर्षों से भी अधिक वक्त लगाया। चूंकि जनवरी 2016 तक 5000 केवीए ट्रांसफार्मर को अभी भी नहीं बदला गया था, कम्पनी ₹ 5.36 लाख प्रति महीना की दर पर परिहार्य बीएसइबी जुर्माना उठाती रही।

इस प्रकार, सेमी को फिनिशड स्टील में परिवर्तन के लिए बेटिया में एक एसपीयू की स्थापना वित्तीय और वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था। परिणामस्वरूप, एसपीयू में ₹ 140.16 करोड़ का निवेश गैर-निष्पादित हो गया और एसपीयू के लिए विशिष्ट रूप से 137 अधिकारियों की नियुक्ति निष्फल हो गई।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

¹ निवल बिक्री वसूली = विक्रय मूल्य - विक्रय लाभ की लागत, यदि कोई है, भत्ते और कटौतियां।

5.4 परिहार्य व्यय

उक्त उद्देश्य के लिए इन हाऊस संगठन होने के बावजूद एक निजी फर्म से कोयला कोआर्डिनेशन की आऊट सोर्सिंग और सेवाएं प्राप्त करना आवश्यक नहीं था, और ₹ 1.96 करोड़ के वार्षिक औसत पर किया गया ₹ 14.35 करोड़ का व्यय परिहार्य था।

केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन, धनबाद (सीसीएसओ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल या कम्पनी) की एक सेवा इकाई है। सीसीएसओ अपने संयुक्त उद्यमों द्वारा लाये जा रहे विद्युत संयंत्र के साथ-साथ उनके विभिन्न स्थानों पर स्थित इस्पात संयंत्रों को स्वदेशी कोकिंग और बायलर कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायिकाओं के साथ नियमित सहयोग और संपर्क के लिए उत्तरदायी है। सीसीएसओ के मुख्य कार्यों में उचित नमूने और विश्लेषण के ज़रिए भराई बिंदुओं पर कोकिंग कोयले की गुणवत्ता का वास्तविक निर्धारण, कोल रेकों की लोडिंग और भारिता की निगरानी, कोयला कम्पनियों के साथ दीर्घावधि और लघुअवधि समझौतों को अंतिम रूप देना तथा कोयला कम्पनियों के साथ केंद्रीकृत भुगतान व समझौता करना शामिल है। वर्ष 2001 में बोकारो पावर सपलाई कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड (बीपीएससीएल) की सेल के बिजली के संयुक्त उद्यम के रूप में संस्थापना होने से लेकर सीसीएसओ ने नवम्बर 2007 तक जब सेल ने किसी निजी फर्म को इन सेवाओं के आऊटसोर्स के लिए बीपीएससीएल को अनुमत किया, तक बीपीएससीएल के लिए इन कार्यों को निष्पादित किया।

बीपीएससीएल बोकारो में कम्पनी की मौजूदा सीमित विद्युत उत्पादन उपयोज्यताओं के स्थानान्तरण द्वारा स्थापित की गई थी परन्तु विद्युत संयंत्र की कैप्टिव स्थिति को बनाये रखा गया अर्थात् सेल बीपीएससीएल द्वारा उत्पादित सारी विद्युत और भाप खरीदेगा। कम्पनी ने बीपीएससीएल के साथ सहभाजित सुविधाओं और सहायक सेवाएं समझौते (एसएफएसएस) पर भी हस्ताक्षर किये और इस समझौते की सारणी 3ए के अनुसार सीसीएसओ बीपीएससीएल को मुफ्त में सेवाएं प्रदान करेगा। चूँकि सीसीएसओ ये सेवाएं दे रहा था, एक निजी फर्म को ऐसा सहयोग और संपर्क सेवाओं के लिए आऊटसोर्स करना बीपीएससीएल को कोई प्रदर्शित मूल्य नहीं जोड़ पाया। इसलिए ₹ 1.96 करोड़ की एक वार्षिक औसत दर पर नवम्बर 2007 से मार्च 2015 तक व्यय किये गये ₹ 14.35 करोड़ का खर्च परिहार्य था।

मंत्रालय को अपने उत्तर में प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2016) कि (i) दिसम्बर 2006 में सेल/बीएसएल के स्थान पर बीपीएससीएल के नाम पर बायलर कोल लिंकेज को स्थानान्तरित कर दिया गया था; कोयले की खरीद सेल और बीपीएससीएल के बीच विद्युत

और भाप खरीद समझौते (पस्पा) में प्रावधानों के मद्देनजर बीपीएससीएल द्वारा अधिकार में ले लिया गया, और बीपीएससीएल बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, (ii) कुल कोयला आपूर्ति का 30-35 प्रतिशत गैर-परम्परागत स्रोतों से थी जबकि सीसीएसओ वहां स्थापित नहीं थी, (iii) बीपीएससीएल से जुड़ गैर-परंपरागत स्रोतों से कोल आपूर्ति हेतु ₹ 35 प्रति टन और परंपरागत स्रोतों से आपूर्ति पर ₹ 5 प्रति टन की कोयला प्रहस्तन लागत को देखते हुए, सेल को लगभग ₹ 18.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करने पड़ते और ₹ 4.15 करोड़ की बचत हो सकती थी।

प्रबंधन/ मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित तथ्यों के प्रति देखा जाना चाहिए:

- (i) एसएफएसएस के सारणी 3ए के अनुसार, बीपीएससीएल मुफ्त में बीपीएससीएल को कोयला लिंकेज के स्थानांतरण के बाद कोयला अपूर्ति समन्वय के लिए सीसीएसओ/सेल की सहायता अवश्य रूप से प्राप्त होगी, जब तक कि यह अपना कोई प्रबंधन नहीं कर लेता। सीसीएसओ उक्त प्रबंध के अंतर्गत प्रभार रहित बीपीएससीएल को और कोयला कंपनियों से कोयला समन्वय और संपर्क सहायता प्रदान करता था। कम्पनी और बीपीएससीएल के बीच पस्पा के अंतर्गत, उत्पादन के साथ-साथ आपूर्ति पर बीपीएससीएल द्वारा व्यय किये गये निर्धारित और मद प्रभारों की क्षतिपूर्ति के आधार पर संपूर्ण विद्युत और भाप की खरीद सेल करेगा। इसलिए, ऐसी सेवाओं की आऊटसोर्सिंग की लागत सीसीएसओ के व्यय में किसी संबंधित बचत के बिना बीपीएससीएल से खरीदी गई विद्युत की लागत में जुड़ जाएगी। बीपीएससीएल को सीसीएसओ से कोयला समन्वयन और संपर्क सहायता का स्थानांतरण बीएसएल से बीपीएससीएल तक कोयला लिंकेज के स्थानांतरण के लिए पूर्वापेक्षा नहीं थी। एसएफएसएस समझौते का पैराग्राफ 4.1 दर्शाता है कि बीपीएससीएल सेल की सहमति से अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता था। कम्पनी दामोदर वैली कार्पोरेशन के साथ बीपीएससीएल में 50:50 शेयरधारक हैं और उतने ही भाग में बीपीएससीएल के बोर्ड में अपने कार्यकारी नियुक्त करती हैं। अतः बीपीएससीएल बोर्ड में कम्पनी के कार्यकारियों को आऊटसोर्सिंग से लाभ के विपरीत सेल की अतिरिक्त लागत का मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। यद्यपि ऐसा नहीं किया गया। जैसाकि बीपीएससीएल द्वारा कहा गया था, इस निर्णय में कोई दाव नहीं था क्योंकि इसमें उनको कोई हानि नहीं थी क्योंकि आऊटसोर्सिंग की लागत सेल द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी थी। इसके अतिरिक्त, सीसीएसओ एक अन्य विद्युत संयुक्त उद्यम, एनएसपीसीएल को ये सेवाएँ देता रहा।

- (ii) 2008-15 की अवधि के दौरान बीपीएससीएल की कुल कोयला आपूर्ति परम्परागत से 7.36 मिलियन और गैर परंपरागत स्रोतों से 1.13 मिलियन टन कोयले (कुल आपूर्ति का 13.3 प्रतिशत) सहित 8.49 मिलियन टन कोयले की थी।
- (iii) 2008-09 सं. 2014-15 के दौरान सीसीएसओ में औसत कोयला प्रहस्तन लागत ₹ 34.68 प्रति टन थी, परंतु कर्मचारी लाभ इस लागत का 90 प्रतिशत था जो किसी भी स्थिति में सेल द्वारा वहन किया जाना था। सीसीएसओ ने 2001 में इसकी स्थापना से 2007 तक जब बीपीएससीएल ने एक निजी फर्म को नियुक्त किया है बीपीएससीएल को लजिस्टिकल सेवाएं प्रदान की है। बीपीएससीएल अतिरिक्त मुल्य या निजी कंपनी को साथ जोड़ने के कारण पर अपने प्रचालन में कुशलता के प्रमाण देने में विफल रही। वास्तव में, अपने प्रचालन की लागत केवल सेल के लिए विद्युत की उच्चतर खरीद लागत के कारण बढ़ गई। इसके अतिरिक्त, उत्तर में दावा की गई बचत तथ्यों पर आधारित नहीं है।

इस प्रकार, उक्त उद्देश्य के लिए इन-हाऊस संगठन होने के बावजूद एक निजी फर्म से कोयला सहयोग और संपर्क सेवाएं आऊटसोर्स करना आवश्यक नहीं था, और वार्षिक औसत दर पर व्यय किये गये ₹ 1.96 करोड़ के हिसाब से ₹ 14.35 करोड़ का व्यय परिहार्य था।

अध्याय VI- लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सीपीएसईज द्वारा वसूलियाँ, सुधार/परिशोधन

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

6.1 लेखापरीक्षा के अनुरोध पर वसूलियाँ

03 सीपीएसईस से संबंधित 6 मामलों में, लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि वसूली के लिए ₹ 6.91 करोड़ की राशि देय थी। सीपीएसईज के प्रबंधन ने परिशिष्ट-I में दिये गये विवरण के अनुसार 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 6.38 करोड़ (92 प्रतिशत) की वसूली की थी।

नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनैस और डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल शैड्यूल्ड कास्ट्स फाइनैस और डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन

6.2 लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सुधार/परिशोधन

नमूना जांच के दौरान, नियमों/विनियमों के उल्लंघन, दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने से संबंधित मामले पाये गये और प्रबंधन के ध्यान में लाये गये। उन मामलों का विवरण जहां लेखापरीक्षा के अनुरोध पर प्रबंधन द्वारा अपने नियम/विनियमों आदि में परिवर्तन किये गये थे, परिशिष्ट-II में दिया गया है।

अध्याय VII

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीपीएसईज के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अनुरक्षित लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी से उचित तथा समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो।


लोकसभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से संसद भवन के दोनों सदनों में प्रस्तुत सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकन पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा द्वारा पूर्णतः पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जुलाई 1985)। ऐसी टिप्पणियों को पैराग्राफ/मूल्यांकन के संबंध में ही प्रस्तुत किया जाना था जिसे विस्तृत जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा चयन नहीं किया गया था। कोपू ने उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए अपनी दूसरी प्रतिवेदन (1998-99-बारहवीं लोकसभा) में सिफारिश किया कि:

- अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी (एसटीएन) प्रस्तुत करने की निगरानी हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी से बनाया जाए;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत कई पीएसयूज से संबंधित पैरा वाली प्रतिवेदनों के संबंध में एटीएन की प्रस्तुति की निगरानी हेतु सार्वजनिक इंटरप्राइजेज विभाग (डीपीई) एक निगरानी से बनाया जाए; और
- संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुति की तिथि से छः महीनों के भीतर संसद में प्रस्तुत सीएजी की सभी प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पूर्णतः पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन समिति को प्रस्तुत किया जाए।

सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में आगामी तीन माह के भीतर सीएजी के लेखापरीक्षा पैरा पर लंबित एटीएन/एटीआर तथा रीएसी की सिफारिशों को निपटाने का विशेष प्रयास करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय से अवगत कराते हुए (जुलाई 2010), वित्त मंत्रालय ने भविष्य में विस्तृत कार्रवाई करने हेतु संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

उपरोक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए सीओपीयू ने अपने पहले प्रतिवेदन (1999-2000 तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्व सिफारिशों पर जोर दिया कि अलग-अलग उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित आपत्तियों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी हेतु डीपीई को स्वयं एक अलग निगरानी तंत्र बनाना चाहिए। डीपीई ने बताया (मार्च 2015) कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन प्रस्तुतीकरण पर अनुवर्ती निगरानी हेतु एक अलग निगरानी सेल बनाया गया था। डीपीई ने यह भी बताया कि उन्होंने संबंधित सीपीएसईज के क्षेत्राधिकार वाले सभी विभागों से भी अपने विभाग में निगरानी सेल स्थापित करने का अनुरोध किया था।

लेखापरीक्षा में एक समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद भी विभिन्न मंत्रालयों से 30 एटीएन प्रतिक्षित हैं, जैसा कि परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है।



(प्रसेनजीत मुखर्जी)

नई दिल्ली

दिनांक : 23 मई 2016

उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्ष,
लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली

दिनांक : 23 मई 2016

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट
एवं
अनुबंध

परिशिष्ट-I

(पैरा 6.1 में संदर्भित)

2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा होने पर वसूलियां

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूली की राशि	प्रबंधन द्वारा वसूली गई राशि
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	अहमदाबाद में गैस उपभोक्ता से बकाया राशि की वसूली न होना	64.70	64.70
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	अहमदाबाद एसेट (नौ) में कर्मचारियों से विदेशी यात्राभत्ता (एफटीए) में अनियमित भुगतानों का गैर बकाया प्रतिदाय	1.91	1.91
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	ठेकेदारों से निर्णित हर्जानों का गैर बकाया प्रतिदाय	2.14	2.14
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	संशोधित दरों पर ओएनजीसी के अंकलेश्वर के कॉलोनी निवासियों से बिजली प्रभारों की गैर-वसूली, जो कि पहले फ्लैट दर पर प्रभारित किये जा रहे थे।	83.52	83.52

2016 की प्रतिवेदन संख्या 15 (खण्ड II)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ठेकेदार को अधिक भुगतान	518.00	465.00
शहरी विकास	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन्स कार्पोरेशन लिमिटेड	‘मेडीकल कॉलेज मेवात’ के कार्यान्वयन के दौरान, एनबीसीसी ने ठेकेदारी प्रावधानों के उल्लंघन में ठेकेदार को अधिक राशि अदा की।	20.36	20.35
		कुल	690.63	637.62

परिशिष्ट-II

(पैरा 6.2 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सुधार/परिशोधन

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन/सुझाव	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	भारत सरकार/डीपीई के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए अवकाश नकदीकरण हेतु 300 दिनों की कुल सीमा की कमी की पूर्ति करने के लिए एचपीएल का गैर-नकदीकरण	प्रबंधन ने अपने अवकाश नियमों में संशोधन किया
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	गैर-उपयोगिता प्रभारों और निर्णित हर्जानों का उद्ग्रहण और उसको छोड़ना	प्रबंधन ने गैर-उपयोगिता प्रभारों और निर्णित हर्जानों के उद्ग्रहण हेतु अपनी नीति को संशोधित किया।

परिशिष्ट-III

(संदर्भ अध्याय VII)

2015 तक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वाणिज्यिक) का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा जिसके लिए की गई कार्रवाई टिप्पणी लंबित है

रिपोर्ट की सं. एवं वर्ष	रिपोर्ट के नाम	पैरा संख्या
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
6 से 2015	आपूर्ति एवं प्राकृतिक गैस के लिए बुनियादी ढांचा विकास पर निष्पादन लेखापरीक्षा	स्टैंडअलोन रिपोर्ट
21 से 2015	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12 और 8.1 (6 कंपनियां)
8 से 2012-13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.6
13 से 2013	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.4 और 12.1
13 से 2014	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.1, 11.4 और 13.1
जहाजरानी मंत्रालय		
13 से 2014	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 16.3
इस्पात मंत्रालय		
10 से 2015	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की क्षमता विस्तार पर निष्पादन लेखापरीक्षा	स्टैंडअलोन रिपोर्ट
21 से 2015	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 और 5.6
13 से 2013	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 14.3
13 से 2014	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 17.1
वस्त्र मंत्रालय		

21 से 2015	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.1
जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		
21 से 2015	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1

अनुबंध-I
(संदर्भ पैराग्राफ 1.2.1)

आईओसीएल का पाइपलाइन नेटवर्क

क्र. सं.	पाइपलाइन	लंबाई (किमी)
क.	उत्पाद पाइपलाइन	
1	कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन (केएपीएल)	116
2	कोयली सांगानेर पाइपलाइन (केएसपीएल)	1287
3	कोयली रतलाम पाइपलाइन (केआरपीएल)	265
4	कोयली दाहेज पाइपलाइन (केडीपीएल)	197
5	बरौनी कानपुर पाइपलाइन (बीकेपीएल)	745
6	हल्दिया मौरीग्राम राजबंद पाइपलाइन (एचआरपीएल)	277
7	हल्दिया बरौनी पाइपलाइन (एचबीपीएल)	526
8	गुवाहाटी सिलीगुडी पाइपलाइन (जीएसपीएल)	435
9	पानीपत भटिंडा पाइपलाइन (पीबीपीएल)	219
10	पानीपत रेवाड़ी पाइपलाइन (पीआरपीएल)	155
11	पानीपत अंबाला जालंधर पाइपलाइन (पीएजेपीएल)	434
12	पानीपत दिल्ली पाइपलाइन (पीडीपीएल)	189
13	पानीपत जालंधर एलपीजी पाइपलाइन (पीजेपीएल)	274
14	बिजवासन पानीपत पाइपलाइन (बीपीपीएल)	111
15	मथुरा दिल्ली पाइपलाइन (एमडीपीएल)	147
16	मथुरा टुंडला पाइपलाइन (एमटीपीएल)	56
17	मथुरा भरतपुर पाइपलाइन (एमबीपीएल)	21
18	चेन्नई त्रिची मद्रुरै पाइपलाइन (सीटीएमपीएल)	683
19	चेन्नई बंगलोर पाइपलाइन (सीबीपीएल)	290
20	चेन्नई मीनमबाक्कम एटीएफ पाइपलाइन (सीएमपीएल)	95
21	डिगबोई तिनसुकिया पाइपलाइन (डीटीपीएल)	75

22	देवंगोठी देवनहल्ली पाइपलाइन (डीडीपीएल)	36
ख.	कच्चे तेल की पाइपलाइन	
1	सलाया मथुरा पाइपलाइन (एसएमपीएल)	1870
2	मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन (एमपीपीएल)	1194
3	पारादीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन (पीएचबीपीएल)	1384
ग.	गैस पाइपलाइन	
1	दादरी पानीपत आर एलएनजी पाइपलाइन (डीपीपीएल)	140
	कुल	11221

अनुबंध-II
(संदर्भ पैरा 1.2.1)

गैस की पाइपलाइन नेटवर्क

क्र. सं.	पाइपलाइन	लंबाई (किमी)
क.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों/नेटवर्क	
1	एचवीजे-जीआरईपी-डीवीपीएल	4659
2	जीआरईपी डीवीपीएल अपग्रेडेशन	1119
3	डीयूपीएल-डीपीपीएल	875
4	त्रिपुरा क्षेत्र	61
5	गुजरात क्षेत्र	671
6	मुंबई क्षेत्र	129
7	कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र	881
8	कावेरी बेसिन क्षेत्र	278
9	असम क्षेत्र	8
10	दादरी बवाना नांगल पाइपलाइन (डीबीएनपीएल)	265
11	चेंसा झज्जर हिसार पाइपलाइन (सीजेएचपीएल)	835
12	दाभोल-बेंगलुरु पाइपलाइन (डीबीपीएल)	1004
13	कोच्चि - कोट्टानाड - बंगलौर - मंगलौर पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल)	41
14	जैसेलमेर क्षेत्र	151
ख.	रसोई गैस पाइपलाइन	
15	जामनगर-लोनी पाइपलाइन (जेएलपीएल)	1414
16	विजाग-सिकंदराबाद पाइपलाइन (वीएसपीएल)	618
	कुल	13009

अनुबंध-III
 {(संदर्भ पैरा 1.2 4.1 (II)(ख)}

क. ओआईएसडी-एसटीडी-141 का उल्लंघन

क्र.सं.	पाइपलाइन	चालू	आईपीएस आयोजित
	कुरुक्षेत्र-रुड़की-नजीबाबाद एमजेपीएल की धारा	2003	आयोजित नहीं
	बरौनी-पटना उत्पाद पाइपलाइन	2003	
	पानीपत-रेवाड़ी उत्पाद पाइपलाइन	2004	
	आसनूर-त्रिची धारा	2005	
	त्रिची-मदुरै धारा	2005	
	आसनूर-सांकरी धारा	2005	
	चेन्नई आसनूर धारा	2005	
	केएसपीएल की बाघसुरी-सांगानेर धारा	2005	

ख. ओआईएसडी-एसटीडी-139 का उल्लंघन

क्र.सं.	पाइपलाइन	आईपीएस बाकी	आयोजित पिछला आईपीएस
1.	पीएचबीपीएल के पारादीप अपतटीय अनुभाग	2013	आयोजित नहीं
2.	एसएमपीएल के अपतटीय पाइपलाइन	2014	आयोजित नहीं

ग. आईपीएस रोलिंग योजना का उल्लंघन

क्र.सं.	पाइपलाइन	आईपीएस योजना	आईपीएस आयोजित
1.	पानीपत-जालंधर एलपीजी पाइपलाइन	2014-15	निविदाकर/ प्रस्तावस्तर पर
2.	बीकेपीएल (ओल्ड)		
3.	केएसपीएल की लसरिया-चित्तौड़गढ़ खंड		
4.	पीएजेपीएल के पानीपत-अंबाला		
5.	पीडीपीएल की डीपी धारा		
6.	एमडीपीएल	2013-14	2014-15
7.	एमटीपीएल		
8.	पीएचबीपीएल की धारा एचबी		2015-16
9.	एचबी धारा - लूप लाइनों		2015-16
10.	केएसपीएल की धारा वी.एस.		2014-15
11.	केएसपीएल के एसएस धारा		
12.	एसएमपीएल की वीएम लूप लाइनों		
13.	एसएमपीएल की सी.पी. धारा		
14.	एसएमपीएल की धारा एसवी		
15.	एसएमपीएल की एसवी लूप लाइनों		
16.	एसएमपीएल की धारा वीके		
17.	एमपीपीएल की मुंद्रा-चुरवा धारा		

अनुबंध-IV
(पैरा 1.3.1 देखें)

मार्च 2015 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान यूपीपीसी तथा पीएनसीपी के मुख्य वित्तीय बिन्दुओं को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

यूपीपीसी					
विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बिक्रियों तथा अन्य आय	3748.05	4270.60	4867.36	6022.72	6178.89
व्यय	2314.01	2663.99	3001.39	4436.04	5538.75
लाभ	1434.04	1606.61	1865.97	1586.68	640.14
पीएनसीपी					
बीडी को हस्तांतरित मात्रा एमटी में	419479	903103	1286812	1618649	1627739
बिक्रियों (आरटीपी पर बीडी को हस्तांतरित)	2184.16	5627.13	8922.25	11553.33	12870.37
अन्य राजस्व	90.44	445.47	779.07	1225.14	1283.75
व्यय	4115.84	7272.32	10551.73	12934.07	12807.01
लाभ/(हानी)	(-) 1841.24	(-) 1199.72	(-) 850.41	(-) 155.60	1347.10
व्यवसाय विकास का वित्तीय निष्पादन ¹ (पीएनसीपी से उत्पादित पेट्रोकेमिकल उत्पादों के संबंध में)					
बेची गई मात्रा (एमटी)	367421	907111	1250473	1431541	1652821
बिक्रियाँ	2375.62	7030.83	10958.6	14638.73	16984.06
लाभ/(हानी)	189.65	406.39	666.37	761.37	1130.10

¹ विपणन हेतु रिफाइनरी अन्तरण मूल्य पर व्यवसाय विकास डिवीजन को हस्तांतरित उत्पाद

अनुबंध-V
(पैरा 1.3.3.1(I)क देखें)

2014-15 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए यूपीपीसी की जीसीयू (एथिलीन उत्पादन) तथा पॉलीमर इकाइयों के क्षमता उपयोग को दर्शाता विवरण

ईकाइयों का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता ² (एमटीपीए)	प्रतिष्ठापित क्षमता की प्रतिशतता के रूप में क्षमता				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अपस्ट्रीम में इथाईलीन उत्पादन इकाई						
गैस क्रैकर ईकाई (जीसीयू)	4,00,000 (2009-10) 4,40,000 (2010-11 to 2011-12) 4,46,000 (2012-13 to 2014-15)	104	104	101	101	103
डाऊनस्ट्रीम में पालीमर उत्पादन इकाई						
एचडीपीई I एवं II	2,00,000	102	109	113	111	120
LLDPE/HDPE SWING	2,10,000	101	106	100	102	101

अनुबंध-VI
(पैरा 1.3.3.1(I)ख देखें)

पीएनसीपी में उर्जा तथा भाप क्षमता के क्षमता उपयोग को दर्शाता विवरण

उर्जा (के डब्ल्यू)		2012-13	2013-14	2014-15
		प्रतिष्ठापित क्षमता	2087946000	2087946000
उत्पादन	उत्पादन	1052505329	1088715610	1119594900
	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)	50	52	54
भाप (एमटी)	प्रतिष्ठापित क्षमता	11282880	11282880	11282880
	उत्पादन	4178379	3938894	4116809
	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)	37	35	36

² मैट्रिक टन प्रति वर्ष

अनुबंधन VII
(पैरा 1.3.3.1(III)क देखें)

अभिकल्पित मानकों की तुलना में पीएनसीपी में वास्तविक प्राप्ति को दर्शाता विवरण

(आंकड़े एमटी में)

फीडस्टॉक	2012-13			2014-15		
	एथिलीन का पीवाईपीएस उत्पादन (प्रतिशत)	क्रेक किये गए इनपुट	अभिकल्पना के अनुसार उत्पादित की जाने वाली एथिलीन	एथिलीन का पीवाईपीएस उत्पादन (प्रतिशत)	क्रेक किये गए इनपुट	अभिकल्पना के अनुसार उत्पादित की जाने वाली एथिलीन
1	2	3	4=(3*2/100)	5	6	7=(6*5/100)
नाफथा	23.80	2036816	485597	24.30	2818286	686202
एफसीसी इकाई से सी3	0.10	74060	104	0.20	90924	141
एचडीपीई पुनर्चक्र	0	2861	0	0	2406	0
स्विंग पुनर्चक्र	25.00	16302	4076	25.00	18313	45.78
पीपी पुनर्चक्र	0	13686	0	0	16918	0
पुनर्चक्रित इथेन	52.60	143557	75553	53.00	177636	94082
पुनर्चक्रित प्रोपेन	35.20	55680	19622	36.80	54767	20169
पुनर्चक्रित सी4	19.00	128686	24493	19.10	117547	22489
पुनर्चक्रित सी5	24.61	165273	40674	24.30	90930	22051
पुनर्चक्रित सी6	30.52	126043	38468	31.30	95996	30005
अभिकल्पना के अनुसार उत्पादित की जाने वाली एथिलीन			688587			879716
वास्तव में उत्पादित एथिलीन			686997			876323
उत्पादित एथिलीन की कमी			1590			3393
एथिलीन का मूल्य ₹/एमटी में			70226			79086 ³
एथिलीन की हानि (₹ करोड़ में)			11.17			26.83

³ वर्ष 2014-15 के लिए आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण 2013-14 के लिए मूल्य पर आधारित अस्थाई आंकड़ा

2016 की प्रतिवेदन संख्या 15 (खण्ड II)

वर्ष 2012-13 तथा 2014-15 के लिए इथाइलीन की कुल हानि (₹ करोड़ में)						38.00
फीडस्टॉक	2012-13			2013-14		
	एथिलीन का पीवाईपीएस उत्पादन (प्रतिशत)	क्रेक किये गए इनपुट	अभिकल्पना के अनुसार उत्पादित की जाने वाली एथिलीन	एथिलीन का पीवाईपीएस उत्पादन (प्रतिशत)	क्रेक किये गए इनपुट	अभिकल्पना के अनुसार उत्पादित की जाने वाली एथिलीन
1	2	3	4=(3*2/100)	5	6	7=(6*5/100)
नाफथा	16.23	2036816	330650	16.20	2360714	382856
एफसीसी इकाई से सी3	62.00	74060	45917	65.00	83102	54016
एचडीपीई पुनर्चक्र	0	2861	0	0	3207	0
स्विंग पुनर्चक्र	0	16302	0	0	16166	0
पीपी पुनर्चक्र	94.88	13686	12985	94.90	15515	14721
पुनर्चक्रित इथेन	0.98	143557	1412	1.00	163025	1672
पुनर्चक्रित प्रोपेन	10.30	55680	5759	10.10	54567	5525
पुनर्चक्रित सी4	19.37	128686	24926	19.30	109549	21091
पुनर्चक्रित सी5	16.50	165273	27313	16.30	107062	17402
पुनर्चक्रित सी6	18.60	126043	23477	17.90	108478	19370
अभिकल्पना के अनुसार उत्पादित की जाने वाली एथिलीन			472440			516653
वास्तव में उत्पादित एथिलीन			469557			512644
उत्पादित एथिलीन की कमी			2883			4009
एथिलीन का मुल्य ₹/एमटी में			72333			78990
एथिलीन की हानि (₹ करोड़ में)			20.85			31.67
वर्ष 2012-13 तथा 2014-15 के लिए एथिलीन की कुल हानि (₹ करोड़ में)						52.52
उत्पादन में कमी के कारण एथिलीन और प्रोपिलीन की कुल हानि (₹ करोड़ में)						90.52

अनुबन्ध-VIII

(पैरा 1.3.3.1(III) ख देखें)

पीएनसीपी की एचडीपीई इकाई में हैक्सेन की अधिक खपत को दर्शाता विवरण

वर्ष	हैक्सेन की अभिकल्पित खपत (क्रिगा/एम टी)	हैक्सेन की निवल खपत (क्रिगा/एम टी)	हैक्सेन की अधिक खपत (क्रिगा/एम टी)	एचडीपीई उत्पादन एमटी में	खपत की गई अधिक हैक्सेन क्रिगा	अधिक हैक्सेन एमटी में	हैक्सेन का मूल्य (₹ प्रति एमटी में)	उत्पादन की लागत में वृद्धि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)	(5)	(6)= (4x5)	(7)= (6/1000)	(8)	(9)= (7x8/ करोड़)
2012-13	9.87	11.20	1.33	235278	312920	312.92	43312.12	1.36
2013-14	9.87	11.50	1.63	273365	445585	445.58	68330.72	3.04
2014-15	9.87	14.40	4.53	306040	1386361	1386.36	86747.00	12.03
कुल								16.43

अनुबन्ध-IX

(पैरा 1.3.3.1(III) ग देखें)

पीएनसीपी की एनसीयू में 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए अभिकल्पित मानक से अतिरिक्त भाप की खपत को दर्शाता विवरण

(आंकड़े एमटी में)

वर्ष	एनसीयू का प्रचालन समय	वर्ष के दौरान अभिकल्पित मानक से अधिक में भाप की खपत (एमटी)	भाप की दर (₹/एमटी)	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3=(14 एमटी/घण्टा ⁴ क्र 2))	4	5=(3*4)
2012-13	8236	115304	3451	39.79
2013-14	8401	117614	4124	48.50
2014-15	8758	122612	4124 ⁵	50.56
अभिकल्पित मानक से अतिरिक्त भाप की अधिक खपत के कारण अन्तिम उत्पाद के उत्पादन की लागत में वृद्धि				138.85

⁴ सीजीसी में खपत की गई अधिक भाप @ 14 एमटी/घण्टा

⁵ वर्ष 2014-15 के लिए आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण 2013-14 के लिए कमित पर आधारित अन्तिम आंकड़े

अनुबन्ध-X

{(पैरा 1.3.3.2. (III) देखें)

परियोजना कार्यक्रम, प्रदान किये गए मुख्य कार्य आदेश परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति, चूक तथा उनके कारणों के विवरणों को दर्शाता विवरण (विजय पुर में परियोजना)

क्र. सं.	कार्य	ठेकेदार	प्रदान करने की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ करोड़ में)	पूर्णता की निर्धारित तिथि	पूर्णत की वास्तविक/अनुमानित तिथि	विलम्ब महीनों में	कारण
1	इकाईयों का संयुक्त कार्य- जीएसयू जीपीयू का निर्माण एवं संरचना	ओयल	मई 2012	156.90	नवम्बर 2013	मार्च 2015	16	श्रमबल, मशीनरी का अपर्याप्त परिनियोजन, उप-ठेकेदारों को विलम्बित भुगतान, विसंवाहन एवं सरचनात्मक कार्य की विलम्बित शुरुआत, दैनिक उपभोज्यों की अनुपलब्धता के कारण रूकावटें
2	जीएसयू तथा जीपीयू का सिविल, संरचनात्मक तथा यूजी पाईपिंग कार्य	बीआई एसआई एल	मई 2011	48.66	नवम्बर 2012	जनवरी 2014	14	
3	सिविल एवं संरचनात्मक कार्य-जीएसयू तथा जीपीयू का IV	यूबीई	जून 2011	34.54	अक्टूबर 2012	जनवरी 2014	16	
4	सरचनात्मक कार्य-जीएसयू तथा जीपीयू का V	यूबीई	दिसम्बर 2011	8.64	दिसम्बर 2012	सितम्बर 2013	9	
5	सिविल, संरचनात्मक कार्य-II-सेवाएँ	एचडीओ एल	फरवरी 2011	73.90	जून 2012	फरवरी 2015	32	
6	संयंत्र/गैर-संयंत्र भव निर्माण कार्य	एचडीओ एल	मार्च 2011	36.40	मई 2012	दिसम्बर 2014	32	
7	भवन निर्माण कार्य-II	वीआरजी	दिसम्बर 2011	9.30	अगस्त 2012	जनवरी 2014	17	
8	इलैक्ट्रीकल एवं	एलमे-	जुलाई	7.40	नवम्बर 2013	सितम्बर 2014	10	

2016 की प्रतिवेदन संख्या 15 (खण्ड II)

	यंत्रीकरण कार्य	टिक्स	2013					
9	मैकेनिकल कार्य	टीईटल	सितम्बर 2013	7.40	जनवरी 2014	फरवरी 2015	13	
10	संयुक्त कार्य--III (एलपीजी-I एवं II क्षेत्र)	ऑयल	अक्टूबर 2012	7.40	जून 2013	जुलाई 2015	26	
11	संयुक्त कार्य-IV (कम्प्रेसर क्षेत्र)	बी एवं आर	अक्टूबर 2012	6.50	जून 2013	मार्च 2015	21	

अनुबंध-XI

{(पैरा 1.3.3.2.(I) देखें)}

विभिन्न कार्यों, मूल्य, निर्धारित पूर्णता, वास्तविक पूर्णता तथा यूपीपीसी विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्बों का ब्यौरा

क्रम सं.	कार्य	ठेकेदार	देने की तिथि	कार्य का मूल्य (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि /प्रास्थिति	विलम्ब (माह में)
1	सिविल, स्ट्रक्चरल एवं यूजी पाइपिंग कार्य-ऑफ साइट	बंसल इन्फ्राटेक	मई-11	67.09	अक्टूबर-12	फरवरी-14	16
2	कच्चा पानी तथा फायर वाटर के लिए भण्डारण ग्रह का निर्माण	आईवीआरसी एल	जून-11	35.97	अगस्त-12	चल रही है (जून 2015 को)	34
3	जीसीयू के लिए स्ट्रक्चरल स्टील कार्य	यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड	सितम्बर-11	37.80	दिसम्बर-12	फरवरी-14	14
4	यूटिलिटी बायोलर	थर्मैक्स	सितम्बर-11	104.90	मार्च-13	जुलाई-14	15
5	एकल प्वाइंट उत्तरदायित्व विक्रेता के साथ टर्न की आधार पर हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर (एचआरएसजी)	थर्मैक्स	अगस्त-11	118.60	फरवरी -13	फरवरी-14	11
6	पाटा-II के लिए जीपीयू यूनिट हेतु सिविल एवं स्ट्रक्चरल कार्य	वीवी कन्सट्रक्शन	सितम्बर-11	28.48	दिसम्बर-12	जनवरी-14	14
7	डाउनस्ट्रीम यूनिटो एलएलडीपीई/एचडीपीई के लिए सिविल स्ट्रक्चरल कार्य	बंसल इन्फ्राटेक	दिसम्बर-11	63.68	अप्रैल-13	दिसम्बर-14	18
8	एलएलडीपीई/एचडीपीई (स्विंग यूनिट) एवं बुटेन-1 का कम्पोजिट कार्य	अफशोर इन्फ्राक्चर लि.	अप्रैल-12	64.66	दिसम्बर-13	मार्च-15	14
9	कच्चा पानी ट्रीटमेंट संयंत्र	लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विस	जून-12	30.40	जुलाई-13	चल रही है (जून 2015 तक)	23

अनुबंध-XII

(पैरा 1.4 देखें)

एमआर द्वारा कुल समग्र उत्पादन और डीजल का कुल उत्पादन दर्शाता विवरण

वर्ष	एमआर का कुल उत्पादन (एमएमटी में)	एमआर द्वारा डीजल का उत्पादन		एमआर* द्वारा अन्य उत्पादों का उत्पादन	
	(एमएमटी में)	(एमएमटी में)	(प्रतिशत में)	(एमएमटी में)	(प्रतिशत में)
2009-10	6.97	2.21	31.71	4.76	68.29
2010-11	6.65	1.90	28.57	4.75	71.43
2011-12	7.52	1.98	26.33	5.54	73.67
2012-13	7.75	2.20	28.39	5.55	71.61
2013-14	7.76	2.23	28.74	5.53	71.26
2014-15	7.50	2.50	33.00	5.00	67.00

- मध्यवर्ती स्टॉक अन्तर और ईंधन एवं हानि (स्रोत: एचपीसीएल की वार्षिक रिपोर्ट)

एमआर में उत्पादित यूरो-III/यूरो IV डीजल एवं कुल डीजल दर्शाती तालिका

(टीएमटी में उत्पादन आंकड़ें)

वर्ष/उत्पाद	2013-14 (नवम्बर 13 से मार्च 14)*	2014-15 (अप्रैल 14 से मार्च 15)	2015-16 (अप्रैल 15 से अगस्त 15)
हाई फ्लैश डीजल	31.40	64.80	40.30
यूरो III डीजल	935.00	2111.50	723.70
यूरो IV डीजल	0.00	364.20	134.70
डीजल का कुल उत्पादन	966.40	2540.50	898.70
एमआर में कुल डीजल उत्पादन की तुलना में यूरो - III डीजल की प्रतिशतता	96.75%	83.11%	80.53%
एमआर में कुल डीजल उत्पादन की तुलना में यूरो IV डीजल की प्रतिशतता	0.00	14.34%	14.99%

*डीएचटी नवम्बर 2013 में संस्थापित किया गया था।

अनुबंध -XIII
(पैरा 1.5 देखें)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	दत्त पीआरपी	पीबीटी पर पीआरपी की प्रभावी दर (प्रतिशत)	गैर कोर कारोबार से राजस्व	दत्त अधिक पीआरपी
2012-13	5647.80	169.30	3.00	1398.00	41.94
2013-14	8179.00	399.96	4.89	1400.12	68.46
जोड़	13826.8	569.26		2798.12	110.40

अनुबंध-XIV

(पैरा 1.7.4.3 क देखें)

केजी डीडब्ल्यूएन 98/2 में की गई खोज के मूल्यांकन में विलम्ब

क्र. सं.	खोज			मूल्यांकन अवधि समाप्ति		पू्रिंग के कारण अनुमत मूल्यांकन अवधि		मूल्यांकन कार्यक्रम प्रस्तुति		
	नाम	प्रकार	अधिसूचना तिथि	पीएससी के अनुसार तिथि	पू्रिंग से अनुमत	महीने में	वर्ष में	देय तिथि	वास्तविक	विलम्ब वर्ष/महीने
1	अन्नपुरा	गैस	18.07.2001	18.07.2004	16.07.2010	84	7 वर्ष	17.07.2002	सीईआईएल ने अप्रैसल कुरं को ड्रिल किया किन्तु जांच नहीं की	लागू नहीं
2	कनकदुर्गा	तेल एवं गैस	12.10.2001	12.06.2004	16.07.2010	81	6 वर्ष 9 महीने	11.02.2002	जी2पी1-1, 10.12.2009	7 वर्ष 10 महीने
3	पदमावती	तेल एवं गैस	16.11.2001	16.07.2004	16.07.2010	81	6 वर्ष 9 महीने	17.03.2002	एम2, 10.12.2009	7 वर्ष 9 महीने

2016 की प्रतिवेदन संख्या 15 (खण्ड II)

4	यू-1	गैस	25.01.2006	25.01.2009	16.07.2010	54	4 वर्ष 6 महीने	24.01.2007	यू-2 को 10.12.2009	2 वर्ष 11 महीने
5	ए-1	गैस	25.01.2006	25.01.2009	16.07.2010	54	4 वर्ष 6 महीने	24.01.2007	ए2 - 23.08.12	5 वर्ष 7 महीने
6	डब्ल्यू-1	गैस	12.04.2006	12.04.2009	16.07.2010	51	4 वर्ष 3 महीने	11.04.2007		
7	ई-1	गैस	02.05.2006	01.05.2010	16.07.2010	50	4 वर्ष 2 महीने	01.05.2007		
8	डी-1	गैस	17.05.2006	16.05.2010	16.07.2010	50	4 वर्ष 2 महीने	16.05.2007		

स्थगन 2003-04 और 2004-05 के दौरान था, जेकि केवल पहली तीन खोजों के संबंध में मूल्यांकन अवधि की गणना के लिए विचार में लिया गया था।

अनुबंध- XV
 {{पैरा 1.8.2.1(I) देखें}}

ड्रिलिंग क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति

क्रम सं.	ब्लॉक का नाम	स्थान/कुएँ का नाम	प्रभावी तिथि	ब्लॉक से मांगपत्र प्राप्त होने की तिथि	भूमि अधिग्रहण के प्रारंभ की तिथि	लिए गए दिन {{(6)-(5)}}	एलएक्यू पूर्ण होने की तिथि	लिए गए दिन {{(8)-(6)}}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बोकारो	बीकेएए	21.02.2003	04.07.2003	15-07-2003	11	08.04.2004	268
2.		बीकेएबी	21.02.2003	11.02.2003	26-02-2003	15	01.04.2005	765
3.		बीकेएसी	21.02.2003	26.04.2006	14.10.2006	171	18.02.2009	858
4.		बीकेएडी	21.02.2003	26.04.2006	16-10-2006	173	04.06.2009	962
5.		बीकेएई	21.02.2003	26.04.2006	16-10-2006	173	26-05-2008	588
6.		बीकेएएफ	21.02.2003	26.04.2006	18.09.2006	145	09.08.2010	1421
7.		बीकेएएच (एस)	21.02.2003	26.04.2006	16-10-2006	173	18-02-2009	856
8.		बीकेएआई	21.02.2003	26.04.2006	16-10-2006	173	21-10-2009	1101
9.		बीकेएजे	21.02.2003	26.04.2006	16.10.2006	173	25.05.2007	221
10.		बीकेएके	21.02.2003	26.04.2006	12.06.2006	47	26.04.2008	684
11.		बीकेएएल	21.02.2003	26.04.2006	06.12.2006	224	06.05.2009	882
12.	झरिया	जेएचआई	28.08.2003	06.02.2004	28.09.2005	600	25.07.2007	665
13.		जेएचएएन	28.08.2003	17.05.2005	27-06-2005	41	01.03.2006	247
14.		जेएचएओ	28.08.2003	20.07.2005	26-08-2005	37	02.06.2006	280
15.		जेएचएपी	28.08.2003	18.04.2008	01.10.2008	166	26-11-2010	786
16.		जेएचएक्यू	28.08.2003	11.11.2010	23.11.2010	12	13.04.2011	141
17.	उत्तरी करनपूरा	एनकेएए	21.02.2003	25.08.2003	07.09.2003	13	11.03.2005	551
18.		एनकेएबी	21.02.2003	25.08.2003	07.09.2003	13	26-2-2005	538
19.		एनकेएएफ	21.02.2003	18.02.2008	22.02.2008	04	09.07.2009	503
20.		एनकेएजी	21.02.2003	18.02.2008	30.07.2008	163	09.07.2009	344
21.	रानीगंज	आरएनएए	09.06.2004	27.11.2006	17.01.2007	51	22.05.2007	125
22.		आरएनएबी	09.06.2004	24.06.2009	21-06-2010	362	18-05-2011	331
23.		आरएनएसी	09.06.2004	27.08.2009	27.08.2009	00	09.11.2010	439

अनुबंध -XVI

{(पैरा 1.8.2.1(III) देखें)}

विभागीय रिग की परिहार्य आइडलिंग

कुआं	समापन वर्ष	तैयार स्थल की प्रतीक्षा	लॉजिस्टिक हेतु प्रतीक्षा	कुल प्रतीक्षित दिन	प्रति दिन की रिग लागत (₹ लाख में)	कुल प्रतीक्षित लागत (₹ लाख में)
बीकेएए	2005-06	17	30	47	2.94	138.18
जेएचएएन	2006-07	85	0	85	2.73	232.05
जेएचएओ	2006-07	121	0	121	2.73	330.33
आरएनएए	2007-08	29	9	38	3.14	119.32
एनकेएसी	2010-11	4	5	09	3.86	34.74
एनकेएडी	2010-11	61	25	86	3.86	331.96
आरएनएबी	2011-12	0	18	18	5.62	101.16
बीकेएआई	2012-13	111	20	131	5.37	703.47
जेएचएआर	2013-14	0	6	06	6.62	39.72
जेएचएजे	2013-14	0	11	11	6.62	72.82
कुल		428	124	552	--	2103.75

अनुबंध -XVII

{(पैरा 1.8.2.1 (IV) देखें)

चार ब्लॉको के विकास चरण 1.8.2.2 (I) स्थिति

ब्लॉक का नाम	प्रभावी तिथि	प्रभावी तिथि से पूर्णता अन्वेषण चरण II के लिए स्वीकृत समय	अन्वेषण चरण II की पूर्णता की निर्धारित तिथि	अन्वेषण चरण II की वास्तविक पूर्णता	क्षम्य विलम्ब	चरण II (-) क्षम्य विलम्ब की निर्धारित पूर्णता तथा वास्तविक पूर्णता के बीच भिन्नता	चरण I तथा II में मांगे गए छः माह के विस्तार की संख्या	शेष विकास चरण की अवधि		31.8.2015 तक विकास की शेष अवधि/टिप्पणियां
								यहां से	यहां तक	
1	2	3	4	5	6	7 ((5-4)-6)	8	9	10	11
बोकारो	21.02.2003	6 वर्ष	20.02.2009	27.01.2011	158 दिन	548 दिन	1+3=4	28.01.2011	27.07.2014	शून्य एफडीपी जनवरी 2013 में स्वीकृत हुआ। एमएल के लिए विलम्ब से आवेदन किया जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ईसी प्राप्त नहीं हुआ

										एमएल के अभाव में, विकास गतिविधियां संभव नहीं ।
उत्तरी करनपूरा	21.02.2003	6.5 वर्ष	20.08.2009	26.09.2011	218 दिन	549 दिन	1+3=4	27.09.2011	26.03.2015	शून्य एफडीपी सितम्बर 2012 में स्वीकृत हुआ। ईसी मई 2015 में प्राप्त हुआ। एमएल के लिए विलम्ब से आवेदन किया जोकि जुलाई 2015 को प्राप्त हुई। 26/3/2015 से आगे एक वर्ष के विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया।
झरिया	28.08.2003	7 वर्ष	27.08.2010	27.10.2012	424 दिन	368 दिन	2+2=4	28.10.2012	27.10.2016	14 माह एफडीपी अप्रैल 2013 में स्वीकृत हुआ।

2016 की प्रतिवेदन संख्या 15 (खण्ड II)

										एमएल के लिए विलम्ब से आवेदन किया जोकि जुलाई 2015 को प्राप्त हुई इसी प्राप्त नहीं हुआ। विकास गतिविधि आरम्भ नहीं हुई थी।
रानीगंज	09.06.2004	7 वर्ष	08.06.2011	08.12.2012	0	549 दिन	2+3=5	09.12.2012	08.06.2016	9 माह एफडीपी अप्रैल 2013 में स्वीकृत हुआ। एमएल के लिए विलम्ब से आवेदन किया जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ इसी प्राप्त नहीं हुआ, विकास गतिविधि आरम्भ नहीं हुई थी।

अनुबंध- XVIII

{(पैरा 1.8.2.2 (II) में संदर्भित)}

खनन पट्टे की स्थिति

ब्लॉक का नाम	विस्तार/ व्यवस्था के बाद चरण-II का पूर्ण होना	विकास योजना प्रस्तुत करने की तिथि	विकास योजना अनुमोदित होने की तिथि	एमएल आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	एमएल आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब	एमएल प्राप्त होने की तिथि
1	2	3	4	5	6 (5-2)	7
बोकारों	27.01.2011	26.11.2010	21.01.2013	12.07.2013	896 दिन अर्थात 29 माह लगभग	अभी प्राप्त होना है
उत्तर कर्णपुरा	26.09.2011	25.07.2011	25.09.2012	25.07.2013	668 दिन अर्थात 22 माह लगभग	जुलाई 2015 में प्राप्त
झरिया	27.10.2012	24.08.2012	23.04.2013	12.07.2013	258 दिन अर्थात 8 माह 15 दिन लगभग	जुलाई 2015 में प्राप्त
रानीगंज	08.12.2012	05.10.2012	23.04.2013	01.07.2013	205 दिन अर्थात 7 माह लगभग	अभी प्राप्त होना है

अनुबंध-XIX

{(पैराग्राफ 1.8.2.2 (III) में संदर्भित)}

पर्यावरणीय स्वीकृति की स्थिति

ब्लॉक का नाम	एफडीपी का प्रस्तुतीकरण	टीओआर की प्राप्ति की तिथि (ए)	ईसी प्रक्रिया शुरू होने की तिथि (बी)	समय अंतराल (माह) (ए-बी)	ईसी की स्थिति
बोकारों	26.11.2010	14.11.2011	14.11.2013	24 माह	प्रतीक्षित
उत्तर कर्णपुरा	25.07.2011	21.02.2013	26.06.2013	4 माह 3 दिन	12 मई 2015 को प्राप्त
झरिया	24.08.2012	10.09.2013	09.04.2014	6 माह 30 दिन	प्रतीक्षित
रानीगंज	05.10.2012	18.03.2014	23.12.2014	9 माह 5 दिन	प्रतीक्षित

अनुबंध-XX

(पैराग्राफ 1.9 में संदर्भित)

क्र. सं.	विलम्ब की प्रकृति और अवधि	निवेशित राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज की हानि (₹ करोड़ में)
1	भुगतान किये गये अग्रिम के प्रति ओपीएएल द्वारा इक्विटी शेयर के आवंटन में विलम्ब	997.95	245.22
2	अधिकार के मुद्दे के लिये लगाई गई राशि-दो वर्ष	670.92	108.89
3	ढाई महीने	750.55	10.65
4	ब्याज के बिना इक्विटी में परिवर्तनीय अधिपत्र (पहली किश्त) (जून 15 से दिसम्बर 15)	961.00	38.76
5	ब्याज के बिना इक्विटी में परिवर्तनीय अधिपत्र (दूसरी किश्त) (नवम्बर 15 से दिसम्बर 15)	480.50	4.63
कुल		3860.92	408.15

अनुबंध-XXI

{पैरा 5.2.2.1(II) में संदर्भित}

सेल के तीन विशेष स्टील प्लांटों की क्षमता, उत्पादन, लक्ष्य और वास्तविक बिक्री

(क्षमता '000 टन में)

मार्च का अंत	क्षमता			उत्पादन			लक्ष्य			वास्तविक बिक्री		
	वीआ ईएस पी	एसएस पी	एस पी	वीआ ईएस पी	एसएस पी	एसपी	वीआईए सपी	एसएसपी	एसपी	वीआईएसपी	एसएसपी	एसपी
2013	98	339	184	56	65	126	64	146	127	50.47	66	97
2014	98	339	184	22	98	114	129	142	121	33.29	96	100
2015	98	339	184	35	360	96	72	155	121	29.22	132	95
ब्याज व्यय और असाधारण मदों से पूर्व कुल परिचालन हानि (₹ करोड़ में)								2013		117	327	113
								2014		123	282	84
								2015		97	250	118

अनुबंध-XXII

{ पैरा 5.2.2.2 (क) में संदर्भित }

2009-10 से 2014-15 के दौरान सेल में डीलरों का निष्पादन

मार्च में समाप्त वर्ष	प्राधिकृत रिटेल डीलरों की संख्या (एआरडी)						एआरडी से बिक्री ('000 टन में मात्रा)				
	कुल (31 मार्च तक)		वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान हटाये गये	कार्यशील एआरडी		लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (%)	सेल की कुल बिक्री	कंपनी की कुल बिक्री का %
	विशेष एआरडी	सभी एआरडी			कुल	कुल का %					
2010	52	2508	एनए	एनए	1533	61	एनए	604	एनए	12110	4.99
2011	85	2649	एनए	एनए	1529	58	805	581	72	11720	4.96
2012	96	2662	41	28	1297	49	800	556	70	11420	4.87
2013	95	2896	234	349	1285	44	800	545	68	11110	4.91
2014	89	2948	318	488	1150	39	626	623	100	12070	5.16
2015	92	2711	542	448	1255	46	600	632	105	11700	5.40

एनए-उपलब्ध नहीं

अनुबंध-XXIII

{ पैरा 5.2.2.2 और 5.2.2.4 में संदर्भित }

एमओयू बिक्री और रियायत और छूट का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एमओयू बिक्री	अन्य बिक्री	कुल बिक्री*	एमओयू बिक्री कुल के प्रतिशत	रियायत और छूट
2009-10	23397.9	17836.7	41234.6	57	2467
2010-11	26111.0	18501.2	44612.2	59	4103
2011-12	15190.1	32033.1	47223.2	32	2904
2012-13	25473.4	21139.9	46613.3	55	4800
2013-14	40089.9	8307.3	48397.2	83	5696
2014-15	43591.3	4012.5	47603.8	92	6088

* अंतिम बिक्री हटाकर

अनुबंध-XXIV

(पैरा 5.2.2.6 में संदर्भित)

बिक्री छूट और औसत निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) का विवरण

वर्ष	बिक्री मात्रा ('000टन)	छूट (₹ करोड़ में)	(₹/टन) औसत छूट	औसत एनएसआर ¹ (₹/टन)	बिक्री ² की लागत (₹/टन)	एनएसआर को छूट (%)
2009-10	11010	2467	2241	31030	26291	7
2010-11	10683	4103	3841	33962	29354	11
2011-12	10276	2904	2826	37329	34308	8
2012-13	10163	4800	4723	36291	34018	13
2013-14	10917	5696	5218	35572	35299	15
2014-15	10562	6088	5764	35198	34484	16

¹ निवल बिक्री वसूली में किसी उत्पाद को बेचकर प्राप्त राजस्व (-) बिक्री प्राप्ति की लागत, यदि कोई है, भत्ते और छूट शामिल हैं।

² बिक्री की लागत उत्पाद/सेवा बनाने के लिये प्रयुक्त सभी लागत का कुल संचित है।

अनुबंध-XXV
(पैरा 5.2.2.9 में संदर्भित)

अर्धनिर्मित उत्पाद से परिवर्तन के बाद अर्धनिर्मित और तैयार उत्पाद का एनएसआर

₹ में उत्पाद का एनएसआर	भिलाई स्टील प्लांट		दुर्गापुर स्टील प्लांट	
	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
अर्धनिर्मित	30,433	29,435	32,311	31,144
टीएमटी 8-12 एमएम*	37,784	35,407	38,511	36,337
टीएमटी 12-25*	37,130	35,187	37,340	35,375
टीएमटी >25एमएम*	37,168	34,760	35,793	36,905
संरचनात्मक (हल्का)*	37,687	35,208	39,919	36,918
संरचनात्मक (मध्यम)*	39,088	37,504	36,849	34,067
संरचनात्मक (भारी)*	40,703	38,363	38,364	36,416

*मूल्य वर्धित तैयार उत्पाद

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in